खण्ड-404, अंक-4
बृहस्पतिवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(12 मार्च, 1992 ई0)

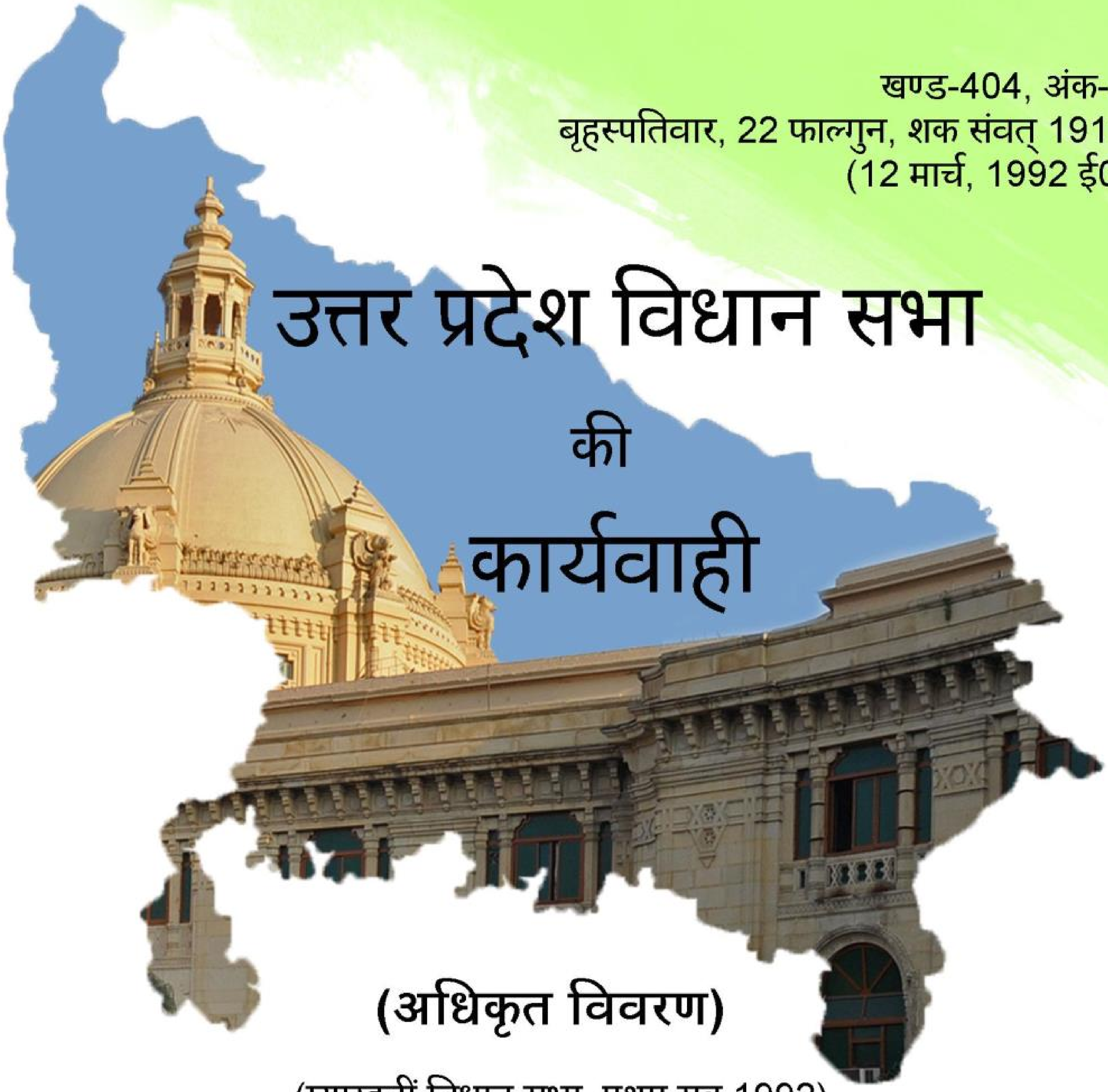

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
पत्रकार दीर्घा, अधिकारी दीर्घा एव दोनों लाबियो मे विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध मे सूचना	1
प्रश्नोत्तर	1-117
एस0पी0 (देहात) मुरादाबाद द्वारा आग्नेय अस्त्रों के लाइसेस मे मनमानी करने विषयक मामले की जांच के संबध में व्यवस्था का प्रश्न	117-118
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाए	118
राज्य अभिलेखागार, फैजाबाद में जालसाजी करके फर्जी अमलदरामद कराने से उत्पन्न स्थिति के सबध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119
मुरादाबाद विद्युत गृह से सब-स्टेशन कुदरकी को जाने वाली विद्युत लाइन मे विद्युत आपूर्ति बाधित होने के सबध मे नियम 301 के अतर्गत सूचना	119
जनपद बादा मे ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम मरझा के पास तुर्रा नाले पर निर्माणाधीन पुल को शीघ्र पूर्ण कराने के सबध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
बरेली जिलान्तर्गत बहेडी के पुलिस प्रभारी निरीक्षक द्वारा लाखो रुपये के शीशम के पेड कटवाये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
हरगाव (सीतापुर) तथा गोला (लखीमपुर खीरी) चीनी मिलो द्वारा वर्तमान पेराई सत्र मे अवैध गन्ना क्रय करने के सबध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120-121
मुरादाबाद (देहात) विद्युत विभाग द्वारा गरीब बुनकरो का उत्पीडन किये जाने के सबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
जनपद इलाहाबाद के दोआबा क्षेत्रान्तर्गत स्थित कौशाम्बी, पमोसा एव कडा को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के संबध मे नियम 301के अन्तर्गत सूचना	122
औचित्य के प्रश्न की सूचनाए	122
दैनिक जागरण, कानपुर के प्रेस फोटोग्राफर श्री अधीर कुमार सिंह (लल्ला) पर जान लेवा हमला होने पर पत्रकारों द्वारा धरना, बन्द एव हडताल करने के संबध में औचित्य का प्रश्न	123-126

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में गन्ना किसानों के शोषण के संबंध में औचित्य का प्रश्न	126-127
ग्राम पोयना थाना जवां जिला अलीगढ़ में एक बाल्मीकी जाति की बारात को रोके जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	127-128
जनपद देवरिया के पथरदेवा गाव मे घटित घटना विषयक औचित्य का प्रश्न	128-130
मुख्य मत्री द्वारा जिला, ब्लाक स्तर पर खाद्य सलाहकार समितियो मे सत्ता पक्ष एव विपक्षी दल के सदस्यो को नामित करने की सदन मे घोषणा का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध मे औचित्य का प्रश्न	130
सदन मे मत्रि-परिषद् की गोपनीय टिप्पणी बाटे जाने से गोपनीयता भग होने के सबध मे औचित्य का प्रश्न	131-132
वर्तमान सत्र के पहले मगलवार के लिये निर्धारित ताराकित प्रश्न सख्या-1 का सुसगत उत्तर न देने तथा अयोध्या काण्ड मे मृतको की सही सख्या न बताने के सबध मे औचित्य का प्रश्न	133-136
अयोध्या के विवादित स्थल मे एक दीवाल बनाये जाने के सबध मे औचित्य का प्रश्न	136-142
जनपद इलाहाबाद मे बिगडती कानून व्यवस्था के सबंध में औचित्य का प्रश्न	142-143
रहमतनगर कस्बा आदि कतिपय बस्तियों को नगरपालिका मुरादाबाद में सम्मिलित किये जाने के संबंध मे औचित्य का प्रश्न	143-144
पर्यटन राज्य मंत्री द्वारा आगरा में ताज नेशनल पार्क की भूमि के लिये बजट आने से पूर्व धन आवंटित करने की घोषणा से बजट की गोपनीयता भंग होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	144-146
दिनांक 27 फरवरी, 1992 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-84 का सही उत्तर न देकर सदन को गुमराह करने के सबंध में औचित्य का प्रश्न	147-148
बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ मे एन्टी रेवीज वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण कुत्ता काटे सैकडो मरीजो का जीवन खतरे में होने के सबध मे औचित्य का प्रश्न	148-149

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश मे शिक्षकों की सेवा शर्ते प्रबन्धकों के हाथ मे सौंपे जाने के सबंध मे औचित्य का प्रश्न	149-150
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाए	150
जनपद आगरा की दयालबाग महायोजना को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने से ग्रामीण आबादी के समक्ष उत्पन्न हुई बेरोजगारी एव भुखमरी की समस्या विषयक नियम 311 की सूचना	151-152
प्रदेश मे अधिवक्ताओ की हडताल से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 एव नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त समेकित सूचना	152-156
दलितों, अल्पसख्यको और पिछडे वर्ग के आरक्षण के सबध मे शासन के विभागो द्वारा उपेक्षित रवैया अपनाये जाने के सबध मे नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	156-164
जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लाक में सुहेली नदी के छिछली हो जाने से सड़क पर पानी बहने व आवागमन अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	164-165
लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा कानपुर रोड पर अनुसूचित जाति की बस्ती उजाड़ने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	165-166
श्री संकटा प्रसाद यादव, नेता जनता दल गोरखपुर को प्रताडित किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	167-169
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा शासनादेशों के बावजूद नियमानुसार कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	169-171
जनपद देवरिया मे विगत वर्षो मे अध्यापको की अनियमित नियुक्तियो के सबध मे नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	172-173
ग्राम उद्योतपुरा जागीर थाना रामपुरा जनपद जालौन मे डकैतो के आतक विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	173-175
प्रदेश मे ग्राम्य विकास विभाग की मिलियन वेल योजना समाप्त करने तथा उस धन से सडक निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	175-176

विषय	पृष्ठ-संख्या
जिला परिषद् मऊ के अधिकारियो की उपेक्षा पूर्ण रवैये एव पद के दुरुपयोग से जन मानस मे व्याप्त क्षोभ विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	176-178
गढवाल जनपद मे राजा जी पार्क के समीपी क्षेत्र के लोगो मे पार्क के कठोर नियमो के कारण व्याप्त आक्रोश विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	178-179
जनपद देवरिया के पथरदेवा काण्ड को विधान सभा में उठाने से उक्त काण्ड में पीड़ित परिवार को असामाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ित किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	179-180
सदन में विद्युत कर्मियों के कार्य से व्यवधान उत्पन्न होने के संबध में व्यवस्था का प्रश्न	180
जनपद देवरिया के पथरदेवा काण्ड को विधान सभा मे उठाने से उक्त काण्ड मे पीड़ित परिवार को असामाजिक तत्वो द्वारा प्रताड़ित किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	180-181
जनपद शाहजहांपुर के रजबहो की सफाई न किये जाने तथा सिचाई हेतु कृषको को डीजल उपलब्ध न कराये जाने के सबध मे नियम 311 के अतर्गत सूचना	181-182
श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा विधान सभा के सदस्य श्री किशोरी श्याम के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना (जारी)	182-184
कार्यमत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	184-187
श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा विधान सभा के सदस्य श्री किशोरी श्याम के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की सूचना	187-188
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए	189-195
वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक सबधी साहित्य के वितरण व्यवस्था की सूचना	195-196
जनपद मऊ के थाना मधुबन के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई मे हुए शहीदों के यादगार में शहीद स्मारक बनाये जाने का सकल्प	196-199
उत्तर प्रदेश के सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा न करना संज्ञेय अपराध माने जाने विषयक संकल्प का स्थगन	199

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रस्तुत बजट की कथित गोपनीयता भंग होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	199-200
वित्तीय वर्ष 1992-93 का आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण	201-245
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 (पारित) ..	246-254
दर्शक दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिये जाने की सूचना तथा उनकी रिहाई का प्रस्ताव (स्वीकृत)	254-255
नियम 51 के अतर्गत सूचनाए	256
वित्त मत्री द्वारा दूरदर्शन के अधिकारियों एव कर्मचारियों को उनके सहयोग के लिये आभार प्रकट ..	256
नत्थिया	257-269

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बिधान सभा प्रदेश पुदुचेरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनाक 12 मार्च, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे -

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अफजाल असारी, श्री	गाजीपुर
अब्दुल ए0 सलाम, श्री	आजमगढ़,
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अवध पाल सिह, श्री	एटा
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर
किशोरी लाल, श्री	जौनपुर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
गामाराम शास्त्री, श्री	गाजीपुर
घुरहू, श्री	बलिया
चन्द्र भान सिंह मौर्य, श्री	आगरा
ज्ञानवती सिंह, श्रीमती	अलीगढ
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
धर्म पाल यादव, श्री	बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
नवाब सिह, श्री	मथुरा
पवन कुमार पाण्डेय, श्री	फैजाबाद
पूरन सिह बुन्देला, श्री	ललितपुर
फागू, श्री	मऊ
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपर
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
भोला सिह, श्री	इलाहाबाद
मदन भैया, श्री	मेरठ
महक सिंह, श्री	मेरठ
महेन्द्र सिह भाटी, श्री	गाजियाबाद
माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय , श्री	बलिया
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
राज नारायण बिन्द, श्री	जौनपुर
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राम औतार शाक्य, श्री	मैनपुरी
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शरण, श्री	लखीमपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती
श्याद अली, श्री	प्रतापगढ
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सुखबीर सिह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र नाथ सिह, श्री	बाराबकी
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेश प्रताप गांधी, श्री	अलीगढ
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
हर नारायण, श्री	रायबरेली
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

अ.प्र.वि.सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनाक 12 मार्च, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ मे दिन के 11 बजे श्री राम आसरे वर्मा, उपाध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।

पत्रकार दीर्घा, अधिकारी दीर्घा एवं दोनो लाबियो में विद्युत आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री विजय सिंह राणा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा 311 में एक सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष-

पहले प्रश्नकाल होगा, उसके बाद विचार किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मै तो नियमों का निलम्बन चाहता हू ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य भलीभाति इस बात से परिचित हैं । पहले प्रश्नकाल चलने दीजिये और उसके बाद जिन माननीय सदस्यों ने 311 की सूचना दी है, सुना उनको भी जायेगा, लेकिन पहले प्रश्नकाल चलने दें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था तो मै उठा नहीं सकता हू क्योंकि प्रश्नकाल मे व्यवस्था नहीं होती है । मुझे एक आवश्यक बात कहनी है । आप देखें कि पता नहीं क्या बात है सरकार का वोल्टेज डाउन है न पत्रकार दीघा मे बिजली है और न अधिकारी दीघा मे है और लाबी मे भी बिजली चली गयी है । मान्यवर, इस सरकार का वोल्टेज बढाने के लिए बैटरी लगवा दे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मैनपुरी जनपद में ठण्ड के कारण हुई कथित मौतें तथा प्रदेश स्तर पर ठंड से होने वाली मौतों को रोकने के लिए शासन द्वारा दिये गये निदेश की जानकारी

**1-श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)-

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैनपुरी जनपद मे ठण्ड के कारण 1 दिसम्बर, 91 से 20 जनवरी, 92 तक 10 लोगों की मौतें हुई ? यदि हां, तो सरकार ने इन मौतों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रदेश स्तर पर सरकार ने वित्तीय वर्ष 1991-92 मे इस हेतु कोई धन खर्च किया ? यदि हा, तो कितना ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी)-

उक्त अवधि मे ठण्ड में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई ।

ठण्ड से बचाव हेतु अलाव जलाने तथा निराश्रितों में कम्बल वितरित करने के निदेश शासन द्वारा जिलाधिकारियों को दिये गये हैं ।

प्रदेश सरकार द्वारा 15,65,000.00 रुपये की धनराशि जनपदों को अलाव जलाने व कम्बल क्रय करने के लिए आवंटित की गयी है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-13 (रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट) की धारा 21 के अन्तर्गत दृष्टि बाधित व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने की मांग

**2-श्री किशन गोपाल (अनुपस्थित)-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि शासन ने उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-13 (रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट) 1972 की धारा 21 के अंतर्गत दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कोई विशेष सुविधा प्रदान करनेका निर्णय लिया है ? यह सच है कि वर्ष 1988 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उक्त विषय पर कोई विशेष आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो कब तथा दृष्टि-बाधित व्यक्तियों को उक्त सुविधा देने से क्यों वंचित रखा गया है ? कब तक उक्त सुविधायें उनको प्रदान कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों में भवन निर्माण में काम आने वाली सामग्रियों को मान्यता प्राप्त एजेन्सियों से न खरीदने की शिकायत

*1-श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री जगराम सिंह यादव, श्री अरविन्द प्रताप सिंह, तथा श्री अशोक कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूकम्प पीड़ितों को भवन निर्माण हेतु टीन की चादरें व लोहे की सरिया उपलब्ध करायी गयी हैं ? यदि हां, तो इन वस्तुओं की कीमत बाजार भाव से ज्यादा अदा की गयी है ? क्या यह सच है कि उक्त सामग्री स्टील अथारिटी आफ इण्डिया या अन्य मान्य एजेन्सी से न खरीदकर सामान्य व्यापारियों से खरीदी गयी है ?

लोक निर्माण मंत्री (डा0 सरजीत सिंह डंग)-

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं । संदर्भित कार्य हेतु टीन की चादरें व लोहे की सरिया सेल या अन्य मान्य एजेन्सी के अतिरिक्त अन्यत्र से नहीं खरीदा गया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि भूकम्प पीड़ितों को जो टीन की चादरें और सरिया दी गयी है उनकी बाजार भाव से ज्यादा कीमत नहीं अदा की गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि जो सरिया और टीन की चादरें खरीदी गयी है उस समय उनका बाजार भाव क्याथा और किस दर में खरीदी गयी है और क्या इसके लिए टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह संदर्भित जो प्रश्न है इसमें जितनी भी सरिया और टीन की चादरें खरीदी गयी है वह स्टील एथारिटी आफ इण्डिया लि0 से खरीदी गयी है और वही इनको बनाता है बाजार की जो साधारण दर है उसमें और जहां से खरीदी गयी है उसमें 1500 से लेकर 2000 तक का अन्तर है, बाजार से ज्यादा है और "सेल" में खरीदने पर यह सस्ता है ।

डा0 जी0एस0विनोद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां भूकम्प आया है जो मेन रोड के गांव है, उनके दूर-दराज कितने गांव ऐसे है जिनमें आज तक टीन की चादरें और सरिया नहीं पहुंची है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-.

मान्यवर, वैसे तो यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि जहां-जहां पर इस प्रकार के वितरण केन्द्र जिला प्रशासन ने बनाये थे वहां-वहां पर यह टीन की चादरें और सरिया पहुंचा दी है ।

डा0 जी0एस0 विनोद-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो दूर-दराज के गांव है वहां पर चादरें और सरिया नहीं पहुंच पायी है, तो ऐसे कितने गांव हैं, जहां यह आवश्यक सामान नहीं पहुंच पाया है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस भूकम्प से कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए और इसके लिए सरकार ने कितनी टीन और सरिया खरीदी और उसमें से अब तक कितनी लोगों को उपलब्ध हो सकी है और शेष को कब तक उपलब्ध करा देंगे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जिलाधिकारी ने जितनी टोटल आवश्यकता कहा था उसमें से 20% अब तक उपलब्ध करायी गयी है और इस संबंध में मेरे पास यह सूचना आयी है कि यह 20% की मात्रा पहुंची है उसमें से भी लोग पूरे का पूरा उसे लेने के इच्छुक नहीं हैं। सेल से 7000 मी0 टन चादरें ली गयी और 7000मी0 टन सरिया ली गयी थी और उसके बारे में सूचना आयी है कि अभी पूरे का पूरा लोग ले नहीं रहे हैं ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह चादरें और टीनें जो खरीदी गयी वह किस रेट पर खरीदी गयी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

18,785-00 रुपये प्रति मी0टन, इसके ऊपर 4% का सेल्स टैक्स लगाकर यह रेट रहा है और सरिया के लिये 9,845.00 रुपये प्रति मी0टन और इस पर भी 4% सेल्स टैक्स लगाकर यह मूल्य पड़ा है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का अभी उत्तर नहीं आया है । मैंने मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि जिलाधिकारी ने कितनी मांग की थी और उसका कितने प्रतिशत उन्होंने उपलब्ध कराया और शेष कब तक उपलब्ध करोयेंगे ? साथ ही केन्द्र सरकार ने इसके लिये कितनी सहायता दी थी और उसमें से कितने धन की यह खरीदी गयी और कितनी सहायता अभी शेष रह गयी है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता दी और कितना हमने मांगा था यह सवाल से संबंधित नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

आपकी यह बात सही नहीं है ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

देखिये हमसे पूछा गया है कि भूकम्प पीड़ितों को भवन निर्माण हेतु टीन की चादरें व लोहे की सरिया उपलब्ध करायी गयी है, उसका उत्तर है "जी हां"। आगे है, यदि हां, तो इन वस्तुओं की कीमत बाजार भाव से ज्यादा अदा की गयी है, इसका जबाब है, "जी नहीं"। तो मूल प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

जितना जिलाधिकारी ने मांगा था उसका 20 प्रतिशत आपूर्ति किया गया है, शेष नहीं किया गया तो या तो इनके पास पैसा नहीं है या उसका माल स्तर का नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष-

जो प्रश्न आप उठा रहे हैं उसका संबंध मूल प्रश्न से नहीं है, फिर भी यदि आपकी जिज्ञासा है तो प्रश्न अलग से दे दें ।

श्री मोहम्मद आजम खा-

मान्यवर, मंत्री जी के जबाव से यह मालूम हुआ कि एक बडी मात्रा मे लोगों ने यह लोहा और चादरें लेने से इन्कार कर दिया है, तो क्या यह सब स्टैन्डर्ड माल था या जनता की सरकार से कोई नाराजगी थी ?

डा0 सरजीत सिह डंग-

मा0 सदस्य का प्रश्न बहुत अच्छा है मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसी कुछ शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थीं और 4-2-92 को उस पर जांच करके मुख्य अभियन्ता (परिवाद) ने रिपोर्ट दी है कि 24 गेज की चादरें हमने मांगी थीं और उसमें से एक अच्छा खासा प्रतिशत उससे अधिक मोटाई का प्राप्त हुआ है और उसकी गुणवत्ता भी ज्यादा है । अब वहां पर लोगों ने क्यों नहीं लिया तो उसका कारण यह है कि लोग अपने तरीके से मकान बनवाना चाहते हैं और उन चादरों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं

श्री स्वामी नाथ यादव-

यह कहा गया कि अन्य एजेन्सियों से खरीदा गया तो यह जानना चाहता हू कि किन एजेन्सीज से आवेदन किया था टेण्डर किया था, किसको आपने स्वीकार किया ?

डा0 सरजीत सिह डग-

मान्यवर, सेल, टिस्को, टिपको, यह तीन सस्थाये है, जवाइट प्लानिग कमेटी है, यह केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था है इनके माध्यम से खरीदा जाता है, इनमे टेण्डर की आवश्यकता नही होती ।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह जो खरीदारी हुई है इसमे 4 प्रतिशत सेल्स टैक्स के रूप मे राजेन्द्र कुमार गुप्त जी सस्थागत वित्त मत्री का हिस्सा है, । भूकम्प पीडितो को कम से कम दाम पर चीजे उपलब्ध हो सके, मेरे अनुरोध पर माननीय सस्थागत वित्त मत्री जी विचार करेगे कि यह जो चार प्रतिशत सेल्स टैक्स लिया गया, भूकम्प पीडितों की आवश्यकता को देखते हुए इसे पूरी तरह से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने स्वीकार किया है कि 4 प्रतिशत सेल्स टैक्स दिया गया है, वह सदन की कार्यवाही मे आ गया है इस तरह से मुझे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया । सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने

इसे स्वीकार किया है 4 प्रतिशत सेल्स टैक्स तो कम से कम भूकम्प पीड़ितों के मामले में तो यह न लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

यदि माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें ।

डा0 सरजीत सिह डंग-

यह जो मान्यवर, चादरें और सरिया खरीदी गयी हैं इसके लिये कोई पैसा भूकम्प पीडितों से नहीं लिया गया उनको मुफ्त उपलब्ध कराया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं । नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या-।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न इनकी समझ मे ही नही आया, आप उसका उत्तर पहले दिलवा दे, आपने कहा कि यह भूकम्प पीडित पैसा नही देते हैं । मान्यवर, जो भूकम्प पीडितों के लिये कोष बनाया गया है, उसमे एक निश्चित धनराशि है अगर यह 4 प्रतिशत सेल्स टैक्स माफ कर देंगे तो 4 प्रतिशत ज्यादा सरिया और चादरे खरीदी जा सकती है क्या इस पर विचार कर लेंगे ?

डा0 सरजीत सिह डग-

मान्यवर, आपने भी इस बात को कहा मै भी इसको दोहराना चाहता हू कि मूल प्रश्न से यह सबंधित नही है अगर माननीय प्रमोद जी का कोई सुझाव है तो वे बाद मे माननीय वित्त मत्री जी से मिल लेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल-

यह सरकार भूकम्प पीडितों के प्रति गम्भीर नही है ।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप लोग बैठें । अगला प्रश्न लेता हू ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यह जो भूकम्प पीड़ितों का मामला है, इसमें पूरे देश से और विश्व स्तर से सहायता दी जा रही है, कम से कम तब प्रदेश सरकार को चीजों पर टैक्स नहीं लेना चाहिये था, जितनी राशि उस तरीके से कमीशन मे चली जाती है उससे अतिरिक्त व्यवस्था हो सकती है माननीय प्रमोद जी ने ठीक सवाल उठाया है, क्या माननीय मंत्री जी उस सेल्स टैक्स को माफ करेंगे ताकि भूकम्प पीडितों के साथ न्याय हो सके ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एव संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं समझता था कि माननीय प्रमोद तिवारी जी और माननीय नरेश अग्रवाल जी को नियमो की जानकारी जरूर है इसलिये मै उत्तर देने में संकोच कर रहा था । जब एक सरकार सरकारी काम के लिये फार्म पर सामान खरीदती है तो उसमे बिक्री कर की जो बात है (व्यवधान) आप सुन ले । मान्यवर, जिन स्वय-

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने स्वीकार किया है कि चार प्रतिशत सेल्स टैक्स लिया है और माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी यह कह रहे हैं कि चार प्रतिशत नही लिया है तो दोनो की बात मे विरोधाभास है । मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह सरकार ने जो दैवी आपदा हुई है उससे निपटने के लिए जो कफन घसोटी की है, जो चार प्रतिशत का सैल्स टैक्स लगाया गया है क्या उसको माफ करेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, शायद जल्दी-जल्दी मे यह समझ नही पाये है । मैंने यह कहा कि जिन स्वय सेवा सस्थाओं ने अप्रोच किया जितना माल रिसीव किया उनको छूट दी है । हमने एक जनरल आदेश जानबूझकर नहीं जारी किया । इसलिए अगर कोई सामान लेकर पहुंचा होगा तो वहा सामान लिया होगा । तो उसे बिक्री कर से मुक्ति दी होगी । चार प्रतिशत की जो बात प्रमोद तिवारी जी ने कही है उसको हम दिखवा लेंगे । सरकार भूकम्प पीडितो की सहायता के लिये किसी भी प्रकार की कोताही नहीं कर रही है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह तो फस गये । माननीय संस्थागत वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने बिक्री कर नहीं लिया । उन्होंने यह भी कहा कि दिखवा लेंगे तो मेरा यह आग्रह है कि जो चार प्रतिशत लिया है उसको माफ करने की घोषणा करेंगे क्योंकि चार प्रतिशत तो बहुत ज्यादा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैंने तो यह कहा कि सरकार ने माल खरीदा वहा देने के लिए इसकी पूरी जानकारी मुझे नही है हम इसे दिखवा लेंगे । अगर सरकार ने खरीदा है तो बिक्री कर भी सरकार ने दिया होगा उसमे भी पैसा तो सरकार का ही लगा फिर भी अगर माननीय प्रमोद तिवारी जी कह रहे है तो हम इस प्रकरण को दिखवा लेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह सरकार भूकम्प पीड़ितों के नाम पर चार प्रतिशत का टैक्स वसूल रही है जिससे भूकम्प पीड़ितों को उचित राहत नहीं मिल पा रही है और जो इन्होंने चार प्रतिशत की वसूली की है उसको माफ करने के लिये भी यह सरकार कोई बात नहीं कर रही है अतः इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, ऐसा लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी संभवतः समझ नहीं पा रहे हैं । मान्यवर, मामला यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय राणा जी आप सहयोग करें । मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं । आप कृपया बैठ जायें । मैं नत्थी (ग) का पहला प्रश्न ले रहा हूं ।

(गुरुवार दिनांक 12 मार्च, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

अलीगढ़ जनपद में सिकन्दराराऊ तथा हसायन विकास खण्डों में बाल विकास परियोजनायें खोले जाने की मांग

*1- श्री सुरेश प्रताप गांधी (अनुपस्थित)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ व हसायन विकास खण्डों में बाल विकास परियोजना कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ? जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से, सिकन्दराराऊ व हसायन विकास खण्डों के अंतर्गत बाल विकास परियोजना केन्द्र खोले जाने की संस्तुति किये जाने के बावजूद परियोजना प्रारम्भ करने के संबंध में कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

नवीन परियोजना खोलने की कार्यवाही भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ही की जाती है ।

अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ व हसायन विकास खण्डों में नई परियोजना खोलने हेतु भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यह भूकम्प पीडितों का मामला है । माननीय गांधी जी अनुपस्थित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष-

एक प्रश्न पर बीस मिनट हो गये हैं । अगले प्रश्न भी लेने हैं ।

प्रदेश में बडे क्षेत्रफलों वाली तहसीलों को तोडकर नई तहसीलें बनाने हेतु गठित पुनर्गठन समिति द्वारा छः तहसीलें बनाने की सस्तुति

*2- श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या राजस्व मत्री कृपया बतायेगे कि उ0प्र0 मे बडे क्षेत्रफलो वाली तहसीलों को तोडकर नई तहसीलें बनाने के कितने प्रस्तावो पर शासन विचार कर रहा है ? क्या इन प्रस्तावो मे राज्य की सबसे बडी तहसील पुरवा (जनपद उन्नाव) को विभाजित कर पाटन/भगवन्तनगर/बीघापुर नाम की किसी नई तहसील के गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हा, तो पुरवा तहसील को तोडकर नई तहसील कब तक बना दी जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

बडे क्षेत्रफल वाली तहसीलो को तोडकर नई तहसील बनाने हेतु गठित मण्डल/जिला/तहसील के सृजन/पुनर्गठन समिति द्वारा कुल छ तहसीले बनाने की सस्तुति शासन को उपलब्ध कराई गयी है । इन प्रस्तावों में तहसील पुरवा को विभाजित कर पाटन/भगवन्तनगर/बीघापुर नाम की किसी नई तहसील के गठन का प्रस्ताव नहीं है। परन्तु तहसील पुरवा को तोड़कर एक नई तहसील बनाने की माग विषयक प्रत्यावेदन शासन मे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें उक्त समिति के विचारार्थ संदर्भित कर दिया गया है। समिति की आख्या/संस्तुति शासन में प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन् उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील उत्तर प्रदेश की बड़ी तहसीलों में से एक है और माननीय मंत्री जी नें उत्तर में स्वीकार किया है कि जो समिति इस संबंध में बनायी गयी है, उस समिति के सामने उत्तर प्रदेश में 6 नई तहसीलों के सृजन का प्रस्ताव संदर्भित है । मान्यवर, मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया, उसमें भी स्वीकार किया कि पुरवा तहसील के विभाजन का प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव शासन के पास कब आया और उत्तर प्रदेश में 6 नई तहसीलों के बनाने का जो मामला है, इस पर कब तक विचार पूरा हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, पुरवा तहसील को विखडित करने के संबंध में सबसे पहले उन्नाव के जिलाधिकारी ने अपनी संस्तुति 2-9-87 को भेजी थी, उस पर जो समिति

गठित हुयी, उसने दिनांक 17-7-87 को निर्णय लिया कि यह उचित नहीं होगा कि विखंडन किया जाय, क्योंकि यह मानक में नहीं आता था उसके बाद पुनः जिलाधिकारी ने 27-2-89 को प्रस्ताव भेजा, उस पर यहां से विस्तृत आख्या मांगी गयी और यह मामला समिति को संदर्भित किया गया, उसके पश्चात् अपर आयुक्त नें संस्तुति नहीं किया, इस प्रकार वह मामला समाप्त हो गया । उसके पश्चात् 5 प्रत्यावेदन जिसमें श्री कमला शकर अवस्थी का 6-2-90 को प्राप्त हुआ, इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उन्नाव बार एसोसियेशन, चौधरी देवकी नन्दन, फैजाबाद के विधायक का 16-8-91 की और चौधरी अशोक सिंह के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, इन प्रत्यावेदनों को परीक्षण के लिये भेजा गया और अभी परीक्षण पूरा होकर विस्तृत आख्या प्राप्त नहीं हुई है, इसलिये मैंने बताया कि विचाराधीन है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय मत्री जी से जानना चाहूगा कि नई तहसीलो के सृजन का जो प्रस्ताव है, उसमे कौन-कौन और किस-किस जनपद मे नई तहसीलो के बनाने का प्रस्ताव है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, इसमे 6 तहसीले है । पहली जनपद झासी की तहरौली, दूसरी जनपद जालौन की माधोगढ, जनपद बलिया की बिल्थरा रोड, सिकन्दरपुर, इलाहाबाद की कुराव और फैजाबाद की मिल्कीपुर है ।

मोहम्मद आजम खा-

मान्यवर, मै यह जानकारी देते हुए माननीय मत्री जी से जानना चाहता हू कि रामपुर के स्वायर, टांडा बड़ी तहसील है, इसे अलग-अलग तहसील बनाने के सिलसिले में मंजूरी दी गयी थी, जिसका लिखित आदेश मुझको भेजा गया है । क्या मेरी जानकारी/सूचना को सही मानते हुए, उसे अलग तहसील बनाने की घोषणा माननीय मत्री जी करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उस सूचना को प्राप्त कर लिया जायेगा, लेकिन इस संबंध में जो समिति गठित हुयी थी, उस समिति ने दिनांक 25-2-92 को अपनी जो बैठक की थी, उसमें एक निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जिन तहसीलो के सृजन का मामला है, जिन पर निर्णय हो गया है, पहले वित्तीय ससाधनो की कमी को देखते हुए वहां मुख्यालय बनाकर प्रारम्भ किया जाय, उसके बाद अन्य किसी नई तहसील का काम प्रारम्भ किया जाय ।

श्री सुधीर-

मान्यवर, माननीय मत्री जी ने अभी बताया कि बिलथारा-रोड को तहसील बनाया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या इस वित्तीय वर्ष में इस तहसील को बना देंगे । यदि नही तो कब तक वह इस तहसील को बनायेगे ? एक निश्चित समय बताने का कष्ट करे ।

श्री उपाध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से संबधित नही है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

इस पर शीघ्र ही विचार होना है । मै अभी यह बताने की स्थिति मे नही हू कि कब तक यह तहसील बन जायेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, हमारे नये सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसलिये आप उन्हे मौका दे । यदि आपसे सरक्षण हमे नही मिलेगा तो किससे मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने श्री ऊदल जी को बुला लिया है । पहले वह अपना प्रश्न कर लें । फिर आपको अनुमति दे दूंगा ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, वाराणसी जिले में पिडरा नाम से एक तहसील बननी थी । 1987 में यह मामला उस समिति के विचाराधीन था । इसे आपने भी स्वीकार किया है। परन्तु आज आपने जिन तहसीलों का नाम गिनाया, उसमें वह नहीं है । मैंने स्वय चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड को पत्र लिखा था । इसे भी आपने स्वीकार किया है । इसलिये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह तहसील कैसे छूट गयी है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, माननीय श्री ऊदल जी बहुत पुराने सदस्य हैं । दो स्टेजेज होती हैं । एक जो समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष, राजस्व परिषद् के अध्यक्ष हैं । यह समिति पहले उसका परीक्षण करती है । श्री ऊदल जी का जो प्रस्ताव है, वह उस स्तर पर परीक्षण में है ।

डा0 जी0एस0विनोद-

मान्यवर, जनपद मुजफ्फनगर में कैराना सबसे बडी तहसील है । जिले की मांग चली आ रही है कि स्यामली को तहसील बना दिया जाय । स्यामली एक व्यापारिक कस्बा भी है । इसलिये मै माननीय मत्री जी से जानना चाहता हू कि क्या वह श्यामली को तहसील बनाने जा रहे है । यदि नही तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष-

वैसे मूल प्रश्न से यह सम्बन्धित नही है फिर भी माननीय मत्री जी अगर उत्तर देना चाहे तो दे सकते है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, 6 तहसीलो के बारे मे उस समिति के द्वारा परीक्षण करने के पश्चात् संस्तुति शासन के पास आई है । माननीय सदस्य जो बात उठा रहे है, हो सकता है उनका मामला उस समिति के स्तर पर परीक्षण की स्थिति में हो । शासन स्तर पर उनका मामला नही है ।

श्री हरि शकर तिवारी-

मान्यवर, नये तहसीलो के निर्माण के बारे मे तहसील मुख्यालय से उसकी दूरी क्या है, यह भी एक मानक है ।

श्री उपाध्यक्ष-

(कई सदस्यों के एक साथ खडे होने पर) आप लोग बैठ जाये मैने श्री हरि शकर तिवारी जी को बुलाया है । (व्यवधान) आपको भी मौका दिया जायेगा ।

श्री हरिशकर तिवारी-

गोरखपुर जनपद मे गोला तहसील के जो गांव हैं वह मुख्यालय से 50 कि0मी0 दूर है जैसे सिमटा, पटरा आदि इन गांवों की दूरी को ध्यान मे रखते हुए एक नयी तहसील बड़हलगंज सृजित करने का आश्वासन देंगे ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, अनेक माननीय सदस्यों की जिज्ञासा और इच्छा है कि जगह जगह नई तहसीलें सृजित की जायं लेकिन तहसीलों के सृजन के लिये एक मानक बना हुआ है उसमे दूरी भी एक विन्दु है इसके अलावा और कई विन्दु हैं जिन पर समग्ररूप से चितन होता है एक ही बिन्दु पर तहसील का निर्णय नहीं लिया जाता है । माननीय सदस्य अपने पक्ष मे और तर्क देगे तो उस पर विचार किया जायेगा।

(श्री बरखूराम वर्मा का नाम पुकारने पर)

श्री लाखी राम जोशी-

मान्यवर, हमे बिल्कुल मौका नही दे रहे है, सब उधर ही मौका दिया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैने श्री बरखूराम वर्मा को पुकारा है उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा । आप बैठे ।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

आजमगढ जनपद मे सदर तहसील चार ब्लौक और आजमगढ नगर पालिका भी सम्मिलित है अब आजमगढ के बट जाने के बाद आजमगढ और मऊ हो जाने के बाद मऊ मे दो ब्लौक सठियाव और जहानागंज और सदर तहसील सम्मिलित कर लिये गये हैं । इस तरह से यह एक बहुत बडी तहसील हो गयी है । तो मानक के अनुसार इसे दो तहसीलों मे बांटने का काम करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो पूछा है जैसा मैने पूर्व में निवेदन किया इसके लिये कई बिन्दु हैं जिसके आधार पर मानक बनाया गया है । अगर वहां से प्रस्ताव आयेगा तो मानक के अनुसार उसका परीक्षण करके काम किया जायेगा ।

श्री लाखी राम जोशी-

मान्यवर, टिहरी में दो सब-तहसील काफी समय से जखोली और धनेदी काम कर रही हैं । इनको तहसील बनाने क लिये 1986 में जिला प्रशासन द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजे गये । तो मैं जानना चाहता हूं कि इन दो सब-तहसीलों को तहसील बनाने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, नई तहसीलों के सृजन के प्रस्ताव दो तरह से आते हैं एक तो जिलाधिकारियों के माध्यम से और दूसरा सीधे लोगों के द्वारा शासन को प्रतिवेदन भेजे जाते हैं । जो सीधे प्रतिवेदन आते हैं उनको राजस्व परिषद् को संदर्भित कर दिया जाता है तो अभी वहां से शासन को संस्तुति कोई इस प्रकार की प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, शाहजहापुर जिले से कलां तहसील बनाने के बारे में काफी समय से माग है जो दो नदियों के बीच रामगंगा और बेहगुल मे आता है। राजस्व मंत्री जी इसके पडोस के हैं वह इसकी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं । तो उसकी स्थिति को ध्यान मे रखते हुए कलां तहसील बनाने का आश्वासन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

मूल प्रश्न से इसका कोई संबंध नही है ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मंत्री जी ने मूल प्रश्न में उत्तर दिया है कि 6 तहसीलों पर विचार किया जायेगा तो मंत्री जी पहली बात यह बता दे कि किसी नई तहसील के गठन के समय सरकार किन-किन मानकों पर विचार करती है ? दूसरा प्रश्न उन मानकों मे से पुरवा तहसील आती है कि नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

मान्यवर, नई तहसील के सृजन के लिये जिलाधिकारी से पुरवा तहसील का प्रस्ताव मिला था । प्रदेश में नई तहसील के सृजन के लिये 200 से 240 लेखपालों का क्षेत्रफल होना चाहिये, यह मानक है । पुरवा तहसील को विखंडित करके दूसरी तहसील के सृजन का प्रस्ताव आया था लेकिन वहां 130 लेखपालों का क्षेत्रफल पड़ता है, इसलिये इस मानक में पुरवा तहसील नहीं आता है ।

इसके पश्चात् ग्रामों की संख्या का मानक होता है। पुरवा में 583 ग्राम पाये गये हैं जबकि एक तहसील में 313 से लेकर 400 ग्राम होने चाहिये, तो इस हिसाब से भी पुरवा दो तहसीलों में बनाने के मानक में नहीं आता है जिससे उसे बांटकर दूसरी तहसील बनायी जाये ।

(व्यवधान)

पर्वतीय क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानों से प्रति युनिट दी जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा बढ़ाये जाने की मांग

*3-श्री भारत सिह रावत-

क्या खाद्य एव रसद मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय जनपदों में सस्ते गल्ले की दुकानो से प्रति युनिट दी जाने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा अत्यंत कम है ? यदि नहीं, तो प्रति युनिट की जाने वाली खाद्य सामग्री की पूर्ण विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्र में खुले बाजार मे उचित दरो पर खाद्यानो की अनुपलब्धता को देखते हुए प्रदेश में अन्य भावों की तुलना में प्रति यूनिट खाद्य सामग्री की मात्रा मे बढोत्तरी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज़ रिज़वी-

जी नहीं । पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए ही प्रदेश को खाद्यान्नों की उपलब्ध मात्रा में से 26.38 प्रतिशत भाग पहाड़ी जिलों के लिये आवंटित कर दिया जाता है । जबकि ऐसे जिलों की जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या का मात्र 4.2 प्रतिशत है । परिणामस्वरूप पहाड़ी क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन प्रति व्यक्ति 4.68 किलोग्राम प्रति माह आता है जो कि मैदानी क्षेत्र में किये जा रहे प्रति व्यक्ति प्रतिमाह आवंटन से पहले ही अधिक है। इसमें और वृद्धि सम्भव नहीं है ।

श्री भारत सिंह रावत-

मान्यवर, आप सदन और शासन जानता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न नहीं पैदा होता है और इस समय वहां खुले बाजार में खाद्यान्न की कमी है । ऐसी स्थिति में मैंने प्रश्न पूछा था कि शासन सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से जो राशन प्रति यूनिट देता है वह अपर्याप्त है ? मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कहा है जी नहीं ।

क्या मंत्री जी आज की स्थिति को देखते हुए वहां ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कि वहां पर अन्न खाद्यान्न प्रति यूनिट अधिक से अधिक उपलब्ध करा सकें ?

श्री एजाज़ रिज़वी-

मान्यवर, मैंने पूर्व मे पूरा स्पष्ट उत्तर दिया है। माननीय सदस्य की सम्भवत जिज्ञासा है । मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस समय प्रति यूनिट जो

गेहूं पर्वतीय क्षेत्र में दे रहे हैं 3.18 किलोग्राम दे रहे हैं और चावल 1.5 किलोग्राम दे रहे है । अर्थात् कुल खाद्यान्न एक यूनिट को 4.68 दे रहे हैं ।

श्री भारत सिंह रावत-

मान्यवर, मैंने एक बात यह पूछी थी कि प्रति यूनिट आप सामग्री जो देते हैं वह किस आधार पर देते हैं । इसका मानक क्या है । जैसा पहले माननीय मंत्री जी ने इस सदन में बताया था पर्वतीय क्षेत्र के लिये 10 किलोग्राम गेहूं, 8 किलो चावल और एक किलो चीनी का मानक माना गया है । मेरा निवेदन है कि इस समय इतना खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा है । माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो मानक निर्धारित किया गया है उसके अनुसार तो खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी-

मान्यवर, पूर्व में इस विषय के ऊपर सदन में कई प्रश्न आ चुके हैं । इस समय केन्द्र सरकार से गेहूं का जो आवंटन हमको प्रतिमाह मिल रहा है उसके आधार पर हम दे रहे हैं । आज स्थिति यह है कि प्रदेश की जनसंख्या के मुकाबले में इन आठ पर्वतीय जनपदों में कुल मिलाकर 58,74,353 जनसंख्या है। इनको हम कुल मिलाकर 27,699 मीट्रिक टन खाद्यान्न दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सही है कि जितना खाद्यान्न आपको मिलता है वह बहुत कम है जितना मिलना चाहिये नहीं मिलता है यह सही है कि हर जिले में चाहे पर्वतीय हो या गैर पर्वतीय हो, प्रति यूनिट राशन नहीं मिलता है । जिला पूर्ति अधिकारी का एक आदेश होता है कि इतना-इतना राशन दिया जाय । वह भी कम मात्रा में मिलता है और इस तरह से जनता को सरकार से और सरकार को जनता से शिकवा होता है । क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे यह डिपो होल्डर जो राशन को ब्लैक करते हैं वह न कर पायें । बहुत से लोग राशन नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती उनका राशन भी डिपो होल्डर्स को मिल जाता है। इस तरह से जिनको राशन खरीदना होता है उनको मिल नहीं पाता । सरकार क्या ऐसी व्यवस्था करेगी कि प्रति यूनिट के बजाय परिवार का या प्रति राशन कार्ड का सिलसिला रखा जाय तो जो सम्पन्न लोग राशन नहीं लेते उनका राशन डिपो होल्डर्स ब्लैक नही कर सकेंगे और जो लोग राशन लेना चाहते है वह अपना राशन आसानी से प्राप्त कर लेंगे ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी-

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह मूल प्रश्न की परिधि में नहीं आता है चूंकि मूल प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में था ।...

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, मैंने दोनों के लिये कहा है । दोनों जगह इन्सान बसते हैं । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । मान्यवर, मैंने प्रश्न मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों के लिये किया है खाने वालों के लिये किया है ।

श्री उपाध्यक्ष-

जितना इनका प्रश्न पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित है उसका तो उत्तर दे दें ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, आपके निर्देश के बाद तो न कहें ।

श्री एज़ाज़ रिज़वी-

मान्यवर, मैंने पूर्व में स्पष्ट किया था कि हर महीने हमको जितना खाद्यान्न मिलता है पूरे प्रदेश के मुकाबले आठ पर्वतीय जिलों में हम 26 प्रतिशत से अधिक दे रहे हैं ।

श्री मुन्ना चौहान-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों पर एलाटमेंट हो रहा है । मैदानी क्षेत्रों से ज्यादा किया जा रहा है, तो इस समय मैदानी क्षेत्रों में कितना खाद्यान्न आवंटित हो रहा है । पहाड़ी क्षेत्रों में बताया कि 4.68 के0जी0 आवंटित हो रहा है ? तो 8 जनपद में कौन-कौन से जनपद हैं जहां 4.68 के0जी0 आवंटित हो रहा है । क्या सब जनपदों में इतना ही दे रहे हैं । कहीं पर चार किलो है तो कहीं चार किलो से कम है, तो मंत्री जी क्या एवरेज बतायेंगे ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी-

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हू कि जितना खाद्यान्न मिल रहा है, उसके आधार पर वर्तमान मे मैदानी क्षेत्रों में प्रति यूनिट लगभग 3 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है । दूसरा प्रश्न पूछा है मैं स्पष्ट करना चाहूंगा पहाड़ी क्षेत्र में आठ जनपद हैं यहां 4.68 प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जा रहा है और अगर जिलेवार जानकारी लेना चाहेंगे तो लम्बी फेहरिस्त है जनवरी, 1991 से फरवरी, 1992 तक की स्थिति मैं बता सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं अगला प्रश्न ले रहा हू ।

श्री रमेश पोखरियाल-

मान्यवर, यह पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ा प्रश्न है । यह अनुपूरक प्रश्न पूछ लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है ये पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं एक दो अनुपूरक प्रश्न इसमें और पूंछ लें ।

श्री रमेश पोखरियाल-

मान्यवर, विगत दिनों में दस किलो प्रति यूनिट गेहूं और आठ किलो प्रति यूनिट के हिसाब से चावल वितरित किया जा रहा है । विगत तीन महीने में पौढ़ी जनपद में ऐसे स्थान हैं जहां एक किलो चावल और एक किलो गेहूं का भी वितरण नहीं किया गया है ।

श्री एज़ाज़ रिज़वी-

मैं माननीय सदस्य से स्पष्ट करना चाहूंगा कि पिछले दिनों सदन में उत्तर दिया गया था और मानक भी बताये गये थे 10 किलोग्राम का मानक है तो मानक के आधार पर दिया जा रहा है। पौढ़ी में इन्होंने पूछा है तो पौढ़ी में भी मानक के हिसाब से वितरित किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री सुधीर-

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्र के लिये खाद्यान्नों के वितरण का मानक अलग-अलग है । यह मानक अलग-अलग होने का क्या कारण है ? मनुष्य के लिये चाहे वह पर्वतीय क्षेत्र का हो या मैदानी क्षेत्र का हो अन्न की उपयोगिता एक समान होती है तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनो क्षेत्रों में मानक अलग-अलग होने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष-

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

डा0 जी0एस0विनोद-

माननीय मंत्री जी ने पर्वतीय क्षेत्र में राशन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी । पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भूकम्प आया था जिससे वहां की समस्या बहुत गंभीर है। मैं जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी दुकाने आवंटित की गयीं और उनसे प्रति यूनिट कितना-कितना राशन दिया जा रहा है ?

श्री एज़ाज़ रिज़वी-

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है व वितरण किया जाता है ।

(ता0 प्र0 सं0 9· पुकारे जाने पर)

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है ।

श्री विजय सिंह राणा-

माननीय सदस्य का प्रश्न संख्या 6 छूट गया है ।

श्री उपाध्यक्ष-

उनका प्रश्न उत्तरित हो चुका है, एजेंडा आप देख लें ।

(श्री अब्दुल ए0 सलाम का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, इस प्रश्न में मेरी रुचि है ।

*4- श्री श्याम देव राय चौधरी-

(दिनांक 13-2-92 को ता0प्र0सं0 1व 3 द्वारा उत्तरित)

*-5- श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण हटाया गया)

*-6- श्री भागवत पाल-

(दि0 13-2-92 को अल्पसूचित ता0प्र0सं0-1 द्वारा उत्तरित)

वर्ष 1990-91 में सेन्ट्रली सब्सिडी एवं शत प्रतिशत वित्त पोषित स्वीकृत योजनाओं को अब तक संचालित न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*7-श्री दुर्गा प्रसाद यादव (अनुपस्थित)-

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि सेंट्रली सब्सिडी एवं शत प्रतिशत वित्त पोषित 68, मैदानी बाल विकास परियोजना हेतु स्टाफ/सज्जा/धन की स्वीकृति वर्ष 90-91 हेतु शासन के पत्रांक 921/26-सेल/90-3 सेल/90/स0 वा0वि0प0 कक्ष दिनांक 20-10-90 द्वारा तथा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 15 परियोजनाओं की स्वीकृति शासन के पत्रांक 5771/28/प0वि-9 दिनांक 12-12-90 द्वारा दी गयी थी ? क्या यह सही है कि परियोजनायें अभी तक संचालित नहीं हुई हैं । जिससे केयर एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनीसेफ एवं भारत सरकार से प्राप्त करोड़ो रुपयों का समर्पण करना पड़ा तथा लाखों गरीब परिवार लाभ से वंचित रह गये इनमें बिलम्ब के लिये तत्कालीन महिला कल्याण सचिव तथा विशेष सचिव की क्या भूमिका थी तथा पिछले दो वर्षों में कुल कितना रुपया समर्पित हुआ ? शासन की कल्याणकारी योजनाओं में बाधा पहुंचाने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-
जी हां ।
जी नहीं ।

मैदानी क्षेत्र की 68 स्वीकृत परियोजनाओं में से 51 पर्वतीय क्षेत्र की 15 स्वीकृत परियोजनाओं में से 11 परियोजनायें क्रियाशील है । इस प्रकार कुल 83 स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष 62 परियोजनायें संचालित हैं । इन परियोजनाओं का केयर एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह समस्त परियोजनायें स्थानीय क्रय पर आधारित हैं ।

विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता । परियोजनाओं को क्रियाशील रहने के लिये बाल विकास परियोजना नियमावली के अन्तर्गत 18 माह का समय संबंधित क्षेत्र का सर्वेक्षण, परियोजनाओं के लिये कार्यालय प्राप्त करने तथा स्टाफ की नियुक्ति आदि कार्यवाही करने के लिये आवश्यक माना गया है ।

क्योंकि परियोजनायें वर्ष 1990-91 में ही स्वीकृत की गयीं अतः वर्ष 89-90 में समर्पण का प्रश्न ही नहीं उठता । वर्ष 90-91 में कुल रु0 339.358 लाख की धनराशि समर्पित हुई ।
प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांग पेंशन सुविधा सरलीकरण योजना के अंतर्गत पात्रता निर्धारण का आधार भूमि न होकर मासिक आय होना

*8-श्री राम प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)-
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकलांग पेंशन सुविधा सरलीकरण योजना के अंतर्गत शासन द्वारा 2 एकड़ से कम के भूस्वामियों को पेंशन हेतु पात्र घोषित किया गया है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-337 में प्रदेश के कुछ हिस्सों को डेढ़ एकड़ अनुपजाऊ भूमि को अन्य हिस्सों की एक एकड़ उर्वरा भूमि के बराबर माना गया है? यदि हां तो क्या अनुपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में उक्त पेंशन हेतु पात्रता 2 एकड़ के स्थान पर 3 एकड़ की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-
जी नहीं ।
जी नहीं । इस धारा में अनुपजाऊ अथवा उर्वरा का उल्लेख नहीं है ।
जी नहीं ।
विकलांग भरण पोषण हेतु पात्रता का आधार भूमि न होकर मासिक आय है।

वित्तीय वर्ष 1990-91 की जिला योजना में आजमगढ़ में स्वीकृत निर्माण कार्य, सम्पन्न कार्य और व्यय की गयी धनराशि का विवरण

*9-श्री अब्दुल ए0 सलाम (अनुपस्थित)-
क्या लोक निर्माण विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 में

जिला योजना, आजमगढ़ में कितनी सड़कों पर खड़न्जा, मिट्टी पेन्टिंग एवं मिट्टी का कार्य स्वीकृत किया गया था और उसके विरुद्ध वर्ष 1990-91 में क्या-क्या कार्य सम्पन्न कराया गया ? उस पर मदवार कितनी धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी थी, कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी ? वर्ष 1991-92 में जिला योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है एवं उनमें से अभी तक कितना निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? अभी तक मदवार कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा शेष निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1990-91 की जिला योजना में विभिन्न श्रेणियों के 56 कार्य स्वीकृत किये गये । उक्त स्वीकृति के विरुद्ध वर्ष 1990-91 में 3.80 कि0मी0 में मिट्टी का कार्य तथा 1.00 कि0मी0 में खड़ंजा का कार्य सम्पन्न किया गया ।

उस पर मदवार निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत एवं व्यय की गयी थी:-

कार्य	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि (लाख रुपये में)
1-मिट्टी सहित लेपन स्तर तक	180.74	20.86
2-मिट्टी से लेपन स्तर तक	37.54	5.52
3-खड़ंजा से लेपन स्तर तक	124.14	6.08

वर्ष 1991-92 में जिला योजना के अंतर्गत कुल 14 सड़कों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है । उनमें से अभी तक कोई निर्माण कार्य पूर्ण नहीं है ।

कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है । निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाना संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

*10- श्री बलराम यादव-
(अस्पष्टता के आधार पर निरस्त)

जनपद हरदोई के मल्लावां कस्बे के चौराहे के पास विलग्राम-उन्नाव, इलाहाबाद रोड पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग

*11-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां कस्बे के चौराहे के पास विलग्राम, उन्नाव इलाहाबाद रोड पर श्री ओम प्रकाश सहित कई हलवाइयों ने अतिक्रमण करके अवैध निर्माण करा लिये हैं ? यदि हां, तो क्या इस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हा ।

अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री निर्वेन्द्र कुमार-

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश मे अतिक्रमण मार्गो पर होते जा रहे है जिससे मार्ग अवरोध पैदा होता है । उत्तर प्रदेश मे यह जो अतिक्रमण हो रहे हैं क्या इनको हटाने के लिये विधिक कार्यवाही करेंगे कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने के लिये विधिक कार्यवाही की जा रही है तो विधिक कार्यवाही पूरी करके कब तक अतिक्रमण हटवा देंगे ?

डा0 सरजीत सिह डंग-

मान्यवर, यह हम सबके लिये चिन्ता का विषय है कि प्रदेश में इस प्रकार के अतिक्रमण हो रहे हैं । वर्तमान शासन दृढ़सकल्प है कि इन अतिक्रमणों को हतोत्साहित किया जाय । इसके लिये विधिक कार्यवाही की जा रही है । प्रश्न के संबंध में और जानकारी देना चाहूगा कि कुल अतिक्रमण इस क्षेत्र मे 17 हैं जिनमें 3 के संबंध में पी0पी0ऐक्ट, 1972 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। यह हैं बाबू हलवाई, मंशराम हलवाई, और महादेव होटल । बाकी के लिये, अतिक्रमण हटाने के लिये जिला प्रशासन को कह दिया गया है और बहुत शीघ्र अतिक्रमण हटा दिये जायेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल-

राष्ट्रीय मार्ग और राज मार्ग में सड़क के किनारे कितने मीटर तक निर्माण करना अवैध है और क्या माननीय मंत्री जी उन मानकों के अंतर्गत प्रदेश में जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की मंत्री जी ने जो योजना बनायी है, उसको विस्तृत रूप से सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं उनकी चिन्ता से अपने को भी सम्बद्ध करता हू । इसमें विधिक कार्यवाही के लिये कई तरीके हैं । पी0पी0 ऐक्ट में कर सकते हैं, आई0पी0सी0 की धारा 440/441 में कर सकते हैं, सी0आर0पी0सी0 मे 133 में कार्यवाही की जा सकती है जितने क्षेत्र के अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता हैं, उनके पास विभागाध्यक्ष की ओर से ऐसे अतिक्रमण हटाने के लिये कार्यवाही करने के आदेश हैं ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि अग्रवाल साहब ने पूछा कि राजपथ और राष्ट्रीय मार्ग दोनो में कितने फीट की दूरी तक कब्जा करना अवैध है ? इसका उत्तर नहीं दिया और कब तक यह पूरे प्रदेश में जो अतिक्रमण हो रहा है, उसको हटाने के लिये कोई निश्चित तिथि बतायेंगे कि कितनी सूचनायें मिली हैं और उनका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय स्वामी नाथ यादव जी कृपया अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री स्वामी नाथ यादव-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राजपथ से कितने फीट की दूरी तक अवैध कब्जा मानते हैं, इनके पास कितनी सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं और इन कब्जों को कब तक हटवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

यद्यपि आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी माननीय मंत्री जी उस पर कुछ स्पष्ट करना चाहें तो कर दें ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह प्रश्न करना कि कब तक हटवा देंगे, मैंने पहले ही अनुरोध किया है कि विधिक कार्यवाही की जा रही है और उसमें समय लग सकता है । वह केवल शासन पर निर्भर नहीं करता । हमारा संकल्प है कि अतिक्रमण हटायेंगे उसके लिये जो विधिक कार्यवाही करनी चाहिये, कर रहे हैं और उसके लिये आदेश भी दे दिये हैं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अतिक्रमण हटाये जाने के जिक्र में माननीय मंत्री जी ने कहा कि चिन्ता है और चाहते हैं कि हटे । मैं जानना चाहूंगा कि जब अतिक्रमण होता है, तब भी जनता पीड़ित होती है और उससे पैसे लेकर दुकान, मकान बनवा दिये जाते है और सारे मानक ताक पर रख दिये जाते हैं और जब हटाये जाते हैं, तब भी जनता पीड़ित होती है तो क्या इस व्यवस्था में जो अधिकारी अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कराते है, नक्शे स्वीकृत हो जाते हैं, रकमें ली जाती हैं तो जो इस तरह से सरकारी मशीनरी दोषी है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिये सदन को आश्वासन देंगे ?

डा0 सरजीत सिह डंग-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, इसका गलत अर्थ भी प्रदेश की जनता लगा सकती है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर अतिक्रमण होता है, किसी स्थिति में हुआ हो, अतिक्रमण करने वालों के लिये कोई भी सहानुभूति रखना उचित नहीं है । दूसरे इस प्रकरण की कोई घटना आपके संज्ञान में हो तो मेरे संज्ञान में भी ले आयें, निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गलत तरीके से उसका उत्तर दिया है...

(श्री जागेश्वर प्रसाद के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने माननीय राणा जी को पुकारा है। माननीय जागेश्वर प्रसाद जी आप बैठ जायं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने गलत तरीके से उसका उत्तर दिया है । मेरा कहना है कि जहां नक्शा स्वीकृत हो गया है, किसी संबंधित प्रशासनिक एथारिटी के द्वारा, जैसे विकास प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण ने अगर नक्शा पहले स्वीकृत कर दिया है और बाद में वही प्रकरण आ जाता है, तो निश्चित रूप से जब विकास प्राधिकरण पैसा लेकर नक्शा स्वीकृत कर दे रहा है, तो अतिक्रमण कैसे हो जायेगा?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय राणा जी आप प्रश्न करें, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि सरकारी एथारिटी के द्वारा जो मान्यवर, पहले नक्शा स्वीकृत करके अतिक्रमण वाली जगह पर मकान बना दिये जाते हैं, उनको अतिक्रमण नहीं माना जाता है, तो वह सरकारी एथारिटी भी उसके लिये दोषी है, इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करें ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, जब माननीय सदस्य ने पहले प्रश्न पूंछा था, तब भी मैंने उनसे निवेदन किया था, पुनः निवेदन कर रहा हूं, इस प्रकार की घटनायें और उनके संज्ञान में आई हैं, तो कृपा करके वह मेरे संज्ञान में भी ले आयें, किसी अतिक्रमण करने वाले को नहीं बख्शा जायेगा और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी को भी नहीं बख्शा जायेगा ।

(श्री जागेश्वर प्रसाद के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री कल्पनाथ-

मान्यवर, जैसा कि माननीय राणा जी ने कहा है, ऐसे अतिक्रमण नहीं हट सकते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अतिक्रमण हटाने के लिये क्या वह नियम लागू करेंगे, जो स्वर्गीय संजय गांधी ने अतिक्रमण हटाने के लिये लागू किया था ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रजांतांत्रिक मानकों को छोड़कर और किसी अन्य तरीके की कोई कार्यवाही

नहीं की जायेगी । आज यह पूछ रहे हैं और कल यह पूछेंगे कि क्या हिटलर की तरह करेंगे । मान्यवर, मैं तो विधिक कार्यवाही कर रहा हूं ।

(श्री जागेश्वर प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

जागेश्वर प्रसाद जी आप बैठ जायें, मैंने माननीय निर्वेन्द्र कुमार मुन्ना का नाम बुला लिया है । उनके बाद आपको अवसर मिलेगा ।

(व्यवधान)

ठीक है, जागेश्वर प्रसाद जी पहले बोल लें ।

श्री जागेश्वर प्रसाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सड़कों के किनारे-किनारे तमाम मकान बना लिये गये हैं और अगर आपको विश्वास न हो तो उसका आप सर्वे करा लें और मुझे भी साथ ले चलें । सड़कों पर मकान बन रहे हैं । क्या सरकार इस बारे में कोई इन्क्वायरी करने की कृपा करेगी ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जवाब तो बाद में आयेगा, लेकिन जोड़ा अच्छा मिल गया है ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

संयोग से आप दोनों के बीचों-बीच बैठे हैं ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखीमपुर खीरी के पलिया में पशुपति लाज होटल जो राजमार्ग को अ[illegible] करते हुए असंवैधानिक रूप से बनाया गया और जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री कन्नौजिया ने किया, तो यह जानते हुए क्या माननीय मंत्री जी उस असंवैधानिक अतिक्रमण को हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

आपका यह प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है । उससे कोई संबंध नहीं रखता है ।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि राजमार्ग और राज्य मार्ग के कितने फासले पर मकान बनाने का प्राविधान है । उसका फासला माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया है ।

(व्यवधान)

श्री निर्वेन्द्र कुमार-

(व्यवधान के मध्य) आप राज्य मंत्री से पूछ लें । उस होटल का उद्घाटन सांसद द्वारा किया गया है । तो आप ही बतायें किस प्रकार से अतिक्रमण हटाये जा सकते हैं । अतिक्रमण करने वालों की संख्या तो बढ़ती ही जायेगी । मान्यवर, मैं इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी से चाहता हूं, कृपा कर आप दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी माननीय सदस्य की जिज्ञासा शान्त कर दें ।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मूल प्रश्न पूछने वाले माननीय विधायक से मैं और कुछ तो नहीं कहना चाहता हूं। अगर इनको इस संदर्भ में पूंछना था तो मूल प्रश्न में इसकी चर्चा लेकर आते मगर इस सम्मानित सदन का उपयोग कीचड़ उछालने के लिये किया जाय यह उचित नहीं है। मूल प्रश्न से संबंधित न होने के कारण अगर आप अनुमति दें तो मैं उत्तर दूं।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजमार्ग और राष्ट्रीय मार्ग के कितने फासले पर, कितने फिट की दूरी तक निर्माण करना अवैध है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में अलग-अलग मानक हैं। शहरी क्षेत्रों में सड़क से 60 फिट की दूरी तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 75 फिट का मानक रखा गया है ।

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह एक विशेष और महत्वपूर्ण मामला है, मिर्जापुर जनपद का मामला है, जहां के माननीय मंत्री जी रहने वाले हैं।

(श्री जागेश्वर प्रसाद द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र का मामला है। आज से 3 माह पहले जिला प्रशासन और नगर प्रशासन ने इस सरकार की अनुमति से इस सरकार की मंशा से 2-3 माह पहले अतिक्रमण को हटाने का काम बड़े जोर शोर ढंग से शुरू किया था लेकिन 3-4 दिन अतिक्रमण हटाने के बाद यह काम बन्द कर दिया। वहां के गरीब लोगों ने आन्दोलन किया।उसमें यह हुआ कि गरीब लोगों की झोपड़ियां तो उजाड़ दी गईं लेकिन अमीरों की बड़ी-बड़ी कोठियां नहीं उजाड़ी गयीं। मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रदर्शन जब हुआ तो कार्यवाही क्यों रोक दी गई इसके पहले लोगों को उजाड़ा गया और बाद में उसे रोकने का क्या कारण था। और फिर मिर्जापुर में अतिक्रमण हटाने का काम कब से शुरू कर रहे हैं और किस ढंग से शुरू करना चाहते हैं, उसका मानक क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी मूल प्रश्न से जितना संबंधित हो, उसका उत्तर दे दें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य नये हैं लेकिन भाषण बहुत बढ़िया दे देते हैं मगर मूल प्रश्न से संबंधित यह प्रश्न न होने के कारण मैं जवाब देने के लिये बाध्य नहीं हूं। अगर अलग से इस संबंध में प्रश्न ले आयें तो मैं जवाब दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, यह गरीबों से संबंधित मामला है और मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, इसमें गरीब उजड़ गये हैं, प्रदर्शन हुआ है, यह महत्वपूर्ण मामला है। इस विषय पर माननीय मंत्री जी को आदेशित किया जाय और सदन को अवगत करायें कि गरीबों के घर उजाड़ने के बाद उसे क्यों रोक दिया गया, उसे कब फिर से चलाने जा रहे हैं ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

देखिये प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री भागवत पाल-

उन गरीबों ने सरकार को ज्ञापन दे दिया है । उन लोगों के पास रहने के लिये कोई जगह नहीं है । इसका जवाब तो दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल में आप अनुपूरक प्रश्न तो चाहे पूछ लें लेकिन इस तरह नहीं ।

श्री भागवत पाल-

यह अनुपूरक प्रश्न है, यह गरीबों का मामला है । अभी दो महीना पहले मिर्जापुर नगर में एक मुस्त गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ दी गईं, उन्हें पूरी तरह उजाड़ दिया गया है लेकिन अमीरों को नहीं उजाड़ा गया है । तो मंत्री जी यह बतायें कि अब वहां पर फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान कब से शुरू किया जायेगा और उन गरीबों को बसाने की आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न 1, 2, 3 पर जो मूल प्रश्न है उससे यह प्रश्न कैसे निकलता है, आपने अपनी बात कह ली, अब आप बैठिये आपका यह मूल प्रश्न में नहीं आता है ।

श्री भागवत पाल-

यह मंत्री जी के क्षेत्र का है, उनके नगर का मामला है...

श्री अध्यक्ष-

अलग से आप कभी स्वतंत्र रूप से इस पर कह लीजियेगा, ऐसे नहीं ।

(व्यवधान)

श्री लीलाधर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस अधिकारी के कार्यकाल में यह अतिक्रमण हुआ अधिकारी के विरुद्ध मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह अतिक्रमण पूरे प्रदेश में है, लोक निर्माण विभाग में ही नहीं। यह सत्य है कि इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सड़कों के किनारे अतिक्रमण हो रहा है। लोक निर्माण के अलावा अन्य विभागों में भी अतिक्रमण हो रहे हैं उसकी जमीनों पर भी बड़े अतिक्रमण हो रहे हैं किन्तु जब बात संज्ञान में आती है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाती है। इसके संदर्भ में वर्तमान सरकार ने कठोर कदम उठाने का निश्चय किया है। इस संबंध में विभागाध्यक्षों की ओर से क्षेत्र में निर्देश भी जारी किये गये हैं।

श्री इस्लाम साबिर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यह बताया था कि 60 फुट और 75 फुट की दूरी के अन्दर निर्माण कार्य अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है तो सड़क के किनारे पूरे प्रदेश में जो अवैध निर्माण हुए हैं, वे चाहे मंदिर के हों चाहे मस्जिद के हों, उनको हटाया जाना चाहिये तो आप बतायें कि उनको कब तक हटाया जा रहा है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है, कहीं-कहीं पर इस प्रकार के निर्माण की आड़ भी ली जाती है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कोई भी अतिक्रमण अतिक्रमण होता है, अवैध निर्माण अवैध निर्माण होता है वह चाहे जिस तरह का हो।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रति यूनिट चीनी वितरण के मात्रा के अन्तर को समाप्त करने की मांग

*12-श्री राम ललित चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहरी एवं मैदानी क्षेत्र में प्रति यूनिट चीनी आवंटन के मापदण्ड में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्यों और क्या यह अन्तर समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री एजाज रिजवी-

जी हां, प्रदेश में राशन कार्ड पर चीनी दर निम्नवत् है:-

(1) पर्वतीय जनपदों तथा मैदानी जनपदों के शहरी क्षेत्रों में एक किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह।

नोट:-नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

(2) मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 250 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह ।

विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अन्तर अनेक वर्षों से चला आ रहा है ।

इस अन्तर को समाप्त करने के लिये भारत सरकार से अतिरिक्त चीनी का आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया गया है ।

राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण के मामलो का निस्तारण करने की मांग

*13-श्री भानु प्रताप सिह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों/अधिकारियो की ज्येष्ठता के संबंध में जनवरी, 1988 मे गठित समिति की संस्तुतियां क्या थी ? क्या उक्त संस्तुतियों को लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार निगम कर्मियों के हित में इस मामले को शीघ्र निस्तारित करा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिह डंग-

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में जनवरी, 1988 में कोई समिति गठित नहीं की गयी थी अतः समिति की संस्तुतियों का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, प्रकरण विचाराधीन है ।

मामले में अन्तिम निर्णय अन्तर्विभागीय परामर्श से लिया जाना है । इसलिये कोई समय सीमा निर्धारित करना समीचीन नहीं है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या-257-258 पर ।)

*14-श्री विजय सिंह राणा-

(दिनांक 20-2-92 को अता0प्र0सं0 36 द्वारा उत्तरित)

जनपद देवरिया तहसील सलेमपुर के ग्राम सभा खजुरी करौता में ग्राम सभा की भूमि का फर्जी पट्टा की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही की मांग

*15श्री राधेश्याम वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया अवगत हैं कि जनपद देवरिया, तहसील सलेमपुर के ग्राम सभा खजुरी करौता में ग्राम प्रधान एवं संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में ग्राम सभा की भूमि को कितने-कितने भूस्वामियों के नाम फर्जी ढग से पट्टे किये गये हैं ? क्या मंत्री जी उक्त अवैध पट्टों की वर्षवार/उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर की ग्राम सभा खजुरी करौता मे वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 मे फर्जी ढंग से पट्टे नही किये गये हैं, बल्कि वर्ष 1989-90 में भूमि प्रबन्धक समिति खजुरी करौता के प्रस्ताव दिनांक 21-12-89 के अनुसार 11 पात्र आवंटियो को तथा वर्ष 1990-91 में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 16-12-90 के अनुसार 2 पात्र आवंटियों को कृषि भूमि का पट्टा किया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु सांसद और विधायक आदि द्वारा दिया गया आय प्रमाण-पत्र मान्य होना

*16-श्री अरविन्द प्रताप सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी कक्षाओं के बिकलांग छात्र के लिये कक्षा 1 से 8 तक के लिये छात्र वृत्ति देने हेतु आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार से लेना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि कक्षा 1 से स्नातक तक के छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु आय-प्रमाण पत्र, विधायक/सदस्य नगर पालिका/सदस्य, नगर पालिका/सदस्य, जिला परिषद्/सरपच द्वारा किया गया मान लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकलांगों को भी मानवीय आधार पर आय प्रमाण-पत्रप्राप्त करने के लिये उक्त छात्रों की तरह जन प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र मान लेने का शासनादेश जारी करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं । केवल तहसीलदार का ही नहीं । अपितु माननीय संबंधित क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक तथा अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा दिया गया आय प्रमाण-पत्र भी मान्य है ।

छात्रवृत्ति योजना के नाम का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहकारी संस्थाओं को सौंपे जाने पर विचार करने की मांग

*17-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान्य वितरण की व्यक्तिगत दुकानों से चोर बाजारी को काफी बढ़ावा मिल रहा है तथा उपभोक्ताओं को सामान न उपलब्ध होने देने के लिये साजिश चल रही

है जिससे सरकार का उक्त लोकहित का कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहकारी समितियों द्वारा संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज़ रिज़वी-

जी नहीं ।

राशन की दुकानों के आवंटन में सहकारी समितियों को शीर्ष प्राथमिकता प्राप्त है ।

एस0एफ0सी0 एजेन्सी द्वारा जनपद शाहजहांपुर में गेहूं की ढुलाई में परिवहन ठेकेदार को निर्धारित स्लैब से भुगतान-

*18-श्री प्यारे लाल शंखवार-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की एस0एफ0सी एजेन्सी द्वारा संचालित उपकेन्द्र नबादा द्वारा वर्ष 1991-92 में गेंहू खरीद योजना के अंतर्गत परिवहन ठेकेदार को निश्चित दर 12 रुपये साढ़े 21 पैसे प्रति कुन्तल के स्थान पर 10 रुपये 92 पैसे का भुगतान क्यों किया जा रहा है ? क्या सरकार एस0एफ0सी0 की हाट शाखा की भांति नियमानुसार 12 रुपये साढ़े 21 पैसे का भुगतान इस उपकेन्द्र पर भी कराने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

एस0एफ0सी0 द्वारा संबंधित परिवहन ठेकेदार को 10 रुपये 92 पैसे की दर से भुगतान किया गया है, जो कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्लैब रेट के अनुसार है । अतः किसी अन्य दर से भुगतान करवाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में नगरों व शहरों में कुम्हारों को मिट्टी का बर्तन बनाने हेतु दी गयी भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग

*19-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या सरकार को ज्ञात है कि बांदा जनपद में मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु कुम्हारों को जो भूमि चकबन्दी के मध्य दी गयी है उसमें कुम्हारों को मिट्टी इसलिये नहीं मिल रही है क्योंकि उस भूमि पर सामन्तशाहों का कब्जा है ? क्या यह सही है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर कुम्हारों के बर्तन बनाने की मिट्टी लेने हेतु भूमि दी ही नहीं गयी ? यदि हां तो, क्या सरकार जनपद के प्रत्येक गांव कस्बे व नगर में जो भी भूमि कुम्हारों के बर्तन बनाने हेतु सरकार द्वारा दी गयी है उसमें कुम्हारों को कब्जा दिलवाया जावेगा ? जिन गांव में भूमि कुम्हारों के लिये नहीं दी गयी है उन्हें क्या भूमि गांव सभा की भूमि में से दी जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र जी रही है ।

*20-श्री किशन गोपाल-

(8 वें सोमवार में ता0प्र0सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

अतारांकित प्रश्न

बांदा जनपद में चौअड़ बल्लान से कुर्रहीकेरी तक सड़क बनने से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने की मांग

1-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बांदा जनपद में चौअड़-बल्लान से कुर्रही कैरी तक जो सड़क निर्मित करवाई गयी है उसमे सडक निकलने वाले स्थानो को संबधित काश्तकारो से फसल के खड़ी रहते हुए अधिगृहीत किया गया था ? यदि हा, तो क्या सबधित काश्तकारो को फसल व भूमि का मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? क्या निकट भविष्य मे यह मुआवजा उन्हें दे दिया जायेगा ? यदि हा, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यो ?

डा0 सरजीत सिह डग-

बांदा जनपद मे चौअड-बल्लान से कुर्रही कैरी तक कथित सडक का लोक निर्माण विभाग द्वारा न तो निर्माण कराया गया है और न ही इस हेतु कृषको की कोई भूमि अधिगृहीत की गयी है । अत: लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा मुड़ा बुजुर्ग जनपद खीरी में भूमिहीनों को पट्टे दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

2-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-1088/91, दिनांक 23-8-91 को ग्राम सभा मूड़ा बुजुर्ग में भूमिहीनों के पट्टे बनाने के संबंध में परगनाधिकारी निघासन, जनपद खीरी को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

तहसील निघासन जनपद बस्ती में नहीं है, अत: प्रश्नकर्ता का तथाकथित पत्र जनपद बस्ती में प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में अनुसूचित जाति की बस्तियों में शैक्षिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं तथा उन्हें दिये गये अनुदान का विवरण

3-श्री राम प्रसाद सिह-

क्या समाज कल्याण मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा मे अनुसूचित

जाति की बस्तियों में प्राइमरी पाठशालाओं के संचालन में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो वहा की ऐसी कौन-कौन सी स्वैच्छिक संस्थायें हैं ? उनके द्वारा कहां-कहां पर प्रारम्भिक पाठशालायें चलाई जाती हैं तथा कितना-कितना अनुदान वर्ष 89-90 मे उन्हें दिया गया है ? क्या इसका वस्तुगत सत्यापन कराया जाता है ? यदि हां, तो किसके माध्यम से ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

संस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-श्री बजरंगवली हरिजन एवं जनजाति उत्थान समिति, बादा ।

2- आदि सत्य मानव धर्म समिति आदिम नगर लोधनपुरवा, मौजा, सौता, सेहुड़ा बांदा विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	पाठशालाओं का नाम	वर्ष 1989-90 में दिया गया अनुदान
(अ)	श्री बजरंगदल हरिजन एवं जनजाति उत्थान समिति बांदा :-	रु0 पै0
	1-हरि0 प्रा0 पाठशाला रमपुरिया	21,980.00
	2-हरि0 प्रा0 पाठशाला डुडौली	32,970.00
	3-कन्या प्रा0पाठशाला भिटारी	23,445.70
(ब)	आदिम सत्यमानव धर्म समिति, आदिम नगर, लोधन पुरवा, मौजा, सोता सेहुड़ा, बांदा ।	
	1-शरण बाल निकेतन प्रा0 पाठ0 तिन्दुरा	21,980.00
	योग-	100,375.70

जी हा ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, बांदा के माध्यम से ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा की तहसील कर्वी में हुई अग्निकाण्ड के क्षतिपूर्ति के रूप में दी गयी धनराशि का विवरण

4-राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा की तहसील कर्वी में

वर्ष 1990 में सितम्बर, 90 एवं दिसम्बर, 91 तक आगजनी के काण्डों की कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ? क्या उनमें से किसी अग्निकाण्ड के पीडितो को आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो किसको-किसको कितनी धनराशि दी गयी और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद बांदा की तहसील कर्वी में वर्ष 1990 के सितम्बर, माह में एक तथा अक्टूबर 90 से दिसम्बर, 91 तक 159 अग्निकाण्ड की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ।

42 पात्र अग्निकाण्ड पीड़ितों **(सूची संलग्न)** को आर्थिक सहायता के रूप में रु0 7.600.00 अहेतुक सहायता तथा रुपया 10,900.00 गृह अनुदान का वितरण दिसम्बर, 1990 से दिसम्बर, 1991 के मध्य विभिन्न दिनांकों में किया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 259-260 पर)

लोक निर्माण खण्ड बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा में अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति किये जाने की मांग

5-श्री पूरन चन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण खण्ड बागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा में कब तक अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति करेंगे ? क्या अगस्त, 1991 तक अब तक उक्त पद रिक्त हैं ?

डा0 सरजीत सिह डंग-

लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता अधिकारियों की ज्येष्ठता काफी समय से विवादित होने एवं इस अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति पर स्थगनादेश होने के कारण वर्ष 1985 के पश्चात् अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर कोई सामान्य चयन नहीं हो सका है । फलस्वरूप विभाग में बागेश्वर (अल्मोड़ा) के प्रश्नगत खण्ड सहित अधिशासी अभियन्ता के 52 पद रिक्त हैं। सम्प्रति प्रश्नगत खण्ड में अधिशासी अभियन्ता की नियमित नियुक्ति प्रस्तावित नहीं है ।

जी हां ।

लोक निर्माण खण्ड बागेश्वर अल्मोड़ा के दो अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही

6-श्री पूरन चन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एल0डी0 त्रिपाठी एवं श्री जमन सिंह पोखरिया, जूनियर इंजीनियर, लोक निर्माण खण्ड-बागेश्वर (अल्मोड़ा)

के खिलाफ प्रश्नकर्ता द्वारा द्वारा उन्हें जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 1991 में दिये गये शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है ? कब तक इनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

श्री एल0डी0 त्रिपाठी एवं श्री जमन सिंह पोखरिया, अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 25-8-91 एवं 9-9-91 पर मुख्य अभियन्ता, कुमायूं क्षेत्र, अल्मोड़ा द्वारा जांच करायी गयी । जांच में आरोप सत्य नहीं पाये गये और न ही मध्य सत्र में उनके स्थानान्तरण का कोई औचित्य पाया गया ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय विचार करना सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परगना अधिकारी बांदा द्वारा राशन वितरण प्रणाली में कोटेदारों से अवैध वसूली की जिला अधिकारी से शिकायत

7-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार बतायेगी कि जिलाधिकारी बांदा को प्रश्नकर्ता का पत्रांक-क-200726, दिनांक 14-12-91 परगनाधिकारी बांदा द्वारा राशन वितरण प्रणाली में कोटेदारों से अवैध धन वसूलने सम्बन्धी प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या तहसील बांदा में जनता को प्रतिमाह राशन उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब से यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज़ रिज़वी-

जी हां ।

पत्र की प्रति संलग्न है ।

प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में अपर जिला अधिकारी (वित्त एवं राजस्व) बांदा से जांच करायी गयी और प्राप्त जांच आख्या के आधार पर संबंधित उचित दर के दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।

भारत सरकार से प्राप्त सीमित आवंटन से अभी तक केवल बांदा तहसील के शहरी क्षेत्रों में तो गेहूं/चावल का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार से जनसंख्या के आधार पर प्रदेश को गेहूं/चावल के आवंटन का निरंतर अनुरोध किया जा रहा है । परन्तु अभी तक भारत सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं प्राप्त हुई है । आवंटन बढ़ने पर ही इस तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किया जाना सम्भव होगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 261 पर)

भूतपूर्व लेखपाल मेजा इलाहाबाद के स्व0 श्री जय मंगल लाल श्रीवास्तव के पेंशन आदि देयों के भुगतान की मांग

8-श्री राम सेवक सिंह-

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री जयमंगल लाल श्रीवास्तव

लेखपाल, मेजा इलाहाबाद की मृत्यु 17-7-65 को हुई थी ? यदि हां, तो क्या उन्हें शासनादेश संख्या 923 दस दिनांक 8-8-86 के तहत उनके पेंशन का भुगतान 17-7-65 से 30-4-86 तक का किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करेगी ? यदि करेगा तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 8-8-86, दिनांक 1-5-86 से लागू किया गया है । स्व0 श्री जय मंगल लाल श्रीवास्तव, लेखपाल की पत्नी श्रीमती गुलाब पत्ती को पारिवारिक पेंशन दिनांक 1-5-86 से ही स्वीकृत की गयी जिसका भुगतान उन्हें किया जा चुका है । उक्त शासनादेश में विहित प्राविधान के अंतर्गत 1-5-86 से पूर्व की अर्थात् दिनांक 17-7-65 से 30-4-86 की अवधि की पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं है । ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

ग्रामसभा मुगौरा तहसील नरैनी जिला बांदा में दो सौ बीघा जमीन का पट्टा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में शासन का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

9-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्रांक- आर0एम0- 662/1-2/91, रा0-2 पंजियन सं0 753, दिनांक 29-11-91 जो श्री श्याम मनोहर महेन्द्रू विशेष कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0 शासन ने जिलाधिकारी बांदा को ग्राम सभा मुगौरा तहसील, नरैनी जिला- बांदा में लगभग 200 बीघे भूमि के अवैधानिक रूप से फर्जी पट्टे करने के संबंध में लिखा था, उसमें क्या कार्यवाही की गई है ? दोषी अधिकारी को क्या निलंबित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

संदर्भित पत्र की जांच तहसीलदार/परगनाधिकारी नरैनी से रिकार्ड करायी गयी जांच में पट्टों की संख्या 62 तथा क्षेत्रफल 34-71 एकड़ होती है । प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बांदा के न्यायालय में विचाराधीन है ।

बांदा जनपद के खत्री पहाड़ की देवी जी से केन नदी तक पक्का मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

10-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20-8-91 को जो पत्र मुख्य मंत्री को बांदा जनपद के खत्री पहाड़ की देवी जी से केन नदी तक पक्का मार्ग बनवाने एवं केन नदी में पीपों के पुल के संबंध में लिखा था, उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शीघ्र ही पक्का मार्ग व केन नदी पर पीपों का पुल बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । सम्प्रति प्रश्नगत कार्यों की स्वीकृति विचाराधीन नहीं है ।

पलिया कला जनपद लखीमपुर खीरी में हरिजन छात्रावास बनवाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

11-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-261/90 दिनांक 5-3-90 प0वै0वि0ई0 पलिया कलां, जनपद लखीमपुर खीरी में हरिजन छात्रावास बनवाने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

यथोचित माध्यम से प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा बवां तहसील बीकापुर जिला फैजाबाद के लेखपाल की पत्नी के नाम ग्राम सभा की जमीन का अवैध पट्टा किये जाने संबंधी जिलाधिकारी फैजाबाद को प्रेषित प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

12-श्री पूरन चन्द-

क्या सरकार कृपया बतायेंगे कि श्री भगेलूराम निवासी, ग्राम सभा बवां, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद का कोई प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधान बवां द्वारा दिनांक 16-12-91 को प्रस्ताव करके अनियमित ढंग उक्त ग्राम सभा के लेखपाल की पत्नी के नाम अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन पट्टा करने के संबंध मे दिनाक 1-12-91 से 20-12-91 के मध्य में जिलाधिकारी फैजाबाद को प्राप्त हुआ है । यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कया ? यदि नही, तो क्यो ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला योजना लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में स्वीकृत मार्गों के निर्माण का कार्य रुक जाने की शिकायत

13-श्री सन्त बक्श रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला योजना के अन्तर्गत लखनऊ जनपद मे वित्तीय वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में स्वीकृत मार्गों हेतु जिन पर कार्य चल रहा था, प्रदेश सरकार ने स्वीकृत धनराशि अवमुक्त नही की, जिसके परिणामस्वरूप उक्त मार्गों पर कार्य रुक गया है ? यदि हां, तो क्यो ? क्या सरकार स्वीकृत मार्गों हेतु धन उपलब्ध कराकर कार्य प्रारम्भ करा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जिला योजना में वर्ष 1989-90 एवं 90-91 में स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु जनपद लखनऊ में अधिष्ठान रहित परिव्यय के अनुसार धन अवमुक्त किया गया है ।

अवशेष स्वीकृत कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

बांदा जनपद में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के सदस्यों का विवरण

14- श्री राम प्रसाद सिंह-

सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण जिला फोरम की स्थापना की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप है ? क्या बांदा जनपद में इसकी स्थापना हो चुकी है ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं ? क्या उक्त फोरम द्वारा अब तक कोई कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

जी हा । उपभोक्ता सरक्षण जिला फोरम के सेवा निवृत्त जिला जज अथवा सेवारत जिला जज/अतिरिक्त जिला जज की अध्यक्षता मे गठित किये गये हैं जिनमें प्रधान के अतिरिक्त एक पुरुष तथा एक महिला सदस्य हैं ।

जी हां । बादा जिला फोरम मे वर्तमान प्रधान एवं सदस्य निम्नलिखित हैं:-

1- कार्यरत जिला जज	प्रधान
2- श्री बालगोविन्द त्रिपाठी	सदस्य
3- श्रीमती राम किशोरी	सदस्य

जी हां । बांदा जिला फोरम में दिनांक 15-2-92 तक 47 शिकायतें दर्ज हुयीं इनमें से 34 शिकायतों का निस्तारण जिला फोरम द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में कर्वी तहसील के गांव कहेटामाफी में पैयस्वनी नदी पहाड़ी सिवन्डा बांदा रोड पर पुल बनाये जाने की मांग

15- श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत तहसील कर्वी के ग्राम कहेटामाफी में पेयस्वनी नदी में पहाड़ी विसन्डा बांडा रोड पर पुल निर्माण के लिये कोई योजना चल रही ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का निर्माण शुरू किया जायेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत योजना की स्वीकृति सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

16-श्री गंगा बक्श सिंह-

(दिनांक 13-2-92 को ता0प्र0सं0 19 द्वारा उत्तरित)

राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ कानपुर के सोहरामऊ स्थान से दतौली होकर वाजिदपुर तक लिंक रोड के निर्माण को पूरा कराने की मांग

17- श्री गंगा राम बक्श सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ-कानपुर के सोहरामऊ स्थान से दतौली होकर वाजिदपुर तक लिंक मार्ग को लेपित किये जाने की स्वीकृति कब दी गयी ? शासनादेश के निर्गमन के बाद मार्ग निर्माण की क्या प्रगति है ? क्या यह सच है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा स्वीकृत इस मार्ग का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त मार्ग कब तक बन जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

लखनऊ कानपुर मार्ग के सोहरामऊ स्थान से दतौली होकर वाजिदपुर मार्ग 3.00 कि0मी0 की लम्बाई में शासनादेश दिनांक 24-3-1990 द्वारा लेपन हेतु स्वीकृत हुआ था । स्वीकृत भाग में ऊपरी सतह तक पत्थर की कुटाई हो गयी है।

जी नहीं ।

निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की परगना पलिया तहसील निघासन में कलेक्टीव फार्म पटिहन के नाम से दर्ज की गयी कुल भूमि का विवरण

18-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना पलिया तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में कलेक्टिव फार्म के नाम से कुल कितने एकड़ भूमि दर्ज थी ? क्या उक्त फार्म की सीलिंग की अतिरिक्त भूमि घोषित कर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में आवंटित कर दी गयी ? यदि हां, तो कुल कितने पट्टे दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

परगना पलिया तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी मे कलेक्टिव फार्म पटिहन के नाम से कुल 3,956.05 एकड़ भूमि दर्ज थी ।

उक्त भूमि मे से मूल सीलिंग अधिनियम के अलर्गत 3,903.19 एकड़ तथा नई सीलिग के अन्तर्गत 13.73 एकड कुल 3,916.92 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई, जिसमें से (कृषि) योग्य 2,214.55 एकड़ भूमि पात्र व्यक्तियों मे आवंटित की गयी ।

हा कुल 811 पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये गये । अब कोई आवंटित योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है ।

19- श्री राम प्रसाद सिंह-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

20- श्री चन्द्र भान मौर्य-

(दि0 27-2-92 को अता0प्र0स0 24 द्वारा उत्तरित)

जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर ब्लाक कुंआ टाण्डा से कजा चकप पुर होते हुए रसूला बाहनपुर मार्ग पर मुच्छा नाला का पुल बनवाने की मांग

21-श्री नन्द राम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बरेली, तहसील फरीदपुर ब्लाक कुआं टाण्डा से कजा चकपपुर होते हुए रसूला बाहनपुर मार्ग पर गुच्छा नाला का पुल बनवाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिह डंग-

सम्प्रति पुल की स्वीकृति प्रदान किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सीमित ससाधनों के कारण अपूर्ण सेतुओं को पूर्ण करने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है ।

लोक निर्माण विभाग अनुरक्षण खण्ड-1 महानगर कालोनी महानगर लखनऊ में कार्यरत अवर अभियन्ता द्वारा वर्ष 1990-91 में की गयी खरीद में लाखों रुपये के घपले की शिकायत पर कार्यवाही

22-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग अनुरक्षण खण्ड-1 महानगर कालोनी मे कार्यरत अवर अभियन्ता ने वर्ष 1990-91 मे माल सप्लाई एव फर्जी कार्य दिखाकर लाखो रुपये के गबन करने आदि की शिकायत श्री शिवलाल मित्तल विधायक ने दिनाक 26-1091 को की थी ? यदि हो, तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत शिकायती पत्र प्राप्त नही हुआ ।

प्रश्न नही उठता ।

23-श्री दीनानाथ सिंह यादव-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

ग्राम चिल्लोड़ा तहसील फूलपुर जनपद इलाहाबाद में अज्ञात व्यक्तियों को पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत

24-श्री दीनानाथ सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेशों संख्या अर्द्ध शा0 प0सं0पी0एस0/7358/सी0एन02/91, दिनांक 16-11-91 से संबंधित ग्राम चिल्लौड़ा, तहसील फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में अपात्र व्यक्तियों को किये गये भूमि आवंटन के संबंध में की गयी शिकायत पर जिला अधिकारी इलाहाबाद द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

25- श्री दीनानाथ सिंह यादव-

(4 थे सोम में अता0प्र0सं0 183 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बांदा में झांसी मिर्जापुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना की जानकारी

26- श्री राम प्रसाद-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत झांसी-मिर्जापुर

मार्ग के चित्रकूट (कर्वी) के किलोमीटर 279 से 284, 249 से 272 एवं 284 से 330 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना चीफ इंजीनियर झांसी द्वारा पत्रांक 4 बुन्देलखण्ड क्षेत्र, दिनांक 11-6-89 को प्रमुख अभियन्ता लखनऊ को भेजा गया है । यदि हां, तो चित्रकूट में आवागमन हेतु कब तक धन उक्त योजना हेतु आवंटित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डग-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27- श्री राम प्रसाद सिंह-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

ग्राम इन्द्रानगर, मझरा पश्चिम परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में नैपाल से निष्कासित विस्थापित परिवारों को पट्टे की भूमि उपलब्ध कराने की मांग

28-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इन्द्रानगर मझरा पश्चिम परगना पलिया, तहसील, निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में वर्ष 1968-69 में नैपाल निष्कासित विस्थापित भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवारों में से कितने परिवारों को पट्टे की भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ? क्या यह सत्य है कि विस्थापितों में से कुछ परिवारों को इन्द्रानगर मझरा पश्चिम परगना पलिया व उधौनगर सिसैया, परगना निघासन से मात्र आवासीय भूमि ही उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष विस्थापित परिवारों को भूमि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

नैपाल से विस्थापित 91 परिवार इस समय वन भूमि पर आवास कर रहे हैं। वन भूमि का पट्टा किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है । इसी प्रकार ग्राम उधौनगर सिसैया परगना खैरीगढ़ में 49 परिवार रहते हैं । गांव सभा व सीलिंग भूमि उपलब्ध न होने के कारण कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद उन्नाव के तहसील पुरवा ग्राम चौपई तहसील पुरवा के किसानों के शिकायती पत्रों का परगनाधिकारी द्वारा निस्तारण

29- श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तमाम अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र दिनांक 17-12-91 सहित ग्राम चौपई तहसील पुरवा,

उन्नाव के तमाम किसानों का पत्र, सचिव, राजस्व को मिला है ? यदि हां, तो संबंधित आरोपित व्यक्ति पर गत 2 साल मे कितनी और शिकायतें तहसील स्तर पर एस0डी0एम0 पुरवा को मिली है ? पूर्व शिकायतों व पत्र दिनांक 17-12-91 के संलग्नक शिकायती पत्र के जांच निष्कर्ष क्या हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

7 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ।

पूर्व शिकायती प्रार्थना पत्रों में आवंटित भूमि पर कब्जा न मिलने की शिकायत की गयी थी, अतः आवंटियों को कब्जा दिलाकर प्रार्थना पत्रों का निस्तारण परगनाधिकारी द्वारा कर दिया गया है । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-12-91 के साथ प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र की जांच की जा रही है ।

उन्नाव जनपद के चकबन्दी विभाग की पत्रावली के गायब होने की शिकायत तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

30- श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले मे चकबन्दी विभाग की अनेक पत्रावलियां मुकदमों के फैसले के बाद से गायब हैं ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता का अध्यक्ष, राजस्व परिषद् उ0प्र0 को इसी विषय से संबंधित पत्र दिनांक 16-12-91 और इसकी प्रतिलिपि दिनांक 16-12-91 जिलाधिकारी उन्नाव को मिली है ? यदि हां तो प्रश्नकर्ता के उक्त पत्रों के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र की जांच किस सक्षम अधिकारी ने की है एवं जांच निष्कर्ष क्या है ? पत्रावली गायब करने के लिये दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या शिकायतकर्ता के पक्ष मे अमलदरामद कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

प्रश्न मे किसी विशिष्ट पत्रावली का उल्लेख नहीं है न ही किसी पत्रावली का गायब होना संज्ञान मे आया है ।

संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ । शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, उन्नाव तथा संयुक्त संचालक चकबन्दी, मुख्यालय द्वारा कराई गयी । जांच मे शिकायत निराधार पायी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा तक पक्की सड़क बनवाने की मांग

31- श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा है, जहां पर बौद्ध जगत के हजारों तीर्थ यात्री आते हैं ? क्या जनपद मैनपुरी

के कस्बा भोगांव से यह स्थान करीब 13 किलोमीटर दूर है ? यदि हां, तो क्या आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु भोगांव से संकिसा तक सड़क से जोड़ने का शासन की कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

यह दूरी 15 कि0मी0 है ।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सीमित संसाधनों के कारण ।

जनपद जालौन के जिला कलेक्ट्रेट के राजस्व अधिष्ठान में कनिष्ठ लिपिकों की, की गयी नियुक्तियों में धांधली की शिकायत

32-श्रीराम (जालौन)-

क्या सरकार बतायेगी कि जनपद जालौन में वर्ष 1988-89, 89-90, 90-91 में जिला कलेक्ट्रेट के राजस्व अधिष्ठान मे कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियाँ की गयी है ? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी-कितनी ? उन कनिष्ठ लिपिकों के नाम व पते तथा वर्तमान मे पद क्या हैं ? क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्षों में की गयी नियुक्तियां जिला जालौन सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत तथा चयन सूची के प्रतीक्षारत एवं पंजीकरण के वरिष्ठता क्रम को तोड़ कर तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की उपेक्षा करके की गयी थी ? क्या कनिष्ठ लिपिकों की सीधी भर्ती में अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

वर्ष 1989-90 व 90-91 में जिला कलेक्ट्रेट में राजस्व अधिष्ठान में कनिष्ठ लिपिकों की कोई नियुक्तियां नहीं की गयी हैं । वर्ष 1988-89 में जिला कलेक्ट्रेट के राजस्व अधिष्ठान में 12 कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां की गयी थी ।

कनिष्ठ लिपिकों के नाम, पता व पद की सूची संलग्न है ।

वर्ष 1989-90 में की गयी नियुक्तियां जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची में से की गयी थीं ।

चयन सूची में प्रतीक्षारत 2 अभ्यर्थी सर्वश्री आसिफ जीलानी एवं कालूराम प्रजापति की नियुक्तियां वरिष्ठताक्रमानुसार की गयी थीं ।

जिला सेवायोजन कार्यालय की सूची में पंजीकरण के वरिष्ठताक्रम को ध्यान में रखा गया था ।

चयनित 12 अभ्यर्थियों में 3 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के चयनित कर नियुक्त किये गये थे । अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की कोई उपेक्षा नहीं की गयी थी तथा आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 262 पर ।)

जनपद बस्ती तहसील डुमरियागंज में राजस्व विभाग के चतुर्थ श्रेणी के निकाले गये कर्मचारी श्री शिवमूरत को पुनः सेवा में लिये जाने की मांग

33- श्री राम ललित चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील डुमरियागंज में राजस्व विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री शिवमूरत हरिजन को उसकी लगभग दस वर्ष की सेवा के बावजूद सेवा से हटाकर हरिजन कोटे की उपेक्षा करके किसी अन्य की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

श्री शिवमूरत पुत्र श्री मुनेसर ग्राम व पो0 मझौवा खजुरी, तहसील बस्ती सदर, जिला बस्ती दिनाक 1-7-82 से 31-3-91 तक विभिन्न अवधियो में, सामयिक संग्रह चपरासी के रूप मे कार्यरत थे । इनकी कुल सेवायें 2 वर्ष 6 दिन की है । कार्यरत कुल नियमित सग्रह चपरासियो की सख्या 13 मे से 3 अनुसूचित जाति के है । इस प्रकार अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती, विकास खण्ड सझटौआ के न्याय पंचायत आमना की सोनहा-मानपुर तहसील से अलग करके सदर तहसील बस्ती में जोड़ने की मांग

34- श्री राम ललित चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में विकास खण्ड सझटौआ अन्तर्गत न्याय पंचायत -मानपुर को सोनहा आमना तहसील से अलग करके उसे सुविधा की दृष्टि से बस्ती तहसील में जोड़ने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

प्रश्नगत मामले में शासन में प्राप्त प्रस्ताव को अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति को संदर्भित कर उनकी आख्या/संस्तुति मांगी गयी है, जो अभी शासन को अप्राप्त है । अतः प्रश्नगत प्रस्ताव को पूरा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

जनपद महराजगंज की नवसृजित तहसीलों में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिये धन आवंटित किये जाने की मांग

35- श्री शिवेन्द्र सिह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में नवसृजित तहसीलो क्रमशः नौतनवा एवं निचलौल हेतु राजस्व परिषद्-3 के पत्राक 1-3-भवन-2/90 दिनाक 6-2-90 द्वारा आवासी एव अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु राजस्व विभाग को धन आवटित करने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो इनमें से

नौतनवा को धन आवंटित करने का तथा निचलौल को पूर्ण रूप से या हिस्सों में धन न आवंटित किये जाने के क्या मानक थे ? क्या इसके बाद की संस्तुति पर अन्य तहसीलो को भवन हेतु धन आवंटित किये गये ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हा ।

तहसीलों के आवासीय/अनावासीय निर्माण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध धनराशि सीमित होने के कारण कतिपय जनपदो में नवसृजित तहसीलों मे से एक जनपद की केवल एक ही नवसृजित तहसील को धनराशि वर्ष 1990-91 में दी जा सकी । इसी आधार पर जनपद महराजगंज की नवसृजित तहसीलों नौतनवा एव निचलौल में से, पहले सृजित तहसील नौतनवा को धनराशि दी गयी । बाद की संस्तुति के आधार पर किसी जनपद मे एक से अधिक नवसृजित तहसीलों को धनराशि नहीं दी गयी है ।

जनपद महराजगंज तहसील निचलौल की भवन निर्माण हेतु वर्ष 1989 में आवंटित धन वापस किये जाने की शिकायत

36-श्री शिवेन्द्र सिह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील निचलौल पहले जनपद गोरखपुर का हिस्सा थी ? यदि हां, तो क्या उक्त तहसील के भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1989 में धन आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो कितना तथा किस तिथि को तथा उक्त धन वापस किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त तहसील हेतु आवंटित धन जिला स्तर से ही किसी अन्य तहसील को आवंटित कर दी गयी ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ? क्या तहसील निचलौल में भवन निर्माण हेतु भूमि प्रारम्भ में उपलब्ध थी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां । जनपद महराजगंज के सृजन से पहले तहसील निचलौल जनपद गोरखपुर का हिस्सा था ।

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नही उठते ।

जी हां ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक पिंडरा में कतिपय मार्गों की स्वीकृति होने के बाद भी उनके न बनाये जाने की शिकायत

37-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मगारी से समोगरा मार्ग ब्लाक पिंडरा तथा गोहुरा से घोघरी मार्ग ब्लाक पिंडरा व बाबतपुर से बाबतपुर गांव मार्ग ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी स्वीकृति के बाद भी नहीं बनाया जा रहा है ? इसका क्या कारण है ?

डा0 सरजीत सिंह डग-

जनपद वाराणसी में ब्लाक पिंडरा के अन्तर्गत मगारी से समोगरा मार्ग लम्बाई 3 कि0मी0 खड़न्जा से लेपन तक तथा गोहुरा से घोघरी मार्ग लम्बाई 2 कि0मी0 मिट्टी से लेपन तक स्वीकृत है । दोनों मार्गों पर कार्य किये जा रहे हैं, जिन्हें पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । बाबतपुर से बाबतपुर गांव मार्ग के नाम से कोई मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है । अतः उसे बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती की नवसृजित तहसील सोनहा भानपुर के भवन निर्माण को पूर्ण करने की मांग

38-श्री राम ललित चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद बस्ती में नवसृजित तहसील सोनहा भानपुर का भवन निर्माण कब तक पूरा किया जाना था और कब तक पूरा होगा? उक्त तहसील के निर्माण में हो रही देरी के लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जनपद बस्ती में नवसृजित तहसील भानपुर (मुख्यालय सोनहा) के भवन निर्माण का कार्य पूरा करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी है ।

प्रश्नगत निर्माण हेतु निर्माण योग्य पर्याप्त भूमि की उपलब्धता अभी स्पष्ट नही है उक्त निर्माण हेतु पर्याप्त निर्माण योग्य भूमि की उपलब्धता की स्पष्ट आख्या सहित औचित्य पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रश्नगत निर्माण के आगणन पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृत होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सकेगा। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उक्त निर्माण कार्य में हो रही देरी के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, तहसील भोगांव के दस्यु प्रभावित क्षेत्र में दस्यु उन्मूलन योजना के अंतर्गत बनवाई गयी सड़कों का विवरण

39- श्री राम औतार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी के दस्यु पीड़ित क्षेत्रों में दस्यु उन्मूलन योजना के अंतर्गत किस प्रकार की सड़के कहां तक बनवाई गयी हैं ? कितनी निर्माणाधीन है तथा कितनों का अभी निर्माण होना है ? उक्त क्षेत्रों में जो सड़कें निर्मित हो चुकी हैं उनमें कितनों का डामरीकरण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डग-

तहसील भोगांव, जनपद मैनपुरी मे दस्युग्रस्त क्षेत्रों की सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत अभी न तो कोई सड़क बनी है और न ही निर्माणाधीन है । अभी कोई डामरीकरण नहीं हुआ है । भविष्य में योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

ग्राम मुजहा व फुलवरिया परगना पलिया जिला खीरी में स्थित सरदार दिलीप सिंह मजिठिया फार्म के नाम से दर्ज भूमि का विवरण

40-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुजहा व फुलवरिया परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में सरदार दिलीप सिंह मजिठिया नि0 गोरखपुर की सरैया फार्म के नाम से कुल कितने एकड़ भूमि दर्ज थी ? क्या यह सत्य है कि सन् 1982 में उक्त फार्म को, मंगलदेव विशारद जांच समिति द्वारा सीलिंग के अतिरिक्त भूमि घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या तहसील निघासन के मुटिशन रजिस्टर में यह दर्ज है ? क्या उक्त भूमि का मुकदमा अतिरिक्त जिलाधिकारी गोरखपुर (राजस्व) उ0प्र0 के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुकदमें को खारिज करवाते हुए भूमिहीनों में उक्त भूमि आवंटित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

ग्राम मुजहा तथा फुलवरिया परगना पलिया तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में सरदार दिलीप सिंह मजिठिया नि0 गोरखपुर के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं थी, किन्तु ग्राम मुजहा परगना पलिया तहसील निघासन में श्रीमती कुमारी मीरा मजिठिया अवयस्क संरक्षिका श्रीमती जैन मजिठिया (माता) नि0 सरैया, पो0-सरदारनगर, जिला गोरखपुर के नाम 95-24 एकड़ तथा ग्राम फुलवरिया, परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में कुमारी किरन अवयस्क संरक्षिका श्रीमती जैन मजिठिया (माता) निवासी सरैया, पो0-सरदारनगर जिला गोरखपुर के नाम 92-11 एकड़ भूमि दर्ज अभिलेख थी ।

मंगलदेव विशारद जांच समिति द्वारा उक्त फार्म को वर्ष 1982 में अतिरिक्त घोषित नहीं किया गया था बल्कि नियत प्राधिकारी सीलिंग जनपद गोरखपुर द्वारा उक्त खातेदार की जोत से ग्राम मुजहा को 99-57 एकड़ तथा ग्राम फुलवरिया को 93-09 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी ।

मंगलदेव विशारद जांच समिति द्वारा सरदार दिलीप सिंह अथवा सरैया फार्म की अतिरिक्त घोषित भूमि का इन्द्राज तहसील निघासन के म्यूटेशन रजिस्टर में नहीं है बल्कि नियत प्राधिकारी सिलिंग गोरखपुर द्वारा खातेदार दिलीप सिंह की जोत से अतिरिक्त घोषित भूमि का इन्द्राज म्यूटेशन रजिस्टर में है ।

जिला जज महोदय द्वारा दि0 13-10-82 को नियत प्राधिकारी के आदेश को निरस्त करके मुकदमें को पुनः अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने हेतु नियत प्राधिकारी सीलिंग गोरखपुर के न्यायालय को प्रति प्रेषित कर दिया था । इस समय उक्त वाद नियत प्राधिकारी, सीलिंग जनपद गोरखपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

राज्य की ओर से जनपद गोरखपुर द्वारा मुकदमें की पैरवी की जा रही है । न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम सभा मुरारखेड़ा परगना पलिया तहसील निघासन जिला खीरी के सीलिंग पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जाना

41-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामसभा मुरारखेड़ा, परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के सीलिंग पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

हां, ग्रामसभा मुरारखेड़ा परगना पलिया, तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में 11 सीलिंग पट्टों का अनुमोदन दिनांक 12-3-91 को परगनाधिकारी निघासन द्वारा किया गया था, जिनके पट्टेदारों को स्थल पर कब्जा दिलाया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

42-श्री राम आसरे वर्मा-

(मा0 उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया)

श्री राम प्रकाश आशुलिपिक परगना अधिकारी फतेहपुर, बाराबंकी का स्थानान्तरण किये जाने की मांग

43-श्री अनिल कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति कार्मिक विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति से भिन्न है ? यदि नहीं, तो श्री राम प्रकाश आशुलिपिक, परगनाधिकारी, फतेहपुर, बाराबंकी कितने दिनों से परगनाधिकारी के साथ सम्बद्ध हैं ? इन्हें यहां से कब तक हटाया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

श्री राम प्रकाश दिनांक 17-12-90 से परगनाधिकारी फतेहपुर, बाराबंकी के न्यायालय में पेशकार के पद पर कार्यरत हैं । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार उभी उनके स्थानान्तरण की अवधि पूर्ण पूर्ण नहीं हुई है ।

जनपद जौनपुर की तहसील सदर में भूमि आवंटियों को कब्जा दिलाने की मांग

44-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर की तहसील सदर अंतर्गत ग्राम भमौरी की भूमि प्रबन्धक, समिति द्वारा वर्ष 1976 में गाटा संख्या 53/247/13 डिसमिल का पट्टा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खेत मजदूरों को आवंटित पट्टों के कब्जा दिलाने की समस्याओं हेतु ग्राम टिकरी खुर्द टिकरी कलां देऊपुर भमौरी आदि के बावत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

जौनपुर द्वारा जौनपुर कलेक्ट्रेट के समक्ष दिनांक 1-9-90 से क्रमिक अनशन तथा धरना दिया गया था, जो कि 33 दिनों बाद कार्यवाही करने के आश्वासन के साथ समाप्त हुआ था, यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जी हां ।

ग्राम भमौरी के गाटा संख्या 53/247/13 डि0 के आवंटी को 0-08 डि0 पर कब्जा दे दिया गया है । शेष 0.03 डि0 सड़क में चला गया है तथा 0.01 डि0 पर रामफेर पुत्र द्वारिका व 0.01 डि0 पर राजपति पुत्र कल्पनाथ तिवारी द्वारा आबादी का सहन बना लिया गया है । कब्जेदार कब्जा नहीं हटा रहे हैं । मामला न्यायिक प्रक्रिया में है । ग्राम भमौरा के 3 ठिकरी के 2 तथा देऊपुर के एक आवंटी को धारा 198 (4) के बाद चलने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका । शेष सभी आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में उरई मुख्यालय से सिम्हारा कासिमपुर तक बने पक्के मार्ग पर ग्राम बम्हौरा के पास नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

45-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन में मुख्यालय उरई से चुरवी वाया बम्हौरा होकर ग्राम सिम्हारा कासिमपुर तक पक्का रोड बना है? यदि हां, तो कब से ? क्या उक्त सड़क पर ग्राम बम्हौरा के पास नदी पर पुल बनाया जाना शासन से स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम सिम्हरा कासिमपुर तथा न्यामतपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से वाहन उक्त पुल के अभाव में उरई के लिये कितने कि0मी0 का चक्कर लगाकर पहुंचते हैं ? क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण जनहित में शीघ्र करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

मार्च, 1983 से ।

जी हां, उक्त पुल शासनादेश दिनांक 24-3-90 द्वारा स्वीकृत है । उक्त पुल के अभाव में क्षेत्रीय जनता को लगभग 21 कि0मी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है ।

उक्त पुल का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

46-47-विजय सिंह राणा-

(दिनांक 20-2-92 को अता0प्र0सं0 127-128 द्वारा उत्तरित)

लोक निर्माण विभाग, देवरिया के डी0सी0यू0 खण्ड में मैक्सफाल्ट आदि की गड़बड़ी के संबंध में श्री रामायण शुक्ल, महामंत्री, जिला समाजवादी पार्टी, देवरिया के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

48-श्री स्वामी नाथ यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग देवरिया के डी0सी0यू0 खण्ड में मैक्सफाल्ट आदि की गड़बड़ी से संबंधित उनके नाम सम्बोधित श्री रामायण शुक्ल, महामंत्री, जिला समाजवादी जनता पार्टी, देवरिया का पत्र दिनांक 20-10-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर उसके आलोक में यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बांदा में ग्राम जारर में अनुसूचित जाति के परिवारों को दिये गये पट्टे पर कब्जा दिलाने की मांग

49-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में ग्राम जारर में जो भी अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे किये गये हैं क्या उसमें पट्टेदारों को कब्जा मिल चुका है ? यदि हां, तो उनकी सूची क्या है ? यदि नहीं मिला है तो उसका क्या कारण है ? क्या शीघ्र कब्जा दिलवाया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

मेरे कक्ष में देखी जा सकती है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील निघासन जिला खीरी में पट्टेदारों को कब्जा दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

50-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1445/91 तहसील निघासन में पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में परगना अधिकारी निघासन जनपद लखीमपुर खीरी को 2-12-91 प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

मामले की जांच की गई। श्री बराती पुत्र बैजू को पट्टे की भूमि पर मौके पर पैमाइश करके कब्जा दे दिया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम तेलियर, परगना निघासन, जनपद खीरी के भूमिहीनों के परिवारों को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही

51-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1455/91 ग्राम तेलियर, परगना निघासन, जनपद खीरी के भूमिहीनों के पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी निघासन खीरी को 2-12-91 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां।

प्रार्थना-पत्र की जांच की गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री जंगीदत्त पुत्र दुजई आदि को पट्टे की भूमि पर पैमाइश करके कब्जा दिया जा चुका है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम छेदुई पतिया, तहसील निघासन, जनपद खीरी में हुए अग्निकाण्ड के संबंध में सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

52-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1460/91 ग्राम छेदुई पतिया, तहसील निघासन जनपद खीरी में हुए अग्निकाण्ड के संबंध में तहसीलदार निघासन खीरी को दिनांक 2-12-91 को प्रार्थना-पत्र प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां।

प्रार्थी श्री अहमद पुत्र हुब्बा की घारी (पशु बांधने का स्थान) जल गया था। सहायता पाने की पात्रता परिधि में न आने के कारण कोई अनुदान नहीं दिया गया। अन्य प्रार्थी श्री कुदरत उल्ला की कोई क्षति नहीं हुई थी। अतएव उन्हें सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम क्याटेली, परगना निघासन, जनपद खीरी की पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

53-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1472/91

ग्राम क्याटेली परगना निघासन जनपद खीरी की पट्टे पर कब्जा दिलाने विषयक परगनाधिकारी निघासन खीरी को दिनाक 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हा तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच की गयी । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री मैकू लाल पुत्र सुकई की भूमि ग्राम खमरिया, परगना खैरीगढ़ में स्थित है, जो संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है । अतः प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सम्पूर्णानगर, परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में दिये पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही

54- श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1456/91 नि0ग्रा0 सम्पूर्णानगर परगना पलिया तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन को दिनांक 2-12-91 पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

प्रश्नकर्ता का पत्र पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक न होकर, भूमि के पट्टे दिये जाने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ ।

जाच की गई । प्रार्थीगण वन भूमि का पट्टा चाहते हैं, जिसे दिया जाना नियमानुसार सम्भव नही है ।

जनपद लखनऊ मे श्री राम सजीवन कुरील वासिल वाकी नवीस के निलम्बन की वस्तुस्थिति की जानकारी

55- श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या राजस्व मत्री कृपया बतायेगे कि दिनाक 23-5-90 मे लखनऊ में दो जिलाधिकारी कार्यरत थे ? यदि नहीं, तो क्या उक्त तिथि मे जिलाधिकारी के पद पर आसीन सक्षम जिलाधिकारी श्री अशोक प्रियदर्शी के होते हुए श्री राम जीवन कुरील वासिल वाकी नवीस का निलम्बन किन्हीं अन्य जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो वस्तुस्थिति क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

दिनांक 23-5-90 को लखनऊ जनपद में केवल एक जिलाधिकारी कार्यरत थे। श्री अशोक प्रियदर्शी ने जनपद के जिलाधिकारी का कार्यभार दिनांक 22-5-90

को ग्रहण किया था पत्रावली पर श्री राम सजीवन कुरील तत्कालीन वासिल वाकी नवीस के निलम्बन का आदेश तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अजीत सेठ द्वारा दिनांक 14-5-90 को किया जा चुका था । तत्पश्चात् आदेश का आलेख्य जिलाधिकारी की स्वीकृति एवं हस्ताक्षर हेतु भेजा गया था जो भूतपूर्व जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था तथा पत्रावली वापस प्राप्त होने पर जारी करने की तिथि 23-5-90 डाली गयी थी। वास्तविक निलम्बन की तिथि 14-5-90 ही है । उस समय श्री अजीत सेठ एक मात्र जिलाधिकारी थे ।

56-श्री ऊदल-

(दिनांक 27-2-92 को अता0प्र0सं0 26 द्वारा उत्तरित)

जनपद बांदा की तहसीलों में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कतिपय सुपरवाइजर कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/रजिस्ट्रार काननूगो के गृह जनपद में कार्यरत होने की शिकायत

57-श्री राम प्रसाद सिह-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसीलो में कार्यरत सुपरवाइजर कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/रजिस्ट्रार कानूनगो मे से कुछ ऐसे है जो अपने गृह जनपद के निवास की तहसील मे कार्यरत हैं ? यदि हा, तो कितने और क्यों ? क्या ऐसे सुपरवाइजर कानूनगो भी है जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है फिर अपने निवास की तहसील मे कार्यरत है ? क्या इसमे शासनादेश/बोर्ड आदेश का उल्लघन है ? यदि हा, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या इस प्रकरण में कार्यवाही की जायेगी ? यदि हा, तो क्या ? यदि नही तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां । जनपद बांदा के अन्तर्गत तहसीलों मे तीन व्यक्ति (1) श्री महादेव त्रिपाठी, भूलेख निरीक्षक, (2) श्री हेमराज प्रयासी, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो तथा (3) श्री नसरुद्दीन, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो को अपने निवास की तहसील में पारिवारिक परिस्थितिवश कार्यरत रहने की केवल वर्तमान वर्ष में अनुमति दी गयी है।

ऐसा कोई सुपरवाइजर कानूनगो नहीं है जिसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है और वह अपने निवास की तहसील में तैनात हो ।

निवास की तहसील में कार्यरत उक्त कर्मचारियों को व्यक्तिगत परिस्थितियों वश ही वर्तमान वर्ष में कार्यरत रहने का अवसर दिया गया है जिन्हें दिनांक 31-3-92 के बाद अन्य तहसीलों में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । सम्प्रति किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया ।

58- श्री यदुनाथ सिंह-

(6 ठें गुरुवार के लिये स्थगित)

श्री रघुराज राम चौधरी अधीक्षण अभियन्ता, चौथी सर्किल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा विभिन्न मार्गों पर बी0एस0जी0 मेटेरियल की निविदा दरें स्वीकार एवं विभिन्न मार्गों के निर्माण में अनियमितता करने की शिकायतें

59-श्री यदुनाथ सिह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुराज राम चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त ने बी0एस0जी0 मेटेरियल की निविदा दरें लखनऊ मे शारदा कैनाल पटरी के किलोमीटर । से 3 में 263/- रुपये प्रति घनमीटर तथा लखनऊ हरदोई मार्ग पर 279/- रुपये प्रति घनमीटर की दर से स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो ।6 रुपये प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को कितना अधिक भुगतान किया गया तथा कितना मेटेरियल लिया गया ? क्या क्वेरी से कैनाल पटरी मार्ग की तुलना में लखनऊ हरदोई मार्ग करीब है ? यदि हा, तो श्री चौधरी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और शासन को हुई हानि की वसूली कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिह डंग-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस क्वेरी से सामग्री मंगाई जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

60- श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रघुराज राम चौधरी अधीक्षण अभियन्ता ने अपने वृत्त के अन्तर्गत खण्डों में कैनाल पटरी मार्ग किलोमीटर । से 3 लखनऊ हरदोई मार्ग, सिसेन्डी मार्ग के सामग्रियों की निविदायें आमंत्रित करने से पूर्व उसकी आर0एम0आर0 दरें आगणन की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने के बजाय, ठेकेदारों की निविदा दरें अलग-अलग स्वीकृत कराने की प्रक्रिया नीति अपनाई गयी? यदि नहीं, तो शासन की प्रक्रिया क्या है ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्यों कार्यवाही की गयी ? क्या शासन को हुई क्षति । लाख 92 हजार की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं ।

शासन की प्रक्रिया के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता दर अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता ।0 वां वृत्त कानपुर द्वारा सिंगल टेण्डर के कई मामले एप्रूब करके सरकार को हानि पहुंचाने की शिकायत

6।-श्री यदुनाथ सिह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता

16वां वृत्त कानपुर ने अपने पत्रांक 1591सी/68, सी-16/81 दिनांक 11-3-81 1075 सी/68-16/80, दिनांक 18-12-81, 7848सी/68 सी-16/80 दिनांक 29-10-80, 1364/68/सी-16/81 दिनांक 28-2-81 द्वारा ठेकेदारों के सिंगल टेण्डर एप्रूब्ड किये गये थे ? क्या सिंगल टेण्डर प्रमुख अभियन्ता के आदेशानुसार शासनहित में निरस्त किया जाना चाहिये था ? यदि हां, तो शासन को इससे कितनी हानि हुई एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिंगल टेण्डर स्वीकृत करने के लिये दोषी अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां । तीन सिंगल टेण्डर अनुमोदित किये गये हैं । एक प्रकरण में सिंगल टेण्डर तब अनुमोदित किया गया जब दो बार निविदा आमंत्रित करने पर कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई ।

दूसरे प्रकरण में प्रथम बार सिंगल टेण्डर प्राप्त होने के कारण दुबारा निविदायें आमंत्रित की गयीं, परन्तु दरें अधिक प्राप्त होने के कारण पूर्व प्राप्त निविदा, जिसकी दरें कम थीं, अनुमोदित की गयी ।

तीसरे प्रकरण में केवल एक बार निविदा आमंत्रित की गयी । प्राप्त सिंगल टेण्डर की दर रु0 85 थीं, निगोशियेशन के उपरान्त ठेकेदार द्वारा यह दर रुपये 62.40 पैसे कर दी गयी, जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गयी ।

ऐसे कोई आदेश नहीं हैं कि सिंगल टेण्डर को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

शासन को कोई हानि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू0पी0पी0डब्लू0डी0 टेकनिकल असिस्टेंट एसोसियेशन लोक निर्माण विभाग द्वारा अधीक्षण अभियन्ता 25वां वृत्त लखनऊ को दिया गया ज्ञापन

62-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0पी0डब्लू0 डी0 टेक्निकल असिस्टेंट्स एसोशियेशन लोक निर्माण विभाग लखनऊ का पत्राक 21टी0एस0/कैम्प/90-91, दिनांक 6-5-91 एवं दिनांक 30-3-91 अधीक्षण अभियन्ता 25वां वृत्त लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्या सरकार इस सम्पूर्ण मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी वाहन के दुरुपयोग की शिकायत

63-श्री राम शरण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता म0 क्षे0 दिनाक 19-9-91 को शासकीय कार्य से लखनऊ के बाहर गये थे ? यदि हां, तो कब से कब तक बाहर रहे और क्या-क्या कार्य किये ? मुख्य अभियन्ता के बाहर जाने का कारण क्या था ? क्या वाहन संख्या यू0टी0डी0-2438 दिनांक 16-9-91 से 21-9-91 तक किन सरकारी कार्यों में उपयोग की गयी ? वर्ष 1991 में उक्त वाहन के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि पर क्या व्यय किया गया ? क्या शासनादेश के अनुसार अधिक व्यय के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जा जायेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

शासकीय कार्य से दिनांक 18-9-91 एवं 19-9-91 को बाहर रहे । उक्त अवधि में जनपद सीतापुर एवं खीरी में निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया ।

जी नहीं, बल्कि उक्त अवधि में वाहन संख्या यू0एम0एल0-2438 का उपयोग लखनऊ के शहरी मार्गों, लखनऊ से सीतापुर, खीरी, शारदा नगर, निघासन, पलिया, गोला आदि में भवन एवं मार्गों के निरीक्षण में किया गया ।

वाहन संख्या यू0एम0एल0 2438 के अनुरक्षण तथा पेट्रोल पर क्रमशः रु0 18,204/- तथा रुपये 23, 572/- व्यय किया गया ।

अनुचित व्यय की कोई सूचना नहीं है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री एल0एम0 मित्तल अधीक्षण अभियन्ता जनपद इटावा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच एवं कार्यवाही का विवरण

64-श्री राम शरण-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या-36 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सतर्कता की जांच रिपोर्ट एक गोपनीय अभिलेख होने के कारण जनहित में इसे सदन के पटल पर रखा जाना उचित नहीं है बताया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायती बिन्दु क्या-क्या थे ? जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट में कौन-कौन से आरोप सत्य पाये गये ? सत्य पाये गये आरोपों पर सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या शासकीय हानि की वसूली अधिकारी/कर्मचारी से की गयी ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या श्री मित्तल की पदोन्नति से पूर्व विजलेन्स जांच प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो पदोन्नति का क्या औचित्य था ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

संक्षेप में शिकायती बिन्दु निम्नवत् थे :-

1-आवश्यकता न होने पर भी महगी पीतल की 12 बाल्टियों का क्रय ।

2-औचित्य न होने पर भी 65 किलो ग्राम निवाड़ का क्रय ।

3-बेंत की डलिया अधिक दर पर क्रय किया जाना ।

4-घटिया किस्म की डामर फैलाने वाली बाल्टियों का क्रय ।

5-टेण्डर की स्वीकृति में अनियमितता ।

6- कि0मी0 150 में गिट्टी की आपूर्ति में अनियमितता ।

7-कि0मी0 140,141,150,151,152,153,158,159,160,161, एवं 162 में विशिष्टयों के अनुरूप गिट्टी का उपयोग न किया जाना ।

8-तीन हाट मिक्स प्लांटों पर उपयोग हेतु तेल आदि सामानों का फर्जी उपयोग ।

9-कि0मी0 112 एवं 113 में ईंटों की फर्जी आपूर्ति ।

10-अधिक दर पर मोबिल आयल सी आयल का क्रय ।

11-डीजल के पुराने ड्रमों का अधिक दर पर क्रय ।

12-ट्रकों के रन के समायोजन में अनियमितता ।

13-डामर के ड्रमों को गरम करने में अधिक तेल का उपयोग ।

14-ट्रकों के लिये हजारों लीटर एल0डी0ओ0 दिया जाना ।

15-जसवन्तनगर रेलवे स्टेशन क्रासिंग के पहले बरसात में खराब हुई सड़क पर हजारों रुपये का खर्च ।

16-ट्रैक्टर ट्राली बेंच दिया जाना और रिपोर्ट इसलिये न लिखाना कि समय बीत जाने पर उसकी सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत कर दी जाय ।

जांच रिपोर्ट दो भागों में क्रमशः दिनांक 28-6-85 एवं 25-2-86 को प्राप्त हुई और जांच आख्या मे उपरोक्त आरोपों में से आरोप संख्या 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, एवं 16 आंशिक रूप से सत्यापित पाये गये ।

अन्तर्गस्त पाये गये अधिशासी अभियन्ता का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया और गुण अवगुण के आधार पर विचारोपरान्त उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया । दोषी पाये गये चार अवर अभियन्ताओं को प्रमुख अभियन्ताओं द्वारा निम्न विवरण के अनुसार दण्डित किया गया है :-

1-श्री राम बाबू शर्मा, अवर अभियन्ता :-

चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि 1976-77 का सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोके जाने तथा हानि की 7426/- रुपये की वसूली हेतु दिनांक 6-3-92 को आदेश जारी किये गये ।

2-श्री मित्रसेन अग्रवाल, अवर अभियन्ता-

1984-85 की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि, 1976-77 का सत्यनिष्ठ

प्रमाण-पत्र रोके जाने एवं 2032.82 रुपये की वूसली के आदेश दिनांक 6-3-92 को जारी किये गये ।

3-श्री धनीपाल अवर अभियन्ता-

1976-77 का सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोके जाने एवं 244/-रुपये की वसूली के आदेश दिनांक 6-3-92 को जारी किये गये ।

4- श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता :-

चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि एवं 2.20 रु0 की वसूली हेतु दिनाक 6-3-92 को आदेश जारी किये गये ।

जी नहीं । श्री मित्तल अधिशासी अभियन्ता के पद से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर दिनांक 6-10-81 को प्रोन्नत हो गये थे ।

सतर्कता जांच का प्रचलित होना प्रोन्नति में बाधक नहीं है । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

65-श्री राम शरण-

(चौथे मंगलवार मे अता0 प्र0 सं0 184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

वर्ष 1989-90 व 1990-91 जिला योजना के अतिरिक्त योजना अन्तर्गत जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में स्वीकृत सड़को का विवरण

66-श्री विजय सिह राणा-

क्या लोक निर्माण मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील फतेहाबाद मे जिला योजना के अतिरिक्त योजनाओ मे 1989-90 मे 1990-91 में कुल कितनी सडको का निर्माण स्वीकृत किया गया है ? इन सडको के नाम क्या है तथा इनके निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? सडक निर्माण का कार्य किस आधार पर है और इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डग-

जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद में वर्ष 1989-90 मे जिला योजना को छोड़कर अन्य योजनाओ में कोई कार्य स्वीकृत नही हुआ । वर्ष 1990-91 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत एक सड़क एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 4 सड़कों के निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है ।

इन सड़कों का विवरण निम्नवत् है :-

मार्ग का नाम	सेक्टर/योजना का नाम	लागत (लाख रुपये में)
1- फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग का चौड़ीकरण	राज्य सेक्टर	25.75
2- आगरा वाहकचौरा घाट-मार्ग से भोगली वाया रसूलपुर मार्ग	जवाहर रोजगार योजना में मिट्टी पुलिया कार्य ।	2.40

3- सिकरारा से गढ़पुरा मार्ग	तदैव	2.45
4- पैंती खेड़ा से नगला मद्दे मार्ग	तदैव	0.569
5- शमसाबाद फतेहाबाद मार्ग से काहना-पुरा मार्ग।	तदैव	0.57

फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग के तटबन्धों के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य 3 किमी0 में ऊपर सतह कुटाई तक पूर्ण है । शेष चारों मार्गों, जो जवाहर रोजगार योजना में स्वीकृत है, पर मिट्टी का कार्य पूर्ण है एवं पुलिया का निर्माण शेष है ।

कार्यों को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

67- श्री विजय सिंह राणा-

(दिनाक 20-2-92 को अता0प्र0सं0 106 द्वारा उत्तरित)

ग्राम नौगवा परगना पलिया तहसील निघासन जिला खीरी लखीमपुर में भूमिहीनों को पट्टा दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

68-श्री निवेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1444/91 ग्राम नौगवा परगना पलिया तहसील निघासन जनपद खीरी के प्रार्थना पत्र सहित भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध मे परगनाधिकारी निघासन खीरी को दिनाक 2-12-91 प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच की गयी । जाच मे शिकायत निराधार पायी गयी । प्रार्थी का भूमि पर कब्जा है । मौके पर कोई विवाद नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बदलू निवासी ग्राम पसियन पुरवा तहसील निघासन जनपद खीरी के पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में कार्यवाही

69-श्री निवेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1667/91 दिनांक 11-12-91 श्री बदलू नि0 ग्रा0 पसियन पुरवा तहसील निघासन जनपद लखीमपुर के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन खीरी को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के विषय में प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच करायी गयी । जिससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत प्रार्थी को पूर्व प्रदत्त 290 एकड भूमि मालियत के आधार पर 1-62 एकड़ रह गयी । प्रार्थी अपने नाम दर्ज भूमि पर काबिज है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुकई नि0ग्रा0 लालबोझी तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

70-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1669/91 दिनाक 11-12-91 श्री सुकई नि0 ग्रा0 लालबोझी तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के विषय में प्राप्त कराया गया ? यदि हा, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच करायी गयी । जांच में यह तथ्य प्रकाश मे आया कि प्रार्थी की भूमि ग्राम लालबोझी, परगना निघासन मे स्थित है, जो सक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है । प्रार्थी कब्जेदारों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इमाम बक्श निवासी ग्राम दिदारू टाण्डा तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

71-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1670/91 दिनांक 11-12-91 श्री इमाम बक्श नि0 ग्रा0 दिदारू टाण्डा तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के विषय में प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच की गयी । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री इमाम बक्श पुत्र दसौधी की भूमि ग्राम धर्मापुर में स्थित है, जो संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। अतः प्रार्थी सक्षम न्यायालय में कब्जेदारों के विरुद्ध बेदखली हेतु न्यायिक कार्यवाही कर सकता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

72-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1557/91 श्री रफीउल्ला पुत्र श्री सफीउल्ला नि0 ग्रा0 पटिहन परगना पलिया तहसील निघासन खीरी की पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक व प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी को दिनांक 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच की गयी । संदर्भ चकबन्दी विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं । संदर्भ निस्तारण के उपरान्त पट्टेदार श्री रफीउल्ला पुत्र सफीउल्ला को कब्जा दिलाया जा सकेगा ।

ग्राम मुगौरा तहसील नरैनी जिला बांदा में लगभग दो सौ बीघे जमीन का अवैध पट्टों के संबंध में शासन को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

73-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मुगौरा तहसील नरैनी, जिला बांदा में लगभग 200 बीघे जमीन के फर्जी पट्टो के संबंध में जो पत्र राजस्व अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन पत्रांक आर0एम0 183/1-2/91-रा-2 दिनांक 24-10-91 को जिलाधिकारी बांदा को लिखा गया था उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इसमें कोई जांच की जा रही है ? यदि हां तो जांच आख्या क्या है ? क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां । जांच तहसीलदार, परगनाधिकारी, नरैनी से करायी गयी । प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बांदा के न्यायालय में विचाराधीन है ।

ग्राम मुगौरी तहसील नरैनी जिला बांदा के अवैध पट्टों के संबंध में जिला अधिकारी का परगनाधिकारी नरैनी को आदेश के संबंध में जानकारी

74-श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी बांदा ने ग्राम मुगौरी तहसील नरैनी जिला बांदा के अवैध पट्टों के संबंध में कोई आदेश परगनाधिकारी नरैनी को दिनांक 14-9-91 को दिये थे ? यदि हां, तो क्या परगनाधिकारी नरैनी ने उन आदेशों का पालन किया ? जिलाधिकारी बांदा ने किस आधार पर आदेश दिये थे ? क्या जिलाधिकारी बांदा को इसकी कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कहां से ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं । प्रश्नगत ग्राम के अवैध पट्टों की जांच के संबंध में परगनाधिकारी, नरैनी को दिनांक 14-9-91 को नहीं बल्कि दि0 21-8-91 को जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिये गये थे ।

परगनाधिकारी द्वारा उक्त आदेशों के अनुपालन में आवश्यक जांच के उपरान्त अपनी आख्या दिनांक 10-9-91 को प्रेषित की गयी। श्री राम सिंह, प्रधान ग्राम सभा मुगौरा के शिकायती पत्र दिनांक 14-8-91 के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिये गये थे ।

शासन के पत्र दिनांक 25-10-91 के साथ श्री राम सिंह प्रधान का

शिकायती पत्र दिनाक 5-9-91 तथा श्री राम सिह प्रधान, ग्राम सभा मुगौरा द्वारा दिया गया शिकायती पत्र दिनांक 14-8-91 प्राप्त हुआ था ।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा नियमावली के संबंध में शासन के आदेशों को लागू करने में विलम्ब की शिकायत

75-श्री भानु प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री डी0बी0 श्रीवास्तव अवकाश प्राप्त संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में सेवा नियमावली का प्रारूप मार्च, 1989 में प्राप्त हो गया था ? यदि हां, तो इस पर किस-किस कर्मचारी संघ द्वारा अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रबन्ध को दी जा चुकी है ? संशोधित सेवा नियमावली को लागू किये जाने में विलम्ब का मूल कारण क्या है और इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत प्रारूप दिसम्बर, 1988 में ही प्राप्त हो गया था । इस पर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम इम्पलाइज एसोशियेशन, निर्माण निगम डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कुछ अधिकारियों से आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुये थे । नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव के गहन परीक्षण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी है । कार्य की प्रकृति एवं उसकी जटिलता को देखते हुए इसमें अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने तथा उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय निर्माण निगम लखनऊ द्वारा अपने कार्यालयों हेतु किराये पर लिये गये भवनों का विवरण

76-श्री भानु प्रताप सिह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा केवल लखनऊ में अपने कार्यालयों के प्रयोगार्थ कितने भवनों को किस-किस तिथि से किराये पर ले रखा है ? इन भवनों के स्वामी कौन-कौन हैं ? इस मद में कुल कितनी धनराशि प्रतिमाह व्यय की जा रही है ? निर्माण निगम का निर्माणाधीन मुख्यालय कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? क्या सरकार इस अपव्यय को रोकने हेतु तत्काल कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

वांछित सूचना संलग्न है ।

निर्माणाधीन मुख्यालय भवन अप्रैल 1992 के अन्त तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जी हां । निर्माणाधीन मुख्यालय भवन के दो तलों को पूर्ण कराकर उसमें,

पहले किराये के भवनों में चल रहे 4 कार्यालयों को स्थानान्तरित कर दिया गया है। किराये के भवनों में चल रहे शेष 9 (नौ) कार्यालयों को भी मुख्यालय भवन पूर्ण होने पर स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 263 पर)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संविलियन का विवरण

77-श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों का संविलियन नवम्बर, 1984 तक किया गया ? उनके द्वारा विकल्प पत्र किस-किस तिथि में प्रबन्धक को दिये गये ? क्या इन अधिकारियों/कर्मचारियों के विलीनीकरण के संबंध में सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-5 द्वारा 5 सितम्बर, 1979 को जारी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

राजकीय निर्माण निगम लि0 में 6 (छः) अधिकारियों/कर्मचारियों का संविलियन नवम्बर, 1984 तक किया गया ।

इनके द्वारा दिनांक 23-11-76, 1-4-77, 24-12-77, 27-3-84, 13-6-84 तथा 25-2-81 को संविलियन हेतु विकल्प दिये गये ।

उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों में से तीन कर्मचारी ही लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, जिनमें से दो के संविलियन के आदेश तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण अनुभाग-5 के 5 सितम्बर, 1979 के आदेशों के पूर्व जारी किये जा चुके थे । अन्य एक कर्मचारी का संविलियन उक्त शासनादेश में निहित प्राविधानों का पूर्णतः पालन करते हुए किया गया शेष तीन अधिकारी/कर्मचारी अन्य शासकीय विभागों/संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, जिनका मामला उक्त शासनादेश से आच्छादित नहीं होता ।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के वर्तमान सहायक प्रबन्धक श्री हुमायूं नदीम के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण

78-श्री अशोक दुबे-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री बी0एम0एल0 गौतम, विशेष सचिव, लो0 नि0 विभाग के अ0प्र0 संख्या-36 समिति सी0वी0/88-23-सा0 नि0-8 दिनांक 29 अगस्त, 1988 के निर्देशानुसार उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत श्री हुमायूं नदीम के विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो उनके ऊपर क्या-क्या दण्ड दिया गया ? श्री नदीम वर्तमान समय में किस पद पर और कहां कार्यरत हैं ? इनके विरुद्ध शासन स्तर पर कितने अन्य प्रकरण लम्बित है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां । तत्कालीन विशेष सचिव का सही नाम श्री बी0एम0एल0 गौतम था उनके ऊपर सहायक स्थानिक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) के चयन संबंधी अभिलेखों को खो देने का आरोप था ।

जांच आख्या के आधार पर चेतावनी जारी की गयी ।

श्री नदीम वर्तमान समय में निगम के मुख्यालय पर सहायक प्रबन्धक के पद का कार्य देख रहे हैं । इनके विरुद्ध पद के दुरुपयोग तथा कदाचार संबंधी तीन प्रकरण लम्बित है ।

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति समय से दिये जाने की योजना की जानकारी

79-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति की बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां, तो बढ़ोत्तरी का प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के अनुसूचित जाति के दशमोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति समय से दी जाती है ? यदि नहीं, तो छात्रवृत्ति समय से न दिये जाने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति समय से दिये जाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कार्य योजना क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री-

अनुसूचित जाति के छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति की दरों मे दिनाक 01 जुलाई, 1989 से बढ़ोत्तरी की गयी है ।

बढोत्तरी का औसत प्रतिशत छात्रावास में रहने वाले छात्रों के मामले में 49 प्रतिशत तथा दिवा छात्रों के मामले में 23 प्रतिशत है ।

जी हां ।

प्रश्न नही उठता ।

दिनांक 4-10-92 से छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया का सरलीकरण एवं विकेन्द्रीकरण किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में सिकन्दरपुर नरियांव मार्ग के पिकिया नदी पर पक्का पुल बनवाने की मांग

80-श्री बलराम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में निर्माण खण्ड के अन्तर्गत सिकन्दरपुर नरियांव मार्ग के पिकिया नदी पर बना लकड़ी का पुल

आवागमन के अयोग्य घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो इतनी अल्पअवधि में ही पुल के खराब हो जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उसी स्थान पर पक्का पुल निर्मित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत पुल को आवागमन के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है । दिसम्बर, 1991 में कुछ लकड़ियों के टूट जाने के फलस्वरूप मरम्मत के दौरान यातायात अल्पावधि के लिये बाधित रहा लेकिन मरम्मत के उपरान्त यह सेतु पुनः यातायात हेतु खोल दिया गया है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत स्थल पर पक्के पुल का निर्माण स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर गोमती नदी पर बने चन्दवक का पुल अल्पावधि में कमजोर होने की शिकायत एवं जिम्मेदार अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

81-श्री बलराम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी-आजमगढ मार्ग पर गोमती नदी पर बना चन्दवक का पुल भारी वाहनों के आवागमन के अयोग्य घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो निर्मित होने के अल्पावधि के बाद ही पुल का खराब होना क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता मे कमी के कारण है ? इसका दोषी कौन है ? क्या इस प्रकरण के समस्त तथ्यान्वेषण एवं कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

पुल को हुई क्षति का कारण मूलतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता की कमी नहीं है । 1971 में यातायात के लिये खोले जाने के पश्चात् 17 वर्ष की अवधि में पुल पर यातायात में हुई बृद्धि को वहन करने में पुल की डिजाइन सक्षम नहीं रही है ।

प्रश्नगत पुल के निर्माण सामग्री आदि की जांच वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय से कराई गयी जिसमें सीमेंट बालू तथा मोटी गिट्टी (कोर्स एग्रीगेट) की मात्रा ठीक पायी गयी । जांच में कुछ स्थानों पर कार्य स्तर की कमी पायी गयी जिसके लिये संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

आलमबाग लखनऊ के कतिपय मोहल्लों में राशनिंग विभाग द्वारा उपेक्षित एवं भ्रष्ट के संबंध में श्री एल0आर0सिंह की शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी

82-श्री सुखदेव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें माह

दिसम्बर, 1991 मे आलमबाग क्षेत्र की मधुवन नगर, जय प्रकाश नगर, तथा भिलावां में स्थित राशन की दुकाने विगत कई महीनो से राशन उपलब्ध न होने निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर सामान बेचने तथा राशन कार्डों की राशनिंग कार्यालय द्वारा मनमाने ढंग से असुविधाजनक दुकानों से सम्बद्ध करने आदि के सम्बन्ध मे श्री एल0 आर0 सिंह का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हा, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज़ रिज़वी-

जी हां ।

श्री एल0आर0 सिंह के शिकायती प्रार्थना-पत्र में श्री प्रवीन कुमार सक्सेना उचित दर दुकानदार मधुवन नगर के विरुद्ध मुख्य रूप से शिकायत की गई है, जिसकी जांच करायी गयी । जाच मे पाई गई अनियमितताओं के कारण श्री राजेश कुमार पाण्डे, उचित दर दुकानदार, आजाद नगर के अनुबन्ध पत्र संख्या 6650/जी0 पू0 अ0-दुकान अनु /अनु091 दिनांक 31-12-91 के द्वारा एवं श्री प्रवीन कुमार सक्सेना उचित दर की दुकान के अनुबन्ध पत्र पत्राक 1108 ए/जिपूअ/लो0 शि0-282/92 दिनांक 15-2-92 द्वारा निलम्बित कर दिये गये हैं ।

शिकायत कर्ता के अनुरोध पर उनका कार्ड पुनः अपनी दुकान स्वयं चुने योजनान्तर्गत पूर्व की दुकान श्री हरीराम, उचित दर दुकानदार, आजाद नगर से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

ग्राम सभा छितरापार न्याय पंचायत महुलानी खण्ड विकास उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर में कन्या प्राइमरी पाठशाला, पंचायत भवन और खेलकूद हेतु छोड़ी गयी भूमि का विवरण

83-श्री श्याम नारायण-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा छितरापार न्याय पंचायत महुलानी खण्ड विकास उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर में चकबन्दी के दौरान ग्राम सभा की सहमति से कुछ जमीन कन्या पाठशाला, पंचायत भवन, अस्पताल, खेलकूद के लिये छोड़ी गयी थी ? यदि हां, तो उसके नम्बर एवं रकबा क्या हैं ? क्या उक्त जमीन पर निर्माण कार्य हुआ ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम सभा छितरापार न्याय पंचायत महुलानी तप्पा निकसौनी परगना नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर में हरिजनों को आवासीय भूमि का पट्टा दिया गया है ? यदि दिया गया है, तो किन-किन हरिजनों को और कितना-कितना ? क्या उन्हे कब्जा दखल मिला ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद सिद्धार्थनगर की ग्राम सभा छितरापार मे चकबन्दी के दौरान कन्या पाठशाला हेतु गाटा संख्या-382 मे रकबा 0-6-5, पंचायत घर हेतु गाटा संख्या

384 रकबा 0-0-39, अस्पताल हेतु गाटा संख्या-386 रकबा- 0-0-39, खेलकूद के मैदान हेतु गाटा संख्या 392, रकबा 0-0-91 भूमि छोड़ी गयी है ।

जी नहीं, संबंधित विभागों द्वारा न कराये जाने के कारण ।

जी हां, दिनाक 16-3-88 को कुल 21 हरिजनों को आवास हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1-हरीराम पुत्र छोटकान	343 मि0/0-0010 हे0
2-सोहन पुत्र बुधई	343 मि0/0-0010 हे0
3-चैतू पुत्र बुझावन	343 मि0/0-006 हे0
4-घूरन पुत्र छोटकान	343 मि0/0-0010 हे0
5-हरिश्चन्द्र पुत्र मोहन	343 मि0/0-010 हे0
6-इकरी पुत्र बटोही	343 मि0/0-010 हे0
7-जयकरन पुत्र सनेही	343 मि0/0-010 हे0
8-छांगुर पुत्र शिवराम	343 मि0/0-010 हे0
9-बैजू पुत्र सरयू	343 मि0/0-010 हे0
10-मेदू पुत्र अलगू	343 मि0/0-010 हे0
11-प्रभू पुत्र झिनकू	343 मि0/0-010 हे0
12-रमई पुत्र पल्टू	343 मि0/0-010 हे0
13-रामलखन पुत्र झगरू	343 मि0/0-06 हे0
14-रामवती पुत्र मंगरे	343 मि0/0-006 हे0
15-बुद्धू पुत्र बन्डोही	343 मि0/0-010 हे0
16-चेतू पुत्र दीमल	343 मि0/0-010 हे0
17-बाबू पुत्र रामबली	343 मि0/0-010 हे0
18-अछेबर पुत्र रामलाल	343 मि0/0-010 हे0
19-चुल्हई पुत्र मंगल	343 मि0/0-010 हे0
20-चन्द्र बली पुत्र छोटन	343 मि0/0-006 हे0
21-बेलारू पुत्र त्रिवेनी	343 मि0/0-013 हे0

उपरोक्त विवरण में क्रमाक 1से 15 के व्यक्तियों को मौके पर कब्जा प्राप्त है और वे मकान आदि बनाकर रह रहे हैं । शेष क्रमाक 16-21 तक के व्यक्तियों को मौके पर कब्जा नहीं दिया जा सका है क्यों कि मौके पर पुराने तथा बड़े-बड़े पेड़ मौजूद हैं ।

जिला वाराणसी लोक निर्माण विभाग द्वारा ब्लाक पिंडरा के कतिपय मार्गों के निर्माण के संबंध में आख्या

84-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिडरा-ओदार गरथमा मार्ग व दवेराई से बरवा मार्ग ब्लाक पिंडरा व कठिरांव से नेवादा-अनेई मार्ग ब्लाक बड़ा

गांव जिला वाराणसी के लिये, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी से इस्टीमेट तथा आख्या मांग ली गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त तीनों मार्गों की लम्बाई 12 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक है ? यदि हां, तो क्या सरकार 92-93 के वित्तीय वर्ष में तथा 91-92 के वित्तीय वर्ष में उपरोक्त मार्गों की स्वीकृति दे देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजीत सिंह डंग-

इस्टीमेट नहीं केवल आख्या मांगी गयी है ।

प्रश्नगत मार्गों की लम्बाई क्रमशः 11.000 कि0मी0, 5.000 कि0मी0 एवं 11.100 कि0मी0 है ।

स्वीकृत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा-इलाहाबाद मार्ग पर बांदा मुख्यालय से पूरब में पुल को विस्तीर्ण किये जाने की मांग

85-श्री राम प्रसाद सिह-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के अंतर्गत बांदा-इलाहाबाद राजकीय मार्ग में गांव एवं ब्लाक महुआ मुख्यालय से पूरब में पुल सकीर्ण डिजाइन से बनने के कारण आस-पास के गांव धरातल से ऊंचे हो गये हैं और वर्षा में बाढ़ के पानी की उंचाई बढ़ने पर सड़क के लिये अवरोध व बाढ़ से गांव की आबादी को नुकशान करता है ? यदि हां, तो वर्ष 1990 की वर्षा से आई बाढ़ मे इस गांव महुआ के कितने घरों का कितनी लागत का नुकसान हुआ है ? क्या बाढ़ के दिनों में पुल के पश्चिम से सड़क काटी गयी है ? यदि हां, तो उस पुल के निर्माण में कितना व्यय हुआ है ? उक्त धरातली सतह से ऊंचा पुल निर्माण कराने का क्या औचित्य है ? क्या संबंधित पुल की अपर्याप्त चौड़ाई को देखते हुए कटे भाग में आवश्यकतानुसार पुल बनाकर समस्या के समाधान हेतु कोई प्रस्ताव दिया गया था ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें तकनीकी जांच की उपेक्षा की गयी है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा-बबेरू राजकीय मार्ग में मुरवल के पास गड़रा नाला पर बने पुल को ऊंचा बनाने का औचित्य

86-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के अंतर्गत बांदा-बबेरू राजकीय मार्ग में मुरवल के पास गडरा नाला पर निर्मित पुल आस-पास के गांव के धरातल से ऊंचा बना है ? यदि हां, तो सतह से ऊंचा पुल निर्माण करने का क्या

औचित्य रहा है ? क्या वर्ष 1990 की वर्षा में पानी की बाढ़ से सड़क पर अवरोध से गांव की आवादी की बहुत बड़ी बस्ती को नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो कितनी आबादी का ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पुल का निर्माण कब हुआ है और किस कार्यदायी संस्था से ? क्या प्रश्नगत पुल निर्माण में पानी के आंकलित मात्रा के अनुसार डिजाइन की लम्बाई को बदल कर व छोटा कर के पुल ऊंचा कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसा करने में वित्तीय लाभ या मितव्ययिता का दृष्टिकोण रहा है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच करके कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कु0 शशिबाला गोयल की लोक निर्माण विभाग में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति के विरुद्ध शिकायत

87-श्री लालजी वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री मित्रसेन यादव के अता0 प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सूचना एकत्र की जा चुकी है ? यदि हां, तो उसका विवरण कया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां, संदर्भित प्रश्न में एक आशुलिपिक की नियुक्ति के संबंध में श्री जमुना सिंह, सह-सचिव, मा0क0पा0 फैजाबाद के पत्र दिनांक 26-9-88 के प्राप्त होने तथा उसके संबंध में कुछ सूचनायें मांगी गयी थीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार कु0 शशिबाला गोयल जो एक प्रशिक्षित प्रशिक्षु थी, की नियुक्ति तदर्थ रूप से 6 माह के लिये जून, 1988 में की गयी थी, उक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु सेवायोजन कार्यालय, फैजाबाद से नाम मांगे गये थे । राज्य सरकार के आदेश संख्या-735/36-6-15(टी)-79, दिनांक 12 नवम्बर, 1979 के साथ पठित भारत सरकार के आदेश संख्या-ओ0एम0-14/20/72-ईस्ट (डी), दिनांक 10-10-73 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कु0 शशिबाला गोयल एवं सेवा योजन कार्यालय से नामित नौ में से 8 अभ्यर्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया । परीक्षा में कु0 शशिबाला गोयल ने सर्वोच्च अंक प्राप्त किये, जिसके कारण उनकी नियमित नियुक्ति आशुलिपिक के पद पर कर दी गयी । इस सम्बन्ध में सेवायोजन अधिकारी, फैजाबाद से पत्र संख्या ×-2/128/88/2108-70, दिनांक 25-11-88 प्राप्त हुआ था, जिसके उत्तर में अधिशासी अभियन्ता (भवन), परिकल्पना एवं मार्ग सर्वेक्षण खण्ड, लोक

निर्माण विभाग, फैजाबाद के पत्र संख्या-75 कैम्प/एफ.जेड/88, दिनांक 5-1-89 द्वारा सेवायोजन अधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया था ।

विद्युत यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण खण्ड, फैजाबाद के खण्डीय कार्यालय के रख-रखाव और विद्युत अनुरक्षण कार्यों पर व्यय धनराशि का विवरण

88-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत यांत्रिक खण्ड, लो0 नि0 वि0, फैजाबाद का खण्डीय कार्यालय सरकारी भवन में चल रहा है ? यदि हाँ तो कब से ? क्या कार्यालय मे विद्युत कनेक्शन प्रकाश एवं पंखे के लिये लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या विगत वर्षों मे कूलर, ट्यूब लाइट्स, बल्ब, रूम हीटर आदि कार्यालय में प्रयोग के लिये खरीदे गये हैं ? क्या विद्युत अनुरक्षण कार्यों पर भी कार्यालय हेतु धन खर्च किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक कितना धन खर्च किया गया है ? विद्युत कनेक्शन के अभाव में क्या खण्डीय कार्यालय में कोई जनरेटर पहले से उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त विभाग द्वारा विद्युत चोरी की प्रयोग की गयी है ? यदि बिजली नहीं प्रयोग की गयी तो अनुरक्षण कार्य कराने का औचित्य क्या है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां, दिनांक 26-7-87 से

जी हां, दिनांक 4-1-92 को ।

जी हां ।

जी हां, रु0 9,750.00

जी नहीं ।

जी नहीं । प्रश्नगत कार्यालय के प्रयोगार्थ विद्युत विभाग की यांत्रिक कार्यशाला के गैराजो मे कार्यालय अवस्थित होने के कारण विद्युत उसी कनेक्शन से प्रयोग की जा रही थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक मिर्जापुर दुर्वासा धाम के करीब ट्रान्स नदी पर पुल बनाये जाने की मांग

89-श्री अगद सिह यादव-

क्या लोक निर्माण मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ के ब्लाक मिर्जापुर के अतर्गत दुर्वासा धाम के करीब ट्रान्स नदी पर विगत तीन-चार वर्ष पूर्व शासन द्वारा पुल निर्माण की स्वीकृति किये जाने के बाद भी अभी पुल निर्माण न कराये जाने के क्या कारण है? इसमे कौन दोषी है ? पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिह डग-

जनपद आजमगढ के ब्लाक मिर्जापुर के अन्तर्गत दुर्वासा धाम के करीब ट्रान्स नदी पर सेतु निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

90-श्री राम आसरे वर्मा-

(उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया)

श्री विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद द्वारा अनधिकृत एव फर्जी सप्लाई आर्डर एवं भुगतान के विरुद्ध शिकायत

91-श्री लालजी वर्मा-

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के चौथे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री मित्रसेन यादव के अता0 प्रश्न संख्या 6 के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सूचना एकत्र हो चुकी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

यद्यपि सहायक अभियन्ता को सप्लाई आर्डर बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में डी0जी0एस0एण्ड डी0 के रेट कान्ट्रैक्ट पर अधिशासी अभियन्ता की लिखित अनुमति प्राप्त करके सहायक अभियन्ता द्वारा प्रश्नगत सप्लाई आर्डर किया गया था, जिसमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती ।

जहां तक भुगतान का प्रश्न है, यह दिनांक 10-9-77 को हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दस्यु उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कालपी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में बनायी गयी प्रस्तावित सड़कों को पूरा करने की मांग

92-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में कालपी विधान सभा क्षेत्र, जो दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, के दुर्गम रास्ते व बीहड़ क्षेत्र में वर्ष 91-92 में डाकू ग्रस्त योजना के अंतर्गत किसी सड़क का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो कहा से कहा तक ? क्या ग्राम जुगराजपुर व टिकरी मु0 लोहई तथा रायपुर ग्रामो को जोडने व आवागमन हेतु इस योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त जनपद में इस योजना के अतर्गत किस किस क्षेत्र में सड़कें बनवाई जा रही हैं ? क्या इस योजना में कालपी विधान सभा क्षेत्र को छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र में दस्युग्रस्त क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 मे फरवरी, 92 तक सिरसा-कलालहर कनार मार्ग के एक कि0मी0 की टापकोट कुटाई एव मगरोल-मेनूपुर मार्ग के 0.25 कि0मी0 लम्बाई में मिट्टी का कार्य कराया गया है ।

ग्राम जुगराज़पुर व टिकरी मु0 लोहई तथा रायपुर ग्रामों को जोड़ने का कार्य उपरोक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत नही है । अतः निर्माण कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

डाकूग्रस्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जनपद जालौन के चारों विधान सभा क्षेत्रों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 134.40 कि0मी0 सड़कों में से केवल विधान सभा क्षेत्र कालपी की 54.75 कि0मी0 सड़के हैं इस प्रकार कालपी विधान सभा क्षेत्र को छोड़े जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

परगना पलिया जिला खीरी लखीमपुर में कतिपय को पट्टा दिलाने तथा पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधी मामले के संबंध में परगनाधिकारी, निघासन को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही

93-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1561/91 श्री लल्लू पुत्र श्री राम लाल नि0 ग्राम मलिनिया परगना पलिया तहसील जनपद लखीमपुर खीरी को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी निघासन खीरी को दिनाक 2-12-91 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि श्री लल्लू पुत्र श्री रामलाल ग्राम मलिनिया को सीलिंग मे अतिरिक्त घोषित भूमि पट्टे पर दी गयी थी और पट्टेदार को कब्जा दिया गया था परन्तु श्री सरजीत सिंह पुत्र श्री भोला सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करके क़ब्जा अभी नहीं छोड़ा है । मामला न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

94-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-1661/91 श्री राम लक्ष्मण ग्राम बेलो, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

प्रश्नगत व्यक्तियों को पट्टे की भूमि पर पैमाइश करके मौके पर कब्जा दे दिया गया है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

95-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-1559/91 श्री राम लखन नि0ग्रा0 राम नगर, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना

पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के ग्राम बड़ोखर खुर्द में ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत

96-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या राजस्व मंत्री को यह ज्ञात है कि बांदा जनपद में ग्राम बड़ोखर खुर्द में जितनी भी ग्राम सभा की भूमि है उसमें अधिकतर नाजाइज ढंग से उच्च वर्ग के लोग काबिज हैं ? यदि हां, तो क्या अनूसूचित जाति के लोगों को जो आवास या कृषि हेतु पट्टे किये गये हैं उन्हें कब्जा दिलवाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम सभा की भूमि में अवैध काबिज लोगों को शीघ्र ही बेदखल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं । अनुसूचित जाति के लोगों को जो भी आवास या कृषि हेतु पट्टा दिया गया है, उन्हें कब्जा दिला दिया गया है । अनुसूचित जाति के 70 व्यक्तियों को तथा 96 अन्य व्यक्तियों को आवासीय पट्टा की स्वीकृति एवं कब्जा दिनांक 1-6-83 को दिया जा चुका है । एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कृषि हेतु 0-47 डिसमिल का पट्टा दिया गया जो काबिज हैं ।

अवैध काबिज लोगों को बेदखल किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम कोहरौली से बरदह विकास खण्ड मार्टिनगंज तहसील फूलपुर जिला आजमगढ़ में 5 किलो मीटर सड़क की मरम्मत किये जाने की मांग

97-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अंतर्गत फूलपुर तहसील, मार्टिनगंज ब्लाक के ग्राम कोहरौली से बरदह तक 5 कि0मी0 सड़क लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत है ? क्या यह सही है कि इस सड़क के मरम्मत के नाम पर काफी धनराशि खर्च की गयी है और सड़क के खड़ंजे आदि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत व उसके पक्का कराने की कार्यवाही क्या सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

जी नहीं । वर्ष 1990-91 मरम्मत एवं सुधार में केवल रु0 0.40 लाख व्यय किये गये ।

मार्ग की मरम्मत यथा आवश्यकता समय-समय पर कराई जाती है । मार्ग को पक्का (लेपित) कराया जाना स्वीकृत एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्नगत मार्ग को पक्का (लेपित) कराया जाना जिला नियोजन एव अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

लोक निर्माण शाखा बलिया के अभियन्त्रण शाखा के कतिपय अभियन्ताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की जानकारी

98-श्री राधेश्याम वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में कार्यरत श्री आर0पी0 राम, अधिशासी अभियन्ता, श्री अनुराग चतुर्वेदी, सहा0 अभि0, श्री आर0 पी0 सिंह, जे0 ई0 व श्री महेन्द्र प्रसाद, जे0ई0 के संबंध में विधायक श्री यदुनाथ सिह द्वारा लिखे गये शिकायती पत्र दिनाक 13-9-91, जनता पार्टी विधान मण्डल दल के पत्र संख्या क्रमशः 1410 मुख्य मंत्री व 1411 लोक निर्माण मंत्री एवं 1412 सचिव, लोक निर्माण विभाग को व विधायक श्री राम औतार शाक्य व श्री रामेश्वर दयाल बाल्मिकी के द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 23-12-91 जनता पार्टी विधान मण्डल दल के क्रमशः पत्र संख्या 171 मुख्य मंत्री, 172 लोक निर्माण मंत्री, 173 लोक निर्माण राज्य मंत्री, 174 सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त पत्रों के माध्यम से किसी उच्च अधिकारी को मुख्यालय से भेजकर जांच कराने व दोषी लोगों को दण्डित करके सदन को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

पत्र संख्या 1410 एवं 1411, दिनांक 12-9-91 एवं पत्र संख्या 171, 172, 173 एवं 174 दिनांक 21-12-91 प्राप्त हुए हैं ।

पत्र संख्या 1410 एवं 1411 में लगाये गये आरोपों पर अधीक्षण अभियन्ता, 56वां वृत्त, वाराणसी की जांच आख्या शासन को 7 मार्च, 1992 को प्राप्त हो चुकी है, जो परीक्षणाधीन है । उक्त जांच आख्या में पत्र संख्या-171, 172, 173 एवं 174 दिनांक 21-12-91 में उल्लिखित आरोपों की भी जांच कर ली गयी है। अतः किसी उच्च अधिकारी को मुख्यालय से भेजकर पुनः जांच कराने का औचित्य नहीं है। परीक्षणोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही सम्भव है ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

99-श्री राधेश्याम वर्मा-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

अस्थाई खण्ड दो लोक निर्माण विभाग फैजाबाद, को दिये गये श्री जमुना सिंह, सह सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद के पत्र पर कार्यवाही

100-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जमुना सिंह,

सह-सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फैजाबाद का पत्र दिनांक 21-12-87 अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (दो), लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिह डंग-

जी हां ।

जांच करायी गयी । जांच से शिकायती पत्र में कथित शिकायतें सही नहीं पायी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिनियुक्ति संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश का लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं द्वारा पालन न किये जाने की शिकायत

101-श्री बी0आर0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत लोक निर्माण विभाग के जो अभियन्ता वित्त विभाग द्वारा जारी संविलियन नियमावली संख्या जी-4-1660/दस-84-925-60टी0 सी0 (दो) लखनऊ, 1 दिसम्बर, 1984 के द्वारा सेतु निगम की सेवा में संविलियन हेतु पात्र नहीं थे, क्या उन्हें पैतृक विभाग भेजा गया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह शासनादेशों का उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या सरकार संबंधित व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

"उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी सेवकों को आमेलन नियमावली-1984" के अनुसार जो प्रतिनियुक्त अधिकारी राज्य सेतु निगम में संविलियन के पात्र नहीं थे, उनमें से पांच अधिकारियों को पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित किया जा चुका है । छः अन्य अधिकारियों के प्रत्यावर्तन आदेश जारी किये जा चुके हैं, जिनमें से तीन अधिकारियों के बारे में मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण अभी कार्यमुक्त करना सम्भव नही हो सका । शेष अधिकारियों की सेवाओं की निगम में आवश्यकता एवं उपयोगिता देखते हुए सम्प्रति उन्हें प्रत्यावर्तित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के महाप्रबन्धकों के कार्यालय उनके क्षेत्र में स्थापित करने की मांग

102-श्री बी0आर0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 में सभी महाप्रबन्धकों के मुख्यालय उनके कार्यक्षेत्र में है ? यदि

नहीं, तो क्या इससे सेतु निगम पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी निगम पर से अनावश्यक आर्थिक बोझ खत्म करने के लिये महाप्रबन्धकों के मुख्यालय उनके कार्यक्षेत्र में करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में कुछ महाप्रबन्धकों के कार्यालय उनके कार्यक्षेत्र में नहीं है ।

इससे निगम पर कोई अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा है । राज्य सेतु निगम में महाप्रबन्धकों के कार्य का पुनर्गठन प्रस्तावित है जिसमें अन्य बिन्दुओं के साथ उनके मुख्यालय कार्यक्षेत्रों में स्थापित करने पर विचार किया जायेगा ।

तहसील निघासन जिला खीरी लखीमपुर में कतिपय ग्रामों के निवासियों को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने एवं भूमि संबंधी अन्य मामले निपटाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

103-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1664/91, श्री मुल्लू पुत्र श्री नरायन नि0 ग्रा0 विचपरी म0 मूड़ा बुजुर्ग, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन, खीरी को दिनांक 14-10-91 को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के विषय में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हा ।

जांच की गयी । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री मुल्लू पुत्र नरायन को पट्टे की भूमि पैमाइश करके मौके पर कब्जा दे दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

104-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1663/91 श्री हेमराज नि0ग्रा0 मूड़ा बुजुर्ग, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में परगनाधिकारी, निघासन खीरी को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

श्री हेमराज पुत्र मुन्नू को पट्टे की भूमि की पैमाइश करके कब्जा दे दिया गया है । अत शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री दनकू दास निवासी ग्राम पुरैना तथा श्री इतवारी निवासी तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का परगनाधिकारी निघासन को भेजा गया पत्र

105- श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1660/91, श्री दनकू दास नि0 ग्रा0 पुरैना, तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां । प्रश्नगत पत्र परगनाधिकारी, निघासन को दिनाक 27-12-91 को प्राप्त कराया गया है ।

जाच की गयी । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री दनकू दास के पट्टे की भूमि का क्षेत्रफल चकबन्दी क्रियाओ के अन्तर्गत कम किया गया है । प्रार्थी यदि चाहे तो चकबन्दी अधिकारी के यहां वाद दायर कर सकता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

106-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1662/91, श्री इतवारी ग्राम सरपतहा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच की गयी । जांच में श्री इतवारी पुत्र श्री तुला निवासी सरपतहा की शिकायत निराधार पायी गयी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

कश्मीर से विस्थापित परिवारों को राहत योजना में दी गयी सुविधाओं का विवरण

107-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कश्मीर से विस्थापित परिवारों को राहत देने के निमित्त कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं ?

श्री रमापति शास्त्री-

जम्मू एवं कश्मीर से आये विस्थापित कश्मीरी परिवारों को रोजमर्रा की वस्तुओ को क्रय हेतु रु0 1500 की एकमुश्त सहायता तथा माह जनवरी, 1991 से रु0 750 प्रति माह की आर्थिक सहायता दिये जाने की फिलहाल व्यवस्था है।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ में कतिपय गावों में आबादी की जमीन पर खेती करने की शिकायत

108-श्री राम चन्द्र चौधरी-

क्या राजस्व मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील नौगढ़ तप्पा थरौली, स्थित ग्राम कपिया मिश्र मे कितनी साधारण आबादी की जमीन है तथा उक्त आबादी में से कौन-कौन व्यक्ति कितनी-कितनी जमीन पर अवैध रूप से खेती कर रहे है ? क्या दोषी व्यक्तियो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी ? यदि हा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ तप्पा थरौली स्थित ग्राम कपिया मिश्र में गाटा संख्या-130 रकबा 17 विस्वा, 17 बिस्वांसी तथा गाटा संख्या 136 रकबा 3 बिस्वा 18 बिस्वांसी कुल रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा 15 बिस्वांसी साधारण आवादी की जमीन है । गाटा संख्या 130 के रकबा 10 बिस्वांसी पर कला प्रसाद पुत्र शेषमन तथा इसी गाटा के 10 बिस्वांसी पर दीनानाथ पुत्र शेषमनि द्वारा अवैध रूप से खेती की जा रही है ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी के अन्तर्गत वाद तहसीलदार, नौगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में मौजा डूहा बिहरा परगना सिकन्दरपुर पूर्वी तहसील बांसडीह के कतिपय आराजी भूखण्ड संख्याओं का मूलवाद उपस्थित करने के 6 माह बाद राजस्व परिषद द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश देने का औचित्य

श्री राज नरायण बिन्द-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया में मौजा डूहा बिहरा, परगना सिकन्दरपुर पूर्वी, तहसील- बांसडीह के भूखण्ड संख्या 1349/96, 1391 द्य/21, 1423/151, 1419/28 को परगना मजिस्ट्रेट, बांसडीह के न्यायालय में दिनाक 4-6-86 द्वारा पूर्व की स्थिति कायम रखते हुए मौजा डूहा विहरा को चकबन्दी प्रक्रिया होने के कारण उक्त आराजी का मूल वाद उपसमिति कर दिया था और इसके 6 माह बाद राजस्व परिषद् द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश दे दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जब विवादित आराजी का मौजा चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हो, तो स्वत्य निर्धारण करने का अधिकार राजस्व परिषद् को नहीं है ? यदि हां, तो नियमों के विरुद्ध राजस्व परिषद् के अन्तरिम स्थगन आदेश को प्रभावी करने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जाच करायेगी व जांच में दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां । परगना मजिस्ट्रेट, बांसडीह के आदेश के विरुद्ध श्री अवधेश सिंह बनाम नगेसर द्वारा अपर आयुक्त, वाराणसी के न्यायालय मे निगरानी संख्या 257/157/1986 बलिया दायर की गयी, जिसे अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7-10-1988 को निरस्त कर परगना मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा गया । श्री अवधेश आदि द्वारा अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व परिषद् में निगरानी संख्या 10/88-89 दायर की गयी जिसमे परिषद् के आदेश दिनांक 24-10-1988 द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7-10-1988 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया गया ।

राजस्व परिषद् का उक्त आदेश न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है । अतः उसके अधिकार के विषय पर टिप्पणी किया जाना समीचीन नहीं होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वत्व निर्धारण के लिये दोनों पक्षों के मध्य चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 10 (2) के अन्तर्गत वाद लम्बित है ।

अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड पीपीगंज-अकटहवा मार्ग पर रोहित नदी पर निर्माणाधीन पुल को पूरा करने की मांग

110-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक पीपीगंज-अकटहवा मार्ग पर रोहित नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि यह कार्य पूरा होगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी, हां ।

संसाधनो के अभाव में ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चकबन्दी आयुक्त कार्यालय के सेवा निवृत्त एवं पेंशन भोगी सहायक अधीक्षक श्री एजाज अब्बासी की विधवा को पारिवारिक पेंशन दिये जाने की मांग

111-श्री नेतराम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ के कार्यालय में सहायक अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त सम्प्रति स्वर्गीय श्री एजाज अब्बासी, जो कि पेंशन भोगी कर्मी थे और जिनको लखनऊ कोषागार से ही पेंशन भुगतान होती थी, उनका स्वर्गवास जनवरी, 1982 में हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उनके उपरान्त उनकी विधवा धर्मपत्नी श्रीमती शीरी बेगम पारिवारिक

पेंशन की पात्र हैं ? यदि हां, तो उनको अब तक पारिवारिक पेंशन स्वीकृत न किये जाने का कारण क्या है ? कब तक पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करके उन्हें भुगतान करना शुरू कर दिया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि श्रीमती शीरी बेगम को लगभग 9 (नौ) वर्षों से आज तक पारिवारिक पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है जिससे वह इस वृद्धावस्था में अत्यन्त आर्थिक कठिनाई का सामना कर रही हैं ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदारी किस पर निर्धारित करके कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जी हां ।

श्रीमती शीरी बेगम को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

भुगतान संबंधी श्रीमती शीरी बेगम का आवेदन पत्र दिनांक 15-5-90 में चकबन्दी निदेशालय में प्राप्त हुआ था जिस पर कार्यवाही कर प्रपत्र कोषाधिकारी, लखनऊ को दिनाक 24-10-90 को भुगतान हेतु भेज दिये गये थे । कोषाधिकारी की कतिपय आपत्तियों के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो सका है । अतः किसी पर दायित्व निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

तहसील सदर जिला झांसी के छप्पन गांवों के निवासियों द्वारा आवास एवं खेती योग्य भूमि की मांग शासन के विभिन्न स्तरों से किये जाने के संबंध में जानकारी

112-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील व जिला झांसी के ग्राम मजरा महेष गढ़ के निवासी श्री पन्नालाल सहित छप्पन ग्रामों के निवासियों ने जिलाधिकारी, झांसी, मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को शासनादेश संख्या 11, 72/18-17 एस0ए0/47, दिनांक 8 सितम्बर, 1956 के अनुसार वर्ग-3 की ग्राम समाज की भूमि पर बसाये जाने तथा खेती करने के लिये भूमि आवंटित करने हेतु 15 दिसम्बर, 1991 तक कितने प्रार्थना पत्र दिये गये हैं ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पूर्व राज्य मंत्री श्री सन्त बक्श रावत ने जिलाधिकारी, झांसी को अपने पत्र संख्या 1640/एस0 एम0 (आर)/91, दिनांक 6-4-91 को प्राथमिकता के आधार पर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध में आख्या/रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है, तो उक्त आख्या/रिपोर्ट पर अब तक शासन स्तर पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील निघासन जनपद खीरी के कतिपय ग्रामों के कतिपय लोगों के भूमि संबंधी अनेक मामलों के संबंध में प्रार्थी के पत्रों के साथ अनेक प्रश्नकर्ता द्वारा परगना अधिकारी निघासन को भेजे गये पत्रों पर हुई कार्यवाही की जानकारी

113-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1655/91 गोबर्द्धन नि0ग्रा0 लधारी, तहसील निघासन, जिला लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को दि0 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जाच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रार्थीगणों की वरासत होनी है। ग्राम लधारी चकबन्दी प्रक्रियाओ के अन्तर्गत चल रहा है । प्रार्थी चकबन्दी विभाग के सक्षम न्यायालय मे अपना वाद प्रस्तुत करके अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं।

114-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1656/91 मेहरम अली, नि0 ग्रा0 ढखेर नामकार, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

प्रार्थना पत्र की जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री मोहरम अली भूमिहीन होने के नाते पट्टा प्राप्त करना चाहते हैं । पट्टा हेतु सीलिंग की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है । ग्राम सभा की भूमिहीन सूची में वरीयताक्रम के अनुसार प्रार्थी का नाम लिख लिया गया है । प्रार्थी को भूमि आवंटन के संबंध में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा यथा समय नियमानुसार विचार किया जायेगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

115-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1557/91 श्री मोहन लाल, नि0ग्रा0 सिंगाही, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच करायी गयी । शिकायत निराधार पायी गयी । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

116-श्री निवेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1658/91 श्री सोहन लाल नि0ग्रा0 रायपुर तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच की गयी । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि केवला वेवा सोहन लाल के खेत मे जोड़ी का बंगला बना हुआ है, जो काफी पुराना है । विवादित भाग संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज है । अतः प्रार्थिनी अपने समस्या के निराकरण हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर सकती है ।

जनपद लखीमपुर की ग्राम सभा मुरारखेड़ा कालोनी के भूमिहीनों को आवास हेतु दिये गये भूमि के पट्टों कब्जा दिलाने की मांग

117-श्री निवेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मुरारखेड़ा कालोनी, परगना पलिया कलां, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के भूमिहीनो को आवास हेतु पट्टे बना दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब्जा प्रशासन द्वारा अभी तक क्यों नहीं दिलाया गया ? उन्हें भूमि पर कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जालौन की तहसील कालपी एवं अन्य तहसीलों में उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत विचाराधीन मामलो का विवरण

118-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 168 क के अनुसार संहत क्षेत्रों में 4.68 एकड़ से अधिक रकवा वाले कृषि भूमि के गाटे में से कुछ अंश का विक्रय विधि सम्मत नहीं है ? यदि हां, तो क्या जनपद जालौन की तहसील कालपी व जालौन में

तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दाखिल खारिज के बाद विचाराधीन है ? यदि हां, तो उपरोक्त तहसीलों में विचाराधीन वादों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी जालौन को निदेशित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 168 "क" के अनुसार संग्रहीत क्षेत्रों में 4.68 एकड़ से अधिक रकबे वाले कृषि भूमि के गाटे में से अतिरिक्त भूमि का विक्रय विधि सम्मत है, क्यों कि उक्त अधिनियम की धारा 3(8) (क) के अंतर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 4.68 एकड़ के रकबे को एक अविभाज्य टुकडे के रूप में परिभाषित किया गया है । अतः इससे अतिरिक्त भूमि पर धारा 168 'क' के प्राविधान लागू नहीं होते ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन अन्तिम अभिलेख कार्यालय उरई में तथा कतिपय तहसीलों के न्यायालयों मे चकबन्दी के निर्णीत वादों के आदेशों के अमल दरामद की कार्यवाही न कराने के कारणों की जानकारी

119-श्री श्रीराम-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के चकबन्दी विभाग के अन्तिम अभिलेख कार्यालय उरई में चकबन्दी अधिकारी तथा तहसील जालौन, कोंच, कालपी, उरई तहसीलों के सहायक चकबन्दी अधिकारियों के न्यायालयों में अंतर्गत धारा 12 चकबन्दी अधिनियम के दा0 खा0 निजाई व गैर निजाई निर्णीत वादों के आदेशों के अमल दरामद कई वर्षों से मिशिल बन्दोबस्त चकबन्दी, चकबन्दी तथा तहसीलों की नामान्तरण वहियों एवं धारा 52 के प्रकाशन के बावजूद भी वार्षिक खतौनियों पर अब तक दर्ज नहीं किये गये हैं, यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि चकबन्दी कानूनगो द्वारा काश्तकारों के पक्ष में अमलदरामद की कार्यवाही न कराने के कारण वर्षों से इस संबंध में जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबन्दी द्वारा निर्णीत अन्तर्गत धारा 12 चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत 195 परवाने दिनांक 1-10-91 तक अमलदरामद हेतु अवशेष थे । दिनांक 1-10-91 से 15-2-92 तक 196 परवाने और प्राप्त हुये । इस प्रकार परवानों की कुल संख्या 391 हुयी, जिसमें से विधिवत् कार्यवाही के 321 परवानों के अमलदरामद किये जा चुके हैं । शेष 70 परवानों पर न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है ।

जी नहीं । प्राप्त सभी परवानों का नियम 109 के अंतर्गत आदेश पारित होने के उपरान्त पुनः करवाना जारी होता है । अतः यह कहना सही नहीं है कि कार्य अनियमित चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के निर्माण खण्ड जौनपुर में कतिपय मार्ग के निर्माण में अभियन्ताओं द्वारा कथित भ्रष्टाचार किये जाने की शिकायतों की जांच

120-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड, जौनपुर के अधीन निर्माणाधीन सबायन-सनिरा-गंगोली-चिलबिली मार्ग के क्रस्ट की मोटाई खरीदे गये स्टवेन बेलास्ट की मात्रा के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो इससे शासन को कितनी आर्थिक क्षति हुई है ? क्या इसके लिये दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्या अब कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत प्रकरण पर जांच करायी जा रही है । जांचोपरान्त तथ्यों की जानकारी होना निष्कर्ष निकाल पाना एवं तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करना न्याय संगत है।

मऊ जनपद के मुख्यालय पर कारागार बनाये जाने हेतु भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण की कार्यवाही

121-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के मुख्यालय पर कारागार बनाने हेतु शासन की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह (कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री)-

जी हां । निर्णय ले लिया गया है । भूमि के अधिग्रहण एवं निर्माण की कार्यवाही स्वीकृति के उपरान्त की जायेगी ।

122-श्री राजपाल त्यागी-

(4 थे बुध में अता0प्र0सं0 193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

इलाहाबाद जनपद के चायल विधान सभा क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य

123-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के निर्वाचन क्षेत्र चायल के अन्तर्गत 31-12-91 तक कहां-कहां चकबन्दी करायी गयी है ? कहां-कहां चकबन्दी का गजट हुआ है ? और धारा 45 एवं धारा 52 का प्रकाशन हुआ है ? क्या अन्य क्षेत्रों में भी चकबन्दी होना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चायल के 227 ग्रामों में से प्रथम चक्र में 183 ग्रामों की चकबन्दी दिनांक 31-12-91 तक की जा चुकी है । इन सभी ग्रामों का धारा 45 व 52 का प्रकाशन हो चुका है ।

तहसील चायल मे द्वितीय चक्र की चकबन्दी हेतु धारा 4 क(1) का प्रकाशन दिनांक 13-9-90 को हो चुका है। सवेक्षण के उपरान्त ही यह निश्चित किये जाने की व्यवस्था है कि कौन-कौन से ग्राम चकबन्दी के योग्य है और कौन-कौन से नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में कतिपय स्वीकृत मार्गों को बनवाने की मांग

124-श्री राधेश्याम वर्मा-

क्या लोक निर्माण मत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबकी में सफदरगज से बदोसराय मार्ग दरियाबाद से नवाबगंज होते हुए चिरा खजुरी मार्ग दरियाबाद से बारिनवया मार्ग टिकेतनगर से कस्बा इचोली होते हुए गिदरापुर मार्ग के सफदरगंज से दरियाबाद मार्ग जो शासन द्वारा स्वीकृत है ? क्या सरकार की पेटिंग स्तर तक बनवाने की कोई योजना है ? यदि हा, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद बाराबंकी में सफदरगंज से बदोसराय मार्ग, टिकेतनगर से कस्बा इचोली तक तथा सफदरगंज से दरियाबाद मार्ग लेपन हेतु स्वीकृत है । शेष मार्ग लेपन हेतु स्वीकृत नहीं है ।

स्वीकृत मार्गों पर लेपन का कार्य पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जो मार्ग लेपन हेतु स्वीकृत नहीं है, उनपर लेपन के कार्य की स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

कमचार फार्म विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद जनपद बाराबंकी से बेदखल किये जाने वाले लोगों को अचल भूमि दिये जाने की मांग

125-श्री राधेश्याम वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र दरियाबाद जनपद बाराबकी के अंतर्गत कमचार फार्म की जमीन के पट्टे भूमिहीन किसानों को सात वर्ष के लिये दिये गये थे परन्तु उक्त जमीन जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं है ? क्या उससे किसानों को बेदखल कर दिया गया है ? यदि सरकार उक्त जमीन पर अन्य कोई योजना लागू कर रही है तो उक्त पट्टेदार किसानों को कोई जमीन उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

126-श्री राम सरन-
(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

लोक निर्माण विभाग लखनऊ के विभागीय निर्माण ईकाई-2 में मस्टर रोल के बजट कैशमेमों के द्वारा प्रार्थिनी को भुगतान देने की शिकायत

127-श्री राम शरण-

क्या लोक निर्माण मत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता ने अपने पत्राक 311 8 व्यग/321 व्यक/91 दिनाक 31-8-91 के अतिरिक्त किन आदेशों से मस्टर रोल पर श्रमिक न रखकर कैशमेमो पर रख कर स्थायी अग्रदाय से वेतन का भुगतान किया ? वि0नि0ई0 (भवन) नं0-2 लखनऊ मे श्रमिकों का कैशमेमों से भुगतान का क्या औचित्य है तथा राजपत्रित अधिकारियो को लोकल यात्राओं के लिये कार्य अधीक्षक द्वारा भुगतान हैन्ड रिसीट्स पास किया गया ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत भुगतान किया गया तथा कार्य पर डालने का क्या औचित्य है? क्या इसके लिये जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियन्ता द्वारा स्थायी अग्रदाय से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है । विभागीय निर्माण इकाई (भवन) नं0-2, लखनऊ में श्रमिक कैशमेंमों पर रख कर स्थायी अग्रदाय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ।

जी हां ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-पंचम के परिशिष्ट दशम् के प्रस्तर-6 के अनुसार भुगतान किया गया लेकिन वापस प्राप्त कर लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

128-श्री राम शरण-
(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

129-श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री राम शरण-
(4 थे मंगलवार में अता0 प्रश्न संख्या 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

विभागीय निर्माण इकाई (भवन) नं-2 लोक निर्माण विभाग (लखनऊ) में हुए निर्माण कार्य से अवशेष सामग्रियों की सुरक्षा व्यय का विवरण

130-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वि0नि0ई0 (भवन)-2 लखनऊ के अधीन जो सरकारी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और उनसे संबंधित विभागो को हस्तान्तरित कर दिया गया है अथवा शेष है ? कार्य समाप्ति के उपरान्त कितनी धनराशि की सामग्री उस कार्य स्थल पर अवशेष है तथा उसकी देख रेख मे कितना व्यय कार्य समाप्ति के उपरान्त किया गया है ? क्या सामग्री की कीमत से अधिक उसकी सुरक्षा आदि पर खर्चे किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और उसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस पूर्ण मामले की जांच करायेगी ? यदि नही, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां, जो भवन पूर्ण हो चुके हैं उन्हें संबंधित विभागों को हस्तान्तरित किया जा चुका है ।

32वीं वाहनी पी0एस0सी0 कार्यशाला पर रु0 10,000.00 की सामग्री कार्यस्थल पर अवशेष है ।

इस संबंध में जांच के आदेश दिये गये हैं । जांच पूर्ण होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

राजकीय पालिटेक्निक लखनऊ के इलेक्ट्रानिक भवन के निर्माण में निर्माण सामग्री के व्यय का विवरण

131-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पालिटेक्निक लखनऊ के इलेक्ट्रानिक भवन के निर्माण हेतु ईंटा, मोरंग, बालू, सुर्खी, चूना आदि एवं टी0एन0पी0 की खरीद की गयी ? यदि हां, तो उक्त सामग्री कब तक कितनी-कितनी मात्रा एवं लागत में खरीदी गयी एवं भवन का निर्माण कार्य कितना हो गया और कुल कितना खर्च हो चुका है ? क्या अधीक्षण अभियन्ता ने 55 प्रतिशत शेड्यूल आफ रेट से अधिक लागत पर टेण्डर स्वीकृत किये हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ? क्या निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

वांछित सूचना संलग्न है ।

फरवरी, 1992 तक रुपये 35.96 लाख व्यय हुए और लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।

जी हां ।

निविदायें जनवरी, 1991 में स्वीकृत की गयी । खाड़ी युद्ध के कारण तथा नये मोटर वाहन अधिनियम से उत्पन्न ट्रकों की भार वाहन क्षमता से सीमतीकरण से निर्माण सामग्री तथा श्रमिक दरों में हुई वृद्धि एवं विश्व बैंक की अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य कराये जाने की अनिवार्यता से 55.26 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ । इसलिये उत्तरदायित्व निर्धारण का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 264 पर)

गोमती नगर दो लखनऊ की टाइप फोर के क्वार्टर के निर्माण हेतु रखी सरिया की चोरी

132-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि गोमती नगर-2 लखनऊ की

टाइप-4 के क्वार्टर निर्माण हेतु 96 बन्डल सरिया निदेशक बेसिक शिक्षा के कैम्प आफिस की साइड पर लगभग एक वर्ष से रखी थी ? यदि हां, तो 25 जनवरी, 91 की रात को प्राइवेट ट्रक से 66 बन्डल सरिया राजकीय पालिटेक्निक साइट पर एवं 30 बन्डल श्री दयाराम मेट ने बाजार में बेंच दिया यदि नहीं, तो कितनी सरिया उक्त निर्माण के लिये कब आयी और कहां-कहां पर कितनी-कितनी मात्रा में खर्च की गयी ? संबंधित सरिया प्राइवेट ट्रक से ढुलवाने का क्या कारण था ? क्या इस पूरे प्रकरण की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

निदेशक बेसिक शिक्षा के अधीन डाइट (मुख्य भवन एवं छात्रावास) एवं शिविर कार्यालय के निर्माण में स्वीकृत आगणन के अनुसार निर्माण सामग्रियों के खपत में अनियमितता की शिकायत

133-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, बेसिक शिक्षा के अधीन डाइट (मुख्य भवन एवं छात्रावास) एवं शिविर कार्यालय का निर्माण वि0नि0ई0 (भवन) नं0-2 लखनऊ से हुआ और उसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया ? यदि हां, तो स्वीकृत आगणन के अनुसार सीमेंट, स्टील कितनी दर्शायी गयी और वास्तविक खपत क्या है तथा विभिन्नता के कारण कितना अधिक खर्च हुआ ? क्या भवन में स्टील आलमारी के पल्लों की आपूर्ति 20 गेज दिखाकर 22 एवं 24 गेज के लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच सी0 टी0ई0 से करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

स्वीकृत आगणन में सीमेंट तथा स्टील की क्रमश 248.70 एवं 27.10 मी0टन थी जिसके विपरीत वास्वविक खपत क्रमश 275.90 एवं 26.402 मी0टन हुई । इस प्रकार सीमेन्ट स्वीकृत आगणन से 27.20 मी0 टन अधिक तथा स्टील 0.70 मी0 टन कम खर्च हुई ।

जी नहीं । 20 गेज की चादर का ही प्रयोग किया गया है ।

स्टील के पल्लो में 20 गेज की ही चादर लगाये जाने के कारण मुख्य प्राविधिक परीक्षक से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन की कतिपय सड़कों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

134-श्री श्रीराम-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन के कस्बा कदौरा से ग्राम-इकौना तक लोक निर्माण विभाग से पक्की सड़क बनाया जाना स्वीकृत है ? यदि

हां, तो क्या कस्बा इदौरा से ग्राम इकौना तक सड़क बनायी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ग्राम इकौना के वन विभाग क्षेत्र में स्थित होने से सड़क का निर्माण अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या शासन वन विभाग से सड़क निर्माण की अनुज्ञा प्रदान करवाकर सड़क का निर्माण पूर्ण कराये यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद जालौन के कस्बा कदौरा से ग्राम इकौना तक मार्ग की कुल लम्बाई 14.5 कि0मी0 है । वर्तमान में इस मार्ग के प्रथम 8 कि0मी0 का भाग डाकुग्रस्त क्षेत्रों की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिसके प्रथम दो कि0मी0 लेपन स्तर तक निर्मित हो चुके हैं । तीसरा कि0मी0 खड़ंजा स्तर तक निर्मित है। चौथे कि0मी0 का निर्माण कार्य वन भूमि में स्थित होने के कारण अवरुद्ध है, जिसके लिये भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं । इसके आगे ग्राम इकौना को जोड़ने के लिये 2.50 कि0मी0 मार्ग का निर्माण किसी योजना में स्वीकृत नहीं है । इसका निर्माण स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

कोष्ठा, कोष्ठी (देवांगन) जाति को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किये जाने की मांग

135-श्री श्रीराम-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0प्र0 में निवास करने वाली कोष्ठा, कोष्ठी (देवांगन) कोष्ठा जाति को निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0प्र0 मानिटरिंग शोध सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्र, लखनऊ द्वारा पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव पास कर दिया है ? यदि नहीं, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के अध्याय-10 में प्रस्तावित तथा शासन द्वारा मान्य संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अन्तर्गत सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की जातियों/वर्ग/समुदाय के सूची के क्रमांक 25 पर वर्णित उक्त जाति को पिछड़ी जातियो की सूची में पंजीकृत करके आरक्षण का लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

यह प्रस्ताव वर्ष 1980 में शासन को प्राप्त हुआ था । प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सर्वे प्रक्रिया (पंचशाला) बन्दोबस्त के अन्तर्गत बलिया में आने वाले बलिया के कतिपय गांवों का विवरण

136-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ अन्तर्गत कुल

कितने ग्राम सर्वे प्रक्रिया (पंचसाला) बन्दोबस्त के अन्तर्गत बलिया मे है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्रामों के समस्त अभिलेख कितने वर्षों से बलिया जनपद मे पड़े हुए हैं ? क्या जनपद के सभी ग्रामों के अभिलेख सर्वे प्रक्रिया (पंचशाला) बन्दोबस्त से जल्दी पूर्ण कराकर सर्वे प्रक्रिया से उन्हें बाहर कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद मऊ के कुल 19 ग्राम सर्वे, प्रक्रिया (पंचशाला) बन्दोबस्त के अन्तर्गत सर्वेक्षण इकाई बलिया में सन् 1982-83 से भेजे गये हैं । उक्त ग्रामों के अभिलेखों की तैयारी दोहरी घाट जनपद मऊ स्थित कार्यालय में कराने के पश्चात् 16 ग्रामों के अन्तिम अभिलेखों की एक-एक प्रतियां तहसील व राजस्व अभिलेखागार में जमा हो गये हैं, अवशेष 3 ग्रामों के अन्तिम अभिलेख मार्च, 1992 के अन्त तक जमा कराने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

परगना निघासन, जिला खीरी लखीमपुर के कतिपय गावों के कतिपय लोगों का चकबन्दी एवं पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधी पत्रों के साथ प्रश्नकर्ता के पत्रों पर हुई कार्यवाही की जानकारी

137-श्री निवेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1536/91 कुन्दन पुत्र नत्थू निबुआ बोझ प0 तहसील निघासन की पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हा, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यो ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हा ।

प्रार्थना पत्र की जाच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि भूमि दोहरे खातो में दर्ज है । इस विषय मे वाद चकबन्दी अधिकारी के न्यायालय मे विचाराधीन है, जिसके निस्तारण के उपरान्त पट्टेदारों को नये चक दिये जायेंगे । शेष का प्रश्न नही उठता ।

138-श्री निवेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1537/91 हरी पुत्र श्री बल्ली सेमरी पर0 व तहसील खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगना अधिकारी निघासन खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांच की गयी हरी पुत्र बल्ली को कब्जा दिला दिया गया है । कब्जा संबंधी अब कोई विवाद नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

139-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1538/91 परसादी पुत्र देवीदीन ग्राम लागदहा परगना पालिया तहसील निघासन खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगना अधिकारी निघासन खीरी को 1-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

जांचोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि पट्टेदार परसादी पुत्र देवीदीन की पट्टे की भूमि पर अनाधिकार कब्जा है । काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सुल्तानपुर तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ में सार्वजनिक मार्ग (चकरोड) का न्यायालय में विचाराधीन मामला

140-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-सुल्तानपुर तहसील- मलिहाबाद जनपद लखनऊ में सार्वजनिक मार्ग (चकरोड) दक्षिण से निकल कर पूर्व की ओर मुडने वाले मार्ग पर श्री गजराज पुत्र श्री राम चरन द्वारा अवैध कब्जा तथा मजरा राजपुर मे चकबन्दी में खलिहान हेतु छोडी गयी जमीन पर महादेव पुत्र श्री राम सरन द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत वहां के प्रधान श्री दया राम एवं ग्राम वासियों द्वारा दिनांक 26-8-91 एव सितम्बर, माह के प्रथम सप्ताह में तहसीलदार-मलिहाबाद को लिखित रूप से करने के बाद भी अवैध कब्जा अभी बरकरार है ? यदि हां, तो इसमे कौन-कौन दोषी है ? इन अवैध कब्जो को कब तक समाप्त कर दिया जायेगा?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि प्रश्नगत चकमार्ग पर किसी का कब्जा नहीं है । खलिहान के लिये छोड़ी गयी भूमि खसरा संख्या-319 क्षेत्रफल 14 बिस्वा 8 बिस्वासी पर महादेव पुत्र राम रतन का अवैध कब्जा पाया गया जिसके विरुद्ध उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम-115 डी के अन्तर्गत वाद तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है ।

कार्यवाही में विलम्ब के लिये सम्बन्धित भूलेख निरीक्षक तथा लेखपाल को कठोर चेतावनी दे दी गयी है । मामला न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है ।

लोक निर्माण विभाग में रोजगार के दृष्टि से डी0सी0यू0 पैटर्न पर भवन निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

141-श्री राम शरण-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिक श्रमिकों को रोजगार देने के लिये विभाग हैं ? डी0सी0यू0 पैटर्न पर भवन/मार्ग के कार्य कराये जाते हैं ?

यदि हां, तो जनपद लखनऊ में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत भवन कार्य ठेकेदारों से (सरिया, सीमेंट आदि के साथ) कराये जाने का क्या औचित्य है ? क्या इस प्रथा को समाप्त कर गरीबों/हरिजनों को रोजगार देने के लिये पूरे प्रदेश में डी0सी0यू0 पैटर्न पर विश्व बैंक से कार्य कराने के आदेश सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां ।

विश्व बैंक के साथ हुए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य कराया जा रहा है ।

जी नहीं, विश्व बैंक के साथ हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्थानीय प्रतियोगात्मक निविदा पद्धति से कार्य कराया जाना अनिवार्य है, इसलिये इन कार्यों को विभागीय निर्माण इकाई पद्धति पर नहीं कराया जा सकता ।

ग्राम महगापुर नरगना पलिया, तहसील निघासन जिला खीरी में जोखन पुत्र श्री राम सुमेर को भूमि के पट्टे पर कब्जा दिलाने संबंधी मामलों में कार्यवाही

142-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1539/91 जोखन पुत्र श्री राम सुमेर ग्राम महगापुर, परगना पलिया, तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन खीरी का 12-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

143-श्री प्रमोद कुमार (पीलीभीत), श्री राम सेवक सिंह तथा श्री लाखन सिंह-

(4 थे मंगल में अता0प्र0स0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कुन्ना बेवा स्व0 श्री गंगा निवासी बल्देवपुरवा रगना तहसील निघासन, जिला खीरी के पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2-12-91 पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

144-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1540/91 कुन्ना बेवा गंगा नि0ग्रा0 बलदेव पुरवा परगना तहसील निघासन खीरी की पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक परगनाधिकारी निघासन खीरी को दिनांक 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

मामले की जांच की गयी । कुन्ना बेवा गंगा को पट्टे की भूमि पर कब्जा

कराया जा चुका है । इस समय उसके द्वारा गेहूं की फसल बोई गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय निर्माण इकाई (भवन) नं0-2 लखनऊ के भण्डारण के सत्यापन का विवरण

145-श्री राम शरण-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विभागीय निर्माण इकाई (भवन) नं0-2 लखनऊ के भण्डार में जमा सामग्री का अर्द्धवार्षिक सत्यापन वर्ष/91 में 8 बेलदारों द्वारा 5 दिन में कराया गया है ? यदि हां, तो पिछले अर्द्धवार्षिक बन्दियों के समय उतनी ही मात्रा के सत्यापन मे 15 बेलदार 15 दिन तक क्यों लगाये गये थे ?क्या इस प्रकार प्रत्येक अर्द्धवार्षिक बन्दियों के हिसाब से लगभग रु0 4,725 की दर से पिछले 10 वर्षों से अधिक धन का फर्जी भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं तो भण्डार का सत्यापन कितनी-कितनी सामग्री के साथ कब-कब बेलदारों के भुगतान में भिन्नता रही है ? क्या बेलदारो को किये गये भुगतान का सही सत्यापन अधीक्षक अभियन्ता द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधिक भुगतान के लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है तथा शासन की क्षतिपूर्ति हेतु वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

विभागीय निर्माण इकाई (भवन) नं0-2, लखनऊ के भण्डार में जमा सामग्री के अर्द्धवार्षिक सत्यापन हेतु 15 बेलदार 15 दिन तक लगाये गये ।

उपलब्ध सामग्री के सत्यापन हेतु 15 बेलदार 15 दिन तक लगाया जाना आवश्यक था ।

जी नहीं ।

गत् वर्षों में भण्डार के सत्यापन में लगाये गये बेलदारों के भुगतान में कोई भिन्नता नहीं रही ।

नियमानुसार आवश्यक नहीं था ।

अधिक भुगतान नहीं हुआ है, अतः किसी के दोषी होने तथा वसूली का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची तथा स्थायीकरण

146-श्री राम शरण-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 4 थे सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री ने उत्तर में बताया था कि उक्त पत्र मे आशुलिपिकों के स्थायीकरण, पदोन्नति, वेतनमान तथा तैनाती के संबंध में उठाये गये बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उक्त बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की है और वेतनमान, स्थायीकरण पदोन्नति तथा तैनाती के क्या-क्या नियम शासन स्तर पर कब-कब जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक जारी करा दिये जायेंगे ?

डा0 सरजीत सिह डंग-
जी हां ।

वृत्तीय संवर्ग में 36 आशुलिपिकों एवं खण्डीय संवर्ग में 178 आशुलिपिकों का स्थायीकरण किया जा चुका है । इनकी पदोन्नति के संबंध में अनन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गयी है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1965 के प्राविधानों के अन्तर्गत आशुलिपिको के बारे में कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) के आवास और कार्यालय के टेलीफोन पर व्यय धनराशि का विवरण

147-श्री राम शरण-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एम0एल0मित्तल, मुख्य अभियन्ता (म0क्षे0) के आवास एवं कार्यालय में जो टेलीफोन लगाये गये हैं उन पर वर्ष 88 से 9/91 तक कितनी-कितनी धनराशि के बिल किस-किस अवधि के भुगतान किये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि माह अगस्त/सितम्बर, 1991 में आवास के टेलीफोन पर लगभग रुपये 20 हजार का खर्च आया है ? यदि हां, तो सरकारी खजाने से उक्त पेमेंट करने का क्या आधार था? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मुख्य अभियन्ता के पद पर श्री मित्तल जून, 1990 से तैनात है। श्री मित्तल के आवास एवं कार्यालय के टेलीफोन पर हुए व्यय का विवरण संलग्न है।

माह अगस्त व सितम्बर, 1991 के लिये श्री मित्तल के आवासीय फोन पर रुपये 8046/- का सरकारी व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में इस टेलीफोन के व्यक्तिगत प्रयोग पर श्री मित्तल ने निजी रूप से रुपये 7506 का भुगतान किया ।

सरकारी खजाने से सरकारी कार्य के लिये नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

चूंकि निजी उपयोग के लिये संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं भुगतान किया गया है, इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 265-268 पर)

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता एस0एस0तिवारी, ए0क्यू0खान, सी0पी0 अग्रवाल, एस0एन0मित्तल, एस0के0 गुप्ता, ओ0पी0त्रिपाठी, आर0 आर0 चौधरी बीरभद्र सिंह की चल एवं अचल सम्पत्ति के विवरण की जांच

148-श्री राम शरण-

क्या लोक निर्माण मत्री कृपया बतायेगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या-40 के उत्तर के अनुसार जो सम्पत्ति का विवरण सलग्न किया गया है, उसमे श्री एम0एल0 मित्तल, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत चल/अचल सम्पत्ति के विवरण की सत्यता की विस्तृत जाच शासन स्तर पर की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या चल/अचल सम्पत्ति के विवरण की जांच संबधित जिलाधिकारी/राजस्व विभाग से करा कर वास्तविक मुल्याकन कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री मित्तल ने अपने परिवार के नाम की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विवरण कब तक दिया जायेगा ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं ।

श्री मित्तल द्वारा सूचित किये गये चल/अचल सम्पत्ति के विवरण के असत्य होने की कोई सूचना नहीं है, जिसके कारण प्राप्त विवरण की सत्यता की जांच आवश्यक हो ।

जी नहीं ।

जब तक अन्यथा तथ्य प्रकाश में न आयें इस प्रकार का मुल्यांकन कराना अपेक्षित नहीं है ।

जी हां । श्री मित्तल से प्राप्त सम्पत्ति विवरण में उनके परिवार के उन सभी सदस्यों का विवरण भी सम्मिलित है, जो उन पर आश्रित है ।

प्रश्न नही उठता ।

खाद्य एवं रसद मंत्री के स्टाफ द्वारा पेट्रोल पम्प मालिकों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत की जांच

149-श्री राम शरण-

क्या खाद्य एव रसद मंत्री बताने की कृपा करेगे कि लखनऊ पेट्रोल डीलर्स एसोशियेशन के आवाहन पर दिनाक 4-9-91 को लखनऊ के समस्त पेट्रोल पम्प बन्द रहे थे ? यदि हा, तो पेट्रोल पम्प बन्द होने के क्या कारण थे ? क्या खाद्य एव रसद मंत्री के स्टाफ ने पेट्रोल पम्प मालिक आदि के साथ अभद्रता का व्यवहार किया था ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि इसके अतिरिक्त अन्य और कितने पेट्रोल पम्पों पर छापे मारे गये और अनियमितता पाये जाने पर लाइसेंस निरस्त करने, जुर्माना अन्यथा मुकदमा चलाने आदि की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी-

जी हां ।

दिनांक 3-9-91 को लखनऊ के कतिपय पेट्रोल पम्पों की जांच की गयी थी जिसमें अनियमिततायें पाये जाने के कारण संबंधित फर्मों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी इस कार्यवाही के विरोध में दिनांक 4-9-91 को लखनऊ के पेट्रोल पम्प बन्द रहे ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखनऊ में 1-4-91 से 31-1-1992 तक 61 पेट्रोल/डीजल पम्पों पर 548 छापे मारे गये । इनमें से 23 पम्पों पर अनियमिततायें पायी गयीं जिसमें 18 पम्पों के मालिकों से समझौता शुल्क के रूप में रुपया 44,800 प्राप्त किया गया ।

4 के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कराया गया । एक मामला विभागीय कार्यवाही हेतु विचाराधीन है ।

विभागीय निर्माण इकाई (भवन) नं0-2 लखनऊ के अधीन हुए सम्पूर्ण कार्य (1988 से मार्च 1991 तक) का विवरण एवं व्यय का विवरण शासन को भेजे जाने की मांग

150-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0मि0ई0 (भवन) नं0-2 लखनऊ के अधीन वर्ष 88 से मार्च 1991 तक जो कार्य समाप्त हो चुके हैं उनके सभी एम0ए0एस0 समायोजित हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा दी जा चुकी है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 88 से मार्च 91 तक कितनी टी0एण्ड पी0 किस मूल्य पर खरीदी गयी ? क्या अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इसकी खरीद की है ? यदि हां, तो क्यों ? उसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

एक को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के एम0ए0एस0 समायोजित हो चुके हैं । कार्यों के पूर्ण होने की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा दी जा चुकी है। अवर अभियन्ताओं की हड़ताल के कारण एक कार्य का एम0ए0एस0 समायोजित नहीं हो सका है ।

विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

वर्णित स्थिति में किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ - 269 पर)

विभागीय निर्माण इकाई (भवन) नं0-2 लखनऊ से संबंधित कार्यालय एवं आवासीय टेलीफोन बिलों का भुगतान

151-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0नि0इ0 भवन नं0-2, लखनऊ में कार्यालय/आवासीय कितने टेलीफोन हैं तथा उस पर कितना व्यय वार्षिक किया जाता है ? क्या कार्यालय में टेलीफोन न होने की दशा में भी उसका भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

कार्यालय में कोई टेलीफोन नहीं है । कार्य अधीक्षक के आवास पर एक टेलीफोन संख्या 256188 लगा है जिस पर वर्ष 1990-91 में रु0 7697-00 तथा वर्ष 1991-92 में जनवरी, 1992 तक रु0 2276-00 व्यय हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती प्रीती साइमन, आशुलिपिक को उच्च वेतनमान दिये जाने का औचित्य

152-श्री यदुनाथ सिह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती प्रीती साइमन आशुलिपिक की नियुक्ति आई0पी0सी0 के अधीन वर्ष 1979 में वेतनमान रु0 250-425 मे की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि लोक निर्माण विभाग की लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली 1965 के अतर्गत परिशिष्ट (च) के अनुसार परीक्षा कब ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और विभाग में वेतनमान 570-1100 मे प्रत्यावर्तित करने का क्या औचित्य था ? इनकी वरिष्ठता विभाग के किन आशुलिपिकों के साथ की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

श्रीमती प्रीती साइमन आशुलिपिक की आई0पी0सी0 में नियुक्ति वर्ष 1978 में वेतनमान रु0 300-500 में की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उक्त नियमावली आई0पी0सी0 के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती थी ।

इनको किसी भी वेतनमान में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है ।

इनकी वरिष्ठता प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय आशुलिपिकों के संवर्ग के वर्ष 1991 में निर्धारित कर दी गयी है ।

लोक निर्माण विभाग फैजाबाद में राष्ट्रीय मार्ग 28 पर कि0मी0 25 पर एजिंग के कार्य हेतु मिट्टी ढुलाई का विवरण

153-श्री यदुनाथ सिह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ फैजाबाद रा0 मा0 0-28 के कि0 मी0 25 में एजिंग के कार्य हेतु मिट्टी की ढुलाई की गयी थी ? यदि हां, तो आगणन में क्या प्राविधान था ? कितनी क्यूबिक मीटर मिट्टी की ढुलाई कितनी-कितनी दूरी से की गयी ? क्या मिट्टी नजदीक उपलब्ध नहीं थी ? मिट्टी ढुलाई की दरें क्या-क्या थीं और कितना-कितना भुगतान किया गया ? क्या सरकार को इस कार्य पर लगभग 3 लाख की हानि हुई है ? यदि नहीं, तो कितनी हानि हुई और क्या इसकी जांच सतर्कता विभाग से कराई जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नही । रा0मा0-28 लखनऊ फैजाबाद मार्ग पर कि0मी0-25 में एजिंग के कार्य हेतु मिट्टी की ढुलाई का कोई कार्य नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

अनुसूचित जाति जनजाति एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड में गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ देने की शिकायत

154-श्री गया चरन दिनकर-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निर्बल वर्ग के आवास निगम लि0 में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा निर्णय लेकर सितम्बर/अक्टूबर,1990 में सभी वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रोन्नति आदेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रोन्नति आदेश जारी न करने के क्या कारण हैं ? क्या माह दिसम्बर, 1990 में कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों तथा प्रशासन के बीच वार्ता के दौरान हुए लिखित समझौते के बिन्दु संख्या-3 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रोन्नति आदेश दिनांक 10 जनवरी, 1991 तक जारी करने का समझौता हुआ था ? यदि हां, तो लिखित समझौता के मुताबिक, प्रोन्नति आदेश जारी न करने के क्या कारण थे ? क्या उक्त कर्मचारियों के प्रोन्नति आदेश दिनांक 10 जनवरी, 1991 से जारी करने की कृपा करेंगे तथा इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

निगम में रिक्त पदों को विभागीय प्रोन्नति से भरने के लिये गठित प्रोन्नति समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के अनुसार समूह 'क' 'ख' 'ग' के अधिकारियों/

कर्मचारियों के प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश सितम्बर/नवम्बर, 1990 में जारी किये गये ।

शासन के प्रतिबन्ध के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये ।

जी हां ।

शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण प्रोन्नति आदेश नहीं किये जा सके ।

प्रोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला वाराणसी के स्थान मतसार से गांव गैरहा तक जाने वाले मार्ग पर गिट्टी की कटाई कराकर पेंटिंग कराने की मांग

155-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान मतसार से गांव गैरहा तक जाने वाला मतसार गैरहा मार्ग ब्लाक सेवापुरी जिला वाराणसी को गिट्टी की कुटाई नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग की जांच कराकर गिट्टी की कुटाई कराकर पेंटिंग करायेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 17.250 कि0मी0 है जिसमें 2.805 कि0मी0 मिट्टी स्तर तक स्वीकृत है, 4.500 कि0मी0 लेपित हो चुका है, 8.600 कि0मी0 खड़ंजा स्तर तक बना है, 0.825 कि0मी0 में गिट्टी की कुटाई की जा चुकी है एवं 0.520 कि0मी0 लम्बाई में भूमि विवाद के कारण गिट्टी की कुटाई का कार्य नहीं कराया जा सका है ।

जांच की आवश्यकता नहीं है । मार्ग को लेपित किया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन और स्वीकृत तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

ग्रामसभा घोघली ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी के खलिहान के लिये चकबन्दी में छोड़ी गयी जमीन पर स्कूल की स्थापना का औचित्य

156-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा घोघली ब्लाक पिंडरा वाराणसी में खलिहान के लिये चकबन्दी में छोड़ी गयी जमीन पर वे0प्रा0पा0 का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रश्न की जांच करायेगी कि चकबन्दी के सन्दर्भ में खलिहान के लिये छोड़ी गयी भूमि की नवैयत बिना बदले स्कूल का निर्माण कैसे और क्यों कराया जा रहा है ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

चकबन्दी में खलिहान हेतु आरक्षित भूमि गड्ढे की भूमि थी । प्रधान, ग्राम सभा घोघली ने बिना परगनाधिकारी की अनुमति के खलिहान की भूमि पर बेसिक प्रा0 पाठाशाला का निर्माण करा लिया है संबंधित लेखपाल ने भी अवैध निर्माण के संबंध में सूचना बिलम्ब से दी, जाच में दोषी पाये गये ग्राम प्रधान एवं लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

157-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद बांदा से तिंदवारी में बबेरू मार्ग पर कतिपय नालों पर पुल बनाये जाने की मांग

158-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद बांदा में तिंदवारी से बबेरू मार्ग पर गडरा नाले पर व टाला नाले पर पुल का निर्माण कब तक कराया जायेगा यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्ष 1992-93 में उक्त पुलों का सर्वेक्षण कराकर कार्य चालू कराया जायेगा, जिससे दो तहसीलों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग से यातायात का समुचित साधन जनता को उपलब्ध हो सके ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

पुल की स्वीकृति दिये जाने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

सीमित संसाधनो के कारण वर्तमान में अपूर्ण सेतुओ के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है ।

जी नही ।

जनपद रामपुर की स्वार टांडा तहसील से टांडा को अलग करके तहसील बनाये जाने की मांग

159-श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेगे कि पूर्व सरकार द्वारा जनपद रामपुर की एक तहसील स्वार टांडा को पृथक करके टांडा को भी तहसील बना दिया गया था ? क्या वर्तमान सरकार जनहित के इस निर्णय को बदल रही है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो कब तक इसे तहसील बना दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मऊ में इब्राहिम पट्टी से नेमडांड की सड़क की पटरी तथा शेष सड़क के निर्माण कार्य पूरा करने की मांग

160-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-7-91 जो कि इब्राहिम पट्टी से नेमडांड जनपद मऊ के सड़क की पटरी तथा बची हुई 500 मीटर सड़क के निर्माण के संबंध में था, अधीक्षण अभियन्ता, 15वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सड़क की पटरी का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं ।

प्रश्नगत सड़क पहले से जितनी चौड़ी इम्बैकमेंट में बनी है, उतने में पटरी पूर्ण है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र नत्थूपुर के अन्तर्गत मर्यादपुर से गजियापुर की सड़क का निर्माण

161-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

दसवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0सं0 36 के उत्तर के संदर्भ मे क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित पुल मर्यादपुर से गाजियापुर के बीच हाहा नाला पर बनना 86-87 से प्रस्तावित था ? यदि हा, तो क्या स्थल परीक्षण के बाद उसे 25 मीटर के बजाय 50 मीटर लम्बा बनाना प्रस्तावित हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का प्राक्कलन शासन को प्राप्त होने पर शासन की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण जनहित में विभाग द्वारा कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिह डंग-

जी हां । शासनादेश दिनांक 5-12-86 द्वारा रु0 10 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ?

जी हां, पुनरीक्षित आगणन 50 मीटर स्पान के सेतु हेतु प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं । संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण दीर्घ हेतु निर्माण की स्वीकृति संप्रति सम्भव नहीं है ।

ग्राम गुलरा भगवन्तनगर, तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी में पट्टे के भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधी श्री कठिले पुत्र श्री छेदा के पत्र पर कार्यवाही

162-श्री निवेन्द्र कुमार -

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1541/91,

कठिले पुत्र छेदा ग्राम गुलरा भगवन्तनगर तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी की पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के विषय में परगनाधिकारी निघासन को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

मामले की जांच करायी गयी । जाच से यह विदित हुआ कि ग्राम चकबन्दी क्रियाओ के अन्तर्गत है । कठिले पुत्र छेदा का भूमिधरी का चक है । अत वह सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर सकता है । शेष का प्रश्न नही उठता ।

तहसील निघासन जनपद खीरी के कतिपय गांवों में कतिपय लोगों को पट्टे की भूमि पर दिलाये गये पट्टे

163-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1581/91 लक्षमण नि0 ग्रा0 दौलतपुर तहसील निघासन, जनपद खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

श्री लक्ष्मण को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है तथा अग्निकाड की जी0आर0 धनराशि रु0 250/- दिनांक 12-6-89 को दी जा चुकी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

164-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1582/91 अयोध्या प्रसाद नि0ग्रा0 मुन्नालाल पुरवा तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन खीरी को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां । प्रश्नगत पत्र परगनाधिकारी निघासन को दिनांक 17-10-91 को प्राप्त कराया गया ।

जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री अयोध्या प्रसाद पुत्र बल्देव प्रसाद निवासी मुन्ना लाल पुरवा मजरा बेरिया के नाम 6.82 एकड़ भूमि सक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है । श्री अयोध्या प्रसाद हदबरारी नियमानुसार करवाकर बेदखली का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

165-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मत्री बताने की कृपा करेंगे प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1584/91

राजाराम नि0ग्रा0 भगवतनगर तहसील निघासन खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन जनपद लखीमपुर खीरी को दिनांक 14-10-91 प्राप्त कराया गया? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

प्रार्थना पत्र की जांच से यह तथ्य सामने आया कि राजाराम पुत्र सोहन लाल आदि की भूमि बतौर असक्रमणीय भूमिधर पट्टे की है । चकबन्दी प्रक्रिया में सदर्भ तैयार किये जा रहे है । संदर्भ निस्तारण के उपरान्त प्रार्थीगणों को कब्जा दिया जायेगा । शेष का प्रश्न नही उठता ।

166-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मत्री बताने की कृपा करेगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1665/91 मगेर नि0ग्रा0 मगैया चार तहसील निघासन जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन खीरी को दिनांक 14-10-91 को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने के विषय में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

मामले की जांच की गयी । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मगरे पुत्र बल्दी नाम का व्यक्ति भगैया चाट मजरा मूड़ा बुजुर्ग में नहीं रहता है । मगरे पुत्र जियन नाम का व्यक्ति ग्राम भगैया चाट में रहता है जिसे पट्टे की भूमि पर पैमाइस करके कब्जा दिला दिया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला जालौन मुख्यालय उरई में जिलाधिकारी आवास से सम्बद्ध बारह एकड़ कृषि भूमि का कथित रूप से दुरुपयोग

167-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन के मुख्यालय उरई स्थित जिलाधिकारी आवास से सम्बद्ध लगभग 12 एकड़ कृषि भूमि है ? यदि हां, तो क्या यह भूमि राज्य सरकार के अधीन है तथा उस पर कृषि विभाग द्वारा कृषि कार्य कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि जनपद जालौन में जो भी जिलाधिकारी तैनात होता है वह उक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करके उसमे पैदा होने वाली फसल स्वय रख लेता है ? यदि हा, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त भूमि कृषि विभाग के अधीन करके उसमें पैदा होने वाली फसल से प्राप्त आय सरकार के कोष मे जमा करायेगी ? यदि हां, ता कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जिलाधिकारी जालौन के आवास से सम्बद्ध कृषि योग्य भूमि लगभग 8 एकड है। शासन द्वारा 15-54 एकड़ भूमि अधिगृहीत करके जिलाधिकारी आवास के

निर्माण हेतु राजा चित्तर सिंह जूदेव को पट्टे पर दी गयी थी । पट्टे की शर्तो के अनुसार यह भूमि जिलाधिकारी को किराये पर उपलब्ध करायी गयी ।

जिलाधिकारी आवास से सम्बद्ध कृषि योग्य भूमि पर कृषि विभाग द्वारा कृषि कार्य नहीं कराया जाता है । मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स उत्तर प्रदेश वर्ष 1981 के प्रस्तर-252 (पृष्ठ-127) के अनुसार अधिकारी के आवास से सम्बद्ध कृषि योग्य भूमि पर अधिक अन्न उपजाने तथा भूमि का पूर्ण उपयोग करने के लिये अधिकारी द्वारा स्वयं के खर्चे पर कृषि कार्य अनुमन्य है ।

जनपद जालौन में तैनात जिलाधिकारी इसी प्राविधान के अन्तर्गत आवास से सम्बद्ध भूमि पर कृषि कार्य कराते हैं । इस प्रकार उक्त भूमि पर जिलाधिकारी जालौन का अनधिकृत कब्जा होना कहना सत्य नहीं है ।

जनपद जालौन के नगर कालपी में सरकारी राशन की दुकानों द्वारा वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी किये जाने की शिकायत

168-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के नगर कालपी में सरकारी खाद्यान्न की कितनी दुकाने हैं ? क्या नगर कालपी में माह जून 1991 से माह नवम्बर, तक लोगों को सरकारी खाद्यान्न की दुकानें खोलने के लिये परमिट दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस को ? क्या यह सच है कि उक्त समय के अन्दर एक माह की शक्कर व गेंहू कालपी के लोगों को अब तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राशन कार्डो की जांच नगर कालपी में भी करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या राशन कार्डो की जांच में फर्जी राशन कार्ड निरस्त करने के बावजूद अब प्रत्येक दुकानदार के पहले की अपेक्षा ज्यादा यूनिटों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या कालपी के खाद्यान्न विक्रेता दुकानदारों ने जांचकर्ता कर्मचारियों से मिलकर फर्जी राशन कार्डो को बचा लिया है ? यदि हां, तो क्या राशन कार्डों की पुनः जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिज़वी-

जनपद जालौन के नगर कालपी में 16 उचित दर की दुकानें हैं जिनमें से एक दुकान निलम्बित है ।

जी नहीं, परमिट दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं परन्तु एक दुकान की नियुक्ति विक्रेता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण शासनादेश के अनुरूप उसकी विधवा मां सत्यवती देवी को दी गयी है ।

उक्त अवधि माह जुलाई, 91 में चीनी मिलों द्वारा जुलाई के अन्त में चीनी उपलब्ध कराये जाने के कारण अन्त माह जुलाई की चीनी का वितरण अगस्त माह की चीनी के साथ व्यापक प्रचार प्रसार कराकर दिया गया है । गेहूं का वितरण कराया गया है ।

जी हां, नगर कालपी में भी राशन कार्डों की जांच कराई गई और जांच में फर्जी पाये गये राशन कार्डों को निरस्त किया गया । वर्तमान में केवल सत्यापित यूनिटों पर उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है । अतः पहले की अपेक्षा ज्यादा यूनिटों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । अतः पुनः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के कतिपय गांवों में धारा 52 जो0च0 के प्रकाशन की मांग

169-श्री सुखदेव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज के ग्राम क्रमशः हवेलपुर, डुभांव, मोकलपुर, नौरसिया, बकरेन चिरकिहिट चौकी, पकड़ी रत्ना का धारा 4 जो0च0 का प्रकाशन कब हुआ है ? क्या यह भी बतायेंगे कि इन गांवों का धारा 52 जो0 च0 का बन्दोबस्त बनकर प्रकाशन अब तक क्यों नहीं हुआ है ? यदि धारा 52 जो0 च0 का प्रकाशन होगा, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

ग्राम हैदतपुर डुभांव, मोकलपुर तथा पकड़ी कला का वर्ष 1965 में, नौरसिया का 1966 मे, चिरकिहिट का 1968 में तथा बकेश व चौकी का 1969 में जोत चकबन्दी अधिनियम धारा-4 का प्रकाशन हुआ था ।

अभिलेखो के जीर्ण शीर्ण दशा में होने , चक भूचित्र अपठनीय हो जाने और वादों की अधिकता के कारण अन्तिम अभिलेख अभी तैयार नहीं हो सके हैं ।

वर्ष 1993-94 तक अन्तिम अभिलेख पूर्ण कर धारा 52 के प्रकाशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

जनपद आजमगढ़ में विगत दस सालों से चकबन्दी के तहत धारा 52 जो0च0 के प्रकाशन का विवरण

170-श्री सुखदेव सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में विगत दस वर्षों से अब तक कितने ग्रामों की धारा 52 जो0 च0 के प्रकाशन कर दिया गया है ? क्या उन ग्रामों का बन्दोबस्त संबंधित तहसीलों में भेज दिया गया है ? यदि नहीं तो इसके लिये विभाग के कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जनपद आजमगढ़ में विगत दस वर्षों से अब तक कुल 712 ग्रामों में धारा 52 जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत गजट में प्रकाशन कर दिया गया है ।

696 ग्रामों का जिल्द बन्दोबस्त चकबन्दी संबंधित तहसीलों से भेज दिया गया है । शेष 16 ग्रामों की जिल्दें न भेजने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, बुन्देलखण्ड के पत्र द्वारा अवर अभियन्ता अस्थायी खंण्ड लोक निर्माण विभाग, झांसी से वसूली के आदेश

171-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या लोक निर्माण विभाग के बन्देलखण्ड के मुख्य अभियन्ता ने श्री वी0के0 दलेला तत्कालीन अवर अभियन्ता अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग झांसी को पत्र संख्या जी-78691/वी-6 ईए-व 06/90, दिनांक 3-10-91 के द्वारा और अधीक्षण अभियन्ता उन्नीसवां/पतीसवां वृत्त झांसी ने पत्र संख्या 7330/197-ए 10/90 दिनांक 26-5-90 के द्वारा अनियमिततायें बरतने व 22,770.20 रुपये की क्षति शासन को होने पर नोटिस दी गयी थी ? क्या उपरोक्त धनराशि की वसूली श्री दलेला से करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह वसूली की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

अधीक्षण अभियन्ता 19वां वृत्त, सा0नि0वि0, झांसी के पत्र संख्या 7338/19 ए-19/90 दिनांक 26-5-90 के द्वारा श्री बी0के0 दलेला को कतिपय अनियमितताओं के फलस्वरूप शासन को रुपये 22,777.20 की क्षति पहुचाये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी । श्री दलेला से प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त मुख्य अभियन्ता, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, ला0नि0वि0, झांसी के कार्यालय ज्ञाप संख्या 691/136ई0ए0-बु0क्षे0/90, दिनांक 3-10-91 द्वारा शासन को हुई क्षति के 70% भाग (रुपये 15,944.04) की वसूली श्री दलेला से करने के आदेश पारित किये गये थे ।

जी हां । उपर्युक्तानुसार ।

जी हां । श्री दलेला से माह जनवरी, 1992 तक के वेतन से चार मासिक किस्तों की वसूली (रुपये 2900/-) की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीक्षण अभियन्ता 19/35 सर्किल लोक निर्माण विभाग झांसी, के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी जांच की जानकारी

172-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या सरकार को ज्ञात है कि पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान, झांसी परिपेक्ष, झांसी द्वारा पत्र संख्या पत्रांक सं0अ0/अन-2-22/91, दिनांक 8 अप्रैल, 1991 का अधीक्षण अभियन्ता 19वां/35वां वृत्त लो0नि0वि0 झांसी को श्री घनश्याम दास गुप्ता तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता 19वां/35वां वृत्त, लो0नि0वि0 झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों की सूची व जांच से सम्बन्धित अभिलेखों को

उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उपरोक्तानुसार क्या जांच की गयी ? जांच आख्या क्या है ? क्या श्री घनश्याम दास गुप्ता दोषी पाये गये हैं ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

पुलिस अधीक्षक के प्रश्नगत पत्र द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, 19वां/35वां वृत्त लो0नि0वि0, झांसी को श्री धनश्याम दास गुप्ता तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता 19वां/35वां वृत्त, लो0नि0वि0 झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु कतिपय सूचनायें तथा उनसे सम्बन्धित अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था ।

जांच की कार्यवाही चल रही है।

जांच आख्या लोक निर्माण विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

लोक निर्माण विभाग बांदा के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध फर्जी अनुबन्ध बनाकर सरकारी धन का गबन तथा अनाधिकृत कार्य करने की अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

173-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग कर्वी (बांदा) के सहायक अभियन्ता को वर्ष 1990 व 1991 में कर्वी से दूसरे स्थान पर इस कारण स्थानान्तरण कर दिया गया था कि इन्होंने वर्ष 1989-91 में फर्जी अनुबन्ध बनाकर लगभग चालीस हजार रुपये टी0आई0 में बिना आपूर्ति के नान शेडयूल आइटम का अनुबन्ध अपने अधिकार क्षेत्रों से परे किया है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्न से संबंधित सहायक अभियन्ता के नाम का उल्लेख नहीं है । क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में श्री सत्येन्द्र शर्मा नामक एक सहायक अभियन्ता को जनहित में, न कि फर्जी अनुबन्ध बनाने के आधार पर स्थानान्तरित किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील निघासन, जिला खीरी लखीमपुर के कतिपय गांवों के कतिपय लोगों के भूमि कब्जा आदि के संबंध में परगनाधिकारी, निघासन के यहां विचाराधीन मामलों का विवरण

174-श्री निवेद्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1542/91, बच्चू पुत्र रेवती, ग्राम नौगवां बरारा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक परगनाधिकारी निघासन, खीरी को 2-12-91 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

उप संचालक, चकबन्दी द्वारा दिनांक 16-2-90 को सन्दर्भ निस्तारण के उपरान्त श्री बच्चू पुत्र रेवती, निवासी नौगवा को 2-53 एकड़ का चक प्रविष्ट किया गया। मौके पर पैमाइस की जा चुकी है परन्तु सरदार बलबीर सिंह ने अभी तक कब्जा नहीं छोड़ा है । प्रार्थी को कब्जा दिलाये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

175-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1543/91, रामकुमार पुत्र राम सहाय, नि0ग्रा0 पचपेड़ा मूड़ा बुजुर्ग, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी की पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने विषयक प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि राम कुमार आदि की भूमि पट्टे की न होकर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है । प्रार्थी सक्षम न्यायालय में कब्जेदार के विरुद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत कर सकता है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

176-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1647/91, हाफिज अली पुत्र कल्लू, नि0ग्रा0 तोलियार, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, खीरी को 16-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

प्रार्थना-पत्र की जांच करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री हाफिज अली पुत्र कल्लू को कोई भूमि आंवटित नहीं की गई है । अतः प्रार्थी को भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

177-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1649/91, श्री मासिन, ग्राम लुधौरी, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

178-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1650/91, श्री भगौती, नि0ग्रा0 लुधौरी, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन को दिनांक 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

मामले की जांच की गई । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम लुधौरी चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चल रहा है । भगौती आदि का सीलिंग पट्टों का परवाना चकबन्दी विभाग में अमलदरामद हेतु भेज दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति के छात्रों को अलग से कोचिंग क्लास लगाकर शिक्षा दिये जाने की मांग

179-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के नगर कालपी में स्थित एम0एस0वी0 इण्टर कालेज के कक्षा 10 व 12 विज्ञान विषय के छात्रों को शासन के वित्तीय अनुदान से कोचिंग क्लास लगाकर पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो किस वर्ष से तथा शासन ने अब तक कितनी धनराशि उक्त विद्यालय को प्रदान की ? क्या यह सच है कि उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किसी भी वर्ष अनुसूचित जाति के छात्रों को विद्यालय में पृथक से कोचिंग क्लास चलाने की व्यवस्था न करके मात्र कागजातों पर कोचिंग क्लास चलाना प्रदर्शित करके फर्जी तरीका अपना कर शासन की धनराशि का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की खुली जांच या पुलिस विभाग की गोपनीय शाखा द्वारा जांच कराकर समुचित कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

वर्ष 1989-90 से तथा शासन से अब तक रु0 17,161 की धनराशि प्रदान की गई है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिकन्दरपुर सिरौसी, जिला उन्नाव एवं परियोजना के स्टोर कीपर के विरुद्ध पुष्टाहार की चोर बाजारी का आरोप

180-श्री राम पाल सिंह सैनी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें बाल विकास परियोजना सिकन्दरपुर सिरौसी, जनपद उन्नाव के बाल विकास परियोजना अधिकारी व उनके अधीनस्थ स्टोर कीपर के विरुद्ध क्रय पुष्टाहार को खुले बाजार में बिकवाने विषयक नेता विरोधी दल, विधान सभा श्री रेवती रमण सिंह का शिकायती पत्र दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह वर्ष 91 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों अधि0/कर्म0 के विरुद्ध जांच कर स्थानान्तरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां ।

कथित शिकायती पत्र जिलाधिकारी उन्नाव को जांच हेतु भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम कुतुबपुर, तहसील भर्थना, जिला इटावा में आम रास्ता बन्द किये जाने की शिकायत पर कृत कार्यवाही

181-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम कुतुबपुर, तहसील व ब्लाक भर्थना, जिला इटावा में सार्वजनिक रास्ता (गली) को श्री रवीन्द्र सिंह के द्वारा अवैधानिक रूप से बन्द किये जाने की शिकायत ग्रामवासियों ने जुलाई, 1991 में जिला प्रशासन से की है ? यदि हां, तो आम रास्ता को साफ कराने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

आम रास्ता साफ करवा दिया गया है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम कुतुबपुर, तहसील भर्थना, जिला इटावा में चकबन्दी द्वारा छोड़ी गयी कतिपय भूमि पर अवैधानिक कब्जा की शिकायत

182-श्री राम औतार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कुतुबपुर, तहसील व ब्लाक भर्थना, जिला इटावा में चकबन्दी के दौरान निर्मित चकरोड, नाली एवं खाद के गड्ढों पर ग्रामीणों ने अवैधानिक कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा सार्वजनिक उपयोग की जमीन को मुक्त कराने की क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत वाद दायर किये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम धांवा, परगना/तहसील व जिला लखनऊ की ग्राम समाज की भूमि को राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैधानिक ढंग से बेचने की शिकायत

183-श्री राम औतार शाक्य-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा धांवा, परगना, तहसील की ग्राम समाज की भूमि संख्या 392 व 334 को ग्राम प्रधान, उप प्रधान, लेखपाल व तहसील के अधिकारियों/कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी खाता कायम करके बेच लिया है, जिसकी कीमत लगभग 54 लाख रुपया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त भूमि को अवैध कब्जेदारों से मुक्त करा कर ग्रामवासियों में बांटने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक भूमि आवंटित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई की सांडी नगर में गर्रा नदी के किनारे मोटर वोट गैरेज बनाने की मांग

184-श्री खालिद गौरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के सांडी नगर में गर्रा नदी के किनारे मोटर वोट गैरेज निर्माण हेतु अब से 12 वर्ष पहले शासन ने भूमि अधिग्रहीत की थी ? क्या शासन ने उस पर निर्माण भी कर लिया परन्तु विस्थापित श्री राहत खा को उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार अब विस्थापित को मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुरवा विधान सभा क्षेत्र उन्नाव में दासवां असावर मार्ग पर कुछ हिस्से में सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने की जांच टेक्निकल आडिट सेल से कराने की मांग

185-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के दासवां-असावर मार्ग के मौरावां रजबहा के पुल के बाद के हिस्से में ग्राम असावर तक पत्थरों की प्रथम कुटाई कब हुई थी ? क्या प्रश्नगत हिस्से में दुबारा कुटाई के लिए भी पत्थर डाले गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रथम कुटाई में पत्थर घटिया कोटि के और मानक से कम डाले गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता की जांच टेक्निकल आडिट सेल से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मौरावां रजबहा के पुल के बाद प्रथम कोट (40-90) एम0एम0गेज की कुटाई वर्ष 1990-91 में 2.20 कि0मी0 में तथा 500 मीटर लम्बाई में वर्ष 1991-92 में की गयी ।

जी हां ।

दूसरे कोटि के लिए 40-43 एम0एम0गेज पत्थर की कुटाई का प्राविधान स्वीकृत आगणन में है ।

मार्ग में कूटा गया पत्थर निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि कूटा गया पत्थर विशिष्टियों के अनुरूप है, अतः टेक्निकल आडिट सेल से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद उन्नाव के पुरवा-मिर्किला-सहरावां-बनी मार्ग के निर्माण अधूरा होने की शिकायत तथा पूरा करने की मांग

186-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा-मिर्किला-सहरावा-बनी मार्ग का कितना अंश लेपित है ? कितना मार्ग खडंजा स्तर तक निर्मित है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि खड़ंजा स्तर के मार्ग से पैदल/साइकिल/स्कूटर से निकलना कठिन हो रहा है और मार्ग की स्थिति अवरोधक जैसी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग को चलने योग्य बनाने की दिशा में क्या कार्यवाही करेगी ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

उन्नाव जिले का पुरवा-मिर्किला-सहरावा-बनी मार्ग 5.00 कि0मी0 लेपित एवं 16.30 कि0मी0 भाग ईंट/पत्थर के खड़ंजा स्तर तक निर्मित है ।

जी नहीं । मार्ग यातायात हेतु सुलभ है ।

अनुरक्षण मद के अंतर्गत सीमित संसाधनों से मार्ग का रख-रखाव किया गया है ।

ग्राम अल्लूनगर डिगुरिया, परगना/तहसील व जिला लखनऊ में चकबन्दी की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी कब्जा न मिलने की शिकायत

187-श्री सुन्दर लाल-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा अल्लूनगर डिगुरिया, परगना तहसील व जिला लखनऊ में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद चकों पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नेता विरोधी दल, विधान सभा के पत्र संख्या-30/ने0वि0द0/91, दिनांक 10-12-91 उन्हें तथा पत्र संख्या-29/ने0वि0द0/91

दिनांक 10-12-91 राजस्व सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संदर्भित मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हा ।

चकबन्दी की धारा 24 (1) के अन्तर्गत दिनांक 30-6-91 को ग्राम अल्लूनगर डिगुरिया के चकों पर कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही की गयी, जिसके अनुसार ग्राम कृषकों ने नये चकों पर कब्जा कर लिया । तदुपरान्त माह जुलाई, 1991 में रिट याचिका श्री अमीर अहमद खां गोरी ने माननीय उच्च न्यायालय में ग्राम में कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही के विरुद्ध एवं ग्राम को चकबदी क्रियाओं से पृथक करने हेतु प्रस्तुत किया । माननीय उच्च न्यायालय ने संदर्भित रिट याचिका पर दिनांक 29-7-91 को कब्जा परिवर्तन अग्रिम आदेश तक स्थगित रखने का एक पक्षीय आदेश पारित किया जिसके फलस्वरूप कुछ कृषकों ने अपने नये चकों पर कब्जा छोड़ दिया ।

188-श्री राम आसरे वर्मा-

(मा0 उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया)

परगना पलिया, तहसील निघासन, जिला खीरी लखीमपुर के कतिपय गांवों के कतिपय लोगों के भूमि संबंधी विभिन्न मामलों के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा परगना अधिकारी को भेजे गये पत्रों पर हुई कार्यवाही की जानकारी

189-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1544/91, राजकुमार पुत्र श्री राम सहारे ग्राम दौलतपुर, परगना पलिया, तहसील निघासन, जिला खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन का 12-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

श्री राजकुमार पुत्र श्री राम सहारे ग्राम दौलतपुर के प्रार्थना पत्र की जांच कराई गयी । जांच से यह तथ्य सामने आया कि खातेदार का नम्बर गलत अंकित है जिसकी दुरुस्ती प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रार्थी की वरासत करना सम्भव है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

190-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1546/91, ग्राम रामनगर मजरा पूरब के पट्टेदारो की भूमि नदी कटान में चली जाने विषयक परगनाधिकारी, निघासन, जनपद खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी हां ।

प्रार्थना पत्र की जाच कराई गयी । ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चल रहा है । चकबन्दी क्रियाओ के अन्तर्गत आबादी की भूमि आरक्षित होने के उपरान्त भूमि का आवटन नियमानुसार पात्र व्यक्तियो को किया जायेगा ।

प्रान्तीय निर्माण खण्ड बादा के कतिपय मार्गो के निर्माण एवं अनुरक्षण पर आवंटित एव व्यय किये गये धन की उच्चस्तरीय जाच की माग

191-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेगे कि प्रान्तीय खण्ड बांदा को 1 मार्च, 1990 से 31-10-91 तक (20 माह) लगभग 8 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है ? इसके पूर्व तीन वित्तीय वर्षो मे क्या इसी अनुपात में धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि नहीं, तो इन पूर्व तीन वित्तीय वर्षो में आवंटित धन से अधिक धनराशि आवंटित करने का क्या कारण है ? यदि विगत वर्ष अत्यधिक वर्षो से प्रभावित मार्गो के मरम्मत व अनुरक्षण हेतु अधिक धन आवटन हुआ है, तो क्या सरकार इस मद पर व्यय किये गये धन को उच्चस्तरीय जांच संबंधित जनप्रतिनिधियों सहित तकनीकी उच्चस्तरीय समिति गठित करके करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

192-श्री निवेन्द्र कुमार-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

कल्याण भवन, लखनऊ का निर्माण प्रस्तावित नक्शों के अनुरूप न करने की शिकायत

193-श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि कल्याण भवन का निर्माण हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा प्रस्तावित नक्शा के मुताबिक नहीं करवाया गया है ? क्या इसी कारण भवन का नक्शा आज तक पास नहीं हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अभियन्ता को क्या सरकार दंडित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

कल्याण भवन का निर्माण प्रस्तावित नक्शे के अनुरूप उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा कराया गया है ।

जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा पिंडरा, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी के वाद संख्या 628 और आराजी नं0 420 के चकबन्दी संबंधी मामलों की फर्जी कार्यवाही की जांच की मांग

194-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या 628 आराजी नं0 420 गाव सभा पिंडरा, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी जो पिंडरा के उत्तरी छोर पर असिला गाव में है उसका फैसला चकबन्दी अधिकारी ने ता0 5-8-76 को कर दिया था ? क्या चकबन्दी के कर्मचारियों एव अधिकारियों ने उस 420 नं0 आराजी का अमल दरामद आ0 ए0 2 का के गाटा संख्या 2987 के सामने किया है? क्या यह सही है कि मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है और अभिलेखागार में पत्रावली नं0 च0अ0 628 धारा 9 ए0 12 ता0 फ0 31-7-76 उपलब्ध हुई है, जिसमें गाटा संख्या 420 ग्राम पिण्डरा का ही उल्लेख व आदेश है ? क्या ऐसी रिपोर्ट सहायक चकबन्दी अधिकारी ने ता0 6-7-90 को च0अ0 को दिया है ? यदि हां, तो वाद संख्या 628 आ0 नं0 420 जो शेख सेखावत वगैरह की है, यह कैसे आ0नं0 2987 के सामने दर्ज किया है जबकि आराजी नं 420 आ0 नं0 2987 से डेढ़ किलोमीटर उत्तर में है ? क्या इस संबंध में चकबन्दी अधिकारी ने सहायक चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट पर जो 6-7-90 की है, कोई कार्यवाही की ?मूल पत्रावली उपलब्ध न होने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? कौन-कौन इस जालसाजी के लिये जिम्मेदार है ? क्या यह सही है कि इसी हेराफेरी की वजह से बांके पुत्र बाबूनन्द नव हंसराज व मानिका गांव के पिंडरा के चकों को हटाया गया है ? क्या सरकार इस फर्जी कार्यवाही की जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

ग्राम पिंडरा, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी के गाटा संख्या 420 के संबंध में चकबन्दी अधिकारी द्वारा वाद संख्या 628 में पारित फैसले का दिनांक 5-8-76 नहीं है बल्कि दिनांक 31-7-76 है ।

जी नहीं ।

मुकदमा नं0 628 फैसला दिनांक 31-7-76 जिसमें गाटा संख्या 420 के संबंध में आदेश पारित हुआ है की, पत्रावली अभिलेखागार में उपलब्ध है परन्तु मु0नं0 628 तारीख फैसला 5-8-76 की पत्रावली अभिलेखागार मे उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

जी हा ।

यह सही नहीं है कि वाद संख्या 628, आराजी नम्बर 420 संबंधी आदेश दिनांक 31-7-76 का अमलदरामद आराजी नम्बर 2967 के सामने किया गया है।

जी हां ।

सम्यक् जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

चकों में परिवर्तन आदेश के विरुद्ध प्रश्नगत व्यक्तियों की रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं । अतः इस संबंध में कोई टिप्पणी उचित न होगी ।

उप संचालक चकबन्दी वाराणसी के यहां विचाराधीन चकबन्दी मुकदमा नं0 628 का विवरण

195-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप संचालक चकबन्दी वाराणसी ने च0अ0मु0नं0 628, दिनाक 5-8-76 गाटा संख्या 2987 रकबा 17 डि जो गांव पिंडरा, प0 कोल असला, त0 व जिला वाराणसी की मालियत से संबंधित है और पत्रावली दूसरी है, जो मु0 नं 628 आ0 नं0 420 शेखावत वगैरह की है उसके बारे में एस0ओ0सी0 वाराणसी को लिखा है कि संबंधित वादकारों को "ए" के अनुसार नियमावली कार्यवाही करें ? क्या यह सही है कि डी0डी0सी0 ने यह आदेश दिनांक 31-8-90 को दिया है ? यदि हां, तो एस0ओ0सी0 ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

उप संचालक चकबन्दी का आदेश दिनांक 3-8-90 का है दिनांक-31-8-90 ।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, वाराणसी द्वारा चकबन्दी अधिकारी को कार्यवाही करने का आदेश दिया गया ।

जैसा कि प्रश्न संख्या 194 के उत्तर में कहा गया है, सम्यक् जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री जगदीश सिंह, सोरांव, जिला सुल्तानपुर के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही

196- तेजभान सिंह -

196-क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 11वीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे गुरुवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न संख्या 11 के संदर्भ में उत्तरित प्रश्नगत मामले में वाद दायर किया गया है ? यदि हां, तो उसका वाद कब पंजीकृत हुआ ? वाद की पंजीकरण संख्या क्या है ? वाद किसके प्रार्थना पत्र पर पंजीकृत हुआ ? क्या गांव सभा /भूमि प्रबन्धक समिति को पक्षकार बनाया गया ? क्या आवश्यक पक्षकारों के बयान लिये गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो

क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त आदेश पूर्ण रूप से किसी एक को लाभ पहुंचाने के लिये भूमि प्रबन्धक समिति की सहमति के बगैर न्यायिक प्रक्रिया को आधार बनाकर गम्भीर भूमि घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस वाद से संबंधित समस्त पत्रावली सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी-

जी नहीं । ग्राम प्रधान द्वारा भूमि की नवेयत पूर्ववत रखने का प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वर्तमान परगनाधिकारी ने आदेश दिनाक 30-1-92 द्वारा तत्कालीन परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 20-4-91 को निरस्त कर दिया है ।

एस0पी0 (देहात) मुरादाबाद द्वारा अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस में मनमानी करने विषयक मामले की जांच के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें । माननीय मो0 रिजवानुल हक साहब ने एक व्यवस्था का प्रश्न लिखित रूप में दिया है, आपने उसमें निवेदन किया है कि संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन का अनुपालन करा दीजिये, यह आश्वासन उनकी एक कार्य स्थगन की सूचना पर दिया गया था । मैं इस सूचना का परीक्षण कर लूंगा और बाद में माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

मान्यवर, मेरी बात एक मिनट सुन लें ।

मान्यवर, एस0पी0 (आर0 ए0) मुरादाबाद, श्री दिनेश वशिष्ठ ने एक दिन में 70 से लेकर 150 तक अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस के प्रार्थना पत्र रद्द कर दिये जबकि उन पांच व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों पर एस0ओ0सी0ओ0 ने संस्तुति की हुई थी । यह मामला मैं 28 फरवरी को कार्य स्थगन के रूप में लाया था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जांच करा ली जायेगी । 24 अभ्यर्थी मेरे पास आये उन्होंने मुझसे इस बावत शिकायत की थी मैं उन 24 लोगों की सूची आपको दे रहा हूं इसकी जांच करवाने की कृपा करें । एक भूतपूर्व एम0एल0सी0 श्री श्योनाथ सिंह उनके पुत्र के लाइसेंस के संबंध में एस0पी0 ने खिलाफ रिपोर्ट दी । इस तरीके से एस0पी0 (आर) मुरादाबाद ने जानबूझकर और कलेक्टर के आदेश के बावजूद कि नाट रिकमेंडेड नहीं करेंगे, नाट रिकमेंडेड करते रहे । बिना एस0पी0एस0 संस्तुति के ही 10 अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी ने अपने विवेक से लाइसेंस दे दिये ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कह दिया कि मैं इसका परीक्षण करा लूंगा, अब आप बैठ जायं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

आप इसकी जांच करवा लीजिये ।

डा0 जी0एस0विनोद-

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहता हू कि उनके माइक पर हरी पट्टी बंधी हुई है, क्या माइक खराब है, ठीक नहीं है आज ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठे, मै उसे दिखवा लूंगा ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, मै नियमावली के नियम 103 मे एक प्रस्ताव दिया ।

श्री अध्यक्ष-

वह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाये

अब आप लोग बैठें मै नियम 301 की सूचनाओ को लेता हूं ।

आज दिनाक 12 मार्च, 1992 को सदन के संज्ञान मे लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाये प्राप्त हुई प्राप्त सूचनाओं मे से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं पहली श्री लाल जी वर्मा की राज्य अभिलेखागार फैजाबाद में जालसाजी करके फर्जी अमलदरामद कराने से उत्पन्न स्थिति के सबंध में । श्री राम औतार शाक्य की दूसरी सूचना है जो विभिन्न धर्मावलम्बियों को सुरक्षा देने के संबंध में है । तीसरी सूचना श्री अकबर की मुरादाबाद विद्युत गृह से सब स्टेशन कुंदरकी को जाने वाली विद्युत लाइन के तारों को चोरों द्वारा काटे जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित होने के संबंध में है । चौथी सूचना श्री सुखदेव की जो जनपद बांदा में ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम मरझा के पास तुर्रा नाले पर निर्माणाधीन पुल के रुके कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में है। पांचवी सूचना श्री नन्द राम की पुलिस बहेड़ी के प्रभारी निरीक्षक द्वारा लाखों रुपये की लागत के शीशम के पेड़ कटवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । छठीं सूचना श्री देवेन्द्र पाल सिंह की हरगांव तथा गोला चीनी मिलों द्वारा वर्तमान सत्र में अवैध गन्ना खरीदे जाने के संबंध में है । सातवीं सूचना श्री जय प्रताप सिंह की नगरपालिका बांसी (सिद्धार्थनगर) में व्याप्त पेयजल संकट के संबंध में है ।

मैं अब नाम पुकारे लेता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य और श्री जय प्रताप सिंह उपस्थित नहीं हैं, इसलिये प्रतीक्षा सूची की दोनों सूचनाओं हेतु श्री मोहम्मद रिजवानुल हक और श्री दिनेश चन्द्र सोनकर को बुलाता हूं ।

श्री रिजवानुल हक और श्री सोनकर उपस्थित हैं उनकी सूचनायें स्वीकार हुई । यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।

(सभी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयी)

राज्य अभिलेखागार फैजाबाद में जालसाजी करके फर्जी अमलदरामद करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

(मान्यवर राज्य अभिलेखागार फैजाबाद में इस समय धोखाधड़ी एवं जालसाजी करके फर्जी अमलदरामद का कार्य चल रहा है । इसका स्पष्ट उदाहरण ग्राम आराजी सुन्दरपुर परगना विडहर तहसील टाण्डा जनपद फैजाबाद की ग्राम समाज की जमीन संख्या 6/76/0-1-4/77/0-5 को मिलाकर नया गाटा संख्या- 53/0-12-12 नवीन परती बना है तथा पुराना गाटा संख्या 54/0-13-8 इसका नया गाटा संख्या 121/0-13-8 बंजर है, को श्री धर्मराज पुत्र 23 पर फर्जी अमलदरामद करा लिये है । उक्त ग्राम समाज की भूमि का फर्जी अमलदरामद के कारण उक्त ग्राम मे काफी तनाव व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से शासन से आवश्यक कार्यवाही की माग करता हूं ।)

मुरादाबाद विद्युत गृह से बस स्टेशन कुंदरकी को जाने वाली विद्युत लाइन में विद्युत आपूर्ति बाधित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर-

(मान्यवर गत 4 माह से विद्युत लाइन जो मुरादाबाद विद्युत गृह से कुन्दरकी सब स्टेशन विद्युत को जाती है, उसमें चोरों द्वारा थाना कुन्दरकी के ग्राम नानपुर और थाना मैनाठेर के ग्राम नूरपुर के आसपास लाइनें काट दी जाती हैं । फलस्वरूप इस क्षेत्र में विद्युत लाइन ठीक होने में 10-15 दिन लग जाते हैं, विद्युत लाइन की आपूर्ति न होने के कारण समय से सिंचाई आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है । जनजीवन अस्त व्यस्त होता चला आ रहा है । विद्यार्थियों के पठन-पाठन में असुविधा हो रही है। परीक्षा सन्निकट है, पूरे क्षेत्र की फसल सूख रही है । विद्युत विभाग एवं पुलिस विभाग की इस घोर लापरवाही के कारण क्षेत्र की जनता में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार के प्रति रोष व्याप्त हो गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत मैं मांग करता हूं कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।)

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत ग्राम मरझा के पास तुर्रा नाले पर निर्माणाधीन पुल को शीघ्र पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव-

(मान्यवर, जनपद बांदा में ब्लाक जसपुरा में ग्राम मरझा के पास स्थित तुर्रा नाले पर गत वर्षों से पुल का निर्माण कार्य चल रहा है इस समय सामान उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूरा बन्द पड़ा है कर्मचारी बिना काम के पडे रहते हैं । उस

नोटः- ( )यह अंश पढा हुआ माना गया ।

पुल के न बनने से क्षेत्र के लगभग 50,000 लोगो को आने जाने में परेशानियां पड़ती हैं यातायात अवरुद्ध हो जाता है मुख्य मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य काफी दिनों से चल रहा है । जिसे अतिशीघ्र 1992-93 में बनवाने हेतु निर्माण विभाग, बादा को धन दिया जाना आवश्यक है । जिससे सेतु निगम इकाई पुल को अतिशीघ्र तैयार कर सके ।

अस्तु आपसे आशा की जाती है कि संबंधित मंत्री का ध्यानाकर्षण कराकर वर्ष 1992-93 में तुरा नाले पर पुल का निर्माण पूरा करा देगे जिससे यातायात की परेशानी दूर हो सके।)

बरेली जिलान्तर्गत बहेड़ी के पुलिस प्रभारी निरीक्षक द्वारा लाखों रुपये के शीशम के पेड़ कटवाये जाने से उत्पन्न स्थिति विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्दराम -

(मान्यवर आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी में शारदा नहर के ब्रान्च रिक्षा चरेनी ड्रीम से पहले सिंगोती, मलकपुर गांव के पास नहर की पटरी पर शीशम के पेड़ सिंचाई विभाग की सांठगांठ से बहेड़ी के प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश शर्मा ने रात में कटवाये हैं जिसकी लागत लाखों रुपया है जिससे पुलिस भ्रष्टाचार के कारण जनता में आक्रोश पैदा हो गया है । मैं मांग करता हूं कि जिन शासन के कर्मचारियों के द्वारा शासन की छवि धूमिल हो रही है तथा पुलिस प्रभारी निरीक्षक सुरेश शर्मा को हटाकर पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभाग से जांच करायी जाय तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय ।)

हरगांव (सीतापुर) तथा गोला लखीमपुर खीरी चीनी मिलों द्वारा वर्तमान पेराई सत्र में अवैध गन्ना क्रय करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र पाल सिंह -

(मान्यवर, उप चीनी आयुक्त मध्य व पूर्वी क्षेत्र, लखनऊ तथा सहायक चीनी आयुक्त, सीतापुर द्वारा संयुक्त रूप से उक्त दोनों चीनी मिलों द्वारा अभिलेखों पर अंकित गन्ना क्रय की मात्रा से अधिक गन्ना मिल में प्राप्त कर पेरने के गम्भीर मामले निम्न प्रकार पकड़े गये -

हरगांव चीनी मिल के क्रय केन्द्र सीतापुर पर

गन्ना खरीद	तिथि	मिल में प्राप्ति
366.31 कुन्तल	7-11-91	375.61 कुन्तल
593 63 "	22-11-91	597.57 "

नोट - ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गन्ना खरीद	तिथि	मिल में प्राप्ति
771.46 कुन्तल	23-11-91	772.00 कुन्तल
	अधिक प्राप्ति	14.78 कुन्तल

गोला चीनी मिल के पलिया क्रय केन्द्र पर

गन्ना खरीद	तिथि	मिल में प्राप्ति
3936.66 कुन्तल	3-12-91	3948.15 कुन्तल
4395.76 "	10-12-91	4410.60 "
1188.76 "	11-12-91	1201.12 "
5616.40 "	15-12-91	5627.66 "
	अधिक प्राप्ति	41.76 कुन्तल

जबकि अभिलेखों में अंकित खरीद से 1/सूखा आदि के कारण कम गन्ना चीनी मिल में प्राप्त होना चाहिये था ।

मैं जनहित में कृषकों का शोषण रोकने के लिये चाहूंगा कि उक्त चीनी मिलों द्वारा इस सत्र में की गयी अब तक की खरीद की व्यापक जांच कराकर प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे तथा सदन को भी अवगत कराया जावे)

मुरादाबाद (देहात) में विद्युत विभाग द्वारा गरीब बुनकरों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

(मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र के वह गरीब बुनकर जिन्होंने लाइट/फैन का कनेक्शन ले रखा था, तथा जिन्होंने अपना हथकरघा सुविधाजनक तौर पर चलाने के लिये 1/2 हार्सपावर के मोटर लगा लिये थे, उनसे मुरादाबाद का विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) जबरन दो हार्सपावर का राजस्व वसूल कर उनका उत्पीड़न कर रहा है, कुछ बुनकरो से दोनों प्रकार अर्थात् लाइट/फैन तथा पावर का राजस्व मिलाकर दसो हजार का बकाया दर्शाकर जबरन राजस्व वसूला जा रहा है, भुगतान न करने की सूरत में आर0सी0 तहसील भेज दी जाती है, किस उपभोक्ता ने 1/2 हार्सपावर का मोटर कब लगाया है, यह जानकारी भी विभाग के पास सही सही नहीं है ।

नोट :- ( ) अश पढ़ा हुआ माना गया ।

अत मै 1/2 हार्सपावर पर लगाये गये राजस्व को माफ करने, किस उपभोक्ता ने कब 1/2 हार्सपावर का मोटर लगाया है, उसका परीक्षण कराने बुनकरों को 1/2 हार्सपावर के राजस्व से मुक्त करने तथा एक ही उपभोक्ता से लाइट/फैन तथा पावर का एक साथ मिलाकर जबरन वसूल न करने की सरकार से मांग करता हूं।)

जनपद इलाहाबाद के द्वावा क्षेत्रान्तर्गत स्थित कौशम्बी पमोसा एवं कड़ा को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

(मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।)

इलाहाबाद जनपद के द्वावा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के स्थल कौशम्बी, पमोसा एवं कड़ा को पर्यटन केन्द्र घोषित करने के संबंध में पिछली सरकारों द्वारा की गयी घोषणाओं के आधार पर अब तक उपरोक्त स्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित न करने के एवं कौशम्बी की अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सर्किट विकास परियोजना में लेकर उसके विकास हेतु ठोस योजना लागू कराने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थल अत्यन्त ही ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के हैं इन स्थलों का अपना महत्व है कौशाम्बी भगवान बुद्ध की कार्यस्थली भी रही है इन स्थानों की सदैव उपेक्षा की गयी है इस पर शासन का सोच एवं विचार स्पष्ट होना आवश्यक है ।

अतः आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।)

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुयी हैं इनकी संख्या 14 है। इनमें से लगभग सभी सूचनाये ऐसी हैं जो इस विधान सभा की कार्यवाही के संचालन से संबधित नहीं है। लेकिन आज चूंकि आय-व्ययक प्रस्तुत होने वाला है इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण अगर इसकी ग्राह्यता पर एक-एक दो-दो मिनट मे अपनी बात समाप्त कर दें तो अच्छा होगा । इसमें पहली सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह जी की दिनाक 15 जनवरी, 1992 को दैनिक जागरण के प्रेस फोटोग्राफर श्री अधीर कुमार सिंह (लल्ला) पर पुलिस की सांठ-गांठ से जानलेवा हमला होने पर पत्रकारों द्वारा धरना, बन्द एवं हड़ताल किये जाने के संबध में है।

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दैनिक जागरण कानपुर के प्रेस फोटोग्राफर श्री अधीर कुमार सिंह (लल्ला) पर जान लेवा हमला होने पर पत्रकारों द्वारा धरना, बन्द एवं हड़ताल के संबंध में औचित्य का प्रश्न

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह मामला पहले भी विधान सभा में आया था लेकिन इस सरकार ने जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है और आज इस सरकार की कार्यवाही से कोई भी वर्ग या संवर्ग बचा नहीं है चाहे वह दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे शिक्षक हो और चाहे राज्य कर्मचारी हो । मान्यवर, मैं कानपुर गया था । कानपुर में जिस तरह की घटना देखी वह बड़ी ही हृदय विदारक थी और यह सरकार उसको इतने हल्के ढंग से ले रही है कि जिसका कोई अन्दाजा नहीं है । मान्यवर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान की मूल भावना है और पत्रकारिता के माध्यम से अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है । लेकिन मान्यवर, अगर कोई पत्रकार सच्ची बात कहे और वह सरकार के खिलाफ हो, तो सरकार उत्पीड़न ही करेगी । मान्यवर, अधीर कुमार सिंह (लल्ला) के साथ जो घटना दिनांक 15 फरवरी, 1992 को घटी, उसके बारे में उन्होंने मंत्री से आग्रह किया था उनसे निवेदन किया था उन्हें जान से मारने की कोशिश हो रही है । उनके ऊपर प्राणघातक हमला हो सकता है । लेकिन मान्यवर, संवेदनशीलता होती तो यह कार्यवाही नहीं हुई होती ।

मान्यवर, लल्ला को 15 फरवरी, 1992 को 10.00 बजे रात को बुरी तरह से पीटा गया वह अपना हाथ अपने सिर पर न रख देते तो वह निश्चित रूप से मर ही जाते । मान्यवर, उस नौजवान को देखने मैं स्वयं अस्पताल गया था, उंगली में चोट आयी है । उसकी दो उंगलियां कट गयी हैं और वह अपंग हो गया है । एक पत्रकार के साथ इस प्रकार की घटना घटी और वह लगातार दुहाई देता रहा और सिर्फ एक सिपाही को और दो दरोगा को इस सरकार ने निलम्बित किया । आज वह अस्पताल में पड़ा हुआ है । उसके मुंह और हाथ पर निशान बन गये हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसे माननीय मंत्री जी को एक खास आदमी कहकर फोन द्वारा छुड़ा लिया गया इस प्रकार की घटना होती रहेगी तो यह ठीक नहीं है ।

मैं अपने कक्ष में बैठा सुन रहा था एक बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं कि वह उनको उठा नहीं पा रहा है । मान्यवर, उन पत्रकारों की मांग है, इसी तरह की घटना फैजाबाद में घटी तथा नेशनल हैरल्ड में हुई तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में गम्भीरता से सोचना चाहिये और उस पत्रकार ने लिखकर दिया है कि वहां के पुलिस कप्तान

इस घटना में संलग्न हैं और उन्हीं से उसको खतरा था, यही बात वह पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा है लेकिन यह सरकार इतनी बेरहम है और अफसरशाही के चंगुल में है, कि जो अफसर कहे, वह सब सही और हम सब कोई बात कहें, पत्रकार कहें शिक्षक कहें, दलित कहें, (xxx) कहें, कोई कहे, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं जाता । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस गंभीर मामले पर आप तत्काल कोई कार्यवाही करवाइये और पुलिस कप्तान के खिलाफ अगर साक्ष्य हैं, जैसा उन्होंने कहा है, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं उस पर भी विचार करवाइये और बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस मामले की जांच सी0बी0 आई0 के द्वारा करवाइये, क्योंकि इसमें एक पुलिस कप्तान सीधे-सीधे संलग्न हैं और उसमें इन्वाल्वमेंट हैं ।

*वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, इस आदरणीय सदन को स्वयं इस बात का स्मरण होगा कि इस विषय पर इससे पहले भी यह मामला उठा था और उसकी ग्राह्यता का विरोध करते हुए उस समय मैंने कुछ बातें कहीं थी, उसमें से दो-एक बातें फिर दोहराऊंगा। इसके अलावा जो प्रगति हुयी है, उसके बारे में भी बताना चाहूंगा, इस आदरणीय सदन को, आदरणीय नेता विरोधी दल को । मान्यवर, सरकार का इरादा किसी भी तरह से पत्रकारों की आजादी पर अंकुश लगाने का नहीं है, उनको समाचार संकलन की पूरी आजादी है और संकलन करने के बाद उसके प्रकाशन की पूरी आजादी है । कभी कोई घटना प्रकाश में आती है, तो हम उस पर कार्यवाही भी करते हैं । माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही, संभवतः वह कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन बात निकल गयी होगी, क्षमा करें । मान्यवर, सुरेश जिसका नाम यहां लिया गया, वह छोड़ा नहीं गया है, वह तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया, यह आरोप सही नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने उसको छुड़वाने का प्रयास किया । माननीय नगर विकास मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया था । आज राज्य मंत्री कह रहे थे मैं मौके पर गया था और वहां जाकर उन्होंने कड़ी कार्यवाही के आदेश दिये आज भी सुरेश जेल में है । जो अभियुक्त पकड़े गये हैं, वह शायद इतनी जल्दी पकड़े जाते । मैं इसको भी छिपाना नहीं चाहता हूं कि अभियुक्त ने संभवतः यह कहा हो कि उसका भारतीय जनता पार्टी से संबंध है, लेकिन हमने उसको भी गिरफ्तार करने में इसका ख्याल नहीं किया और उसको पकड़ा गया, इसके अलावा अवधेश कुमार गुप्ता तथा रूप किशोर सिह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी जो अभियुक्त रह गये हैं, उनको गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जा रही है । नेता विरोधी दल ने एक बाद कही है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं । कुछ आरोप थे, इसीलिये आयुक्त से मामले की जांच कराने की घोषणा की गयी, अब आप भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः-(xxx)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पूरी बात जानते हैं, अगर प्राग्दर्शन में कोई इन्टरिम रिपोर्ट मिलेगी, तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही करने में बिल्कुल संकोच नहीं किया जायेगा । श्री लल्ला जी लखनऊ भी आये थे, माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मिले थे, बहुत सी बातें हैं, जिनका उल्लेख करना उचित नहीं होगा, फिर भी सरकार की ओर से कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय नेता विरोधी दल ने ग्राह्यता के बारे में उल्लेख नहीं किया, लेकिन जो नोटिस मुझे मिली है, उस नोटिस में "वर्कर्स हेरल्ड" के एक संवाददाता का उल्लेख है । मान्यवर, पत्रकारों का पूरा सम्मान है, विधायकों का पूरा सम्मान है, लेकिन अगर किसी पत्रकार से पत्रकारिता को छोड़ कोई आपराधिक मामला हो जाय, तो उस पर यह आरोप लगाया जायेगा, कि कोई सरकार की साजिस है, तो यह आरोप हल्का होगा । मान्यवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार श्री जितेन्द्र द्विवेदी जिस-जिस दफा में पकड़े गये हैं मैं उसका उल्लेख सदन में नहीं करना चाहता और इस पूरे मामले को नेता विरोधी दल को सौंपे देता हूं, इससे ज्यादा नेता विरोधी दल का सम्मान और क्या हो सकता है मैं उन्हीं को पूरा मामला सौंपे देता हूं जैसा वह कहेंगे, उसी तरह की कार्यवाही कर ली जायेगी, इससे ज्यादा समर्पण नहीं हो सकता। श्री द्विवेदी पकड़े गये थे, 3 लड़कियां भी थीं, और लोग भी थे इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। न यह सदन के सामने की कोई कार्यवाही है और न सदन के समक्ष कोई लम्बित कार्यवाही है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, पत्थरदेवा में भी तीन महिलायें थीं और इस मामले में भी तीन महिलायें हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 'वर्कर्स हेराल्ड' के पत्रकार के बारे में तो बता दिया लेकिन श्री अधीर कुमार उर्फ लल्ला के प्रकरण में जो एक गम्भीर तथ्य है वह यह है कि उसमें सीधे पुलिस कप्तान का इन्वालमेन्ट है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा । इतना आपने कह दिया कि कमिश्नर से जांच करायेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सरकार ने एक पैमाना बना लिया है कि कमिश्नर से जांच करायेंगे अब आप ही बताइये कि एस0एस0पी0 की जांच कमिश्नर क्या करेगा । कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो निष्पक्ष होनी चाहिये । आपकी नीयत पर तो तभी शक हो गया जब एक ओर तो आप संरक्षण देने की बात करते हो, दूसरी ओर पिटवाते हैं । विधायक पीटे जा रहे हैं, पत्रकार पीटे जा रहे हैं, शिक्षक पीटे जा रहे हैं और दलित पीटे जा रहे हैं । मेरी विनम्र प्रार्थना है, इसमें कोई पार्टी पोलिटिक्स की बात नहीं है । आप इस प्रकरण की सी0बी0आई0 से जांच करायेंगे ।

क्योंकि इसमें पुलिस कप्तान का सीधा इन्वालमेन्ट है । अगर आप पत्रकारों व पत्रकारिता को संरक्षण देना चाहते हैं तो मेरे इस आग्रह को आप मान लें ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नेता विरोधी दल व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को सुना । यह विषय नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसीलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

प्रदेश में गन्ना किसानों के शोषण के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना निर्वेन्द्र कुमार जी की है ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार-

मान्यवर, वैसे पहले से भी गन्ना किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता रहा है । प्रदेश में कुल गन्ना उत्पादन का मात्र 32 प्रतिशत पिराई की व्यवस्था प्रदेश में है, शेष 68 प्रतिशत गन्ने की पिराई हेतु कोई व्यवस्था प्रदेश में नहीं है फलस्वरूप 32 प्रतिशत की जो व्यवस्था की गयी है उसमें भी काफी अव्यवस्था है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र निघासन में बड़ानगर सम्पूर्णानगर व पलिया की जो चीनी मिले हैं उनके यार्डों में या मिल के गेट पर जब किसान बैलगाड़ी से अपना गन्ना ले जाता है तो...

श्री अध्यक्ष-

आप तो सूचना के बारे में बताने लग गये हैं । आपने जो सूचना दी है उसकी ग्राह्यता के बारे में आप अपनी बात कहें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार-

मान्यवर, मैं कह रहा था कि बैलगाड़ियों से व ट्रालियों से जब गन्ना किसान अपना गन्ना ले जाता है तो तीन-तीन दिन तक उसके गन्ने को तौला नहीं जाता है । जबकि नियम यह है कि 8 घंटे के अन्दर गन्ना तौल दिया जाना चाहिये । यह इसलिये नहीं तुलता है कि बाहर के क्रय केन्द्रों के ट्रक व वैगन जब तक आउट सेन्टर पर नहीं आ जाते तब तक वह तौल को बन्द किये रहते हैं । जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है । आपके जो गन्ना अधिकारी हैं या सचिव हैं वह वहां पर चीनी मिल मालिकों से मिले होते हैं, जिसके कारण वह अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग नहीं करते हैं, कोई इन्सपेक्शन रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं और न ही चीनी मिलों का चालान करते हैं । केन परचेज ऐक्ट के तहत 8 घंटे के अन्दर गन्ना तुला लेना चाहिये । ऐसा न होने से किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप समाप्त करें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार-

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जो बहुत योग्य हैं, अनुभवशील हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें उच्चस्तरीय जांच के आदेश कर दें जिससे नियमों के विरुद्ध किसानों के विरुद्ध जो किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों का आपस में टकराव हो रहा है, और जो राष्ट्रीय क्षति हो रही है उससे बचा जा सके। किसानों का 15 क्विंटल गन्ना तौलने में तीन दिन लग जाते हैं जिसके कारण वह अपना दूसरा काम नहीं कर पाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम 300 में इसे सुन लिया है यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसमें जो सूचना दी गयी है यह उसकी परिधि में नहीं आती है इसलिये मैं इसे निरस्त कर रहा हूं। इस विषय में जब बजट पर चर्चा होगी उसमें आप अपनी बात कह दें।

ग्राम पोयना थाना जवां जिला अलीगढ़ में एक बरखू राम बाल्मीकी जाति की बारात को रोके जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बी0आर0वर्मा-

मान्यवर, दिनांक 10 मार्च को हमारे माननीय नेता राम लखन जी ने एक प्रश्न उठाया था ग्राम पोयना, थाना जवां जिला अलीगढ़ में जो बाल्मीकी जाति की लड़के की शादी का था जिसके उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था वहां कोई घटना नहीं हुई है। मेरा कहना है कि गांव पोयना, थाना जवां जिसमें अनुसूचित जाति की बस्ती है वहां बाल्मीकी प्रेमपाल सिंह की बहन की शादी थी, बारात बुलंदशहर से आयी थी इसमें हमारे दल के कई कार्यकर्ता भी थे। जब बारात में गाजे बाजे के साथ दूल्हा घोड़े में द्वार पर जा रहा था तो सवर्णों के दिमाग में एक बात कौंधी जैसा कि पहले हुआ करता था कि बाल्मीकी घोड़े पर सवार नहीं हो सकता, अनुसूचित जाति का दूल्हा घोड़े में नहीं जा सकता। उस बारात को रोक दिया गया किसी तरह से बारात वाले खेत से होकर बिना बाजे के गये। वह लोग इसके विरोध मे कुछ नहीं कर पाये। क्योंकि वहां आज भी दहसत है किसी की हिम्मत नहीं है कि एफ0आई0आर0 लिखा दे क्यों कि उन्हें मालूम है कि जिस तरह से आगरा में पनवारी में हुआ ऐसा ही हो जायेगा वहां विरोध करने पर हजारों हजारों लोग मारे गये। आज भी एक तरह से सामंती मानसिकता काम कर रही है। अनुसूचित जाति के लोग घबराये हुए हैं वह दहसत में हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप समाप्त करें, आपकी बात आ गयी।

श्री बी0आर0 वर्मा-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा वहां इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष के किसी विधायक से जो बाल्मीकी समाज के हों उनको वहां भेज दें और वह वहां जाकर देख कर अपनी रिपोर्ट दे दें।

*वित्त, नियोजन, संस्थागत वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं इसकी ग्राह्यता पर बोलने के पहले अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट करना चाहता हूं । हमारी सरकार ऐसी किसी भी परिपाटी और परम्परा की पक्षधर नहीं है जो व्यक्ति में समानता के सिद्धान्त को खंडित करे । हमारी सरकार ऐसे समाज की रचना में विश्वास करती है जहां छुआछूत न हो, व्यक्ति व्यक्ति में भेद न हो, धर्म के मानने में भेद न किया जाये और हर व्यक्ति के सम्मान वाली परिपाटी और परम्परा को हम कायम रखना चाहते हैं ।

जहां तक इस घटना का तालुक है, इस सदन को ज्ञात होगा कि मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा किया था कि इस तरह की कोई घटना उस गांव में घटित नहीं हुई थी । मान्यवर, उस गांव की यह गली जहां बारात जानी थी सकरी है जिससे दूल्हा को गाड़ी से जाने में परेशानी थी, मुझे ऐसी जानकारी मिली है । मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि दूल्हा घोड़े पर था । कि बारात बस में थी, मारुति कार पर वर पक्ष विराजमान थे, इसलिये गली सकरी होने के कारण गाड़ी निकलना संभव नहीं था जिससे उनको दूसरे रास्ते से निकलकर लड़की के दरवाजे पर जाना पड़ा। समाचार पत्र में यह घटना प्रकाशित हुई थी और जब इसकी जानकारी मुख्य मंत्री जी को मिली थी तो उन्होंने उसी समय आदेश जारी कर दिये कि स्थिति से अवगत कराये ? पहले दरोगा ने जानकारी दिया । एस0पी0 को निर्देशित किया कि आप वरिष्ठ अधिकारी को वहा भेजें । अतिरिक्त एस0पी0 वहा गये और सूचना दिया कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। इसलिये इसको हम सब प्रकार से नकारते हैं। शासन की नीति है कि इस तरह की घटना यदि घटेगी और जानकारी होगी तो उस समय भी कहा था कि ऐसी किसी परिपाटी और परम्परा को नहीं चलने दिया जायेगा जो समानता के सिद्धान्त को ध्वस्त करती हो । मान्यवर, यह घटना नहीं घटी है और यदि किचित मात्र भी कही कुछ बात होगी और कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कडी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 के अन्तर्गत आपकी सूचना नहीं आती है, इसलिये इसे अस्वीकार करता हूं । चौथी सूचना श्री लाल जी वर्मा की है ।

जनपद देवरिया के पथरदेवा गांव में घटित घटना विषयक औचित्य का प्रश्न

*श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 10 तारीख को हुई चर्चा को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस सदन में पथरदेवा जनपद देवरिया में जो महिलाओं के साथ दुराचार का मामला हमारे विधायकों, श्री विश्वनाथ जी, ने यहां उठाने का काम किया था (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, संविधान और नियम एवं प्रकिया के अनुसार हमें समस्याओं को यहां सदन में उठाने का अधिकार है । आपकी अनुमति से मा0 सदस्य श्री विश्वनाथ ने उस जन समस्या को यहां उठाया और उसके बाद कुछ ऐसी बातें आयी जिससे आपने सदन को स्थगित कर दिया था चूंकि हम लोग सदन के वेल में चले आये थे और वहां बैठ गये थे तो उस समय राज्य गृह मंत्री जिनका दायित्व है जनता की सुरक्षा का और उनका दायित्व है कि इस तरह की घटना न घटे मान्यवर, मंत्री जी स्वयं आये और माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ जी को धमकी दी । बड़े उत्तेजित होकर धमकी दी कि उठाना है उठा लें आप इस विषय को । बाहर निकलिये हम आपसे निपटने का काम कर लेंगे । मान्यवर, इस तरह से अगर कोई सदस्य किसी बात को सदन में लाता है, आपके और सदन के संज्ञान में लाता है और उसके बाद उसे सत्ता पक्ष के लोग या मंत्री धमकी देंगे तो यह तो हमारे अधिकारों को चुनौती है । मान्यवर, आपके अधिकार को चुनौती है। आपकी अनुमति से यह प्रश्न उठाया गया था । मान्यवर, संविधान में हमें आजादी मिली है । मान्यवर, इस विषय को सदन के संज्ञान में आपकी अनुमति से लाये हैं और सदन में हमें धमकी मिली है तो निश्चित रूप से यह औचित्य का प्रश्न है ।

(अध्यक्ष द्वारा संसदीय कार्य मंत्री को बुलाने पर श्री सूर्य प्रताप शाही खडे होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, शाही जी बोल रहे हैं ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय वर्मा जी , स्वामी नाथ यादव जी और विश्वनाथ जी का पूर्ण आदर करता हूं । इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई है और कोई प्रश्न ही नहीं उठता । यह जरूर है कि मैं स्वामी नाथ यादव जी से पूछ रहा था कि उनके हाथ में चोट कैसे लगी ?

(व्यवधान)

(श्री विश्वनाथ के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपने तो सूचना भी नहीं दी थी । माननीय गुप्त जी ग्राह्यता के ऊपर आप कुछ कह रहे हैं ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर मैं किसी विवाद में नहीं जाना चाहता । इस आदरणीय सदन में यह परिपाटी रही है कि किसी सदस्य को कोई आरोप नहीं लगाना चाहिये । जैसा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनकी समझ में आया होगा कह दिया । सदस्य द्वारा उसका प्रतिवाद कर दिया गया अब यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता । अतः इसे समाप्त कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लाल जी वर्मा की सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती क्यों कि सदन के स्थगन के समय की सूचना दी गयी है । अतः यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता । मैं इसे निरस्त करता हूं ।

मुख्य मंत्री द्वारा जिला ब्लाक स्तर पर खाद्य सलाहकार समितियों में सत्ता एवं विपक्षी दल के सदस्यों को नामित करने की सदन में घोषणा का कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इस सत्र में माननीय सुरेश प्रताप गांधी के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के जबाब में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की थी कि जिले/ब्लाक स्तर पर जो खाद्य सलाहकार समिति बनायी जायेगी उसमें पांच सत्ता पक्ष के और दो विपक्ष के विधायको के नाम सदस्यो की संस्तुति पर नामित किये जायेंगे । सदन में इस घोषणा के बावजूद माननीय खाद्य मंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों में खाद्य समिति बनाकर भेज दी । श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि इस सदन में यह परम्परा पडती जा रही है कि सदन की अवमानना और आपकी अवमानना करने का नियम सा बन गया है । मान्यवर, खाद्य मंत्री जी ने जो कमेटियां गठित की हैं उनमें हम विपक्ष के विधायकों में एक भी नाम नहीं मांगा गया । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद इन समितियों का गठन किया और विपक्ष के विधायकों के नाम लिये बगैर गठित कर दीं । मान्यवर, इस तरह से हम लोगों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है । सदन की और आपकी अवमानना की गई है । श्रीमन् इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं । सरकार को निर्देशित कर दें, कि जो कमेटियां गठित की गयी हैं उन्हें वापस लिया जाय ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय सदस्य इसे देख लें तो उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा । जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने समितियां गठित करने की घोषणा की उससे काफी समय पहले यह शासनादेश निर्गत हो चुका था । शासन की नीति बनी उसके बाद यह समितियां गठित की गयी हैं । जिसमें मैंने माननीय प्रतिपक्ष के विधायकों का सम्मान न किया हो दूसरी बात होती है इसलिये मान्यवर, संशोधित शासनादेश जारी करने की व्यवस्था हो रही है जो आश्वासन दिये गये हैं उसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नरेश अग्रवाल जी का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदन में मंत्रि-परिषद् की गोपनीय टिप्पणी बांटे जाने से गोपनीयता भंग होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत स्पष्ट किया है कि मंत्रि मण्डल के सदस्य जब शपथ ग्रहण करेंगे, तो गोपनीयता की शपथ आवश्यक होती है । जब तक आवश्यक नहीं होगा वह गोपनीयता भंग नहीं करेंगे । मान्यवर, 4 मार्च, 1992 की एक टिप्पणी पत्रावली संख्या 2621/91 गोपनीय थी, लेकिन मंत्रि-मण्डल में टिप्पणी दी गयी उससे पहले हर जगह वह बंट गयी तो जो गोपनीयता की शपथ ग्रहण की वह भंग हो गयी यह मंत्रिमंडल की गोपनीयता कायम नहीं रख पा रहे हैं जो टिप्पणियां रख रहे हैं, जो बिन्दु रखे जा रहे हैं उसमें यह गोपनीयता नहीं बना पा रहे हैं । माननीय मंत्री जी, जिन्होंने गोपनीयता की शपथ ली है वह खत्म कर रहे हैं । एक बार जब गोपनीयता भंग हो गयी तो चाहे, तो भी नहीं सुधर सकती है । अब तो यही विकल्प है कि सम्पूर्ण मंत्रि मंडल त्याग पत्र दे और महामहिम राज्यपाल पुनः शपथ ग्रहण करायें ।

(व्यवधान)

मैं तो बाकी सदस्यों के भले की बात कर रहा हूं जो मंत्रि मण्डल में शामिल नहीं हो पाये हैं ।

(हंसी)

आप भारत के संविधान के 164 अनुच्छेद को देख लें । इसमें है कि गोपनीयता भंग हो जाती है उसमें मंत्रि मण्डल त्यागपत्र दे दे और महामहिम राज्यपाल ऐसे मंत्रि मण्डल को पुनः शपथ दिलायेंगे । इसका एक यही विकल्प रह जाता है, तो मैंने निश्चित रूप से बता दिया है । गोपनीयता भंग हो चुकी है। सरकार पूरी तरह से गोपनीयता भंग करने की दोषी है ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, जो बात तिवारी जी ने कही उसके दो हिस्से है गोपनीयता भंग करने के मामले पर औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और क्या गोपनीयता भंग हुई ? पहले बिन्दु की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिये अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णयों को देखने की कृपा करे । इसमें मान्यवर, आप पृष्ठ-103 देखे। 124 औचित्य के प्रश्न के बारे में जो है इसमे है कि "नियमो के पालन के बारे मे उठाया जा सकता है।" मै इस सदर्भ में नही पडना चाहता हूं अन्त मे माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी है इसमे कहा गया है कि "औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत उठाया जाना चाहिये । औचित्य का प्रश्न कोई भी विषय विचाराधीन हो उसके बारे मे या कार्यविन्यास के बारे मे या नियमो के पालन के बारे मे होता है, मत्रि-परिषद् की गोपनीयता के सबध मे कोई नियम से इसका ताल्लुक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

नही है । दूसरी बात मान्यवर, जो टिप्पणी की बात उन्होने की है वह टिप्पणी मेरे पास है, मुझे देखने को नही मिली । वह बताये कि यह उनको कहा से मिली, कैसे मिली ? अगर हमने उसको वितरित करवाया है तो फिर गोपनीयता का सवाल नही है । अगर कही से कोई चीज छपकर मिली है तो मै समझता हू कि उसमें गोपनीयता भग का सवाल नही है । मान्यवर, जैसा कि अभी मैने कहा, गोपनीयता भग के सबध मे औचित्य का मामला नही उठाया जा सकता है इसलिये इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह जो रूलिग होती है यह आपके लिये बाध्यकारी नहीं होती है यह केवल मार्ग निदेशन का काम करती है । मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है । यह सदन 2 भागो में विभाजित है एक तरफ सत्तारूढ़ दल है और दूसरी तरफ विरोधी दल है । सत्तारूढ़ दल के मंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं, उनको राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलायी है आपने जो गोपनीयता की शपथ ली थी उसको भंग कर दिया है इसलिये अब आपका वहां बैठने का अधिकार नहीं रह गया है। हम जो प्रश्न कर रहे हैं उनका उत्तर देने का अधिकार अब आपको नहीं रह गया है, अब सरकार रह नहीं गयी है । संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आपको अब अधिकार नहीं रह गया है और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी संस्थागत वित्त मंत्री नहीं रह गये हैं । आज जो बजट आप पेश करने वाले हैं, चूंकि आपने गोपनीयता भंग कर दी है, इसलिये उसके पेश करने का अधिकार आपको नहीं रह गया है । आवश्यक यह है कि 5 बजे के पहले महामहिम राज्यपाल महोदय के यहां जायें, उनके हाथ पैर जोड़ें कहें कि गलती हो गयी है, हमको फिर शपथ दिला दें, शपथ लेकर आ जायें तब हम सरकार को मानेंगे उसके पहले सरकार को नहीं मानेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

आपने सरकार को तो मान लिया है तभी तो सदन में आये हैं ।

श्री अध्यक्ष-

मैने माननीय प्रमोद तिवारी जी को और माननीय ससदीय कार्य मंत्री जी को सुना। माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह नियम 300 के अंतर्गत नही आता है । उसको अस्वीकार किया जा रहा है। अगली सूचना माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, माननीय प्रमोद तिवारी और माननीय हृदय नारायण दीक्षित की है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्तमान सत्र के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का सुसंगत उत्तर न देने तथा अयोध्या काण्ड में मृतकों की सही संख्या न बताने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर मैंने जो सूचना आपको दी है वह बड़े गम्भीर विषय से संबंधित है। मान्यवर, जब यह विधान सभा शुरू हुई थी, पहला सत्र हुआ था तो उस समय हमने और बहुजन समाजवादी पार्टी के माननीय राम लखन वर्मा जी ने एक सवाल पूछा था कि क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अयोध्या काण्ड में 30 अक्टूबर, 90 व 2 नवम्बर, 90 को पुलिस फायरिंग में कुछ ऐसे लोगों की मृत्यु हुई जो विवादित ढांचे को क्षति पहुंचा रहे थे । मान्यवर, मैंने केवल तादाद पूछी थी, यदि हां, तो उक्त दिन व प्रकरण तथा स्थल पर पुलिस फायरिंग से कितने लोग मारे गये ।

मान्यवर, आपके सचिवालय में मैंने यह प्रश्न दिया था और आपने कृपा की सवाल स्वीकार हो गया । जब पहला अधिवेशन इस आदरणीय सदन का चला जुलाई अगस्त, 1991 में तब सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, फिर यह नियम 38 (2) के अधीन कार्यसूची पर आया और सरकार की तरफ से यह कहकर टाल दिया गया कि प्रश्नोल्लिखित विषय अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 1991 के अधीन गठित एक सदस्यीय जांच आयोग की परिधि में आता है । मान्यवर, आप अवगत हैं, और पूरा प्रदेश अवगत है कि यह सरकार सत्ता में केवल एक कारण से आयी है कि अयोध्या के सैकड़ों लोग मारे गये हैं इस बात को प्रचारित किया गया और उफवाह फैलायी गयी । मान्यवर, इस आदरणीय सदन के संसदीय कार्य मंत्री माननीय गुप्ता जी जब इधर बैठते थे और मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी भी इधर बैठते थे । यहां से साफ साफ आरोप लगाया जाता था कि बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है जिसमें सैकड़ों, लाखों लोग मथुरा, रायबरेली के मारे गये हैं । ऐसे लोगों का अस्थिकलश दिखाने का काम किया गया जो जीवित हैं । मान्यवर, इसलिये इस सवाल पर पूरे सदन को, पूरे प्रदेश को जिज्ञासा है कि आखिर कितने लोग मारे गये, नरसंहार हो गया, खून की नदियां बह गयीं, बड़ा उत्पात हो गया, तो इधर को लोगों की यह जिज्ञासा है । केवल इधर के ही नहीं, उधर के लोगों में भी जिज्ञासा है । सरकार ने जुलाई, अगस्त में टाला कि सूचना एकत्र कर रहे हैं और अब यह कह कर टाला और सरकार का जवाब आया कि यह मामला एक सदस्यीय जांच आयोग की परिधि में आता है । हम लोग केवल तादाद पूछ रहे हैं । आप विद्वान हैं, नियमावली के ज्ञाता हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी ज्ञाता हैं, नियमावली की धारा 38 की

उपधारा (1) में कहा गया है कि प्रश्नों के उत्तर के विषय में सुसंगत होंगे तो प्रश्न साफ है कि कितने लोग मारे गये । सरकार ने यह कह कर टाल दिया कि विषय जांच आयोग की परिधि में है । मेरा विश्वास है, सरकार सहमत होगी कि सरकार ने यह आयोग तभी बैठाया होगा, जब कोई बहुत बड़ी ही बात होगी कि लाखों, करोड़ों लोग मर गये और नरसंहार हो गया । इसकी कोई तादाद हो तो बता दें, यह हमारा और प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है ।

सरकार की बात मान भी लें कि एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की परिधि में आता है तो मेरा दूसरा सवाल था, मैंने फोटो प्रति संलग्न की है, उसमें पूछा था कि विवादित स्थल पर मारे गये कितने लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी, जो यह कहा गया था कि लाखों करोड़ों लोग मारे गये, तो या इस प्रश्न का भी उत्तर न देते और कह देते कि प्रश्न जांच आयोग की परिधि में है, लेकिन इसका उत्तर आया है कि आठ लोगों को लाभ दिया गया । सरकार ने सिर्फ 8 लोगों को सहायता दी, लेकिन कहा गया था कि लाखों, करोड़ों लोग मारे गये और नरसंहार हो गया । इस तरह से प्रश्न का उत्तर टालने की कोशिश सरकार की ओर से की गयी है । यह विषय औचित्य का प्रश्न इसलिये बनता है कि आपकी कृपा से इस सवाल को स्वीकार किया गया है और इसका उत्तर दूसरी तरह का आया है । इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार को निर्देशित करें कि साफ जबाब दें ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न यह नहीं बनता तो और कोई नहीं बन सकता। नियमावली में सरकार से स्पष्ट रूप से उत्तर देने के लिये कहा गया है और स्पष्ट उत्तर न आये तो अनुपूरक सवालों का मौका दिया जाता है । इसमें निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न छिपा है । न्यायिक जांच आयोग में 30 अक्टूबर व 2 नवम्बर, को कितने लोग मारे गये, उसमें इस प्रश्न का सहारा लिया जा रहा है। जांच आयोग की रिपोर्ट है, तो या तो स्पष्ट किया जाय कि उस जांच आयोग के बिन्दु क्या हैं, या फिर साफ बतायें कि कितने लोग मारे गये ? यह स्पष्ट करने में सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिये कि स्पष्ट रूप से कितने लोग मारे गये इसमें दो बातें हैं कि या तो भा0ज0पा0 ने चुनाव के दौरान जो बातें कहीं, असत्य कहीं और सत्य के विपरीत बोले और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उनको जबदेस्ती अपने साथ शामिल किया है । मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से यह औचित्य का प्रश्न है । चूंकि प्रश्न का उत्तर नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आया, सरकार कटघरे में खड़ी है, नैतिक रूप से इसका उत्तर देने की इसकी जिम्मेदारी है । ये कहते रहें कि सैकड़ों हजारों लोग मारे गये और अब जवाबदेही में संकोच कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं और कतरा रहे हैं । पहले ये असत्य बोलते रहे, गलतबयानी करते रहे । आखिर अयोध्या में कितने लोग मारे गये । आप सरकार को निर्देशित करें कि वह यह भी बतायें कि जांच बिन्दु क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष-

ऊदल जी मैंने अभी किसी भी ऐसे माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि जांच आयोग से यह विषय निकलवा दिया गया है कि कितने लोग मारे गये ? अपने झूठ को छिपाने के लिये निकलवा दिया है तो फिर उसका सहारा ये नहीं ले सकते ।

श्री ऊदल-

मान्यवर, तादात पूछना आयोग की जो परिधि है, उसका उल्लघन नहीं होता और तादात बताने में आयोग की जाच में भी कोई कठिनाई नहीं होती है, उसी के लिये तो आयोग बनाया गया है । इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न बनता है । मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को टालना मैं समझता हूं कि माननीय सदन के हितों की अवमानना हैं और माननीय सदस्यों के हितों की भी रक्षा नहीं होती है मान्यवर, तादात बताने में कोई आयोग के ऊपर आक्षेप नहीं होता है । इसलिये मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, यह लाखों, करोड़ों की बात किसने कही है, यह मुझे पता नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि हमने भारी संख्या की बात की थी और उस जिम्मेदारी से मैंने कहा हम उससे भागे नहीं हैं, लेकिन हमें उत्तर देना है, इस सदन की मर्यादा और कानूनों का पालन करते हुए पथरदेवां काण्ड के विषय में कहा गया कि जो टर्म आफ रिफरेंस है, उसमें यह बिन्दु भी दिया हुआ है कि आयोग बल प्रयोग के औचित्य पर विचार करेगा । इसके लिये जो जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही भी होगी । जो वहां पर मरने वाले या घायल होने वाले हैं, जानकारी सुनिश्चित नहीं करते, तो सजा का क्वांटर्म क्या होगा ।

(हृदय नारायण दीक्षित के खड़े होने पर व्यवधान)

हम आयोग के सामने जानकारी देंगे, न कि सदन के सामने । अब एक बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और कही गयी , एक आगे सवाल में हमने कहा कि 8 लोगों को सहायता दी गयी, यह भी सही है कि बहुत से लोगों ने सहायता लेने से मना किया । उन्होंने कहा कि हम सरकार की सहायता नहीं लेगे । विश्व हिन्दू परिषद् ने कहा कि उनकी सहायता की जिम्मेदारी हमारी है ।

(श्री नरेश अग्रवाल के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, हमने किसी तथ्य को छिपाया नहीं जिन्होंने सहायता लिया, उनको दिया, इसलिये मैंने किसी तथ्य को छिपाया नहीं । अगर प्रश्नों से किसी को समाधान नहीं हुआ है, तो नियम 49 की व्यवस्था है । लेकिन यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है, इसलिये मान्यवर, इस पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष-

इसकी सूचना हमारे पास नहीं आयी है ।

(व्यवधान)

यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये मैं इसे स्वीकार करता हूं । जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, यदि वह नियम 49 के अन्तर्गत मुझे सूचना देंगे तो उसका परीक्षण करा लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसके बारे में मेरी और माननीय हृदय नारायण जी की सूचना है, कृपया इसे नियम 49 के अंतर्गत स्वीकार कर लें ।

(व्यवधान)

अयोध्या में विवादित स्थल पर एक दीवाल बनाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारा देश कानून और संविधान से बंधा हुआ देश है अंग्रेजी में एक कहावत है कि ला एण्ड डेमोक्रसी स्वीम्स टुगेदर एण्ड सिन्क्स टुगेदर ।

श्री रवीन्द्र प्रताप-

मान्यवर, माननीय सदस्य अंग्रेजी में कह रहे हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खा-

मै इसका अनुवाद भी कर रहा हू । आपके नेता तो अग्रेजी मे शपथ लेते है, अंग्रेजी मे भाषण करते हैं और विदेशों मे अंग्रेजी मे मामलात तय करते हैं तो मैं

निवेदन कर रहा था कि कानून और लोकतंत्र एक साथ तैरता है और एक साथ डूबता है । इस बात को पूरी दुनिया ने माना है । मान्यवर, भारतीय संविधान बहुत सोचने समझने के बाद तैयार हुआ है । जब कान्स्टीटुएन्ट असेम्बली बनी तो उसमे एक ऐसा दौर देखा गया कि उस समय डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी, जिसमे मूल अधिकारों के विषय मे सोचा गया, विचार किया गया और उसी के फलस्वरूप संविधान की धारा 14, 25, 26, 27, को जोड़ा गया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि धारा 27 उसमें जोड़ी गयी धारा 26 में है- नो परसन सैल बी कम्पेल्ड टु पे एनी टैक्सेस दि प्रोसीड्स आफ ह्विच स्पेस्फिक लेई एप्रोपिसियेट इन पेमेंट आफ एक्सपेंसेज फार दि प्रोमोशन आर मेनटेन्स आफ एनी पार्टीकुलर रिलीजन आर रिलीजन्स डिनामिशन धारा 25 में है कि- एब्जेक्ट टु दि पब्लिक आर्डर मोरलीटी एण्ड हेल्थ एण्ड टू दि अदर प्रोविशन आफ दिस ऐक्ट आल पर्सनस आर इक्योली एटेन्डेड टु फ्रीडम आफ कान्सियस एण्ड दि राइट फ्रीली टु प्रोपोस प्रॉक्टिस एण्ड प्रोपोगेट रिलीजन ।

श्री रवीन्द्र प्रताप-

मान्यवर, यह अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं निवेदन करूंगा कि यह परिपाटी रही है कि अंग्रेजी में कहने के बाद उसका अनुवाद हिन्दी में कर दिया जाता है । तो मैं उसका अनुवाद हिन्दी में कर दूंगा । तो मान्यवर, हमारे संविधान में धर्म के बारे में आजादी उसकी सोच और उसके प्रचार के समय उस पर आजादी से अमल करने की छूट दी गयी है । उस समय प्रैक्टिस शब्द पर बहस हुई । उस समय के हिन्दू विचार धारा के लोगों ने कहा कि "प्रैक्टिस" शब्द को निकाल दिया जाये । यह चीज उस कमेटी के सदस्यों ने और खास तौर से श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने कही थी कि अगर प्रैक्टिस शब्द को निकाल दिया गया तो इसका बुनियादी मकशद खत्म हो जायेगा नतीजे में श्यामा प्रसाद मुकर्जी के प्रस्ताव को माना गया ।

श्री अध्यक्ष-

हम इस समय संविधान के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं । आप अपनी सूचना की ग्राह्यता के बारे में बोलें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं उसी समय पर आ रहा हूं । यह बी0एन0 शुक्ला की किताब है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि उस जमाने में भी इस धारा के अल्फाज की जरूरत समझी गयी और कहा गया कि प्रैक्टिस शब्द का इस्तेमाल किया जाये, नहीं तो सही लोकतंत्र कायम नहीं होगा और अगर देश, प्रदेश और समाज में कानून नहीं रहेगा, रूल आफ ला नहीं होगा, तो रूल आफ जंगिल होगा । मान्यवर, जब दो फरीक आपस में लड़ते हैं पंचायत होती है और उसके द्वारा जब कोई बात तय

हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पंचायत में कोई बात तय नहीं होती है तो कानून और संविधान का सहारा लेना पड़ता है और उस मामले को अदालत तय करती है । आज हमारे सामने एक ऐसा ही मुद्दा है, जो पूरे देश और प्रदेश के सामने है और जो कानून से बंधा है । यह सरकार एक खास नारा देकर आयी थी मैं समझता हूं सभी साथी ही नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे एक अहम मुद्दा जुड़ा हुआ है । सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सभी का अपनी बात कहने का अधिकार है और अगर लोकतंत्र में किसी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दिया जायेगा, तो मैं एलानिया कहूंगा कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में, कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है । मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । बाबरी मास्जिद के द्वारा . . .

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता के बारे में ही बोलें ।

(व्यवधान)

मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसके बाहरी हिस्से पर, यह मैं मान रहा हूं कि यह विवादित है, मामला लखनऊ की ही अदालत में है, मान्यवर, मैं भी कानून का व्यक्ति हूं पेशे से वकील रहा हूं इसलिये मैं जानता हूं कि सदन में कौन सी बात कहनी चाहिये, मैं चौथी बार सदन का सदस्य हूं, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जो नियमों से परे होगी, मान्यवर, बाबरी मस्जिद और उसके बाहरी हिस्से यानी कब्रिस्तानों का मुकदमा लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में चल रहा है । वहां विचाराधीन है, इसलिये उसके बारे में कोई ऐसी बात कही जायेगी जो कानून गलत हो लेकिन मेरा यह अधिकार बनता है और मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं (घोर व्यवधान) जो उसके बाहर दीवार बन रही है, सरकार मना कर दे कि जो खबर अखबार में छपी है वह गलत है तो मेरा औचित्य का प्रश्न नहीं रह जायेगा उस दीवार का नाम, बनने वाली दीवार का नाम राम दीवार रखा गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 300 के उप नियम 6 को देखें, औचित्य का प्रश्न किसी जानकारी के लिये नहीं उठाया जा सकता है । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं संविधान की धारा 27 का हवाला दे रहा हूं जिसमें यह बात कही गयी कि कोई सरकार किसी धर्म के नाम पर धन खर्च नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार को टैक्स हर धर्म और हर वर्ग देता है तो यह सरकार राम की दीवार के नाम पर खर्च नहीं कर सकती है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपने ग्राह्यता के बारे में कोई बात नहीं की है, ग्राह्यता के अतिरिक्त कोई चीज कहेंगे तो लिखी नहीं जायेगी ।

(व्यवधान)

*श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

आपके माध्यम से मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय सदस्य आजम खां जी ने अभी अपने भाषण मे बोलते हुए अप्रत्यक्ष रूप से आतकवादियो का समर्थन किया है, आप कार्यवाही निकालकर देख ले । इन्होंने कहा है लोकतंत्र में बात सुनी जाती है यहां बात सुनी नहीं गयी, इसलिये यह बात पैदा हुई । यह अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों का समर्थन है, इसे कार्यवाही से निकालने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(श्री शिव कुमार बेरिया एवं श्री स्वामी नाथ यादव द्वारा बोलने की अनुमति मांगते रहने पर व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

(× × ×)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने से घोर व्यवधान)

*श्री शिव कुमार बेरिया-

माननीय सदस्य मोहम्मद आजम खां साहब ने आज जो औचित्य का प्रश्न मैं उठाया उससे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान में यह कहा गया है- हम लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हुए कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बराबर सम्मान देंगे । हमारा देश विभिन्न धर्मों नस्लों और जातियों को देश है और जब कोई सरकार बन जाती है तो वह धार्मिक सरकार नहीं हो सकती है । धर्मनिरपेक्ष तो हो सकती है । लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है (× × ×) बराबर इनका पूरे प्रदेश में एक नारा था जो आज भी है कि हम अयोध्या के अन्दर (× × ×) मंदिर का निर्माण करायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट -(× × ×)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

यह आपका कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा यह आपकी सूचना में नहीं है। इस सूचना में जो कुछ नहीं लिखा है उसको मै कार्यवाही का अंग नहीं समझूगा ।

*श्री बलराम यादव-

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, मुझे खेद है कि उस पर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह से शोर शराबा कर रहे हैं । यह बात सच है कि जिस दृष्टिकोण के, इनकी पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं और जिनका संविधान बनाने में बड़ा सहयोग रहा है, उनके दिखाये हुए रास्ते पर जब हम औचित्य के प्रश्न पर उनको ज्ञान बोध करा रहे हैं, तो उनको इतनी ज्यादा खलबली क्यों हो रही है ? उन्होंने पूरे देश और पूरे प्रदेश को चलाने के लिये जो रास्ता बनाया था, उसके अन्तर्गत ही हमने इस औचित्य के प्रश्न को सदन में रखा है और उन्हीं के बताये विचारों को इसमें रख रहे हैं । आयोध्या मे जो तथाकथित राम दीवाल बन रही है, वह सरकारी पैसे से बनायी जा रही है। जबकि हमारे संविधान में किसी क्षेत्र में किसी धर्म के लिये ऐसे कार्यों पर पैसा खर्च करने का प्राविधान नहीं है । यह औचित्य का प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, इस लिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपना जबाब दें और मान्यवर, आप इस संबंध में अपना निर्णय दें ।

(व्यवधान)

*वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने अभी कुछ समय के लिये सदन में अकारण परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगाये । उनमे आरोप-प्रत्यारोप की बात होने लगी । जो भी आरोप लगाये गये हैं वह सत्य से परे है । मैं उनकी भावनाओं को जानता भी हूं । और उनका सम्मान भी करता हूं । आजम खां साहब हमारे बहुत पुराने साथी सदस्य हैं जहां तक हमारा और हमारी सरकार का ताल्लुक है हम पूरी तरह से प्रखर राष्ट्रवाद और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले और उसके पोषक हैं । सभी उपासना पद्धतियों के प्रति हमारे मन में समान रूप से सम्मान है । कोई किसी भी रूप में भगवान में आस्था रखते हुए पूजा करता है तो उन सबके लिये हमारे मन में सम्मान है, किसी तरह का भेद भाव नहीं है। साथ ही यदि वह किसी में भी आस्था न रखता हो, तो भी उसके लिये हमारे मन में समान रूप से सम्मान है, क्योंकि उनकी भी उपासना पद्धति की अपनी एक विधा है ।

इसलिये मान्यवर, इस तरह के आरोप का कोई मतलब नहीं है, आजम साहब द्वारा शंका उठायी गयी कि सरकार के पैसे से दीवाल बनवायी जा रही है, मान्यवर, सरकार के पैसे से मंदिर मस्जिद बनाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है । मैं स्पष्ट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर देना चाहता हूं कि जहां तक राम मंदिर के निर्माण का सवाल है, उसके पक्ष में तो हमें जनादेश प्राप्त हुआ है, वह कार्य बहुत दिनों तक टल नहीं पायेगा। लेकिन यह इस समय समस्या नहीं है, आजम खां साहब ने एक बात और उठायी है कि एक मुकदमा भी चल रहा है, हम न्यायालय के उस मामले का असम्मानित नहीं करना चाहते हैं, एक मामला है जो विवादास्पद बताया जा रहा है, हमने उस जमीन को एक्वायर नहीं किया, जो एक्वीजीशन के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि एक्वीजीशन उसका कर सकते थे, लेकिन हमने उस विवादित ढांचे का एक्वीजीशन नहीं किया । उसकी सुरक्षा की भी गारंटी हमने ले रखी है, वह दीवाल बनायी जा रही है, उस ढांचे की सुरक्षा के लिये एक दीवाल बनायी जा रही है ।

अब कोई उसे राम दीवाल कह दे या कुछ कह दे, मैंने सूचना पढ़ी आजम साहब की उन्होंने भी लिखा है कि वह कथित राम दीवाल जो भी कह रहे हैं वह उस विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिये एक दिवाल बनायी जा रही है । मैं समझता हूं कि वह काम कोई ऐसा नहीं है जो सरकार के दायित्वों के विपरीत हो, वह मंदिर नहीं बन रहा है । मैंने स्पष्ट कर दिया कि मंदिर आज नहीं तो कल बनना ही है (सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) एक जनादेश आपको मिला हुआ है और एक जनादेश हम लोगों को मिला है, चुनावों में आप भी कुछ कहा करते थे, हम भी कुछ कहा करते थे, हमें जनादेश मिला, हम मंदिर निर्माण की बाधाओं को दूर करेंगे, एक जनादेश में जनता ने आपको उधर बैठा दिया, एक जनादेश में जनता ने हमको इधर बैठा दिया, तो क्यों न हम सब मिलकर जनता के द्वारा प्राप्त जनादेश का सम्मान करें और उसके निर्माण में योगदान दें । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) कितना सुन्दर होता हिन्दू मुस्लिम सब मिलकर मंदिर बनायें, मस्जिद बनायें । लेकिन मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि वह राम दीवाल जो कही जा रही है, वह उस विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिये एक दीवाल बनायी जा रही है उसके अलावा कुछ नहीं है । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ी सफाई से अपना पक्ष प्रस्तुत किया । मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं चुनाव के पहले आप कहा करते थे और अब क्या कहते हैं आप कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण सरकार बनते ही हम तुरन्त करा देंगे, आज 9 महीने हो गये आपने उसे नहीं कराया । मान्यवर, चुनाव के पहले आप यह भी कहा करते थे कि न्यायालय का हम आदेश नहीं मानते हम वहां पर मंदिर का निर्माण हर हालत में करेंगे, आपने बाबरी

मस्जिद की हिफाजत के लिये दीवाल बना दी, इसके लिये आपको बधाई है । मस्जिद की हिफाजत के लिये आपने दीवाल बना दी इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी कहते थे प्रधान मंत्री की हैसियत से न्यायालय का फैसला जो होगा हम उसको मानेंगे, आज आप भी वही कह रहे हो कि बाधाओं को दूर करेंगे न्यायालय का सम्मान करेंगे, चुनाव में आपने कहा कि सत्ता में आते ही तत्काल मंदिर निर्माण करा देंगे । मैं दावा कर रहा हूं कि न आज आप मंदिर का निर्माण करा पाये हैं और न भविष्य में निर्माण करायेंगे ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मंदिर निर्माण होगा-मंदिर निर्माण होगा की आवाजें)

श्री राजेन्द्र कुमर गुप्त-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल का मैं बहुत आभारी हूं उन्होंने पुरानी बातों की याद दिला दी कि हम क्या कहते थे हमें याद है हम कहते थे कि राम लला हम आयेंगे मंदिर वहीं बनायेंगे और आज भी कहते हैं । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) आप चुनावों के समय भाषणों को देख लें हमने कभी यह नहीं कहा कि उस मस्जिद को तोड़ेंगे इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, मान्यवर, यह तो जनता की अपेक्षायें थीं और जनता की अपेक्षायें हैं, हम सरकार में हैं, माननीय नेता विरोधी दल से तर्क के लिये एक बात कहना चाहता हूं हम अगर मंदिर बनाना शुरू कर दें सरकारी पैसा है तो आपको आपत्ति होगी और वह आपत्ति सही भी है । मंदिर तो हम नहीं बनायेंगे मंदिर बनायेगी वह जनता जिसके मन में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि है । इसमें कुछ बाधायें हैं उसको हम दूर करने की प्रक्रिया कर रहे हैं और इसमें ज्यादा देर भी नहीं है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

(× × ×)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता हूं । यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । श्री मोहम्मद आजम खां, श्री बलराम यादव व श्री शिव कुमार बैरिया ने जो सूचना नियम 300 के अन्तर्गत दी है उस पर माननीय सदस्यों को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं । इसमें जो अनुच्छेद 14, 25, 26, 27 का जो उल्लेख है वह इसके अंतर्गत नहीं आता इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं । अब मैं अगली सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की जनपद इलाहाबाद में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के संबंध में है, को लेता हूं । माननीय बेरिया जी यह सूचना तो कहीं से भी नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती । फिर भी आप ग्राह्यता के बारे में कुछ कहना चाहें तो कहें ।

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनपद इलाहाबाद में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, यह जो सदन है यह जनप्रतिनिधियों के संरक्षण का सदन है और आपका यह दायित्व है कि आप जनप्रतिनिधियों को संरक्षण दें । शासन की तरफ से यह परिपाटी रही है कि जिलों के अन्दर जितने भी विभागों के विभागाध्यक्ष. हैं महीने में हमेशा एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते रहे हैं । मान्यवर, मैं आपका ध्यान इलाहाबाद में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता के बारे में बोलें ।

(व्यवधान)

माननीय शुक्ल जी आप कृपया बैठ जायें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, जो इलाहाबाद की कानून व्यवस्था है वह पूरी तरह से खराब हो गयी है । आम आदमी, आम जनता पूरी तरह से आतंकित है और वहां का पुलिस प्रशासन इसके लिये जिम्मेदार है । यह परिपाटी रही है और शासनादेश भी कि जिलों के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ महीने में एक बार जिले की व्यवस्था के बारे में चर्चा, विचार विमर्श करेंगे । मान्यवर, आज इस सरकार को बने आठ महीने हो गये हैं जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से आज तक मात्र एक बार भी बैठक नहीं हुई है जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है, उनके महत्व को नाकाम किया जा रहा है वहां तो मैं आपसे मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि वह जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर बैठक करें और कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करें ताकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो सके ।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय दिनेश चन्द्र सोनकर सोनकर की जो सूचना प्राप्त हुई है वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं । अब मैं अगली सूचना जो कि मो0 रिजवानुल हक की है, को लेता हूं । माननीय सदस्य आपकी सूचना भी नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती । आप कृपया इसकी ग्राह्यता के बारे में बोलें ।

रहमतनगर, करुला आदि कतिपय बस्तियों को नगरपालिका मुरादाबाद में सम्मिलित किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान रहमतनगर, करुला, भदोरी, नयी बस्ती, जयन्ती पुर, गुलाब बाड़ी, धनिरी आदि बस्तियों को नगरपालिका मुरादाबाद में सम्मिलित किये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं यह प्रस्ताव मेरे द्वारा प्रथम सत्र ।99। के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ।36 के माध्यम से इस मा0 सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाया गया था ।

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन माननीय नगर विकास मंत्री जी ने कहा था कि मुरादाबाद नगरमहापालिका बनाते समय इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जायेगा । मान्यवर, अब मुरादाबाद नगरमहापालिका कभी बनेगी नहीं, क्योंकि कह दिया गया है कि ससाधन नहीं हैं, सरकार दिवालिया है, खजाना खाली है, इसलिये मुरादाबाद नगरमहापालिका को नहीं बनाया जायेगा । लेकिन मान्यवर, जो क्षेत्र मैंने बताये हैं, वहां बला की गन्दगी है, तमाम गन्दे नाले हैं जिससे महामारी फैलती है, वहां एक क्षेत्र गुलाबबाड़ी है, जहां पूरे शहर का कचरा डाला जाता है, जिसकी वजह से इतने मक्खी, मच्छर, बदबू हैं, जिसकी वजह से महामारी फैल रही है और सैकड़ों लोग सालाना मर रहे हैं, इसको मलिन बस्ती मानकर विकास करने की योजना थी, लेकिन ऐसा नहीं कराया गया। न तो ग्राम्य विकास से उसका विकास होता है और न नगर विकास से, न वहां स्वास्थ्य सेवायें हैं, न स्कूल है, न अस्पताल हैं, न सड़कें हैं, वहां पीतल का व्यवसाय होता है, हर घर में पीतल की मशीनें लगी हैं । लेकिन बिजली नहीं है, पानी नहीं है । मान्यवर, आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहलवा दीजिये कि इन क्षेत्रों को शामिल कर लिया जायेगा । मान्यवर, एक प्रस्ताव नगर पालिका मुरादाबाद ने इसी संबंध में सर्वसम्मति से पारित कर दिया है, उसका अनुपालन करवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री मो0 रिजवानुल हक की नियम 300 में यह सूचना नहीं आती है, जिस समय नगर विकास विभाग की अनुदानों पर चर्चा होगी, स्थानीय निकाय की अनुदानों पर चर्चा होगी, उस समय माननीय सदस्य अपनी बात कह सकेंगे । अगली सूचना माननीय विजय सिंह राणा की है, वह अपनी बात कहें ।

पर्यटन राज्य मंत्री द्वारा आगरा में ताज नेशनल पार्क की भूमि के लिये बजट और से पूर्व ही धन आवंटित करने की घोषणा से बजट की गोपनीयता भंग होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, जो सूचना मैंने नियम 300 में दी है, उसकी ग्राह्यता पर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इनके मंत्रि-परिषद् के साथी का बयान, जो जनता की बीच में दिया गया और जो बयान उन्होंने यहां इस सदन की बैठक में दिया, उन दोनों में परस्पर विरोध है और दोनों बयान सच नहीं हो सकते एक साथ दो परस्पर विरोधी बातें सच नहीं हो सकतीं । इसमें एक चीज सच होगी और एक असत्य होगी । मान्यवर मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन दोनों में कौन सी बात सच है और मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोनों बातों में से जो असत्य हो, इसका फैसला मैं आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं । लेकिन झूठ बात के नाते उस व्यक्ति को यह संविधान और नियमावली मंत्रि-परिषद् में रहने की एक मिनट भी आज्ञा नहीं देता, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है । यह दोनों बयान जो सरकार के हैं, वह मैंने आपके पास भिजवा दिये हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक बयान आगरा में अखबार में छपा , जिसमें कहा गया है, राज्य मंत्री पर्यटन द्वारा कि आगरा में ताज नेशनल पार्क बनाये जाने के लिये 2 करोड कुछ रुपया और डोरी लाल सभागार बनाने के लिये । करोड़ 23 लाख रुपया का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बजट एक गोपनीय विषय है और संसदीय मंत्री जी इसके ज्ञाता हैं और यह कहा जाये कि इतनी धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है, या प्राविधान कर दिया गया है, यह बात बजट की गोपनीयता को भंग करती है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां जो उत्तर आया है, माननीय पर्यटन मंत्री जी का वह मेरे पास उपलब्ध भी है, जो माननीय केदार सिंह फोनिया के हस्ताक्षर से है, उसमें कहा गया है कि निर्माण कार्य संयुक्त क्षेत्र में किये जाने के बारे में निर्णय लेने के बार निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की तिथि घोषित की जायेगी । जनता के बीच में यह घोषणा करके आ गये कि । करोड़ 23 लाख रुपये का प्राविधान कर दिया गया है और यहाँ पर दूसरी घोषणा की जा रही है कि कोई पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है । यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसको संयुक्त क्षेत्र में बनाये जाने के लिये यह सरकार प्रयासरत है । यह दोनों बातें आपके सामने हैं। एक बयान यहां पर दिया है और दूसरा जनता के बीच में दिया है । जनता के बीच में जो बयान दिया गया है, उससे इस सदन की कार्यवाही की गोपनीयता भंग होती है । एक ही प्रकरण पर जो दो ये विरोधी बयान दिये हैं, इससे मंत्रिमडल की संयुक्त जिम्मेदारी के निर्वाह करने की जो व्यवस्था बनायी गयी है, वह खण्डित होती है । यह औचित्य का प्रश्न निश्चित बनता है । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

*वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, श्री राणा जी ने जो आकड़े दर्शाये हैं कदाचित उनका आधार अखबार की जानकारी है । अखबार की जानकारी के अनुसार किसी भी बिन्दु पर यहा पर सवाल उठाने का प्रश्न नहीं होता ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यहां पर जो कार्यवाही होती है, वह तो लिखी जाती है । परन्तु जनता के बीच जो बयान दिया जाता है, उसकी जानकारी के बारे में अखबार से ज्यादा और प्रमाणिक तथ्य कौन दे सकता है ? जनता के बीच में जो कार्यवाही हुई, उसको अगर समाचार पत्र नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

यह बात सही है और मेरे पास जो जानकारी भी है उस हिसाब से पर्यटन विभाग द्वारा ताज नेशनल पार्क व डोरी लाल सभागार हेतु शासन स्तर पर कुछ प्रयास हुए। 1987-88 में हमने 2.81 करोड़ रुपये के प्रतिकर का भुगतान किया है । आगे भी हम करेंगे । डोरे लाल सभागार हेतु 11.3.28 लाख रुपये की व्यवस्था भी की गयी है । अब मंत्री जी ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, यह एक अलग बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । मैंने आपको जो आधार दिये, वह प्रमाणित दिये । अब माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, यह मैं नहीं समझ पाया । हो सकता वह चाहते हो कि दोनों सभागार बन जायें और जिस मंत्री ने बयान दिया है, उसके कान भी पकड़ लिये जाय । माननीय सदस्य से हम बात कर लेंगे । आगरा के विकास कार्यक्रमों में उनकी काफी रुचि रही है और सरकार भी रुचि रखती है । मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है । इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, नियम-300 के अन्तर्गत कैसे नहीं आता, इसे आप बता दें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री राणा जी आप नियम-300 के उप नियम (2) को देखें ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, आपकी प्रतिभा और निष्पक्षता पर मुझे कोई शक नहीं है । सरकार के दो बयान हैं । एक जनता के बीच और दूसरा यहां पर दिया गया है। दोनों में से एक बयान सच होगा ।

श्री अध्यक्ष-

दूसरे नियमों में आप दे सकते हैं । परन्तु इस समय नियम-300 (2) से आप बाधित हैं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों बयान परस्पर विरोधी हैं । उसमें से एक सच होगा और एक असत्य होगा । आप ही इसका निराकरण कर दें कि कौन सच है और कौन असत्य है ? जिसने असत्य बयान दिया होगा, वह इस्तीफा दे। अगर मेरी बात असत्य है तो मैं इस्तीफा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष-

सच और असत्य के बारे में आप जो कह रहे हैं । आप नियम-300 के उप नियम (6) को देख लें । उसमें लिखा है "कोई सदस्य जानकारी मांगने के लिये या अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये..."

श्री विजय सिंह राणा-

जनता के बीच में जो बता कही उसका क्या माध्यम होगा ? मैं जानकारी दे रहा हूं उस पर मैं आपका निर्णय चाहता हूं । इन दोनों में से जो असत्य हो उसके बारे आप निर्णय दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

यह निर्णय मैं कैसे दे दूंगा ? अगली सूचना अमरेश चन्द्र जी की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

6 ता0 को माननीय मंत्री जी आगरा में नहीं थे ।

दिनांक 27 फरवरी, 1992 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर न देकर सदन को गुमराह करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, नियम-300 के अन्तर्गत जो सूचना दी है मैं इसकी ग्राह्यता पर एक मिनट बोलूंगा । श्रीमन् हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनता की समस्याओं के बारे में अगर सदन चलता है तो विभिन्न नियमों के अन्तर्गत यहां पर उन्हें उठाते हैं लेकिन जब सदन नहीं चलता है तो हम पत्रों के माध्यम से संबंधित मंत्री के यहां पहुंचाते हैं । लेकिन दुर्भाग्य है कि भा0ज0पा0 के जितने मंत्री हैं, उनमें से एक भी मंत्री किसी विधायक के पत्र का जबाव नहीं देते । श्रीमन् आप खुद भुक्तभोगी हैं कल ही हमारे विद्यालय के बारे में आपने कहा जो सूचना मुख्य मंत्री जी तक पहुंचाई उसका उत्तर आज तक नहीं आया तो जब आपको ही उत्तर नहीं मिलता है तो विधायकों को उत्तर कहां से मिलेगा ? अगर कोई पत्र किसी मंत्री को जनता की समस्या के बारे में मेरे द्वारा दिया जाता है तो मैं उसका रजिस्टर रखता हूं उसमें तारीख, संबंधित मंत्री का नाम और विषय उसमें अंकित करता हूं । अगर मैंने कल किसी मंत्री को कोई पत्र दिया तो उसका विवरण और संख्या उसमें अंकित है आप कहें तो मैं आपको इसे दिखा दूं जब हमें अपने पत्रों का जबाब नहीं मिलता है तो हम उसे यहां पर ही कह सकते हैं जहां से हमें संरक्षण मिलता है हम प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं फलां फलां तारीख को इस संबंध में क्या कोई पत्र मिला है। मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को एक पत्र दिया था 31-8-91 को जब उसका जबाब नहीं मिला तो मैंने एक प्रश्न इस विधान सभा के सत्र 92 के तीसरे गुरुवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 84 में अंकित किया है जो इस प्रकार है- क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-8-91 को प्राप्त हुआ उन्होंने जबाब दिया- जी नहीं । तो जब पत्र को स्वयं मैंने संबंधित मंत्री जी तक पहुंचाया, उसका जबाब अलग से मिलना तो अलग रहा पत्र भी गायब हो जाता है तो यह स्थिति है हमारे पत्रों की । इस तरह का उत्तर देना सदन को गुमराह करना है, इस संविधान के विरुद्ध है । हम जनता की समस्याओं को संबंधित मंत्री तक पहुंचाते हैं और उसका जबाब तो अलग रहा साफ कह देते हैं, जी नहीं । इस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, इस तरह का जबाब देना सदन को गुमराह करना है, यह औचित्य का प्रश्न है । मैं इस औचित्य के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

श्रीमन् जिस महत्वपूर्ण बात की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसके महत्व को मैं समझता हूं । लेकिन यह बात सही नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एक भी मंत्री उत्तर नहीं देता इसमें अतिशयोक्ति है । मैं किसी विवाद पर नहीं जाना चाहता माननीय सदस्य चाहे उधर के हों या इधर के, सब सम्मानित हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

कल ही आपसे बात हुई आपको अध्यक्ष जी मुख्य मंत्री जी से जबाब नहीं मिला ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि अगर कहीं कोई चूक हो रही है तो सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी माननीय सदस्यों के जो पत्र हमारे पासे आते हैं उनका उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा, अगर कहीं चूक हुई है तो उसे हम देख लेंगे ।

मान्यवर, एक बात और प्रश्नकाल का हवाला दिया । ऐसे कई अवसर आये हैं जब हम उधर बैठते थे तो मंत्री के पास पत्र भेजें और उनको प्राप्त नहीं हुये हैं । यह एक विशिष्ट मामला हुआ, इसको दिखवा लेंगे कि क्यों मिसप्लेस हो गया है ? लेकिन यदि कोई चूक उत्तर देने में रही है तो उसे भी दिखवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं । करण 65 में इसका उपचार है और आप सूचना दे सकते हैं । अगली दूसरी सूचना श्री राम ललित चौधरी की है ।

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में एन्टीरैबीज वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण कुत्ता काटे सैकड़ों मरीजों का जीवन खतरे में होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, कुत्ते के काटने पर रैबीज का बढ़ जाना एक असाध्य रोग है और मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है । कुत्ते काटे व्यक्ति को एन्टी रैबीज वैक्सीन का इंजेक्शन कान्टीन्यू लगाना होता है लेकिन यह इन्जेक्शन जिला अस्पतालों में अक्सर मौजूद नहीं रहता है इसकी उपलब्धता प्रत्येक जिला अस्पताल में रहना अति आवश्यक है । मान्यवर, 4-5 मार्च को बलरामपुर चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक की लापरवाही से रैबीज वाले मरीजों को रैबीज के इन्जेक्शन नहीं लगाये जा सके हैं। जिससे सैकड़ों मरीजों का जीवन खतरे में पड़ गया है । इसलिये औचित्य का प्रश्न उठाते हुए मैं आपसे यह मांग करता हूं कि प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पर रैबीज का इन्जेक्शन अवश्य रखा जाये और छुट्टी के दिनों में भी इसके लगाने की व्यवस्था की जाये ताकि मरीजों को इन्जेक्शन लग सके । मान्यवर, मेरी यह भी मांग है कि बलरामपुर चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की लापरवाही के कारण मरीजों को रैबीज के इन्जेक्शन नहीं लगाये जा सकें हैं इसलिये उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मेरे पास भी 20 लोग आये थे और उन्होंने बताया कि बलरामपुर अस्पताल में 3-4 दिन पहले घटना घटी है कि रैबीज इंजेक्शन लगाने के लिये वहां एक भी डाक्टर ड्यूटी पर नहीं था, जबकि मान्यवर, कुत्ते काटे व्यक्ति को कान्टीन्यू इन्जेक्शन लगना आवश्यक होता है अन्यथा मरीज का जीवन बचना मुश्किल हो जाता है । बलरामपुर अस्पताल में इस तरह की बात हो रही है, इसलिये यह विषय गंभीर है, इसलिये चाहूंगा कि जनता के हित में इस संबंध में कोई कारगर व्यवस्था आप करायें ।

श्री अध्यक्ष-

श्री राम ललित चौधरी ने जो सूचना दिया है वह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है लेकिन विषय महत्वपूर्ण है, इसलिये शासन के संज्ञान में ला रहा हूं कि शासन इस संबंध में समुचित कार्यवाही करेगा । अन्तिम सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की है ।

प्रदेश में शिक्षकों की सेवा शर्तें प्रबन्धकों के हाथ में सौंपे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न इसलिये बनता है कि पत्रावली संख्या 1-212-91 दिनांक जनवरी, 1992 के संबंध में मेरा कहना है कि शिक्षक संघ और सरकार के बीच द्वन्द पैदा हो गया है । इस पत्रावली में मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया है कि शिक्षकों की सेवा शर्तें प्रबन्ध तंत्र को सौंपने जा रहे हैं जिससे शिक्षक आन्दोलित हो रहा है । मान्यवर, उस पक्ष के लोग जब इधर बैठते थे तो मांग करते थे कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये लेकिन आज वही लोग शिक्षा के प्रबन्ध तंत्र को सौंपने जो रहे हैं जिससे 26 तारीख को बोर्ड की परीक्षायें होने जा रही हैं उसमें सम्पूर्ण शिक्षक समाज ने हड़ताल करने का आह्वान कर दिया है। प्रदेश में कठिन परिस्थितियां पैदा होने जा रही है । शिक्षा के क्षेत्र में एक समस्या खड़ी हो जायेगी । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि मंत्रि परिषद ने जो निर्णय लिया है जिसका मैंने अभी पत्रावली का हवाला दिया है । ऐसा है तो कम से कम शिक्षक संघ के नेताओं और सरकार के बीच समझौता हो जाना चाहिये । 26 तारीख के लिये सरकार एक सुव्यवस्था करे आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

*वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

वैसे तो यह नियम-300 का बिन्दु नहीं है, लेकिन शासन की नीति के बारे में बात कही गयी है तो स्पष्टीकरण जरूर करना चाहूंगा । माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं । एक तो मैं प्रश्न करना चाहूंगा कि उधर वालों से और सबसे कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम जनता के हितों के लिये संघर्ष करते हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं। कर्मचारियों में अनुशासन और मर्यादा बनी रहे इतना हमें पढ़ाना है । कोई कर्मचारी हमारे पास पत्रावली लेकर चला आये तो हमें उससे क्या यह नहीं कहना चाहिये कि आप किस लिये लाये हैं ? यह गोपनीय है। कोई कार्यालय के बाहर लेकर जाये तो मैं समझता हूं कि यह बात गलत है। आप सब लोग इससे सहमत होंगे। कर्मचारियों को कदाचित शिक्षा हमको और आपको भी देनी होती है। इसलिये यह बात बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है कि सरकार शिक्षकों की सेवा शर्तों को दोबारा प्रबन्धकों को वापस करने वाली है। कुछ लोगों ने मात्र आन्दोलन करने के लिये, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिये सरकार के खिलाफ जान-बूझकर एक उत्तेजना और आन्दोलन की बात फैलाने के लिये असार्वजनिक और सत्य से परे मुद्दा उठाने का प्रयास किया है। हम सार्वजनिक रूप से घोषणा कर चुके हैं कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वह शिक्षकों की सेवा भर्ती प्रबन्धकों के हाथ दे रही है। मान्यवर, मैंने शासन की नीति स्पष्ट की है। जहां तक नियम-300 के प्रश्न हैं, यह उसके अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

श्री स्वामी नाथ यादव की सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये निरस्त हो रही है ।

नियम-311 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

मेरे पास नियम-311 के अन्तर्गत 16 सूचनायें आई हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार का नोटिस दे रखा है।

श्री अध्यक्ष-

जब उस मद संख्या पर पहुंचेंगे तो देख लेंगे । अभी वह नीचे है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वकीलों वाला ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

वह भी आ जाये। उसे भी ले लेंगे । वह क्रम संख्या-2 पर है। नियम-311 में कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। कुछ सूचनायें ऐसी हैं जिनमें दो से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं। कुछ पर दो सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं और किसी पर एक ही सदस्य ने हस्ताक्षर किया है। मैं चाहता हूं कि जिस पर दो से अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं उसमें आपस में निर्णय कर लें कि कौन दो सदस्य बोलेंगे ? जिस पर दो सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं वह भी आपस में निर्णय कर लें कि उनमें से एक-एक सदस्य की कमी को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में अपनी बात दो मिनट में कह दें ताकि सब की बात सुन ली जाय। बार-बार दोहराने की भी आवश्यकता न पड़े और कार्य का निस्तारण भी हो जाए ।

जनपद आगरा की दयालबाग महायोजना को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने से ग्रामीण आबादी के समक्ष उत्पन्न हुई बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या विषयक नियम-311 की सूचना

श्री अध्यक्ष-

पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री प्रमोद तिवारी, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री विजय सिंह राणा की है। जो कि दयालबाग महायोजना के बारे में है। कोई भी दो माननीय सदस्य इस पर अपने विचार देना चाहें।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय राणा जी बोल लें हम दूसरी पर बोल लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा-

हमारे आगरा जनपद में जो चारो तरफ से नगरपालिकाओं से घिरा टाउन एरिया है जिसकी आबादी 4 हजार से ज्यादा नहीं है। चार हजार आबादी के बाद इस समय सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पहले से उपलब्ध है। एक महायोजना 1982 में तैयार की गई थी जिसे अब सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इस योजना का परिणाम यह होगा कि 4 हजार की आबादी के लिए 30 हजार की आबादी के जलालपुर, महजगनपुरा, सिकन्दरपुर आदि गांवों की आबादी जहां अनुसूचित वर्ग की आबादी है पूरी तरह से भूमिहीन हो जायेंगे । यह ऐसा काला कानून है कि चार हजार सभ्य उच्च कुलीन और सम्पन्न लोगों के लिये 30 हजार आबादी के गांवों को उजाड़ने के लिये सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है, जो सम्भव नहीं है इस संबंध में जो तथ्य दिये हैं, उसमें कुछ ऐसी बाते हैं आप देखें कि जो अध्यक्ष है टाउन एरिया का उसको नियंत्रक मान लिया गया है जबकि नियम यह है कि आई0ए0एस0,आई0पी0 एस0 इसका नियंत्रक होता है लेकिन टाउन एरिया के चेयरमैन को नियंत्रक मान लिया गया है । टाउन एरिया को चेयरमैन स्वयं जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही कर रहा है, तो वह इसमें क्या कार्यवाही करेगा ? दूसरी बात प्रतिकर के भुगतान की है, तो टाउन एरिया के चेयरमैन को नियंत्रक अधिकारी मान लिया गया है तो उसको यह अधिकार कैसे प्राप्त होगा कि वह प्रतिकर की राशि का निस्तारण करे।

इस महायोजना में एक बात लिखी है जो दयालबाग क्षेत्र के लोगों के लिये है कि वहां के स्वामी और वारिस आवासीय सुविधा पा सकें। मान्यवर, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां इस तरह का नियम बना दिया जाए । जनता की जमीन को हड़पकर कुछ परिवारों और उनके वारिसों को सौंप दी जायेगी । ऐसा कहीं होते नहीं देखा पर्यटन के विस्तार के नाम पर जमीन ली जा रही है। दयालबाग जो है वहां पर्यटन स्थल के लिये कुछ नहीं है। स्वामी बाग जो है वह पर्यटन स्थल है वहां समाधिस्थल भी है और एक मंदिर भी है जहां पर्यटक आते हैं, लेकिन यह दयालबाग में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसानों की ग्राम सभाओं की कितनी जमीन थीं, किसानों की जितनी जमीन थी वहां भ्रष्ट अधिकारियों को लोग मिलकर पहले से कब्जा कर रहे हैं। 30 हजार आबादी गांव की जमीन हड़पी जा रही है यह कहां का न्याय है ? इससे वहां बहुत गड़बड़ी पैदा हो जायेगी । उनके खेत चले जायेंगे । आप चार

हजार लोगों के लिये उनके वारिसों के हक के लिये 30 हजार आबादी के गांव के लोग उजड़ जायेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां जो संलग्नक गांव हैं उनके रास्ते बन्द कर दिए गये हैं। उनके निकलने की, उनके रहने की कोई जगह नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है । इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ।

* गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-
माननीय विजय सिंह राणा जी ने सूचना दी है वह नियम-311 में नहीं आती है ।

श्री विजय सिंह राणा-
मान्यवर, नियम-311 के नियम इन्हें बता दें । नियम-311 में ऐसा कुछ नहीं है। बस रटी-रटाई बात इन्होंने कह दी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-
इन्होंने लिखा है कि दयालबाग 1982 में बनाया गया था। इस संबंध में प्रारूप राज्य सरकार को दिया गया था ।

श्री विजय सिंह राणा-
यह भी मान्यवर, गलत है इनको कुछ मालूम नहीं है। मान्यवर, यह योजना सन् 1982 से विचाराधीन पड़ी है। चूंकि यह जन विरोधी कार्य था इसलिये अब तक किसी सरकार ने इसको स्वीकृति नहीं दी पर आपकी सरकार जो पूंजीपतियों की संरक्षक है और उनका हित रक्षण करने के लिये स्थानीय मंत्रियों ने पैसा लेकर इस योजना को स्वीकार कराया है इसलिये इसको आप संरक्षण दे रहे हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-
मान्यवर, माननीय राणा जी आगरा के निरंतर विकास पर बल देते रहे हैं। उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार की मंशा कदापि नहीं है कि किसानों को उजाड़ा जाय। इस संदर्भ में मैं दिखवा लूंगा कि क्या स्थिति है और तद्नुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष-
माननीय विजय सिंह राणा ने इस सूचना के माध्यम से नियमों को निलंबित करने की प्रार्थना की है। नियमों को निलंबित करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है इसलिये मैं इसको निरस्त करता हूं और शासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर रहा हूं ।

प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-311 एवं नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त समेकित सूचना

श्री अध्यक्ष-
दूसरी सूचना श्री कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री राम ललित चौधरी श्री मोहम्मद हसन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व श्री ओमकार सिंह की उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण न्यायालयों के कार्य बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। इसी विषय पर नियम-56 के अन्तर्गत श्री प्रमोद तिवारी श्री हृदय नारायण दीक्षित श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की सूचना आयी है जो शलाका में नहीं है । तो कोई दो माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रख लें ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इतिहास गवाह है कि चाहे आजादी की लड़ाई रही हो या देश के नव निर्माण में योगदान की बात रही हो, अधिवक्ताओं का योगदान सदैव सराहनीय रहा है । लेकिन जब से भा0ज0पा0 की सरकार आयी है (× × ×) साथ बलात्कार हुआ । तो इस तरह से बराबर उत्पीड़न का सिलसिला चला आ रहा है।

अब इस सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों पर हाथ डाल दिया है। मेरी समझ में नहीं आता, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश काल आ गया है इसलिये इनकी बुद्धि सही काम नहीं कर रही है । अधिवक्ताओं का दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है ? अधिवक्ता वादकारियों के हित को पूरी शक्ति के साथ नियमानुसार न्यायालयों में प्रस्तुत करते हैं । इसके अलावा अधिवक्ता अपने अधिकारों से संबंधित मांगों को अपनी एसोशियेशन के माध्यम से सम्मानित जजों के सामने रखते हैं । लेकिन इस नासमझ सरकार ने सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य किया है । अभी तक यदि कोई अधिवक्ता अनुशासनहीनता करता था तो उन मामलों को बार काउंसिल देखती थी और उसके अनुसार कार्यवाही करती थी । लेकिन निरंकुश नौकरशाही के दबाव में चलने वाली तानाशाह सरकार ने एक बड़ा घृणित कार्य किया और लोकतंत्र के इस स्तम्भ को कमजोर करने के लिये एक बहुत ही अन्याय पूर्ण कदम उठाया जिसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है । अभी तक बार काउंसिल को अधिकार प्राप्त था कि वह अधिवक्ताओं के संदर्भ में अनुशासनहीनता के मामलों पर कार्यवाही करती थी लेकिन अब इन्होंने एक पत्र लिखा है केन्द्र सरकार को और प्रस्ताव भेजा है कि अब अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासन हीनता की कार्यवाही करने का अधिकार बार काउंसिल और न्यायाधीश को होगा ।

मैं जानना चाहता हूं कि जिन न्यायाधीशों के सामने वादकारियों के हित के लिये अधिवक्ताओं को अपनी पुरजोर आवाज उठानी पड़ती है, कहीं इत्तफाक ऐसा न आ जाये कि वह अपने को उनके रहमोकरम पर डाल दें और अपनी बात मजबूती के साथ उनके सामने न रख सकें । मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, टी0पी0सिंह, महामंत्री बार काउंसिल तथा सतीश भाटिया, सचिव, बार काउंसिल माननीय केन्द्रीय विधि मंत्री से मिले थे । उन्होंने विश्वास दिलाया था कि अगर यह मूर्खतापूर्ण कार्य सरकार ने कर दिया है तो वह मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-(×××)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

माननीय न्याय मंत्री जी ने यहां पर स्पष्टीकरण वक्तव्य देते हुये कहा कि वह उक्त प्रस्ताव पर बल नहीं देंगे । मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव क्या था ? तो उपरोक्त प्रस्ताव पर बल न देने के लिये जो पत्र लिखा है, उसमें क्या लिखा है ? मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि सभी नियम कानून को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा करा लें । यह चर्चा पूरी तरह से आवश्यक है चूंकि न्यायपालिका पगु हो गयी है । इससे जनता की आवाज पूरी तरह से नहीं उठ पायेगी । मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी को निर्देशित करें कि वह पत्र जो उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है, उसे मूलरूप मे सदन में रख दें और जो अनुरोध किया है कि बल नहीं देंगे, उसमें क्या शब्द है, उसको भी रखवा दें । मैं अधिवक्ताओं की ओर से एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये चाहे जितने प्रस्ताव भेज दें, लेकिन उसको भारत सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी, चूंकि आपका प्रस्ताव पूरी तरह से न्यायपालिका को कमजोर करने की साजिश है, इसलिये ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो बात कही, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि बिना निर्भीक और स्वतंत्र अधिवक्ताओं के न्यायपालिका की कल्पना नहीं की जा सकती । मान्यवर, माननीय विधि मंत्री ने कहा, कि प्रस्ताव पर बल नहीं देंगे । एक बात और है कि सरकार ने कहा कि नवम्बर, 91 में उसे भेजा गया था और जो दूसरे सरकारी वकील हैं, एडवोकेट जनरल बी0 के0 एस0 चौधरी वह कहते हैं कि वह प्रस्ताव पूर्ववती सरकार ने भेजा था । आप जानते हैं कि एडवोकेट जनरल बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि शासन को सलाह दे और शासन की ओर से कानूनी मामलों में बात करे । दो जिम्मेदार लोग हैं, एक उत्तर प्रदेश शासन और दूसरे एडवोकेट जनरल, जिनका वक्तव्य कई अखबारों मे आया है । मैं आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिये नाम बता रहा हूं । पायनियर और टाइम्स आफ इंडिया के 4 मार्च के अंक में आया है कि यह प्रस्ताव, प्रस्तावित संशोधन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भेजा गया था और विधि मंत्री ने विधान मण्डल के दूसरे सदन में कहा था कि यह प्रस्ताव इसी सरकार द्वारा भेजा गया । इस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है। आप अवगत हैं कि प्रदेश के सारे वकील आन्दोलित हैं । इस सवाल पर पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था चरमरा गयी है और यह विषय गम्भीर हो गया है, नियम-311 में इससे गम्भीर विषय और क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी न्यायपालिका की व्यवस्था चरमरा गयी है। एडवोकेट अधिनियम की धारा 9 में अनुशासन की कार्यवाही की चर्चा है, इसमें 35 से 45 में, आपको याद होगा, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, इसमें पहले से ही जो व्यवस्था थी, मैं कहना चाहूंगा कि एडवोकेट्स ऐक्ट के पहले कोई दिक्कत होगी, जो यह व्यवस्था की गयी। उसमें धारा 35 से लेकर आगे की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

धारायें प्रख्यापित की गयी हैं ताकि वकीलों को स्वतंत्रतापूर्वक न्याय दिलाने में सुविधा हो। एक तो यह सरकार दुविधा पैदा कर रही है कि आखिर कौन सा पत्र है। माननीय तिवारी जी बात पर बल देते हुए मेरा आग्रह है कि उस पत्र को सदन के पटल पर रखा जाय ताकि पता चल सके कि वास्तव में वह है क्या। दूसरे जो भ्रम पैदा हो गया है एडवोकेट जनरल और विधि मंत्री के वक्तव्य में, वह बात साफ करें ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को, माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार की कदापि ऐसी कोई मंशा नहीं है, कि वह अधिवक्ताओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव बनाये या नियंत्रण स्थापित करे, जैसा कि आरोप तिवारी जी ने लगाया है । राज्य सरकार स्पष्ट रूप से उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देने पर संकल्पबद्ध है । उसकी ऐसी कोई मंशा जिसके अन्तर्गत एडवोकेट ऐक्ट, 1961 के सम्बद्ध में कोई विधेयक लाये, ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह पत्र जो भेजा गया है उसको यहां पर प्रस्तुत करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, सर्वप्रथम 1975 में इस तरीके का एक प्रश्न उपस्थित हुआ था, उस समय राज्य सरकार ने पहली बार 1975 में इस बात की जरूरत समझी कि अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन किया जाय और पहली बार 1975 के बाद 1976 में दो, 1977 में दो, 1978 में तीन और 1979 में दो तथा 1980 में दो किये गये। तत्कालीन सरकारों द्वारा केन्द्र की संस्तुतियां भेजी गयी थी, यह मैं बताना चाहता हूं। इस समय हमने माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की हड़ताल को देखते हुए 5 मार्च को केन्द्र सरकार को अवगत कराया है कि हम अपने पत्र पर बल नहीं दे रहे हैं । 1961 के अधिवक्ता अधिनियम संशोधन की बात अगर हो, तो इन भावनाओं के बारे में बार कौंसिल के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी से 5 मार्च को मिले थे, इसलिये अब इस प्रश्न पर कोई औचित्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं बार-बार आग्रह करूंगा कि केन्द्रीय मंत्री को जो पत्र लिखा है, उसको सदन में प्रस्तुत कर दें । जो पत्र प्रदेश सरकार ने लिखा है कि हम अपने पत्र पर बल नहीं दे रहे हैं, उस पत्र को सदन में रखने में क्या आपत्ति है ? उस पत्र को ये सदन में पढ़कर सुना दें, क्योंकि इनकी नियत साफ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

उस पत्र से माननीय गृह राज्य मंत्री जी, माननीय तिवारी जी को अवगत करा दें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं समझता हूं कि अन्य राज्य सरकारें बल नहीं देती हों, तो...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस पर माननीय न्याय मंत्री जी का वक्तव्य भी हो चुका है।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप क्या स्वयं संतुष्ट हैं मान्यवर ? मान्यवर, इन्होंने पत्र भी लिख दिया और वापस भी कर लिया।

(व्यवधान)

लेकिन उस सम्पूर्ण पत्र को सदन में पढ़ने में हिचक क्या है ? शरमा आप क्यों रहे हैं ? मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि उस पत्र को सदन में मान्यवर, रखवा दें। इन्होंने उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इनके कहने में और पत्र में फर्क है। मैं चाहता हूं कि जो पत्र इन्होंने लिखा है, उसका अंश ही पढ़कर सुना दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, आपने कहा कि माननीय तिवारी जी को वह पत्र अवलोकित करा दूं तो मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी को अवलोकित करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय दीक्षित जी और माननीय प्रमोद तिवारी जी को अवलोकित करा दीजियेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस सरकार के अत्याचार के विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

इसी विषय पर नियम 56 के अन्तर्गत श्री प्रमोद तिवारी, श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की भी सूचनायें आई हैं जो शलाका में सफल नहीं हुई हैं।

अतः नियम 311 के अन्तर्गत इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण के सम्बन्ध में शासन के विभागों द्वारा उपेक्षित रवैया अपनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस सरकार के शासन काल में लगातार दलितों, अल्पसंख्यकों और

पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मान्यवर, संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व शासन और प्रशासन में दिये जाने के लिये उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जायेगा। लेकिन आज इस सरकार ने आरक्षण कोटे को पूरा करने की बात सोची नहीं है और उनकी उपेक्षा करती जा रही है। तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जहां पर प्रवेश को लेकर आन्दोलित हो रहे हैं। दलित छात्रों की मुख्य मांग है कि उनका आरक्षण कोटा पूरा किया जाये, यह उनकी मांग नाजायज नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे यहां पर एक विश्वविद्यालय है, जहां पर न कोई अध्यापक है और न कोई कर्मचारी है जो कि आरक्षण कोटे से आया हो।

वहां पर दलित वर्ग का एक भी अध्यापक नहीं है और जब वह कोटा पूरा करने की मांग करते हैं, तो उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनको जेल में ठूंस दिया जाता है और जेलों में भी उनके साथ अत्याचार किया जाता है। उनके साथ उत्पीड़न का काम किया जा रहा है। यही नहीं जिन लोगों ने दलितों के लिये लड़ाई पड़ी थी उनको भी अपमानित किया जाता है। अभी उन्नाव में डा0 अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, मलिहाबाद में उनकी मूर्ति के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस प्रकार से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है और सदन में जब बात आती है तो कह दिया है कि मार्च में कोटा पूरा कर दिया जायेगा। इस प्रकार से दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दी जाये।

श्री भगवन्त प्रसाद-

मान्यवर, मैं इस हाउस में बहुत सहमा हुआ बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

सहमने की कोई बात नहीं है। आप बोलिये।

श्री भगवन्त प्रसाद-

मान्यवर, राम राज्य की कल्पना से शाम्बूक बध की कल्पना नहीं की जा सकती है जब जागृति होने लगती है तो सुनना ही बन्द हो जाता है और यदि सुनने की मोहलत हो तो पत्थर भी बोलते हैं, इस बात की मुझे उम्मीद नहीं है कि दलितों के साथ न्याय होगा लेकिन सुनाना जरूरी है। दलित वर्ग के लोग जब से कुछ पढ़ लिख गये हैं, तब से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखने लगे हैं और अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं। पूरे विश्व में हम बिजली की ताकत को जानते हैं, उसी प्रकार से शहर में रहने वाले लोग दलितों की ताकत को जानते हैं, जब वह उठते हैं अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उन पर अत्याचार किया जाता है, उनको जेलों में ठूंस दिया जाता है, न उनको पानी दिया जाता है और न खाना जिस दिन वह ठीक से अत्याचार के विरुद्ध क्रोध में आयेंगे, सारे शहर उजड़ जायेंगे, यह हाउस भी यहां नहीं टिक पायेगा।

श्री भगवन्त प्रसाद-

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस पर पूरी बहस करा दी जाय ।

(श्री दिनेश चन्द्र सोनकर द्वारा बोलने की अनुमति मांगने पर)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, इसमें अन्य सदस्यों को भी मौका दे दें, उसके बाद मुझे भी बोलना है ।

श्री अध्यक्ष-

जिस पर दो से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उस पर दो सदस्यों को मैंने सुन लिया जिस पर दो सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उस पर एक सदस्य को सुन लूंगा । अपवादस्वरूप मैं इनको बुलवाये देता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, आज दलित शिक्षा आन्दोलनकारियों के साथ जो यह प्रदेश सरकार नियमों का, कानून का खुला उल्लंघन करते हुए उनके साथ अन्याय और अत्याचार करने का जो कार्य किया है, उस विषय पर अभी इस माननीय सदन में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उसके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार पूरे प्रदेश में सदियों से यह व्यवस्था रही है कि दलितों के हालात पर, दलितों की स्थितियों पर कभी भी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया आज वही स्थिति हम इस उत्तर प्रदेश की इस उच्च सदन विधान सभा में भी देखने को पाते हैं । मैं इस सदन का नया सदस्य हूं मगर हमने अपनी आंखों से देखा है कि दलितों के बारे में हम इस सदन में बहुत गम्भीरतापूर्वक अपना रोश अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं और अपना रोश और आक्रोश व्यक्त करने के बाद हम अपनी कुर्सियों पर बैठने के बाद हंसते हैं इससे ऐसा मालूम होता है कि हमारे दिल के अन्दर दलितों की समस्याओं को दूर करने के लिये कोई इच्छा शक्ति नहीं है । इसके चलते हम नहीं सोच पा रहे हैं कि प्रदेश में दलितों के साथ जो अन्यायख, अत्याचार हो रहा है उसका कोई समाधान निकलेगा दलित शिक्षा आन्दोलन पिछले कई महीनों से इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहा था, उसके नौजवान कार्यकर्ता जो संकल्पबद्ध होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर के बताये हुए रास्ते संगठित हों संघर्ष करें, शिक्षित बनने के सिद्धान्त पर चलकर प्रदेश की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का काम कर रहे थे, दलितों के साथ जो आपने वायदे किये हैं, जो लोग कभी भी नाम नहीं लेते रहे हैं डा0 अम्बेडकर का उस महापुरुष का नाम लेकर वोट लेने का काम आपने किये हैं उन वायदों को पूरा करने के लिये क्या आप आगे आयेंगे ? मान्यवर, उनके साथ अन्याय किया गया, उनको किस तरह से जेलों में बन्द किया गया, यह आपके सामने सदन में आया था । उनके साथ हो रहे अत्याचार के बारे में विस्तृत रूप से आप विचार करते हुए व्यवस्था देने की कृपा करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, दलित आन्दोलन जो इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले 3 महीने से चल रहा है और मैं समझता था कि सरकार इसको गम्भीरता से लेगी और गम्भीरता से लेकर, मान्यवर, अगर आप देखें कि दलित छात्रों की मांग क्या थी कदाचित सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ध्यान दिया तो उल्टे उन्हें पिटवा दिया । दलित छात्र 3 बार पिटे गये । एक बार आपके मंत्री महोदय गये तब, एक बार असमाजिक तत्वों ने उनको पीटा और तीसरी बार पुलिस ने उनको पीटा है और शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, आप उसके लिए बहुत चिन्तित भी नजर नहीं आते, उस दलित छात्र आन्दोलन में चन्द्र भाल बी0एच0यू0 का टापर छात्र है, कल्पनाथ बी0एच0यू0 का टापर है इस तरह से एक दर्जन छात्र टापर हैं जो इस आन्दोलन में लगे हुए हैं ।

यह सरकार कहती है कि हमने उनसे बात किया तो उस बात का क्या निष्कर्ष निकला, आपने कोई राजाज्ञा जारी की, कोई कदाचित राजाज्ञा जारी नहीं की गयी । उनका कहना है कि शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन और अध्ययन में जो उनका कोटा होता है लगातार पूरा होने के बजाय दिनों दिन घटना जा रहा है और 8 फीसदी कोटा रह गया है । एक तरफ 20 फीसदी कोटा है, उसको पूरा न करके साथ हम बेइज्जती का व्यवहार कर रहे हैं, पशुवत व्यवहार करके उनको पिटवा रहे हैं और आज वह अपनी बात कहने पर मेरिट वाले लड़के हैं, टापर हैं, उनको जेलों में बन्द कर रहे हैं ।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

उनको आप संगीन अपराधों में जेलों में बन्द करते हैं और जो आपके वास्तव में जो संगीन अपराध के लोग हैं वह सड़कों पर खुले आम घूम रहे हैं, उनको आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है । दलित छात्र अगर अपनी मांग रखते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो आप उनको डंडों से पुलिस से पिटवाते हैं उनको जेलों में बन्द कराते हैं, यह शर्म का विषय है । मान्यवर, होली का त्योहार आ रहा है, मैं माननीय गृह राज्यमंत्री से चाहूंगा कि वे घोषणा करें कि जेलों में बन्द दलित छात्रों को आज रिहा किया जा रहा है ।

(दर्शक दीर्घा से कुछ लोग नारे लगाने लगे दलित छात्र जिन्दाबाद जिससे व्यवधान हुआ)

मान्यवर, अगर दलित छात्रों के साथ यही व्यवहार होता रहा तो एक रोज यह आग की चपेट पूरे प्रदेश में लगेगी, जिस तरह से आतंकवाद की आग लगी हुई है पूरे प्रदेश में, जब यह दलित छात्र सड़कों पर निकल आयेंगे तो आपकी पुलिस रोक नहीं पायेगी । आज दलितों के साथ पूरे प्रदेश में अन्याय हो रहा है ।

(दर्शक दीर्घा से कुछ लोग नारे लगाने लगे दलित छात्र वाहिनी जिन्दाबाद)

मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं नहीं तो बहुत लम्बी फेहरिस्त हो जायेगी ।

मैं आपसे यह चाहता हूं कि दलितों के सम्मान में इस अम्बेदकर साहब के शताब्दी वर्ष में आप इस सदन में दो बातो की घोषणा आज करें, एक तो यह कि पठन-पाठन मे चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे डिग्री कालेज हों, चाहे इण्टर मीडिएट कालेज हों, चाहे जूनियर हाईस्कूल हों या प्राइमरी पाठशालायें हों, आप उनमें कोटे को पूरा करेंगे और समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, इसकी राजाज्ञा आप कब जारी करेंगे इसकी घोषणा आज आप करें । आज दलितों को वजीफा नहीं मिलता है, उनके वजीफे में बहुत बड़ा घपला हो रहा है कागजों में उनका वजीफा जाता है, दलित छात्रों तक पहुंच नहीं पाता है आप घोषणा करें कि जिन दलित छात्रों को जेलों में बन्द किया गया है उनको रिहा किया जा रहा है । मैं यह अपेक्षा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि जब आप जबाब देंगे तो समुचित जबाब देंगे केवल टालमटोल वाला जवाब नहीं देंगे स्पष्ट जबाव देंगे जिससे दलितों का हक उनको दिलाया जा सके ।

(माननीय गृह राज्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

यह तो दलित छात्र विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

यह आपका भ्रम है, हम लोग दलित विरोधी नहीं हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल को और अन्य माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार दलितों की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी के साथ कृतसंकल्प है (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि जो पिछले 40-50 साल के शासनकाल में दलितों का कोटा पूरा नहीं हो सका, हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर उस कोटे को पूरा करने के लिए कार्यवाही कर रही है । हमने विभिन्न विभागों में प्राथमिकता के आधार पर उनकी नियुक्ति शुरू कर दी है, उससे कोटा स्वतः पूरा होता जा रहा है, उसके लिए हमने रोटेशन पद्धति लागू की है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

शिक्षण संस्थाओं में क्या हो रहा है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वहां पर भी हो रहा है । उन्नाव की पुरवा तहसील के ग्राम नापीखेड़ा के सम्बन्ध में जो बात कही गयी थी कि वहां पर लगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गयी है तो यह सत्य नहीं है । मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि जिस स्थान पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है वह बनी रहेगी, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी इस सरकार पर है । वहां पर समस्या दूसरी थी । वह भूमि होलिका दहन की थी उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया था । अब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होलिका दहन के लिए दूसरी जगह भूमि ले ली गयी है । जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया था उनके विरुद्ध हमने कार्यवाही की है और वह मूर्ति फिर से स्थापित की गयी है । हम बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की सुरक्षा हर कीमत पर करेंगें। उत्तर प्रदेश में कहीं भी ज़ैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दलितों पर कहीं भी अत्याचार नहीं हो रहा है और न ही उनका उत्पीड़न हो रहा है । हमारे समाज कल्याण मंत्री ने इस इस संबंध में अनुसूचितजाति जनजाति एवं पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिये अनेक कदम उठाये हैं । आज जो बजट पेश होगा उसमें आप देख लेंगे । मैं आपके माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी दलितों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है और यदि कहीं हो भी रहा हो तो सरकार उस पर कड़ी कार्यवाही करेगी इसलिए आप आश्वस्त रहें, यह हमारी चिन्ता है । आपकी चिन्ता स्वाभाविक है क्योंकि यह आपका सामाजिक दायित्व है । जहां तक दलित विद्यार्थियों के आन्दोलन की बातें कहीं गयी, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि आन्दोलन करने की सबको स्वतंत्रता है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका हम बातचीत करके हल निकाल लेंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह -

मान्यवर, माननीय शाही जी ने बड़ा ही टालू मिक्सचर दिया है इसकी हम अपेक्षा नहीं करते थे । मैंने दो बातें बहुत ही स्पष्ट कही है । एक तो यह कि राजाज्ञा एक भी ऐसी दिखा दीजिए कि नौ महीने में कहीं भी अनुसूचित कोटा इस प्रदेश में विभिनन विभागों, स्वायत्त संस्थाओं में और शिक्षण संस्थाओं में पूरा किया गया होगा । दूसरा यह कि आज तक जो दलित छात्र जेलों में बन्द हैं उनकी रिहाई का आदेश आप कब तक निर्गत कर देंगे इसका जवाब आप कृपया दिलवा दें ।

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो दलित शिक्षा आन्दोलन का सवाल उठाया है, उन्होंने यह भी कहा है कि गलत काम उन्होंने किया है, उन्होंने दारुलशफा के गेटों को बन्द कर दिया . . .

कुंवर रेवती रमण सिंह-

यह मैंने कब कहा था ?

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह गलत आरोप लगा रहे हैं । यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष-

कौन सा शब्द कार्यवाही से निकाला जाय और कौन सा रहने दिया जाय इसका अधिकार सिर्फ पीठ को है । माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं उसको आप सुन लें ।

श्री रमापति शास्त्री-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल व कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि दलित विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया । माननीय सदस्यों को विधान सभा में आने से रोका, दारुलशफा के गेटों को बन्द कर दिया, जीपों को तोड़ा था, इस संबंध में मामला उठाया गया था, उस पर मंत्री जी ने कहा था कि सबको छोड़ दिया गया है । कुछ लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद, जिन्होंने 395 में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी थी, उसी के सिलसिले में लोग बंदी हैं । मान्यवर, हमने उनसे बात किया था और हम व्यवस्था को सुदृढ़ करके ठीक करना चाहते हैं । एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि कुछ विरोधी दल के लोग इनको उकसाकर इस आन्दोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं, हमारी सरकार पूर्ण रूप से इन दलितों के आन्दोलन को समाप्त करने का प्रयास करेगी और वास्तवकिता को जानकर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिये पूरी तरह से तत्पर है, हम उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं । मान्यवर, जिन लोगों पर एफ0आई0आर0 दर्ज है, उकी बेल के लिए एप्लीकेशन देना होगा, उसके बाद हम वादा करते हैं कि उनको छोड़ दिया जायेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, जो मंत्री जी ने यहां बताया है, वह बिल्कुल हास्यास्पद है । उन्होंने किसी भी राजाज्ञा का जिक्र नहीं किया, यही बताया कि कब कोई राजाज्ञा जारी की गयी और कितना कोटा भरा गया 9 महीने के अन्दर । मान्यवर, मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट लिखी गयी थी, उसके संबंध में मैंने कहा था कि मैं उनसे अनुरोध करूंगा वापस लेने के लिये और वह वापस कर लेंगे तो उन लड़कों को छोड़ दिया जायेगा ।

सिंचाई, न्याय एवं विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने दो प्रश्न उठाये । पहला आन्दोलनरत छात्रों की रिहाई के बारे में जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि सबको छोड़ दिया गया है । मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कि एक पार्टी विशेष द्वारा रिपोर्ट लिखाये जाने के कारण गंभीर अपराध होने के कारण कुछ लोग बन्दी हैं, उनको नहीं छोड़ा गया है । इस पर माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि रिपोर्ट वापस लेने पर क्या उनको छोड़ देंगे ? मान्यवर, इसका अर्थ यह है कि तथ्य को जानते हुए श्री उन्होंने इस सदन को गुमराह करने का प्रयास किया था उन्हें मालूम था कि एफ0आई0आर0 दर्ज होने के कारण वह बन्द हैं । पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि अगर वापस ही लेनी थी तो एफ0आई0आर0 दर्ज क्यों कराया ? दूसरी बात कहना चाहता हूं कि पहले वह एफ0आई0आर0 वापस लें, उसके बाद सरकार विचार करेगी कि क्या करना चाहिए छोड़ा जाय या न छोड़ा जाय दूसरी नियुक्तियों के बारे में कहना चाहता हूं कि यह काफी विस्तार की चीज है और कभी पूरे विस्तार से विवरण प्रस्तु कर दिया जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इन्होंने विवरण दिया ही नहीं और उन्होंने कह दिया कि नेता विरोधी दल को सब मालूम है । मान्यवर, मैंने यह कहा कि अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट लिखाई है, तो मैं उनसे आग्रह करके वापस लेने को कहूंगा, तो सरकार उनको छोड़ देगी ? आपने कहा कि विचार करेगी । मान्यवर, अक्सर ऐसा होता है कि रिपोर्ट लिखा दी जाती है, जिसमें तथ्य का ज्ञान नहीं होता, कभी-कभी बातें हो जाती हैं । यह कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं, उनका कोटा पूरा करने का इरादा नहीं है इसलिए मेरा दल सरकार के इस दलित विरोधी रवैये के खिलाफ सदन का परित्याग करता है और बहिष्कार करता है ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष-

नियम 311 के अन्तर्गत मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री नरेश अग्रवाल-

यह सरकार दलित हरिजन व अनुसूचित जाति विरोधी है । इस सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति पर अत्याचार किया जा रहा है । इसलिए मैं और मेरा दल इस सरकार की दमन नीति के विरोध में सदन का वहिष्ठकार करता है ।

(श्री नरेश अग्रवाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, यह सरकार दलितों की समस्याओं को सुनना नहीं चाहती है । दलित छात्रों को पीटा जा रहा है । उन्हें यह सरकार रिहा करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री हृदय नारायण दीक्षित अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये)

श्री अकबर-

मान्यवर, सरकार के वक्तव्य से मालूम हो गया कि यह सरकार हरिजनों के संबंध में कितनी चिन्तित है, दलित छात्रों के बारे में चिन्तित हैं इसलिए सरकार के दलित विरोधी रवैया के कारण मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री अकबर अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री इम्तियाज अहमद-

मान्यवर, यह सरकार दलितों की समस्याओं को नहीं सुनना चाहती है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री इम्तियाज अहमद व अन्य माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुखदेव-

मान्यवर, अनुसूचितों की समस्याओं को यह सरकार नहीं सुनना चाहती है, दलितों की समस्याओं को नहीं सुनना चाहती है इसलिए हमारा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री सुखदेव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्यागकर चले गये)

जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लाक में सुहेली नदी के छिछले हो जाने से सड़क पर पानी बहने व आवागमन अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्वेन्द कुमार-

मान्यवर, आपके माध्यम से नियम-311 के अन्तर्गत मैंने एक गम्भीर सूचना इस सदन को देने का प्रयास किया है । श्रीमन् लखीमपुर खीरी के निघासन तहसील में पलिया ब्लाक में एक सुहेली नदी बहती है जो कि 3-4 साल से छिछली हो चकी है । पहाड़ों का पानी उस नदी में आता है, जिससे बारहों महीने उसमें बाढ़ जैसी स्थिति रहती है । पर्वतीय घाट से लेकर लोरावीरान तक यह इतनी छिछली हो गयी है कि रबी की फसल में भी बाढ़ आ जाती है । विगत 4-5 वर्षों से फसलें नष्ट होती जा रही हैं । हजारों हेक्टेयर जमीन की फसल प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है जिसके कारण आज वहां पर किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। पर्वतीय घाट से लोरावीरान तक नदी के किनारे अगर बन्धा बना दिया जाय तो हजारों हेक्टेयर फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है ।

मैं कोई पिछड़ा वर्ग कहना नहीं चाहता, कोई दलित कहना नहीं चाहता । मैं तो केवल किसान कहता हूं । आज वे किसान इस नदी के बाढ़ के कारण तबाह हो गये हैं । जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो नदी का पानी बढ़ जाता है, फलस्वरूप नोवां के पास पक्की सड़क पर पानी भर जाने के कारण वह भी अवरुद्ध हो जाता है जबकि प्रशासन से इस संबंध में प्रस्ताव भी आया है । पिछली सरकार में माननीय सिंचाई मंत्री जी ने आदेश भी किये थे । इसलिए मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

सिंचाई न्याय एवं विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, इस सूचना में जो विषय उठाया गया है उसके संबंध में कहना है कि प्रदेश में वर्षा के कारण अनेक जगहों पर पानी भर जाता है । पानी का इस प्रकार का जमाव जगह-जगह निरन्तर चलता रहता है जिसके कारण कहीं पर सड़क अवरुद्ध हो जाती है और कही पर फसलें नष्ट हो जाती हैं । इस तरह की स्थितियों का शासन परीक्षण कराकर उपाय करता है विशेषरूप से बाढ़ की जो स्थिति होती है जिसके समाधान के लिए पिछले शासन द्वारा ज्यादा बल नहीं दिया गया जिसके कारण इस प्रकार की दुर्व्यवस्था होती है । हम निश्चित रूप से देखेंगे इसमें क्या किया जा सकता है सभी जगह की बात है और इसका उपाय करेंगे जिससे समस्या का समाधान हो सके ।

श्री निर्वेन्द कुमार-

प्रदेश में और जगहों पर वारिश में बाढ़ आती है लेकिन यहां पर बारहों महीनें बाढ़ आती है इस समय भी रबी की फसल में पानी भरा है । वहां बारहों महीने पानी रहता है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय निर्वेन्द कुमार जी आपने जो नियम-311 में सूचना दी है इसे मैं अग्राह्य करता हूं । माननीय बी0आर0 वर्मा जी अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री राम चरित्तर-

मान्यवर, दो मिनट का समय हमें दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने श्री बरखूराम वर्मा को बुलाया है (व्यवधान)

श्री राम चरित्तर-

मान्यवर, इनके 40 साल के शासन में .....

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठें, आपको मैंने अनुमति नहीं दी है (व्यवधान) माननीय मंत्री जी का जवाब भी आ गया है । आप बैठें मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कानपुर रोड पर अनुसूचित जाति की बस्ती उजाड़ने के विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, गांवों से गरीब जनता सामंतों के जुर्म से त्रस्त होकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में शहरों में आ रही है वह लोग अपनी मेहनत से, मजदूरी से रिक्शा चलाकर अपनी रोटी का इंतजाम किसी प्रकार करते हैं परन्तु रहने के लिए ऐसी जगहें तलाशते हैं जहां नाले या नालियां होती हैं या निचली जमीन होती है जहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता है वहां पर वह अपनी झोपड़ी बनाकर पनाह लेते हैं और उस जगह को रहने लायक बनाते हैं । लेकिन जब वह उसे पाटकर किसी तरह से रहने योग्य बनाते हैं तो पूंजीपति उद्योगपति या सरकारी विभागों की निगाह उस जगह पर पहुंचती है और उस पर वह अपना ध्वज गाड़ना चाहते हैं और उनकी झोपड़ियों को गिराते हैं । इस प्रकार की घटना एक जगह नहीं तमाम जगहों पर होती हैं अपने ही देश के लोग इसमें शरणार्थी बनकर आते हैं यह ऐसी ही स्थिति है जैसा कि देश के बंटवारे के समय हुई थी पाकिस्तान से हमारे देश में जिस प्रकार शरणार्थी आये थे उनको बसाने के लिये हमारी सरकार ने एक अलग से विस्थापित मंत्रालय की स्थापना की थी लेकिन इन गरीब लोगों के लिए किसी का ध्यान नहीं जाता है हमारे भाजपा के लोग जो पंजाब से या कश्मीर से शरणार्थी आते हैं उनके लिए कहते हैं कि उनको बसाने की व्यवस्था की जाय, उनको पढ़ने

का खर्चा दिया जाय, उनको नौकरी दी जाय नौकरी न मिलने तक उन्हें भत्ता दिया जाय लेकिन इन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जाता बल्कि मान्यवर, कानपुर रोड लखनऊ में जो अनुसूचित जाति के लोग बसे थे उनको उजाड़ा जाता है और इसी तरह गोमती नगर में नदी के किनारे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब लोग बसे थे, उनको सिंचाई विभाग के लोग उजाड़ते हैं और यह सरकार उनकी कोई चिन्ता नहीं करती है लेकिन पंजाब और कश्मीर से भाग-भागकर जो लोग आते हैं, चूंकि वे उच्च जाति के हैं उनको बसाने की और रोजगार देने की चिन्ता करती है । मान्यवर, कश्मीर और पंजाब से भाग-भागकर जो लोग दिल्ली में आते हैं उनको सरकार बसाने और रोजगार देने का काम करती है लेकिन हमारी सरकार अपने प्रान्त के रहने वाले लोगों को ही जो देहातों से शहरों में आये हैं जो रोटी तो कमा लेते हैं लेकिन उनके रहने के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है और यदि वे किसी प्रकार अपनी झुग्गी-झोपड़ी बना लेते हैं तो सरकार को यह रास नहीं आता है और उनको उजाड़ने का काम करती है । मान्यवर, 10 मार्च को कानपुर रोड पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोगों ने ऐसे ही गरीब लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया और कालोनी अपनी बनाने का प्रयास किया जिससे वहां के लोगों में उत्तेजना और असन्तोष व्याप्त है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर आप चर्चा करायें ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य सरकार किसी भी तरह से किसी के प्रति ऊंच नीच और भेदभाव के आधार पर काम नहीं कर रही है और न सरकार की ऐसी कोई मंशा है इसलिए ऐसी कोई आंशका मा0 सदस्य के द्वारा रखा जाना उपयुक्त नहीं है । मान्यवर, कहीं भेदभाव के आधार पर किसी को उजाड़ने या बसाने की सरकार की कोई योजना नहीं है । मान्यवर, जो उन्होंने सूचना दिया है उसमें भी कहीं किसी को उजाड़ने या हटाने की बात नहीं लिखी है । हां भाषण में उन्होंने जरूर कहा है इसलिए आशंका के आधार पर नियम-311 के अन्तर्गत यह सूचना नहीं आती है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस सूचना को निरस्त किया जाये और मैं उनके संदेह को दूर करने के लिए उनको बताना चाहता हूं कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक नई आवास नीति की घोषणा किया है जिसकी मुख्य मंत्री जी ने भी चर्चा की है । मान्यवर, उस नई आवास नीति के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी है कि दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति को उस आवास नीति में स्थान मिले । इसलिए भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री उपाध्यक्ष-

नियम-311 के अन्तर्गत मैं श्री वर्मा जी के प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री संकटा प्रसाद यादव, नेता जनता दल, गोरखपुर को प्रताड़ित किये जाने विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रस्ताव श्री अकबर हुसैन जी का है ।

*श्री अकबर-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों द्वारा पद का दुरुपयोग के मामले में इससे पहले भी इस सदन में आपके संज्ञान में लाये गये हैं । मान्यवर, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे रामपुर हो या गोरखपुर हो और भी कई जिलों में मंत्रियों ने सरकारी और गैर सरकारी वक्फ की सम्पत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ऐसी घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसी क्रम में गोरखपुर में इसी तरह जिला गन्ना अधिकारी दफ्तर वक्फ की बिल्डिंग में था उसे माननीय मंत्री जी जो वहां के राज्य मंत्री हैं शुक्ला जी ने खाली कराने का आदेश डी0एम0 से कराया । गन्ने का दफ्तर अन्यत्र कहीं ले जाने का आदेश दिया गया मंत्री जी की पत्नी श्रीमती जानकी शुक्ला के नाम उक्त बिल्डिंग आवंटित करने का आदेश कर दिया गया । उस वक्फ की सम्पत्ति करोड़ों रुपयों की है । मुतब्ली ने डी0एम0 को पहले से प्रार्थना पत्र दे रखा था कि जब इसे खाली कराया जाय तो मुझे सौंपा जाय उसके बाद मैं वहां पर कन्या छात्रावास बनाना चाहता हूं जो सामाजिक कार्य है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य को पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए । जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो उसके बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । लेकिन जो शब्द यहां इन्होंने कहा है उसके बारे में ...

श्री उपाध्यक्ष-

पहले माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी कर लेने दें ।

श्री अकबर-

मान्यवर, मैं पूरी घटना का ब्योरा नहीं देना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य को ऐतराज हो रहा है । आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । इस प्रकार के प्रकरण इलाहाबाद, रामपुर, गोरखपुर में हुए हैं । मान्यवर, अपने पद का दुरुपयोग करने की आदत इन लोगों की बन गयी है । वक्फ की जमीनों पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कब्जा करने की इनकी नीयत बन चुकी है । लेकिन मान्यवर, हमारे भी अधिकार हैं । इनकी इस तरह की बातों को (कुकृत्यों) को उजागर करने का हमें अधिकार है कि हम इस तरह की घटनाओं को सदन के संज्ञान में लायें । गोरखपुर में संकटा प्रसाद स्थानीय नेता जो हमारे जनता दल के हैं इन्होंने मेरे माध्यम से सदन में इस संबंध में जब प्रश्न भी करवायें हैं तो उन्हें जाने से मारने के लिए पुलिस और वहां के असामाजिक तत्व उनके घर पहुंच गये । वह घर पर नहीं मिले । उनकी पत्नी की इस तरह से पिटाई की कि उनकी सीने की तीन पसलियां टूट गयीं और उसकी रिपोर्ट जब तक नेता विरोधी दल ने हस्तक्षेप नहीं किया थाने में नहीं लिखी गयी । एक शिकायत उसने यह की थी कि मंत्री जी की पत्नी के नाम वक्फ की जमीन आवंटित कर दी गयी है तथा गोरखनाथ थाने के अधिकारी ने एक रिवाल्वर जो कि किसी केस की प्रोपर्टी थी बेच दिया है । मान्यवर, यह किसी पार्टी के इशारे पर किया गया । मान्यवर, इस तरह से मैं चाहूंगा कि आप व्यवस्था दें और किसी भी तरह से यह जो मंत्रियों में होड़ सी बनी है पूरे प्रदेश में वक्फ की जमीन को हड़प कर जाने की जो मुहिम चल रही है सदन के संज्ञान में आ जाये और उस पर चर्चा करायें ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है इस सदन की यह परम्परा रही है कि हमेशा से कि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो सदन में कभी भी किसी भी व्यक्ति का नाम लेकर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, यह सदन के सदस्य हैं । इनको नियमावली पढ़वा ली जाय ।

श्री उपाध्यक्ष-

शुक्ला जी को अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा लेने दें ।

श्री अकबर-

मान्यवर, मंत्री जी की पत्नी श्रीमती जानकी शुक्ला ने नाम डी0एम0 ने आवंटित कर दिया है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, निवेदन था कि एक व्यक्ति का नाम भी लिया गया जो कि सदन का सदस्य नहीं उसके ऊपर आरोप लगाकर समय का दुरुपयोग किया जा रहा है । इस तरह से इसमें यह लोग सिद्धहस्त हो गये हैं । राहु केतु का ग्रहण जिस तरह से लगता है समय पर उसी तरह ग्रहण लगा रहे हैं ।

यह विषय चर्चा कराने योग इसलिए बनता है कि इस तरह से सामान्य नागरिकों को बलपूर्वक दबाया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष-

किसी का नाम लेना अनुचित नहीं है । आपेक्षात्मक बात करना निश्चित रूप से अनुचित होता है और ऐसी बात नहीं आयी है ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है यह 1-10-91 की घटना है । पांच महीनों के बाद इस घटना की चर्चा न तो नियमों के अंतर्गत है और न ही किसी प्रकार से उचित है । इसमें श्री संकटा प्रसाद यादव और ज्ञान देवी की प्रथम सूचना 1-10-91 को दर्ज कराई गई । इसमें दो के खिलाफ आरोप पत्र दे दिया गया है, 151 के अन्तर्गत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । दूसरी बात बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के बारे में जो कही गयी तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है । रेन्ट कन्ट्रोल प्रक्रिया के अन्तर्गत यह आंवटित हुआ है । मकान मालिक ने रिवीजन प्राप्त किया है यह कहा गया तो रवीन्द्र शुक्ला जी मौजूद हैं....

श्री अखिलेश-

मान्यवर, माननीय शाही जी ने कहा वहां बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी मौजूद हैं मेरी निश्चित जानकारी है और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अभी उसमें शिव प्रताप शुक्ला, जानकी शुक्ला को कब्जा नहीं मिला है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जानकी शुक्ला का कब्जा है और यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है जैसा निर्णय होगा वैसा किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

श्री अकबर हुसैन तथा अन्य सदस्य द्वारा नियम 311 का जो प्रस्ताव है इसको मैं अग्राह्य करता हूं और अगला प्रस्ताव लेता हूं श्री राम औतार शाक्य जी का ।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा शासनादेशों के बावजूद नियमानुसार कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष-

यह मौजूद नहीं है श्री नरेश अग्रवाल जी बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन् पूंजीपतियों के संरक्षण में चल रही यह सरकार

(व्यवधान)

एक सदस्य-

इनको ऐसा नहीं कहना चाहिये-

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने से व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठें । बगैर इजाजत बोल रहे हैं कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन् पूंजीपतियों के संरक्षण में चल रही सरकार द्वारा 19 नवम्बर, 1991 को मान्यवर, दो अध्यादेश जारी करके इस प्रदेश के गरीबों का शोषण किया जा रहा है । निजी भूमि भवनों को अधिगृहीत करके नौ सौ करोड़ रुपये का सौदा पूंजीपतियों से तय किया गया । यह एक गम्भीर आरोप है । इस प्रदेश की गरीब जनता की पिछले 15 वर्षों में इस प्रदेश की 5 करोड़ की आबादी बढ़ गयी है । नगरों में दो करोड़ 70 लाख की आबादी और गांवों में 2 करोड़ 20 लाख की आबादी बढ़ गयी है अगर इनको आप मकान उपलबध कराना चाहेंगे तो सात लाख मकान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी । प्रदेश सरकार ने इन गरीबों को सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराने के लिए आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरण द्वारा स्कीम चलाई गयी हैं ताकि सस्ती दरों पर भूमि अधिग्रहण करने मकान गरीबों को दे सकें और इस प्रदेश की जनता को मकान उपलब्ध करा सकें । 19 नवम्बर, 1991 को दो अध्यादेश जारी किये गये जिसके अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण को यह अधिकार दे दिया गया कि वह कम दाम पर अर्जित की गयी भूमि को निजी बिल्डर्स को उसी दर पर दे सकते हैं और यह भी किया गया कि वह अपनी 50 प्रतिशत भूमि सहकारी आवास समितियों को दे सकते हैं । यह जो कदम उठाये गये हैं इसमें बहुत गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है । आवास एवं विकास परिषद् 1.52 एकड़ भूमि प्रतिदिन लेता है और अब तक आवास एवं विकास परिषद् ने 11.800 एकड़ भूमि अधिगृहीत किया है । जमीन को विकसित करने की जो दर है वह 1.10एकड़ की रही है और अब तक 7012 एकड़ भूमि विकसित की गयी है और 4788 एकड़ भूमि आवास एवं विकास परिषद् के पास खाली रह गयी हे जिसको इस सरकार ने उन बिल्डर्स को जो महंगी दर पर समाज के बड़े लोगों को मकान उपलब्ध कराते हैं, को उसी दर पर भूमि देने में भी छूट दे दी है जिस दर पर वह भूमि अधिगृहीत की गयी थी । मान्यवर, इसके साथ ही साथ आवास एवं विकास परिषद् का यह भी कहना है कि हर 39 वें मिनट पर एक मकान बनाती है और 491 वें मिनट पर एक मकान इस प्रदेश की जनता को देती है । लेकिन चूंकि सरकार निजी बिल्डर्स को जमीन देनी थी इसलिए सरकार ने योजना बनाकर उस योजना के तहत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के करीब 41 हजार मकान जो बने पड़े थे, शासन ने उनका आवंटन एक आदेश के जरिये रोक दिया है । इससे आवास एवं विकास परिषद् को 250 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ।

जानबूझकर आवास एवं विकास परिषद् को घाटे में दिखाया जा रहा है जिससे मितव्ययिता के नाम पर जिस तरह से तमाम निगमों को समाप्त किया जा रहा है । सरकार इसी तरीके से आवास एवं विकास परिषद् को समाप्त करके इस प्रदेश की गरीब जनता को सस्ती दरों पर सरकार मकान उपलब्ध नहीं कराना

चाहती है इससे प्रदेश भर के गरीब लोग जिनको अपना सर छिपाने के लिए सस्ती दर पर मकान चाहिए थे वह आन्दोलित हो गये हैं साथ ही साथ आवास एवं विकास परिषद् के कर्मचारी और इन्जीनियर्स आन्दोलित हो गये हैं । पूंजीपतियों को रुपया पैदा कराना है इसलिए यह कार्यवाही की गयी है । बहुत गम्भीर प्रश्न आज प्रदेश के सामने पैदा हो गया है । मैं चाहता हूं कि नियम 311 के अन्तर्गत सदन का सारा कार्य रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय और मंत्री जी इस पर सरकार की स्पष्ट नीति अवगत करायें जिससे प्रदेश की जनता को भविष्य में सस्ती दर पर मकान उपलब्ध हो सकें ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, नरेश अग्रवाल जी की यह जो सूचना है यह किसी प्रकार से नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आती है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

नियम 311 क्या है, नियमावली, शाही जी आप देख लें । आप पुलिस विभाग के मंत्री हैं उनकी भाषा जल्दी समझते हैं । थोड़ा सा नियम कायदे भी देखें ।

मैं नियम 311 पढ़ देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-

इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, अब इनका पढ़ने का समय नहीं रह गया है पढ़ने का वक्त होता है, मान्यवर, जैसा मैंने पहले बताया था कि राज्य सरकार ने एक नई आवास नीति घोषित की है । सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के लाखों बेघर लोगों को मकान त्वरित गति से मुहैय्या करा सके इसके लिए आवास विकास परिषद् के जो नियम हैं और व्यवस्था है और जो योजनायें हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है । इसी के अन्तर्गत बिल्डर्स को इस बात की सुविधा देने की बात सोची जा रही है जिससे अधिक आवास बन सकें और अधिक लोगों को मिल सके । यदि इस पर नरेश अग्रवाल जी को आपत्ति है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । ज्यादा लोगों को आवास मिल सके इसलिए सरकार ने नयी आवास नीति घोषित की है । इसका वह पूरा समर्थन करेंगे यह मेरा पूरा विश्वास है ।

श्री नरेश अग्रवाल-

जो इन्होंने आदेश जारी किया है, उसमें बता दें कि जो सस्ती दर पर भूमि का अर्जन किया गया था, वह निजी मालिकों को किस दर पर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

आपके इस प्रस्ताव पर बात हो रही है कि इसमें नियमों को निलम्बित करके लिया जाय । मैं नियम 311 के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को निरस्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देवरिया जनपद में विगत वर्षों में अध्यापकों की अनियमित नियुक्तियों के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिवंश सहाय-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना माननीय सदन को देना चाहता हूं । आज शाही जी सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं । सरकार का खजाना खाली होने संबंधी मामला है । देवरिया जिले में दो सौ अध्यापकों की नियुक्ति की गई है और 50 हजार रुपया प्रति अध्यापक से लिया गया है । यह ऐसे हो रहा है कि प्रबन्धक इण्टर कालेजों में अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और उस पर प्रधानाचार्य वेतन बनाता है और जिला विद्यालय निरीक्षक उसको अस्वीकृत करता है, उस पर अध्यापक हाईकोर्ट जाता है और उससे आदेश लेता है कि अगर इस अध्यापक ने अध्यापन किया है तो वेतन दिया जाय । ऐसे 300 अध्यापकों के आदेश हो चुके हैं और दो सौ अध्यापकों को वेतन मिल रहा है और एक साल पीछे का बकाया भी मिल रहा है । लगभग 70 लाख रुपया सरकार को एक साल का वेतन देना पड़ रहा है और प्रबन्धक और प्रधानाचार्य ने प्रति अध्यापक से 50 हजार रुपया घूस के ले लिये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ विद्यालयों के नाम नोट कराना चाहता हूं । नौलपुर हाई स्कूल में 6 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है । कोई पद सृजित नहीं था । उनसे 50 हजार रुपया लिया गया और एक साल पीछे का वेतन सरकार के खजाने से दिया जा रहा है जो बेकार चला जा रहा है । ऐसे 200 अध्यापकों से करीब 50-50 हजार रुपया लेकर एक करोड़ रुपया लिया गया है और 70 लाख के लगभग पिछला बकाया एक साल का वसूला जा रहा है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इण्टरमीडिएट कालेजों में जो संलग्न प्राइमरी पाठशालायें हैं, जैसे महुवारी इण्टर कालेज की है वहां 72 छात्र हैं और 32 अध्यापक वेतन ले रहे हैं । नौलपुर में 60 छात्र हैं और 30 अध्यापक हैं । बी0आर0डी0 कालेज में 100 छात्र हैं और 25 अध्यापक हैं । मैं समझता हूं कि इसमें दो करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार है और जो जिले के अधिकारी हैं उसका स्थानान्तरण हो गया था । वह दूसरी जगह गया, ज्वाइन भी कर लिया था लेकिन देवरिया जिले में वापस कर दिया गया । ये बड़े लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हैं । जिला विद्यालय निरीक्षक सुनता नहीं, डिप्टी डायरेक्टर सुनता नहीं । प्रदेश के अधिकारी से कहा जाय तो सुनता नहीं । दर्जनों पत्र माननीय शिक्षा मंत्री को भी लिखे, उन्होंने भी सुनवाई नहीं की । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करावें कि जिन अध्यापकों ने पिछले एक साल से नौकरी करने की जो दरख्वास्त दी है, क्या वह शासन के पास होकर आई है । यह वेतन कैसे दिया जा रहा है और कितना घपला करके सरकार के खजाने से लूट की जा रही है ।

मैं माननीय मंत्री जी चाहूंगा कि इसकी जांच करा लें कि क्या कारण है कि इतनी लूट मची है । आप जिले के मंत्री हैं । आप देख नहीं रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इसकी जांच कराकर लूट को बन्द करावें । मेरा निश्चित आरोप है कि इस दो करोड़ में लखनऊ से देवरिया के अधिकारी और बड़े-बड़े शासन के लोगों का हाथ है । मेरा निश्चित आरोप है । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी अपनी बात कहें । वे इसकी जांच करा लें, वे देवरिया के रहने वाले हैं ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

यह बात सही है कि गत वर्षों में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आधार पर पिछली सरकारों के दौरान नियुक्तियां की गई थीं । माननीय हरिवंश सहाय ने जो इस भ्रष्टाचार का जिक्र किया है, मैं व्यक्तिगत रूप से और सरकार की तरफ से उसका आभार प्रकट करता हूं । देवरिया में संलग्न प्राइमरी पाठशालाओं और इण्टरमीडिएट कालेजों में जो भी गलत नियुक्तियां की गई हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष-

नियम 311 के अन्तर्गत मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

ग्राम उदोतपुरा जागीर थाना रामपुरा जनपद जालौन में डकैतों के आतंक विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्रीराम (जालौन)-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में कई दशकों से डकैतों की समस्यायें ऐसी पनपती जा रही हैं कि एक दुर्दान्त डकैत मरता है, 10 तैयार होते हैं । मान्यवर, जनपद जालौन के थाना रामपुरा के ग्राम उदोतपुरा जागीर में दिनांक 16/17 नवम्बर की रात्रि में डकैतों ने हत्या, अपहरण और डकैती डालने का प्रयास किया, मौके पर पुलिस व ग्रामवासी शिव प्रसाद मखोले, विजय सिंह आदि ने पुलिस के सहयोग में डकैतों से मुकाबला किया, जिसमें एक पुलिस कर्मी और एक होमगार्ड तथा 4 ग्रामवासी, उपरोक्त ग्रामवासी डकैतों की गोली से घायल हो गये, डकैतों ने गांव में आग लगा दी और एक व्यक्ति अपहरण करके ले गये, जिसकी बाद में हत्या कर दी । इसके बाद 11 फरवरी को पुनः डकैतों ने इसी ग्राम में डकैती और हत्या करने के लिये धावा बोला, उसमें पुनः पुलिस व ग्रामवासी ने डकैतों का मुकाबला किया जिसमें थानाध्यक्ष रामपुरा व एक सब-इन्सपेक्टर तथा दो पुलिस कर्मी डकैतों की गोली से पुनः घायल हुए । इन घटनाओं से ग्राम के लोग भयभीत होकर गांव छोड़कर पलायन कर गये, आज तक सशस्त्र पुलिस गार्द का पुलिस चौकी की व्यवस्था नहीं हुई क्योंकि पुलिस डकैतों के भय से नहीं रहना चाहती, अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बदली करा लेती है, इसलिये उक्त गांव के सात व्यक्तियों ने शस्त्र लाइसेंस हेतु जिला मजिस्ट्रेट, जालौन के यहां आवेदन किया, जिला मजिस्ट्रेट जालौन ने मामले को गम्भीरता से न लेते हुये शासन को लिखकर भेज दिया है कि शासन यदि शस्त्र लाइसेंस की अनुमति प्रदान करे तो दे दिये जायेंगे । मान्यवर, यदि शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जाता तो वह गांव निकट भविष्य में बीरान हो जायेगा । मान्यवर, वहां पर शस्त्र और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था अविलम्ब कर दी जाय और जब तक डकैतों का आतंक रहे, वहां से पुलिस न हटाई जाय ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, जैसा कि माननीय श्री श्रीराम जी ने बताया कि जिला जालौन के थाना रामपुरा में यह घटना हुई। यह कोई नई बात नहीं है, जब से यह सरकार आई, तब से अपराध की पुनरावृत्ति हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने जो नोटिस दिया है, तो सूचना दी है, उसी विषय पर आप बोलें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, इस प्रदेश में डकैतों का इतना ज्यादा आतंक फैला हुआ है, गरीब मजदूर लोग जो हैं, वे अपना गुजर-बसर नहीं कर पा रहे हैं । मान्यवर, चाहे बांदा हो या जालौन हो, मान्यवर, वहां पर 16 फरवरी को थाना जसपुरा के ग्राम जसपुरा के गोरेलाल गुप्ता को दो लड़कों की पकड़ की गई, जिनसे 80 हजार रुपये लेकर 8-3-92 को छोड़ा गया । इसमें थानाध्यक्ष आदित्य कुमार दूबे संदिग्ध हैं । इसकी जांच करा ली जाय । यह पुलिस की मिली भगत से फिरौती के चक्कर में पकड़ कराई जा रही है, तो इस तरह से पता नहीं चलता है कि डकैती करवाई जा रही है या कुछ और करवाया जा रहा है । आप सरकार को निर्देश दें कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, दिनांक 17-11-1991 को ढाई बजे रात्रि में संबंधित गांव में एक मकान के छप्पर में आग लग जाने की सूचना पाकर थाने के दो कानिस्टेबिल और होमगार्ड के जवान जा रहे थे । उन पर बीच में रास्ते में डाकुओं द्वारा हमला किया गया, जिसमें वह पुलिस कर्मी घायल हो गये । किसी प्रकार से न डाकुओं को और न माफिया गिरोह के लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की कार्यवाही करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी और नियमों के अन्तर्गत जो व्यक्ति लाइसेंस के लिये आवेदन देगा, उन पर विचार किया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

नियम 311 के अन्तर्गत इस पर दी गई सूचना को मैं निरस्त करता हूं ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

आप वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था तो करा दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही-
सुरक्षा की व्यवस्था करा दी जायेगी ।

प्रदेश के ग्राम्य विकास की मिलियन वेल योजना समाप्त करने तथा उस धन से सड़क निर्माण कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-
मान्यवर, मेरी सूचना ग्राम्य विकास विभाग की मिलियन बेल योजना से संबंधित है । सरकार पूल योजना के लिये बहुत फण्ड दे रही है और यह कहा जा रहा है कि सिंचाई के लिये कुएं बनाये जायेंगे परन्तु यह भी प्रतिबन्ध लगाया गया है कि 50 प्रतिशत अनुसूचित क्षेत्र में बनाये जायें और जब वह क्षेत्र नहीं मिले तो इस योजना को बदल दिया गया और कुओं के स्थान पर तालाब को गहरा किया जाने लगा और नालों का निर्माण कराया जाने लगा । मान्यवर, मैं मुरादाबाद देहात से आता हूं और वहां पर 500 गांव ही गांव हैं, जहां पर सड़कें बनाने में करीब 200 लोग लग जायेंगे तभी हर गांव को सड़क मिल पायेगी तो जो कुयें का फण्ड है उससे सड़कें बना ली जायें अन्यथा जब बरसात होगी तो कोई काम नहीं दिखाई पड़ेगा और सारा का सारा धन अधिकारी, सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं और एम0एल0ए0 खा जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-
कृपया शान्त रहें ।

श्री रिजवानुल हक-
पहले मान्यवर, रहट और ढेकली से सिंचाई होती थी लेकिन इनका प्रचलन समाप्त हो गया है । सरकार की नीयत साफ नहीं है । कुएं खुदवाने में ही सारा फण्ड इनके अधिकारी खा जायेंगे । इससे अच्छा है कि आप इस फण्ड से सड़कों को बनवा दें । इसलिये मान्यवर, सदन के दूसरे कार्यों को निलम्बित करके इस पर चर्चा करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष-
अब आप समाप्त करें ।

श्री मो0 रिजवानुल हक-
मान्यवर, सरकार का बयान आने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष-
सरकार का ध्यान आकृष्ट हो गया है अब आप बैठ जायें ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-
मान्यवर, 10 लाख कुओं की योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से चलाई जाती है और उस जमा योजना का इनीशियेट केन्द्र सरकार ने ही किया था । मैं आपके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माध्यम से माननीय सदस्य का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि उस योजना के अन्तर्गत कुओं के साथ-साथ तालाब भी खोदे जायेंगे, यह जो जल जमाव अनुसूचित बस्तियों या दलित वर्ग.....

(कई माननीय सदस्य द्वारा हरिजन शब्द पर आपत्ति करने पर)

मान्यवर, मैं हरिजन शब्द वापस लेता हूं । दलित वर्ग के खेतों में और दलित वर्ग से संबंधित लोगों के खेतों के पास जल जमाव होता है उसके जल निकासी की योजना, कुओं को खोदे जाने की योजना, तालाब बनाये जाने की योजना यह सारा काम केन्द्र सरकार की उस योजना के तहत किया जा रहा है । राज्य सरकार चाहती है कि ईमानदारी के साथ इस योजना को लागू किया जाय, क्रियान्वित किया जाय इसके लिये हम दृढ़ संकल्प हैं, किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो पायेगी मैं इस बात की गारन्टी नहीं दे सकता क्योंकि ये लोग इधर-उधर की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये अपना सुधार करा लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं नियम 311 के इस प्रस्ताव को निरस्त करता हूं ।

जिला परिषद् मऊ के अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण रवैया तथा मद के दुरुपयोग से जनमानस में व्याप्त क्षोभ विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार उत्तर प्रदेश में राम, इन्साफ और रोटी यह नारा देकर आई थी ।

(शोर)

श्रीमन् आपको भी पता है कि राम तो इस प्रदेश की जनता को नहीं मिले तो इन्साफ मिलने का सवाल ही नहीं रहा । माननीय उपाध्यक्ष जी 2-2 दिन हमारे विरोधी दल के नेता और विरोधी दल के जितने सदस्य हैं, इस विधान सभा की कार्यवाही से बाहर रहे वहीं इन्साफ था और तीसरा सवाल रहा मान्यवर, रोटी का तो यह इस प्रदेश की जनता को दे पायेंगे, क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन जो लोग रोटी पैदा करके खाते थे वह भी यह सरकार ले रही है ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने जो नोटिस में दिया है, उसी के ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, वही कहने जा रहा हूं । जो रोटी का सवाल है, जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जहां का मैं प्रसंग दे रहा हूं । मऊ जनपद का, वहां गरीब किसान मजदूर जो रोटी की व्यवस्था किये थे वह भी यह सरकार ले रही है । मैं मऊ जनपद के नत्थूपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूं । दुबारी नत्थूपुर क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम सभा है इसके अलावा मधुबन और कटहारा शंकर ग्राम सभा हैं । यह

जितनी ग्राम सभायें थीं इनमें गांव की बाजारें लगती थीं । उस ग्राम सभा में छोटे-छोटे किसान अपनी टोकरियों में शाक सब्जी ले जाकर 5-10 रुपया की कमाई करते थे और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे । हमारे नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में न तो किसान नगरपालिका है और न ही टाउन एरिया है केवल गांव सभा है और उस गांव सभा में छोटी-छोटी बाजारें लगती थीं । छोटे किसान और गरीब मजदूर आदमी गांव की बाजार में जाकर शाक सब्जी बेचते थे और उससे 10 और 5 रुपया कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और उससे 10 और 5 रुपया सभी को प्राप्त होते थे जिससे गांव सभा की 100-50 रुपये की आमदनी होती थी । उससे गांव सभा की आमदनी का एक स्त्रोत था । इससे गरीब किसानों को लाभ था लेकिन हमारे यहां अब मऊ जनपद के सभी गांव बाजारों को जिला परिषद् द्वारा नीलाम कर दिया गया है । जिला परिषद् ने इन बाजारों को 30-30, 40-40 हजार रुपयों में और कहीं कहीं पर एक लाख रुपयों में नीलाम कर दिया है जबकि जिला परिषद् का वहां पर कोई अधिकार नहीं था, उसका वहां कुछ नहीं है ग्राम सभाओं की जमीनें हैं इस तरह छोटे-छोटे और गरीब परिवार जो इन बाजारों में अपना सामान बेंच कर भरण पोषण करते थे उनके पेटों पर भा0ज0पा0 की सरकार ने लात मार दी है । अब उन पर जिला परिषद् के द्वारा 20-20 और 30-30 रुपया टैक्स लग गया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप सभी नियमों को निलम्बित करके शासन की ओर से वक्तव्य दिलायें और इस पर चर्चा भी कराई जाय ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जैसा कि प्रस्ताव माननीय सदस्य ने सदन में रखा है, हम सब के संज्ञान में यह बात है कि जिला परिषदें स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और राज्य सरकार का उसके क्रियान्वयन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है । उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1981 की धारा 230 की उपधारा (2) के खण्ड "ग" के उपखण्ड "ख" में यह व्यवस्था की गई है कि जिला परिषदें जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले तहबाजारी के लिये बाइलाज (उपविधि) बनाकर उसको विनियमित कर सकती है एवं उसकी नीलामी भी कर सकती हैं । इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पंचायती राज ऐक्ट, 1947 की धारा 112 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अन्तर्गत गांव पंचायतें (नियत प्राधिकारी जिला परिषद की कार्यसमिति) द्वारा बनाई गई उपविधियों के अधीन रहते हुए बाइलाज (उपविधि) बनाकर सार्वजनिक सड़कों पर तहबाजारी का विनियमन कर सकती हैं तथा तहबाजारी की नीलामी कर सकती हैं । तो पहले से ही यह व्यवस्था चली आ रही है । हमारी नई सरकार ने इस व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है । यह जिला परिषद् अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत बाइजाल बनाकर ऐसा कर रहीं है । तो इस संबंध में राज्य सरकार को आरोपित करने का कोई औचित्य नहीं है । इस प्राकर से यह विषय किसी भी प्रकार नियम 311 में ग्राह्य नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष-

नियम 311 के अन्तर्गत मैं इस प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूं ।

(व्यवधान)

मैंने इसको समाप्त कर दिया है और निरस्त भी कर दिया है अब आप बैठ जायें ।

गढ़वाल जनपद में राजाजी पार्क के समीपी क्षेत्र के लोगों में पार्क के कठोर नियमों के कारण जनता में व्याप्त आक्रोश विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत-

राज्य सरकार ने वन्य संरक्षण के अन्तर्गत जो नेशनल पार्क बनाये हैं जैसे कि देहरादून, सहारनपुर और पौड़ी गढ़वाल में राजाजी पार्क हैं, वहां पर आपने वन्य जन्तुओं के संरक्षण के लिये बहुत ही कड़े नियम बनाये हैं । इन पार्कों के समीप यानि नेशनल पार्कों के नजदीक जो गांव व बस्तियां बसी हुई हैं उनके निवासियों की सुविधाओं का कोई संरक्षण नहीं किया गया है उसके साथ उनको बहुत परेशानियां और असुविधायें हो रही हैं । राजाजी नेशनल पार्क चीला हरद्वार में है वह सिंचाई विभाग की सड़क है जिस पर वह पार्क वाले बसों से टैक्स लेते हैं । दूसरी सड़क है, ऋषिकेश-कांडी यह पी0डब्लू0डी0 की सड़क है, उससे टैक्स लेते हैं, जबकि उनसे मतलब नहीं है, उन रास्तों की बसों पर टैक्स लगाने से बसें वहां नहीं जाती हैं, जिससे लोगों के आवागमन में असुविधा होती है साथ ही साथ वहां पर बहुत लोग बसें ले जाने में कतराते हैं जिससे जनता को असुविधा होती है । मान्यवर, 40-50 सालों से उस क्षेत्र में भौदिया लोग रह रहे थे उनको हटाया जा रहा है, इससे भी वहां जन आक्रोश है लोगों को तमाम आशंका हो रही है । एक सड़क है राजाजी नेशनल पार्क लाल ढांल हरिद्वार, किसी जमाने में वहां जो सड़क उस इलाके में जाती थी उसको बन्द कर दिया गया है और इसी राजाजी पार्क के आस-पास के लोगों के हक हकूक भी थे वह बन्द कर दिये गये हैं, वन्य जन्तुओं का जो संरक्षण किया गया है उससे वन्य जन्तुओं लोगों का नुकसान होता है उनके जानवर मारे जाते हैं, उन सबकी खेती का नुकसान होता है यह जो नुकसान होता है जन्तुओं का आदमियों का, उसका जो मुआबजा मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है इस वास्ते वहां पर बहुत परेशानियां हैं । वन्य जन्तु संरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन जो लोगों की सुविधायें हैं, उनका संरक्षण भी शासन करे । मैं चाहूंगा कि मान्यवर, इस पूरे मामले पर आप चर्चा करा दें । मुझे आशा है कि मंत्री जी इसका समुचित उत्तर देंगे ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गढ़वाल जनपद के राजाजी पार्क और आस-पास की विभिन्न समस्याओं के मामले में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहा है । यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, नियम 311 के अन्तर्गत यह आता नहीं। विभिन्न समस्याओं का श्रीमन् आपने इसमें उल्लेख किया है जिसके लिये सूचनाओं की आवश्यकता होगी जिन सूचनाओं को इसमें रखा है उन्होंने, वह नियम 311 की परिधि में नहीं आता है उस पर विचार व्यक्त नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष-

इसे मैं निरस्त करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र नाथ का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र नाथ नहीं हैं।

जनपद देवरिया के पथरदेवा काण्ड को विधान सभा में उठाने से उक्त काण्ड में पीड़ित परिवार को असामाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ित किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, पथरदेवा काण्ड पर इस सदन में काफी बातें रखी जा चुकी हैं। मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

आप अपने प्रस्ताव की ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, जिस पथरदेवा काण्ड पर काफी बातें इस सदन में हो चुकी हैं, उसमें पीड़ित जनों के पक्ष को हम लोगों ने यहां पर रखा उस पर तो कुछ नहीं हुआ दूसरे आज वहां हालत यह है कि रामनाथ के परिवार को पुलिस डरा धमका रही है और जिन लोगों के नाम इसमें आये हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों का जिक्र यहां पहले किया गया था हरिद्वार राय और प्रभुनाथ शाही, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मान्यवर, हरिद्वार राय का संबंध देवरिया जिले की जंगल पाटी से है। प्रभुनाथ शाही के पिता शिव शाही आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं।

एक सदस्य-

यह असत्य है।

श्री स्वामी नाथ यादव-

अगर असत्य है तो सामने आयें और बहस कर लें मैं चुनौती देता हूं हर बात झूठी कह देना यह बहुत गलत बात होती है। इन दो अपराधियों के साथ पुलिस का संरक्षण है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रामनाथ और उनके चारो पुत्रों और उनकी पुत्रबधुओं की जान माल का खतरा बना हुआ है। मैं सदन के माध्यम से माननीय राज्य मंत्री शाही जी से कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ कीजिये पुलिस के द्वारा अगर रामनाथ और उनके परिवारजन का उत्पीड़न होगा, उनकी सामूहिक हत्या या नृशंस हत्या किये जाने की भूमिका की जायेगी तो इसका अच्छा परिणाम देश प्रदेश के लिये नहीं होगा। इसलिये मैं इस सदन के माध्यम से आपसे यह आश्वासन चाहता हूं कि उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जायेगी। बधौच की

पुलिस जो पथरदेवा से 5 कि0मी0 दूरी पर है आज भी उन पर दबाव डाल रही है। मान्यवर, आज तक बधौच और रामपुर कारखाना की पुलिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जबकि इन दोनों थानों की पुलिस तरकुलवा पुलिस के साथ मौजूद थी। संबंधित पुलिसजन को वहां से हटाया जाय ताकि जो आपने जांच की घोषणा की है वह जांच कार्य प्रभावित न हो। रामनाथ के परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाय। मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं नियमों को निलम्बित कर इस पर तत्काल चर्चा की मांग करता हूं।

सदन में विद्युत कर्मियों के कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो बिजली लगाई जा रही है यह अगर सुबह लगा दी जाती तो अच्छा होता क्योंकि सदस्यों का ध्यान बट रहा है।

श्री उपाध्यक्ष-

5.00 बजे सदन की कार्यवाही टेलीवाइज होगी इसलिये यह व्यवस्था की जा रही है।

जनपद देवरिया के पथरदेवा काण्ड को विधान सभा में उठाने से उक्त काण्ड के पीड़ित परिवारों को असामाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ित किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शाम के बाद ही दिखाई देता है। मान्यवर, माननीय सदस्य, श्री स्वामी नाथ यादव ने जो सूचना दी है उसके संदर्भ में आपके माध्यम से उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रामनाथ के परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं होगी। सरकार उत्तर प्रदेश के भीतर रहने वाले 15 करोड़ लोगों में से एक-एक आदमी की जान माल की सुरक्षा के लिये कृत संकल्प है। चाहे वह रामनाथ का परिवार हो चाहे स्वामी नाथ यादव का परिवार हो या चाहे वह हम सदन के बाहर रहने वाले व्यक्ति का परिवार हो, सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है वह उनकी सुरक्षा करेगी।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन् इन्होंने अपने परिवार का जिक्र नहीं किया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मेरे परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। मान्यवर, इतना जरूर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई अन्यथा आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये जो जीवित नहीं है । माननीय सदस्य ने भावातिरेक में आरोप लगाये हैं जो निराधार हैं उनमें सत्यता नहीं है । रामनाथ के परिवार की पूरी हिफाजत की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष-

यह सूचना नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आती है अतः मैं इसे निरस्त करता हूं ।

जनपद शाहजहांपुर के रजवाहों की सफाई न किये जाने तथा सिंचाई हेतु कृषकों को डीजल उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं अगली सूचना जो कि श्री देवेन्द्र पाल सिंह जी की है, को लेता हूं ।

*श्री देवेन्द्र पाल सिंह -

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार किसान विरोधी है ।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जनपद शाहजहांपुर में अभी इस सरकार ने माइनरों के नाम से बीसों लाख रुपये का अपव्यय किया है फर्जी तौर से । जबकि वास्तव में हम लोगों की मांग थी कि माइनरों के स्थान पर जो पैसा है, वह रजवाहों से कराया जाये मगर यह नहीं किया गया । मान्यवर, जो रजवाहे हैं, वह कट गये हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि किसान विरोधी नहीं है । मैं बता रहा हूं इस समय हमारे जनपद में डीजल की बहुत किल्लत है । एक तरफ तो नहरों में पानी नहीं मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ हमारे गरीब किसान जेरीकेन लेकर डीजल पम्पों पर डीजल लेने जाते हैं तो वहां पर सामने लिखा होता है कि डीजल नहीं है, यह स्थिति चल रही है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि अभी इस बीच एक डीजल पम्प पर छापा मारा गया । वहां पर डीजल मौजूद था मगर सामने लिखा हुआ था कि डीजल नहीं है । तो किसानों को डीजल नहीं मिल पा रहा है । मान्यवर, मेरी मांग है कि क्योंकि अधिकांश सदस्य किसानों से संबंधित हैं, और यह पूरे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की मांग है कि डीजल की जो दिक्कत है उसे दूर किया जाये । यह सब व्यापारियों की सांठ-गांठ से हो रहा है यह लोक महत्व का विषय है, इसलिये सदन के नियमों को निलंबित करते हुए आज इस पर चर्चा कराई जाय, यह मेरी मांग है ।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, शाहजहांपुर के रजबहों और गलों की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, अभी थोड़ी देर पहले सिंचाई मंत्री जी ने बताया था कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश के सभी माइनरों व गूलों की सफाई का प्रबन्ध करने की वह व्यवस्था कर रहे हैं। जहां-जहां आवश्यकता होती है, वहां-वहां व्यवस्था की जाती है। शाहजहांपुर के लिये विशेष रूप से ध्यान देने के लिये मैं उनसे आग्रह कर दूंगा। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी डीजल की कोई किल्लत नहीं है।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, पता लगवा लीजिये, शाहजहांपुर में।

श्री उपाध्यक्ष-

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना देकर नियमों को निलम्बित करते हुए इस विषय पर चर्चा की मांग की गई। इस प्रस्ताव को मैं अग्राह्य करता हूं।

मद संख्या 3 से संबंधित सूचना कोई नहीं है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा विधान सभा सदस्य श्री किशोरी श्याम के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना (जारी)

श्री उपाध्यक्ष-

एक सूचना माननीय हृदय नारायण दीक्षित की प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण करने के बाद ही कोई कार्यवाही की जायेगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सूचना का परीक्षण कराया जाता है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय दीक्षित जी, आज आपने सूचना दी है और एक माननीय सदस्य के विरुद्ध है, इसकी एक कापी उनको भी भेजी जायेगी, उसके बाद परीक्षण कराया जायेगा, तब उस पर कार्यवाही होगी। यह उचित नहीं होगा कि इस पर आप विचार व्यक्त करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आप मेरा निवेदन सुन लें।

सदन में एक घटना घटित हुई थी, उसमें जो कुछ भी हुआ, वह सब कार्यवाही में अंकित है, मैंने उसे आपकी सेवा में संलग्न करके प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष-

दीक्षित जी, आप नियमों को जानते हैं, और मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। आप सदन को नियमों के मुताबिक चलने दीजिये। आपने जो सूचना दी है, उसमें परीक्षण के उपरान्त ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी। मैं आज आपको सूचना पर बोलने के लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, नियमावली के नियम 67 को आप देखने की कृपा करें। माननीय किशोरी श्याम जी ने उस दिन कुछ कहा, जो कार्यवाही का हिस्सा बन गया मैंने उसकी के आधार पर नोटिस दिया है।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठ जायें । आपकी विशेषाधिकार की सूचना के बारे में मैंने निवेदन कर दिया है । परीक्षण के उपरान्त ही उस पर कार्यवाही होगी । आज मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

दीक्षित जी, आप नियमों के अनुसार सदन को चलाने में मुझे सहयोग दें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, आप नियमावली के नियम 67 को देख लें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैंने कार्यवाही की प्रति नत्थी की है ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने सूचना आज दी है और घटना पहले की है । अगर उसी समय आप यह बात उठाये होते तो उसका औचित्य बनता था । चूंकि यह सूचना आज दे रहे हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप नियमों के मुताबिक सदन का संचालन करने में सहयोग दें ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, आप नियम 67 को देखें उसमें लिखा है "सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा ।" इसलिये मान्यवर, यह जरूरी नहीं है कि आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, घटना कोई बाहर घटी नहीं । इस सदन के अन्दर घटना घटी । विधान सभा की जो कार्यवाही है, उसे मैंने नत्थी करके आपके पास भेजा है । उसे आप पढ़ लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है । किसी सदस्य के विरुद्ध आपने विशेषाधिकार की सूचना दी है । तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य का यह अधिकार बन जाता है कि जो आरोप उसके विरुद्ध लगाये गये हैं, उसकी मूल प्रति उनके पार भेजी जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, सदन के अन्दर श्री किशोरी श्याम जी ने मुझे धमकी दी कि बाहर आकर लड़ो । जबकि उस समय सदन में कोई उत्तेजना का माहौल नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य नियम 65 के परन्तुक को देख लें । उसमें कहा गया है

"परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेख्यों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन करेंगे ।"

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आप मुझे अवश्य सुनें ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने आज ही सूचना दी है । पहले उसकी प्रति माननीय सदस्य को जायेगी उसके बाद ही उस पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी इसलिये मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

अब मैं कार्य मंत्रणा समिति की शिफारिशों को ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 मार्च, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 12 मार्च, 1992 से 7 मई, 1992 तक के उपवेशनों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

यदि आप लोगों की इजाजत हो तो इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(कार्य-मंत्रणा समिति की निम्नलिखित सिफारिशें पढ़ी हुई मान ली गईं)

श्री उपाध्यक्ष-

(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 मार्च, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 12 मार्च, 1992 से 7 मई, 1992 तक के उपवेशनों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(1) दिनांक 12 मार्च, 1992 को विधायी कार्य न रखा जाय और उसके स्थान पर 2 लम्बित असरकारी संकल्प रख दिये जायें ।

(2) दिनांक 6 अप्रैल, 1992 तथा 13 अप्रैल, 1992 को सदन की बैठक न रखी जाय ।

(3) दिनांक 6 मई, 1992 तथा 7 मई, 1992 को सदन की बैठक रखी जाय और उसमें असरकारी कार्य ले लिये जायं ।

(4) सदन का दिनांक 12 मार्च, 1992 से 7 मई, 1992 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय ।

---

(1) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मार्च, 1992

12 गुरुवार	1-असरकारी कार्य (संकल्प) 2-5.00 बजे अपराह्न (1) वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण । (2) वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण । (3) वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
13 शुक्रवार से 22 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
23 सोमवार 24 मंगलवार 25 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
26 गुरुवार	(शीतला अष्टमी का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
27 शुक्रवार 28 शनिवार 29 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
30 सोमवार 31 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

अप्रैल, 1992

1 बुधवार 2 बुधवार 3 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
4 शनिवार 5 रविवार 6 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

7 मंगलवार	
8 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के
9 गुरुवार	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
10 शुक्रवार	
11 शनिवार	
12 रविवार	बैठक नहीं होगी।
13 सोमवार	
14 मंगलवार	बैठक (डा0 अम्बेडकर का जन्म दिवस का अवकाश
15 बुधवार	नहीं होगी (महाबीर जयन्ती का अवकाश)
16 गुरुवार	
17 शुक्रवार	(गुड फ्राइडे का अवकाश)
18 शनिवार	
19 रविवार	
20 सोमवार	
21 मंगलवार	
22 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के
23 गुरुवार	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
24 शुक्रवार	
25 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
26 रविवार	
27 सोमवार	
28 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के
29 बुधवार	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
30 गुरुवार	

मई, 1992

1 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
2 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
3 रविवार	
4 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5 मंगलवार

1-वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2- 4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

6 बुधवार
7 गुरुवार

असरकारी दिवस ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें जिसकी सूचना आज ही उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है से यह सदन सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है से सदन सहमत है;

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा विधान सभा सदस्य श्री किशोरी श्याम के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना (क्रमागत)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, जो विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने उठाया है वह बहुत गम्भीर है उन्हें सुन लें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, अभी आपने कहा माननीय सदस्य जिन पर आरोप लगाया गया है उनको भी सुनना होगा तो उनको भी सुन लिया जाय । (व्यवधान) माननीय सदस्य किशोरी श्याम सदन में आ गये हैं (व्यवधान) मान्यवर, जो विषय मैं उठा रहा हूं, वह इस सदन की गरिमा और इसकी महिमा से संबंधित है । मैंने कार्यवाही का हिस्सा संलग्न किया है । विधान सभा के बाहर की बाज होती या किसी जिले में हुई होती तो बात दूसरी थी । लेकिन यहीं की घटना है जो कार्यवाही में यहां पर राइटर्स लिखते हैं उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है "बाहर आकर निपट लो" उसे स्वयं आपके संज्ञान में लाया गया था उन्होंने तीन बार कहा बाहर आकर निपट लो। सभी माननीय सदस्य इससे क्षुब्ध हैं। यह बात सदन की कार्यवाही में अंकित है, यह कार्यवाही का हिस्सा है ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं या विशेषाधिकार पर बोल रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

चूंकि यहीं की यह घटना है इसलिये यहीं पर उसका निस्तारण होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है जिसमें एक माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाये हैं जब तक उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्य के पास नहीं पहुंचती है और उसका जब तक परीक्षण नहीं होता तब तक उसमें कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैंने 9 बजे सचिवालय को सूचना दे दी है, अब यह सचिवालय की जिम्मेदारी है कि माननीय सदस्य को सूचना दें । माननीय सदस्य यहां पर विराजमान हैं उनसे पूछ लें, यदि नहीं कहा है तो कार्यवाही का अंग कैसे बन गया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

मैं राणा जी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । जो श्री दीक्षित जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर व्यवस्था दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, हम सभी लोग चाहते हैं कि सदन व्यवस्थित ढंग से चले और माननीय सदस्य मर्यादा से अपनी बात यहां रखें । मान्यवर, जो प्रश्न यहां उठा है हो सकता है कि आपके संज्ञान में आ गया हो चूंकि कार्यवाही में है, इसलिये यह विषय ऐसा नहीं है कि परीक्षण के लिये भेजा जाये । जो उन्होंने बात कही है वह कार्यवाही में है । तमाम असंसदीय बातें होती हैं तो उन्हें तुरन्त पीठ से निर्देश होता है कि कार्यवाही से निकाल दी जायेंगी । इसलिये अनुरोध आपसे है कि इसका निस्तारण तुरन्त आप कर दें, इसे लम्बित न करें ।

श्री उपाध्यक्ष-

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसके बारे में मैं व्यवस्था दे रहा हूं । नियमानुसार जब किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है तो उसकी एक प्रति मा0 सदस्य को दी जाती है और उनका भी कथन लिया जाता है । फिर परीक्षण के उपरान्त ही कोई कार्यवाही सम्भव होती है । इसलिये मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

आज दिनांक 12-3-92 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से निर्देश संख्या 15 के अनुसार निम्नलिखित 10 सूचनायें चयनित की गईं । पहली सूचना श्री स्वामी नाथ यादव, श्री गिरधारी लाल, श्री श्रीराम (जालौन), श्री राज नारायण बिन्द, श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश के आयुर्वेदिक छात्रों के द्वारा धरना एवं आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री हरदेव सिंह, श्री छोटे लाल यादव, श्री राधेश्याम वर्मा, की जनपद बाराबंकी के कस्बा फतेहपुर में हरिजन की झोपड़ी में आग लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार की जनपद लखीमपुर के निघासन विधान सभा क्षेत्र में नहर की सीवेज से फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना श्री नरेश अग्रवाल की जनपद बांदा की मनकापुर ब्लाक में कोल जाति की 20 युवतियों के साथ कथित रूप से बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । पांचवीं सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की जनपद इलाहाबाद के बरवा थाने की पुलिस द्वारा सम्भ्रान्त नागरिकों को उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । छठीं सूचना कुंवर अखिलेश की प्रदेश में गन्ना क्रय एवं मूल्य भुगतान में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंधमें है । सातवीं सूचना इकबाल महमूद की जनपद मुरादाबाद में सम्भल सिटी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सड़क निर्माण हेतु सरकार से प्राप्त धन के दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । आठवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की ग्राम सुधार समिति मैनपुरी की मांगों के समर्थन में किये जा रहे आन्दोलन को दबाकर आन्दोलनकारियों को उत्पीड़ित किये जाने के संबंध में है । नवीं सूचना श्री देवेन्द्र पाल सिंह की जिला शाहजहांपुर की रोजा शुगर वर्क्स लि0 द्वारा डालमिया पर गन्ना क्रय केन्द्र स्वीकृति के उपरान्त लगने एवं ऋण वसूली व होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर गरीब किसानों को गन्ने का भुगतान न किये जाने के संबंध में है । दसवीं सूचना श्री मोहम्मद रिजवानुल हक की जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड भगतपुर टाण्डा में ग्राम विकास विभाग द्वारा 106 फर्जी निःशुल्क बोरिंग का घोटाला कर किसानों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है ।

श्री उपाध्यक्ष-

श्री स्वामी नाथ यादव जी ने जो सूचना दी है । उसकी ग्राह्यता के बारे में संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-
मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष-
मैंने स्वामी नाथ यादव को बुला लिया है । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-
माननीय उपाध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में चार स्थानों पर देवरिया, बिजनौर, शाहजहांपुर, जौनपुर के आयुर्वेदिक विद्यालयों के छात्रों की ओर आपने भी देखा होगा विधान सभा के सामने वह धरने पर बैठे हैं । आमरण अनशन पर भी बैठ गये हैं । मान्यवर, इन आयुर्वेदिक विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी गई है । मान्यवर, कई बार सवाल आया और हम लोगों ने भी चाहा कि जो चार पांच सालों से इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं इन विद्यालयों की मान्यता समाप्त हो जाने पर यह छात्र कहां जायं । इन छात्रों के जीवन को देखते हुए इन्हें किसी न किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में जहां शिक्षा दी जाती है उनमें समाहित कर दिया जाय । मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह छात्र जो धरने पर बैठे हैं इन्होंने लिबरेशन फ्रन्ट भी बना लिया है । इनकी अध्यक्ष हैं बिन्दु सिंह चौहान । मान्यवर, आपके विधान सभा के सामने यह लिबरेशन फ्रन्ट की स्थापना हो गई है । मान्यवर, इन्होंने लिखित रूप में सूचित किया है कि अगर हमारी जायज मांगों पर सरकार शीघ्र विचार नहीं करेगी तो परिणाम सही नहीं होगा । मान्यवर, आपने देखा होगा जब विधान सभा से बाहर निकलकर जाओ तो यह छात्र सड़कों पर सो रहे हैं, धरने दे रहे हैं । निरन्तर यह क्रम जारी रहने के बावजूद भी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है । इन लोगों ने लिखित सूचना दी है कि लिबरेशन फ्रन्ट की स्थापना हो गई है । इनके मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो दूरगामी परिणाम बुरे हो सकते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि इन छात्रों को अन्य आयुर्वेदिक विद्यालयों में समावेश कर दिया जाय ।

*श्री प्रमोद तिवारी-
मान्यवर, जब भी सरकार से यह कहा जाता है कि चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं है, तो बहाना किया जाता है कि चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं हजारों की संख्या में छात्र, जिन्होंने शिक्षा की अवधि पूरी कर ली है वह आज दर-दर भटक रहे हैं । वह इसलिये दर-दर भटक रहे हैं क्योंकि सरकार ने उन्हें समायोजित नहीं किया है । तीन चार वर्षों का जो उनका कोर्स था वह पूरा हो गया है । इन लोगों का कहना है कि कोर्स पूरा कर लिया है और पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा होनी चाहिये । पता नहीं क्यों यह सरकार हर ऐसे मसले पर जहां छात्रों की बात होती है, कुछ नहीं करती है । जो जोग समाज को निरोगी बना सकते हैं वह स्वयं रोगी बने दर-दर भटक रहे हैं । उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है । तीन-चार वर्ष का समय अपना स्वर्णिम समय उन्होंने इसमें लगाया है और वह भटक रहे हैं । आन्दोलित हैं । उनके अभिभावकों का जीवन भी अन्धकारमय है । इससे ज्यादा अविलम्बनीय विषय और कोई नहीं हो सकता है । यह लोक-महत्व का इसलिये है क्योंकि इससे पूरे प्रदेश का संबंध है । वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चिकित्सक बनेंगे तो पूरे समाज की सेवा करेंगे । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नियम 56 का विषय है यह दोनों बातों को पूरा करता है । मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जो इस सरकार की हठात् की आदत हो गई है, जो इन्होंने हठ बना रखा है उसको यह छोड़ें और छात्रों की परीक्षा ले लें । उनके साथ न्याय करें । वह छात्र परीक्षा की मांग कर रहे हैं उनकी परीक्षा ले लेनी चाहिये । यह मांग कोई उनकी अनुचित तो नहीं है, छात्र परीक्षा देना चाहें और आप परीक्षा न लें यह तो कोई बात नहीं हुई । मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मांग करता हूं कि सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायें ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, इसमें सत्तापक्ष वालों को भी सुन लें । इसमें सत्ता पक्ष का भी है इसलिये दोनों को सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

जबर्दस्ती तो सुन नहीं सकता हूं । माननीय सदस्य अगर जिज्ञासा रखते तो अनुमति दी जा सकती है । अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

शासन का उत्तर आ जाये । सरकार को छात्रों की परीक्षा लेने में क्या आपत्ति है ।

* श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है पूरे प्रदेश में अनुसूचित का उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार, जैसा पूर्व सदन में चर्चा होती है । मान्यवर, दिनांक 20-12-91 को बलात्कार हुए हैं । तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में एक हरिजन राम आसरे वर्मा के मकान में बी0जे0पी0 के प्रदेश संगठन के मंत्री राज लक्ष्मी वर्मा ने अपनी मौजूदगी में एक हरिजन के मकान में आग लगवा दी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप ग्राह्यता पर बोलें ।

*श्री छोटे लाल यादव-

राजलक्ष्मी वर्मा ने अपनी मौजूदगी में उनके जेठ और देवर ने उस हरिजन के मकान में आग लगा दी ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप जरा एक मिनट बैठ जायं ।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, मेरा नाम छोटे लाल यादव है ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप अपनी बात कहें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संगठन की महामंत्री वहां मौजूद थीं उनके जेठ और देवर ने एक हरिजन के मकान को आग लगा दी । आग से उस हरिजन का मकान जल गया और सारा सामान जल गया । यह घटना तहसील मुख्यालय और थाना कोतवाली के सामने हुई । इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की गई लेकिन आज 3 महीनें हो गये हैं मुलजिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । उन लोगों ने जिलाधिकारी तथा एस0पी0 महोदय को अनाधिकार लिखा है कि इस मामले पर कार्यवाही न की जाय जिससे अनुसूचित घर छोड़कर भाग गये हैं । मैं चाहूंगा कि यह मामला अति महत्वपूर्ण है इसलिये इस मामले पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाय ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, (× × ×)

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठ जायं, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है यह इस सचिवालय पर आक्षेप है । यह नहीं लिखा जायेगा । आप बैठ जायं ।

(श्री नरेश अग्रवाल को पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, बाराबंकी वाली घटना के संबंध में मंत्री जी कुछ कह दें फिर आगे की सूचना लेने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी बाद में कह देंगे । मैंने नाम पुकार लिया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, थोक का मामला नहीं है । एक-एक मामले पर मंत्री जी की बात आ जाय । थोक में लेंगे तो पता नहीं मंत्री जी क्या कहें और क्या भूल जायं?

श्री उपाध्यक्ष-

नरेश अग्रवाल जी को सुन लें उसके बाद मंत्री जी उत्तर दे देंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आप किस तरह से सदन चलायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने नाम पुकार लिया है, मैं नरेश अग्रवाल जी को इजाजत दे रहा हूं । मंत्री जी इसका जबाब दे देंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, इस विधान सभा सत्र के दौरान सामूहिक बलात्कार श्रृंखला की

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

तीसरी कड़ी को इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन एवं प्रदेश की जनता के सामने लाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष-
कृपया ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल-
मान्यवर, 27/28 की रात को जनपद बांदा के मानिकपुर के ग्राम डेसडेला में 20 अनुसूचित जाति (कोल जाति) की युवतियों के साथ कुछ मदमाशों ने सामूहिक बलात्कार किया । दुख इस बात का श्रीमन्, हुआ कि इतना बड़ा काण्ड हो जाने के बावजूद भी दूसरे दिन न तो थाने पर उनकी रिपोर्ट लिखी गई, न उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री मौके पर गया और दुख इस बात का और भी होता है, जैसी कि परम्परा इस सदन में रही कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में हर बात से इन्कार कर दिया । पथरदेवा वाला काण्ड भी होने पर डी0जी0पी0, उत्तर प्रदेश ने बयान दिया कि जिस गांव में काण्ड हुआ वह गांव देवरिया में है ही नहीं । लेकिन श्रीमन्, 3 दिन के बाद जब थाने में रिपोर्ट लिखी गई, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के डी0जी0पी0 ने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश में इस नाम का गांव है ही नहीं । मतलब यह कि इस (× × ×) और नारी की अस्मत के साथ बलात्कार हो रहा है और नारी के आभूषण को लूटने का प्रयास हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष-
आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल-
मैं ग्राह्यता पर ही हूं । मेरा आपसे निवेदन है कि श्रीमन्, पुलिस से मिल कर यह काण्ड हुआ । इस गांव में एक माह पूर्व भी काण्ड हुआ था । थाने में सूचना दी तो उनको प्रताड़ित किया गया । दोबारा जो उन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ वह तो पुलिस ने दूसरे दिन दूसरे अपराध में उनको जेल में भेज दिया गया लेकिन उस अपराध की रिपोर्ट नहीं लिखी गई । श्रीमन्, आज प्रदेश की महिलाओं के साथ उनकी अस्मत के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है, छात्रों के साथ कर रही है । अनुसूचितों के साथ कर रही है, तो हम लोग ज्यादा दिन चुप नहीं बैठ पायेंगे और यह हम लोगों की ही आवाज नहीं है, सम्पूर्ण प्रदेश की जनता की आवाज है । ऐसे सामूहिक बलात्कार प्रदेश में होते रहे....

श्री उपाध्यक्ष-
आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री नरेश अग्रवाल-
मान्यवर, ग्राह्यता पर बोल रहा हूं....(व्यवधान)

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप विषय से हट कर न बोलें । मैंने निर्देशित कर दिया है, केवल ग्राह्यता पर बोलें । नरेश अग्रवाल जी आप समाप्त करें । आप शान्त रहें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन्, जब बलात्कार की बात आती है तो उधर के सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं । श्रीमन्, मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

आप समाप्त करें । मैं दूसरी सूचना ले रहा हूं । आप शान्त रहें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, बलात्कार की बात में ये लोग इतना चिल्लाने लगते हैं, इनको नारी जाति का सम्मान नहीं मालूम है । इतना बीभत्स काण्ड होने के बावजूद सरकार नहीं चेती है । यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । मैं निवेदन करता हूं कि मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से स्थिति स्पष्ट करावें और चर्चा करावें और यह बात सुनिश्चित करें कि जिन लोगों द्वारा यह काण्ड किया गया है उनको दण्डित करावें ।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्रीमती गुलाब देवी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि आये दिन बराबर ये बलात्कार का प्रश्न उठाते रहते हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि ये इस प्रकार महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ? इससे ज्यादा गन्दी राजनीति और क्या हो सकती है (शेम-शेम के नारे)... इससे महिलाओं की इज्जत और ज्यादा खराब हो सकती है कि ये यहां महिलाओं के हाथों की चूड़ियां उतरवा सकते हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आये दिन ये हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या अब तक कोई आरोप ये साबित कर पाये हैं ? यदि नहीं साबित कर पाये हैं, तो इस प्रकार के आरोप ये क्यों लगाते हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें ।

आप लोग कृपया अव्यवस्था न उत्पन्न करें । आप लोग बैठ जायं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधिक समय नहीं लूंगा बस दो मिनट का समय लूंगा। मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर जो मैंने मुद्दा उठाया, वह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है । इलाहाबाद जनपद में चरवा थानान्तर्गत पिछले दिन 12 तारीख को एक ग्राम अरई सुमेरपुर पड़ता है, वहां पर डा0 रामलाल कुशवाहा जो कि प्राइवेट

चिकित्सा करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। चरवा की पुलिस उनको इसलिये पकड़ कर ले गई कि उन्होंने एक पेड़ कटवाया उसकी परमीशन लेकर और उसमें उन्होंने पैसा नहीं दिया अवैध रूप से थाने की पुलिस को और उसके बाद 12 तारीख को उस नव जवान डाक्टर को समय 7 बजे शाम को चरवा थाने की पुलिस पकड़ ले जाती है और रात में उसको बुरी तरह से मार कर जो वहां के थानाध्यक्ष महोदय थे, लाकअप में बन्द कर देते हैं। सुबह जब निकालते हैं, तो वह कहते हैं कि अभी इसका हाथ पैर नहीं टूटा है और आम जनता के सामने लोहे की सरिया से उसका हाथ पैर तोड़ने का काम करते हैं। मान्यवर, एक दूसरी घटना है इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत ही कोखराज थाना के अन्दर सिंधिया पुलिस चौकी में गत 28/29 फरवरी को वहां पर चौकी इन्चार्ज, एक छात्र जो चौकी के सामने रहा करता था, उसके कमरे में घुस कर उसके साथ अभद्र अप्राकृतिक कार्य करने का प्रयास किया। मान्यवर, उससे जनाक्रोश इतना फैला कि सिंधिया और भरवारी क्षेत्र में जन आन्दोलन खड़ा हो गया। वहां पुलिस चौकी पर जनता ने हमला भी किया। वहां पर शान्ति व्यवस्था भंग हो गई। वहां पर जिले के तमाम अधिकारी पहुंच गये और उस पुलिस चौकी इन्चार्ज को हटा दिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस पर आप कार्य-स्थगन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें और सरकार को निर्देशित करें कि ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय, क्योंकि यह सरकार भयमुक्त समाज की स्थापना की बात करती है। मान्यवर, इन घटनाओं पर तत्काल जांच कराकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 के अन्तर्गत 5 सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुना जा चुका है और शेष 5 सूचनायें जो श्री अखिलेश, श्री इकबाल महमूद, श्री राम औतार शाक्य, श्री देवेन्द्र पाल सिंह और श्री मो0 रिजवानुलहक की है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत चयनित नहीं की गईं, अतः उनको अस्वीकार किया गया, पहली श्री प्रमोद तिवारी, श्री हृदय नारायण दीक्षित, दूसरी श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, तीसरी श्री लीला राम शर्मा, चौथी श्री श्रीराम (जालौन), पांचवीं श्री विक्रमाजीत मौर्य और छठीं श्री हरवंश सहाय।

वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य के वितरण व्यवस्था की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मुझे माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना है कि कुछ समय बाद ठीक 5.00 बजे वित्तीय वर्ष 1992-93 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरित किये जाने के संबंध में की गई व्यवस्था इस प्रकार है:-

"हां" सभा कक्ष में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर,

बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजाहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ तथा मऊ जिलों के समस्त सदस्यगण और "नहीं" सभा कक्ष में शेष जिलों के सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

जनपद मऊ के थाना मधुवन के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक बनाये जाने का संकल्प +

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 21 फरवरी, 1992 को प्रस्तुत संकल्प "इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद मऊ के थाना मधुवन के अन्तर्गत हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक का निर्माण कराया जाये ।

मान्यवर, हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में न मालूम हमारी कितनी माताओं और बहिनों की मांग का सिंदूर खाली किया गया है । हमारा देश बहुत सी मुश्किलों के बाद आजाद हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं । उनको पता नहीं था कि हिन्दुस्तान आजाद होगा या नहीं होगा ? आज हिन्दुस्तान को आजाद हुए 45 वर्ष हो गये हैं । चूंकि समय नहीं है इसलिये मैं बहुत विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही 5-6 मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । मान्यवर, मधुवन गांव में 36 लोगों को एक ही साथ एक दिन गोली मारी गई थी वह मधुवन की धरती हिन्दुस्तान की आजादी की धरती है । उसमें अद्भुत संयोग यह था कि जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पढ़ा गया तो जितने लोग हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में मरे थे उसमें मधुवन में 36 लोग एक ही दिन मरे थे और वह तारीख थी 15-10-42 की पूरे घोसी तहसील के लगभग 25 हजार आदमी मधुवन थाने पर इकट्ठा हुए थे, 15 अगस्त, 1942 को इसकी सूचना जब थानाध्यक्ष को मिली तो उसने इसकी सूचना जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दी कि मधुवन थाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है लगता है कि आज मधुवन थाना जला दिया जायेगा । इस सूचना को पाकर वहां के जिलाधिकारी निबलेट तुरन्त वहां पर पहुंचे, उस समय मधुवन थाने पर 30 हजार से ऊपर लोग इकट्ठा हो चुके थे और उन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी का बीड़ा उठाया था तो निबलेट ने आदेश दिया कि गोली चलाई जाय, गोली चली और 36 लोग एक साथ मारे गये और 20 लोग घायल हुए जिनका इलाज अस्पतालों में हुआ ।

नोट:- + देखिये दिनांक 21 फरवरी, 1992 की कार्यवाही से ।

मान्यवर, जब मधुवन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को ब्रिटेन पार्लियामेंट में पढ़ा गया उसमें जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मरे थे उसमें मधुवन में किसी के हाथ पैर में गोली नहीं लगी थी, सबके सीने पर गोली लगी थी। जब पिछली बार मैं विधान सभा क्षेत्र में चुनकर आया था तो हमने इसे महसूस किया और 301 के अन्तर्गत प्रस्ताव भी दिया। मैं मुलायम सिंह जी का आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने मेरे प्रस्ताव के बाद उसका परीक्षण कराया उस समय संसदीय कार्य मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी थे उन्होंने घोषणा किया कि 3 लाख 42 हजार रुपये मधुवन के नाम पर जारी कर दिया जाय। मुझे कष्ट इस बात का है कि पिछली सरकार के 3 लाख 42 हजार रुपये स्वीकृत करने के बाद भी यह भा0ज0पा0 सरकार उसमें एक ईंट भी नहीं रख पायी है। जिलाधिकारी के खजाने में रुपया चला गया और उसके बाद भी इस भा0ज0पा0 की सरकार ने एक ईंट भी नहीं रखा है। मैंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनैतिक पेंशन मंत्री से बात किया, मैंने सेक्रेट्री से बात किया, वे एक ही बहाना करते हैं कि जमीन नहीं है। मधुवन में हिन्दुस्तान के आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के लिये जमीन नहीं है। कहा जाता है :-

शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा।

श्रीमन्, आज भी 15 अगस्त को हर वर्ष वहां पर भारी मेला लगता है और लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन अभी तक मधुवन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में स्मारक नहीं बनाया गया है। मैं समझता हूं कि इस सरकार को 9 महीनें आये हो गये हैं, रुपया भी मिला हुआ है लेकिन यह सरकार उसके बाद भी एक ईंट वहां नहीं रख पाई है इसलिये मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं कटघरा शंकरगांव की जमीन एक एकड़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक के नाम पर तहसील में उसके नाम से खतौनी बन चुकी है और गांव सभा ने प्रस्ताव कर दिया है, इसके बाद भी कमीशन से रिपोर्ट मांगी जा रही है। पता नहीं कौन जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है? जमीन हमने उसके लिये दिलवा दी है, पैसा पिछली सरकार ने दे दिया है फिर भी इसको टाला जा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस भा0ज0पा0 की सरकार में यहां से लेकर दिल्ली तक कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हैं। ये लोग तो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को कुछ जानते ही नहीं हैं। ये जानते नहीं हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या होते हैं ये तो गोडसे के लोग हैं, जिसने पूज्य महात्मा गांधी की हत्या की थी, इन्हीं लोगों ने उनको मारा है इस पार्टी के लोग हीं उनको मारने वाले हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जानते ही नहीं कि वह क्या होते हैं? मैं अनुरोध करता हूं कि मधुवन में जहां स्वतंत्रता संग्राम के इतने बड़े जत्थे 36 आदमियों को सीने में गोली मारी गई थी वहां पर शहीदों का स्मारक बनाने के लिये अवश्य रुपया दिया जाय जिससे आगामी 15 अगस्त, 1992 को जब

वहां पर शहीदों का मेला लगे तो वहां के लोग शहीदों को सही रूप से याद कर सके और उनको समुचित सम्मान दे सकें इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इम्तियाज अहमद-

श्रीमन्, मैं भी उसी जिले से आता हूं जहां से पाण्डेय जी आते हैं। इसलिये मैं भी इसके समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं। मधुवन एक ऐसी जगह है जो स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमारे पूर्वांचल में स्वतंत्रता के इतिहास में दो जगहें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं- एक तो मधुवन और दूसरा चौरीचौरा, जहां के शहीदों ने एक साथ मिलकर देश की आजादी के लिये अपना खून बहाया है और एक साथ हजारों लोग मारे गये हैं। हमारे लिये यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा इतना पैसा आवंटित होने के बावजूद भी वर्तमान सरकार इस विषय के प्रति जरा भी गम्भीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है, इसलिये मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता आन्दोलन के शहीदों की याद में वहां पर यादगार बनायी जाये। मैं यह भी साथ में कहना चाहता हूं कि हमारी मौजूदा सरकार इसमें इसलिये संवेदनशीन नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से इसका कोई मतलब नहीं रहा है। जहां संवेदनशीलता की आवश्यकता है वहां सरकार उदासीन बनी हुई है। मैं मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, वहां के शहीदों की याद में एक शानदान यादगार चिन्ह निर्मित की जाय।

श्री श्रीराम-

मान्यवर, मैं अपने जनपद हमीरपुर के बारे में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जनपद हमीरपुर की बात अभी नहीं है। मद संख्या 8 पर आप कुछ कहना चाहते हैं।

डा0 जी0एस0विनोद-

मैं यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है खजाना खाली है लेकिन आज उस सरकारी खजाने में कहां से अनाप-सनाप पैसा आ गया है जो यह शोबाजी की जा रही है। इस चकाचौंध पर बेतहाशा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। पैसा खर्च करना था तो किसी अच्छे काम में जनकल्याण में खर्च करते। आपने चकाचौंध वाला रवैया अपनाया है...

(व्यवधान)

श्री श्रीराम-

मैं जनपद हमीरपुर की तहसील राठ की ओर..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 8 पर चर्चा जारी रहेगी ।

माननीय सदस्य क्षमा करेंगे, 5.00 बजे बजट पेश होने वाला है, अब आप लोग कृपया बैठ जायं ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, 5.00 बजे का क्या इंतजार कर रहे हैं दो संकल्प थे ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 8 पर चर्चा जारी रहेगी, मद संख्या 9 को मैंने स्थगित कर दिया है । आप लोग कृपया बैठ जायं । मैं बता रहा हूं कि मद संख्या 8 पर जो श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय का संकल्प था, जिस पर अभी चर्चा हो रही थी उस पर चर्चा जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश की सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा न करना संज्ञेय अपराध माने जाने विषयक संकल्प का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री बी0आर0 वर्मा का संकल्प था उसको स्थगित कर दिया है, उसे अगले किसी दिवस को ले लिया जायेगा ।

प्रस्तुत बजट की कथित गोपनीयता भंग होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 10 पुकारे जाने पर व माननीय वित्त मंत्री के खड़े होने पर)

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने एक लिखित सूचना दी थी उसमें कृपया अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी कृपया बजट प्रस्तुत करें ।

(व्यवधान के मध्य)

(माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण पढ़ने के लिये खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

बजट भाषण की प्रतियां वितरित की जायें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बजट की गोपनीयता बनी रहनी चाहिये इसके संबंध में मैंने आपको एक सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना पढ़ ली है उसे स्वीकार करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अभी तक हमें बजट भाषण की कापी भी नहीं मिली है ।

श्री अध्यक्ष-

कृपया प्रतीक्षा करें, बजट की प्रतियां वितरित करने के लिये कह दिया है और वितरित भी की जा रही हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय तिवारी जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कृपया उसे सुन लें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पहले उसकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिये, मगर आज जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी गोपनीयता नहीं रह गयी है । आज किन-किन मदों पर सेल्स टैक्स कम हो जायेगा इसकी सूचना पूंजीपतियों को हो गई है और आज के नव भारत टाइम्स में भी स्पष्ट रूप से आ गया है । इस सरकार ने बजट की गोपनीयता को पूरी तरह से भंग कर दिया है और यह इसलिये किया है कि पूंजीपतियों को अपना सामान जमा करने में आसानी हो जाये । यह सरकार पूरी तरह से इस बजट की गोपनीयता को बनाये रखने में अक्षम रही है इसलिये मैं इस बजट भाषण का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी आप कृपया अपना बजट भाषण आरम्भ करें ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 का आय-व्ययक

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर,

मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1992-93 का आय-व्ययक प्रस्तुत कर रहा हूं।

महान एवं लोकतांत्रिक परम्पराओं वाले इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे इस आदरणीय सदन के सम्मानित जनसेवी सदस्यों के सम्मुख स्वाधीन भारत के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वित्त मंत्री के रूप में प्रथम आय-व्ययक प्रस्तुत करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। संविधान की धारा 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिये दो मास के लेखानुदान की स्वीकृति भी प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है।

(कतिपय विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये)

इस प्रदेश की जनता ने लगभग 9 माह पूर्व मई/जून, 1991 के आम चुनाव में अराजक तत्वों, छद्म धर्म निरपेक्ष ताकतों और अवसरवादी गठजोड़ों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत "एक स्वतंत्र, स्वच्छ एवं सम्पूर्ण विकल्प" के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया। उसी जन-विश्वास से अभिसिंचित तथा जनस्नेह से अभिभूत होकर मैं इस आदरणीय सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद तथा आदर सम्प्रेषित करने के लिये भी खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रवाद, सम्पूर्णता और एकात्ममानववाद में आस्था रखने वाली स्वदेश और स्वधर्म के प्रति समर्पित भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस जनादेश की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये सतत प्रयत्नशील रहेगी।

राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म स्थान पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिये सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि राम जन्म भूमि प्रकरण राजनीतिक या साम्प्रदायिक न होकर नितान्त राष्ट्रीय मुद्दा है। राम देश के हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों तथा इसाइयों सभी के पूर्वज हैं। राम जन्म भूमि मुद्दे को अनन्त काल तक लटकाये रखना किसी के हित में नहीं है। इसी दृष्टि से सरकार ने परस्पर वार्ता द्वारा मामले का हल ढूंढने की पहल की है।

आप सभी को इस सरकार के सामने खड़ी चुनौतियों, सीमित संसाधनों और विरासत में मिले आर्थिक दृष्टि से विपन्न और सामाजिक लिहाज से बंटे हुए उत्तर प्रदेश के भावी विकास की दिशा को प्रस्तुत करने से पूर्व हम यह बताना चाहेंगे कि इस सरकार के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दर्शन की सोच और वैचारिक आधार क्या है ?

रामराज्य की परिकल्पना के जनक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति के दर्द को समझने वाले राजनैतिक मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इन महानुभावों ने हमें आर्थिक विकास के प्रतिमान और विकास योजनाओं की सफलता के जो मापदण्ड दिये हैं उन्हीं से हमारी सरकार के उत्प्रेरक सिद्धान्त, यात्रा की दिशा और कार्य की प्रणाली निश्चित हुई है। पं० दीनदयाल उपाध्याय ने समाजवादी एवं पूंजीवादी विचारों को एकांगी, अधूरे तथा विदेशी मुखौटों के रूप में विवेचित करते हुए "एकात्म मानववाद" की भारतीयतावादी परम्परा की बुनियाद डाली थी। उनका ध्येय समाज की सीढ़ी के अंतिम सोपान पर खड़े व्यक्ति का उदय था। वे सबकी समानता और सबके सम्मान की बात करते थे। हमारी विकास योजनाओं का मापदण्ड भी यही है। इसलिये विपन्न का

पक्ष ही हमारी सरकार का पक्ष है । इस मौलिक चिन्तन को कार्यरूप देने के लिये हमने विकास की अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं :—

गांव-गरीब-किसान,

झुग्गी-झोपड़ी के इन्सान,

बेरोजगार नौजवान,

नारी का सम्मान,

दलितों, पिछड़ों, श्रमिकों और शोषितों का उत्थान ।

यही वर्तमान सरकार के कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु है । अपने सीमित संसाधनों के दायरे में उनकी बेहतरी का लक्ष्य हमने अपने बजट में रखा है । इन्हें स्वावलम्बी बनाना ही हमारी आजादी का भी लक्ष्य था ।

जनतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित सरकारों की श्रृंखला "रिले रेस" के समान होती है । हर सरकार को अपने पूर्व की सरकार से कुछ विरासत प्राप्त होती है । यदि वह विरासत भली प्रकार की होती है तो आगे आने वाली सरकार कार्यभार हाथ में लेने के क्षण से ही जनता की प्रगति, कल्याण व खुशहाली के अपने कार्यक्रमों पर अमल कर सकती है । अन्यथा इस प्रक्रिया में अवरोध, अड़चन व अन्तराल आना स्वाभाविक है । यह आरोप नहीं अपितु एक दुःखद सच्चाई है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्यभार ग्रहण करते ऊँही इसी प्रकार की दुरुह परिस्थितियां विरासत में मिलीं । जनोन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से जन-साधारण की सेवा की आकांक्षा लेकर सत्ता में आयी इस सरकार को विरासत में क्या मिला ? श्रीमन्, विरासत में मिला अराजकता से पीड़ित उत्तर प्रदेश, आतंकवाद से आतंकित उत्तर प्रदेश, जातिवाद के जहर से झुलसा उत्तर प्रदेश, साम्प्रदायिक उन्माद से उद्वेलित उत्तर प्रदेश, साम्प्रदायिक दंगों की श्रृंखला में जलता हुआ उत्तर प्रदेश, राजनीति के अपराधीकरण तथा अपराधियों के राजनीतिकरण से ग्रसित उत्तर प्रदेश, आर्थिक रूप से पूर्णतया विपन्न उत्तर प्रदेश एवं विकास की अवरुद्ध गति में फंसा हुआ उत्तर प्रदेश । यह भयानक तस्वीर थी जून, 1991 के उत्तर प्रदेश की ।

माननीय श्री कल्याण सिंह के सदाशयतापूर्ण कुशल और प्रेरणादायक नेतृत्व में सत्ता ग्रहण करते ही हमारी सरकार ने समाज के बिखरे तारों को जोड़ने, टूटे दिलों को करीब लाने, लोगों के मर्माहत मनोभावों पर ममता का मरहम लगाने एवं गिरे मनोबल को फिर से संजोने का कार्य शुरू किया । प्रशासन में गुणात्मक परिवर्तन आया है । हमने प्रशासन-तंत्र में एक नयी तथा स्वस्थ्य "कार्य संस्कृति" का विकास किया और उसे संवेदनशील तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया । धैर्य और दृढ़ता से सरकार उस माफिया तंत्र की जकड़बन्दी को तोड़ने में लगी जिनके मुंह सत्ता का खून लगा था और जिनकी पकड़ नौकरशाही, पुलिस और राजनीति पर सुनियोजित ढंग से पनपायी गयी थी । अब हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में माफिया राज से समाज भय मुक्त हुआ है । हताश प्रशासन तथा निराश जनता में हमने नयी प्रेरणा व आशा जगायी है । कानून-व्यवस्था और न्याय में विश्वास रखने वाली यह सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन और सम्मान की सुरक्षा का आश्वासन देती है । "दंगा रहित प्रदेश" और "भय मुक्त समाज" का वातावरण बनाकर जनोन्मुखी नीतियों व कार्यक्रमों को मूर्तरूप देने के लिए हमारी नीति, नीयत और नियोजन साफ है ।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि विगत 42 वर्षों की गलत नीतियां, गलत नियोजन, गलत प्राथमिकतायें और गलत क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में लगातार पिछड़ता ही गया है। पिछली सरकारों की अपव्ययी और अदूरदर्शी नीतियों के कारण यह प्रदेश विकास के लगभग सभी संकेतकों में अधिकांश राज्यों तथा राष्ट्रीय औसत से भी पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1989-90 में राष्ट्रीय औसत से 27.8 प्रतिशत कम है, जब कि जनसंख्या में प्रदेश की दशकीय वृद्धि 25.41 प्रतिशत हुयी है, जो देश की जनसंख्या मे 23.56 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और अर्द्ध रोजगारी में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुयी है। मोटे अनुमानों के अनुसार प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 41 प्रतिशत से अधिक है। उत्तर प्रदेश के विकास में प्रति व्यक्ति व्यय भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का योगदान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटता जा रहा है। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पेयजल और विद्युत् आदि का भी अभाव प्रदेश के नागरिक जीवन की गुणवत्ता के स्तर को राष्ट्रीय औसत से नीचे बनाए हुए हैं।

प्रदेश की जटिल आर्थिक स्थिति से मैंने आपको समय-समय पर अवगत कराया है। राज्य की वित्तीय असलियत यह है कि राजस्व व्यय में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी होती जा रही है जब कि राजस्व प्राप्तियां उस अनुपात में नहीं बढ़ी हैं। परिणामस्वरूप विकास कार्यक्रमों के लिए हम आवश्यक संसाधन पिछले वर्षों में नहीं उपलब्ध करा सके हैं। वर्ष 1991-92 में आर्थिक संकट तो अप्रत्याशित था। केन्द्र द्वारा वायदे के बावजूद लगभग 925 करोड़ रुपया राज्य को कम दिया गया जब कि पिछले बजट एवं वर्ष 1991-92 की योजना निश्चित करते समय इस अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता को आगणित किया गया था। इसी के आधार पर कुछ कार्यक्रमों की घोषणा भी कर दी गयी थी यद्यपि पिछले बजट में इन वादों का प्राविधान नहीं था। राज्य के विकास की स्थिति एवं आर्थिक समीक्षा का विवरण भी आप सबको उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आप सभी महानुभाव प्रदेश की आर्थिक स्थिति का जायजा लेते हुए विकास के रास्ते में आने वाली मुश्किलों का अनुमान लगा सकें।

इसी परिप्रेक्ष्य में हमने राज्य की "आठवीं पंचवर्षीय योजना" का एक प्रारूप तैयार किया है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में हमारी अर्थ-व्यवस्था और विकास का केन्द्र बिन्दु "व्यक्ति" होगा। हमारे आर्थिक विकास का नारा "जनता द्वारा, जनता के लिये तथा जनता का विकास" है। इसी उद्देश्य तथा राज्य में विकास की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की आठवीं योजना के प्रारूप का आकार 28,000 कारोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तावित किये गये हैं :-

(1) 6 प्रतिशत वार्षिक विकास दर (राष्ट्रीय योजना में वार्षिक विकास दर 5.6 प्रतिशत प्रस्तावित) है।

(2) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली संख्या में उल्लेखनीय कमी। वर्ष 1983-84 में यह कुल जनसंख्या का 45.3 प्रतिशत थी जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 24.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।

(3) लगभग 50 लाख व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित करना तथा कृषि क्षेत्र में अर्ध-रोजगारी में कमी करना।

(4) योजना राशि का कम से कम 60 प्रतिशत अंश गांवों और कृषि विकास पर व्यय करना ।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाये जाना प्रस्तावित है जिनसे समाज के निर्धनतम व्यक्तियों की आय में वृद्धि हो, प्रत्येक गांव के लिये विद्युत, स्वच्छ पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य रक्षा के लिये उपयुक्त सुविधायें आदि उपलब्ध कराई जा सकें । केन्द्रीय योजना आयोग से अभी आठवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में प्रारम्भिक विचार-विमर्श ही हुआ है ।

वार्षिक योजना 1992-93

वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना के प्रारूप का आकार 4,244 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया था जिसमें उत्तरांचल क्षेत्र हेतु 210 करोड़ रुपये की प्रकल्पित विशेष केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित थी । वार्षिक योजना के आकार के विषय में केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष और माननीय मुख्य मंत्री जी के बीच दिनांक 21 जनवरी, 1992 को विचार-विमर्श हुआ । राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित 2,559 करोड़ रुपये की योजना परिव्यय को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि योजना आयोग ने लगभग 1,475 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परिव्यय में कटौती कर दी थी । राज्य सरकार ने इसे अनौचित्यपूर्ण और अव्यवहारिक मानते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी को समस्त तथ्यों सहित विवरण भेजा था । मुझे इस सम्माननीय सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि दिनांक 6 मार्च, 1992 को केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष और माननीय मुख्य मंत्री जी के मध्य पुनः विचार-विमर्श के बाद प्रदेश की वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना के आकार को 3,853 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जिसमें उत्तरांचल क्षेत्र की अनुपूरक केन्द्रीय सहायता सम्मिलित नहीं है । योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि उत्तरांचल क्षेत्र की अनुपूरक केन्द्रीय सहायता को वर्तमान 182 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाकर न्यूनतम 200 करोड़ रुपये अवश्य कर दिया जाय । इस प्रकार 200 करोड़ रुपये की अनुपूरक केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए 4,053 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना में मैदानी क्षेत्र के लिये 3,648 करोड़ रुपये तथा उत्तरांचल के लिये 405 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है ।

वार्षिक योजना के 4,053 करोड़ रुपये के परिव्यय में मुख्य रूप से आनपारा "बी" को सम्मिलित करते हुए ऊर्जा के लिये 1,362 करोड़ रुपये (34 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु 455 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत), यातायात एवं सड़क हेतु 409 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं जिसमें शिक्षा, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता, आवास, अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों का कल्याण, श्रम एवं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं पुष्टाहार आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं, के लिये 743 करोड़ रुपये (18 प्रतिशत), कृषि एवं सम्बर्गीय कार्यक्रमों हेतु 426 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत), ग्राम्य विकास कार्यक्रमों हेतु 334 करोड़ रुपये (8 प्रतिशत), सामान्य आर्थिक सेवाओं हेतु 138 करोड़ रुपये (3 प्रतिशत), उद्योग एवं खनिकर्म कार्यक्रमों हेतु 122 करोड़ रुपये (3 प्रतिशत) तथा विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों हेतु 53 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

वार्षिक योजना में उन्हीं कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनका उल्लेख आठवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में किया गया है । वार्षिक योजना के कुल परिव्यय का 60 प्रतिशत अंश गांवों और कृषि के विकास से संबंधित कार्यक्रमों के लिये निर्दिष्ट किया गया है ।

प्रतिबद्धतायें और विकास के नये आयाम

लगभग 9 माह पूर्व राम राज्य की आदर्श व्यवस्था के संकल्प के साथ हम सत्ता में आये थे । उस आदर्श और कल्याणकारी व्यवस्था के लिये माननीय मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व में हमने गांव-गरीब-

किसान, झुग्गी झोपड़ियों के इन्सान, बेरोजगार नौजवान, नारी के सम्मान एवं श्रमिकों, दलितों, अनुसूचित वर्गों और पिछड़ों के उत्थान के लिये अनेक प्रभावी कदम उठाये हैं। बुनकरों, दस्तकारों, शिल्पकारों और भूमिहीन मजदूरों के आर्थिक विकास के लिये नयी योजनायें बनायीं हैं। तुलसी दास जी ने लिखा है :–

खेती बनी विद्या बनिज सेवा सिलिप सुकाज।
"तुलसी" सुरतरु सरिस सब सुफल राम के राज ॥

राम राज्य में खेती, मजदूरी, विद्या, व्यापार, सेवा, दस्तकारी, सभी कार्य लाभदायक और मनचाहा फल देते हैं। हमारा लक्ष्य उसी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। आर्थिक विकास को राजनैतिक वादों (इज्म) और थोथे नारों के चौखटों में बांधना अव्यवहारिक पाया गया है। इसलिये हमारी सरकार प्रदेश के आर्थिक विकास को पूरी तरह स्वदेशी बनायेगी। इसके लिये स्वदेशी उपकरणों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। गहरे और लड़खड़ाते आर्थिक संकट का सामना करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु हमारी प्राथमिकताओं एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी रणनीति के छः मुख्य आधार स्तम्भ हैं :–

(1) चालू योजनाओं के अधीन जो कार्यक्रम लिये गये हैं परन्तु अधूरे पड़े हैं उन्हें पूर्ण कराने हेतु प्राथमिकता।

(2) अधूरी विकास योजनाओं पर प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करके उनकी गुणवत्ता में सुधार।

(3) विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो परिसम्पत्तियां स्थापित की गयी हैं उनके स्थायित्व एवं अनुरक्षण हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था।

(4) विभिन्न कार्यक्रमों एवं संसाधनों में लगी हुई जनशक्ति का आपसी समन्वय स्थापित करके एकीकृत रूप से विकास के कार्यक्रमों का संचालन।

(5) प्रदेश के त्वरित औद्योगीकरण के लिये अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण।

(6) प्रदेश के अन्दर व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिये पिछड़े क्षेत्रों का तीव्रतर विकास।

अपने संकल्पों को वर्ष 1992-93 के लिये आज प्रस्तुत इस आय-व्ययक के माध्यम से साकार रूप देने का हमने जो प्रयास किया है उसका विवरण विभागवार योजनाओं में मिलेगा। फिर भी प्रारम्भ में ही इस व्यवस्था के कुछ मुख्य बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

गांव-गरीब-किसान

* पूंजी के प्रवाह को गांव की ओर मोड़ा जाएगा। वर्ष 1992-93 की योजना में विकास कार्यक्रमों हेतु कुल परिव्यय का 60 प्रतिशत खर्च गांव और कृषि के विकास पर।
* पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवस्थापना एवं संचार सुविधाओं के लिये पूर्वांचल विकास निधि में 40 करोड़ रुपये धनराशि की अतिरिक्त व्यवस्था।
* बुन्देलखण्ड विकास के लिये बुन्देलखण्ड विकास निधि में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
* उत्तरांचल की उपयोजना के लिये 405 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

* पेयजल सुविधा विस्तार हेतु प्रदेश में 29,000 इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प की स्थापना जिसमें 12,000 हैण्ड पम्प अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति हेतु आरक्षित ।
* एकीकृत ग्राम्य विकास के तहत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1693.67 लाख मानव दिवस का सृजन । इस मद में 536.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।
* स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये खादी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग के विकास हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करा कर उत्पादन सुधार का कार्यक्रम ।
* हथकरघा बुनकर जो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये पावर लूम लगाना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिये पावरलूम सहकारी समितियों की नई योजना ।
* खाद्यान्न, तिलहन एवं दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 62 नये विशेष उत्पादन कार्यक्रम ।
* देश की ख्याति प्राप्त बीज उत्पादन संस्थाओं को आमंत्रित कर राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर कम उपजाऊ भूमि लीज पर देकर बड़े पैमाने पर संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम ।
* सहकारी क्षेत्र में तिलहन विकास हेतु 36.40 करोड़ रुपये की लागत से नई परियोजना ।
* कृषि विपणन व्यवस्था में प्रसार के लिये 20 मुख्य मण्डी स्थल, 2 उप मण्डी स्थल, 2 फल एवं सब्जी मण्डी स्थल तथा 75 ग्रामीण मण्डियों का निर्माण ।
* औद्यानिकी के क्षेत्र में एक बीज निगम की स्थापना ।
* नदियों की तलहटी की भूमि के सदुपयोग के लिये 20 जनपदों में जायद की शाकभाजी उत्पादन का कार्यक्रम ।
* अलंकृत बागवानी योजना के विस्तार हेतु फैजाबाद, आगरा एवं गाजीपुर में चयनित कृषकों को रोपण सामग्री पर 50 प्रतिशत अनुदान ।
* प्रशासन का जनता के द्वार तक सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से किसानों और ग्रामीण श्रमिकों की सुविधा के लिये प्रत्येक न्याय पंचायत में एक किसान सेवा केन्द्र ।
* केन्द्र सरकार से 50 नई चीनी मिलों के लिये लाइसेंस की मांग ।
* बीमार चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का समयबद्ध कार्यक्रम ।
* 100 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का सुदृढ़ीकरण ।
* नैनीताल जनपद में पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना ।
* नलकूपों के संचालन में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 100 नलकूप पंचायत समिति के गठन की मार्गदर्शी योजना ।
* सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार तथा नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये 31 करोड़ रुपये का प्राविधान ।
* बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई हेतु भू-स्तरीय जल स्रोतों के विकास हेतु 4.39 करोड़ रुपये की लागत से नई योजना का शुभारम्भ ।
* फल-सब्जियों के उचित विपणन व्यवस्था हेतु लखनऊ में हार्टिकल्चर सहकारी विपणन संघ की स्थापना हेतु 1.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।

* केला, पपीता तथा ग्लेडीयोलाई की उत्तम किस्मों के वृहद् उत्पादन हेतु एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना।

* बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशु प्रजनन, चारा विकास एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं हेतु एक करोड़ रुपये की लागत से गोपाल प्रक्षेत्र विकास कार्यक्रम।

रोजगार के नये अवसर

* हर हाथ को काम देने के लिये बहुमुखी और बहुआयामी योजनाओं को प्रोत्साहन।

* दीनदयाल विकास योजना में 2.5 लाख लोगों को नये रोजगार अवसर हेतु बजट में 50 करोड़ रुपये का प्राविधान। इस योजना के तहत 7 परियोजनायें आरम्भ।

* गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले भूमिहीन मजदूरों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लोगों को बीहड़ भूमि सुधार योजना का हिस्सेदार बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित।

* लघु उद्योग क्षेत्र में स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु चिकन, जरी, वुड कारविंग, लकड़ी की नक्काशी, कालीन, चमड़ा व कलात्मक हथकरघा, बेंत व बांस में कारीगरों को प्रशिक्षित करके उन्हें कच्चा-माल विपणन व कार्यशील पूंजी की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ।

* रेशम उत्पादन कार्यक्रम का व्यापक विस्तार। पूर्वांचल क्षेत्र में सघन रेशम विकास की योजना। एकीकृत विकास परियोजना द्वारा भी रेशम उत्पादन को प्रमुखता।

* प्रदेश के 6 मध्य-वर्गीय जनपदों में शहतूत वृक्षारोपण का कार्य 200 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित।

* प्रदेश में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत एक नये प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।

झुग्गी झोपड़ी के इन्सान को राहत

* मलिन बस्तियों का शीघ्र सर्वेक्षण पूर्ण करा करके निर्धनतम व्यक्तियों को आवास हेतु आवश्यक भूमि आवंटन।

* "भंगी मुक्ति योजना" के अन्तर्गत निर्धनतम व्यक्तियों को "हडको" द्वारा 45 प्रतिशत दिये गये ऋण की वापसी की जिम्मेदारी सरकार ने ओढ़ी। इस मद में दो लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने हेतु दो करोड़ रुपये की व्यवस्था।

* मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल, जल-प्रवाह, शौचालय, जलोत्सारण, विद्युत एवं खड़ंजा की व्यवस्था। एक करोड़ रुपये की लागत से 625 इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प स्थापित करने का निश्चय।

* अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिये निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 80 हजार आवास।

* इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के लिये आवास योजना।

दलितों, पिछड़ों, शोषितों और श्रमिकों का उत्थान

* ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन-जाति के लिये न्यूनतम 20 हजार शौचालयों का निर्माण, जिसमें 95 प्रतिशत सरकारी अनुदान की व्यवस्था ।
* अनुसूचित जाति/जन-जाति बस्तियों में पेयजल की सुविधा हेतु 5,100 इण्डिया मार्क-II के हैण्डपम्प तथा 204 डिग्गियों का निर्माण ।
* एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम में रोजगार योजनाओं के तहत न्यूनतम् 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जन-जाति लाभार्थियों हेतु आरक्षण ।
* प्रत्येक अनुसूचित जाति/जन-जाति बाहुल्य विकास खण्ड में संचार व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये अम्बेदकर गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़े जाने की व्यवस्था ।
* अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 294 ग्राम सभाओं में खड़ंजा/नालियों के निर्माण के लिये 1.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।
* अनुसूचित जाति/जन-जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 50 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना ।
* 20 आश्रम पद्धति विद्यालयों के उच्चीकरण हेतु 72 लाख रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था ।
* यातायात वाहन क्रय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के वाहन चालन लाइसेंस प्राप्त नवयुवकों को वाहन क्रय करने हेतु 4.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।
* निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम की योजना के तहत अनुसूचित जाति/जन-जाति लघु एवं सीमान्त कृषकों को पम्प सेट उपलब्ध कराने हेतु 21.51 करोड़ रुपये की योजना ।
* अनुसूचित जाति के लोगों को सुगमतापूर्वक न्याय उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति के एक-एक शासकीय अधिवक्ता का पद सृजन ।
* प्रदेश के 100 अनुसूचित जाति/जन-जाति बाहुल्य ग्रामों को चयनित कर उनमें 100 राजकीय नलकूपों का निर्माण ।
* 28 नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण ।
* श्रमिकों के लिये लागू कर्मचारी राज्य बीमा योजना में चिकित्सा, उपचार एवं औषधि पर व्यय की सीमा में वृद्धि ।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

* निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन ।
* प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद् द्वारा अर्जित भूमि में से 50 प्रतिशत तक निजी निर्माताओं/सहकारी आवास समितियों को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय ।
* शिक्षा की दृष्टि से असेवित विकास खण्डों में विशेष रूप से बालिका शिक्षा के प्रसार हेतु निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा भूमि/भवन के योगदान का स्वागत ।
* यू० पी० औद्योगिक विकास निगम के इण्डस्ट्रीयल इस्टेट की स्थापना एवं विस्तार में निजी क्षेत्र के योगदान को प्रोत्साहन ।

* शिक्षित एवं बेरोजगार होम्योपैथिक चिकित्सकों को निजी क्लीनिक स्थापित किये जाने के लिये अनुदान की व्यवस्था ।
* ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग जिनमें अधिक यातायात सघनता से राजस्व प्राप्ति की सम्भावना है उन्हें निजी एवं संयुक्त क्षेत्र के सहयोग से निर्मित/सुदृढ़ किये जाने की नीति ।
* सड़क परिवहन में निजी बसों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रक्रिया का व्यापक सरलीकरण ।
* निजी उद्यमियों को डीजल जनरेटर स्थापित करने हेतु स्वतः अनुमति की व्यवस्था ।
* बेरोजगार पशु-चिकित्सकों को प्राइवेट क्लीनिक पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु 2,000 रु० प्रतिमाह की आर्थिक सहायता ।
* निजी क्षेत्र में कुक्कुट विकास के लिये प्रोत्साहन कार्यक्रम ।
* प्रदेश के विकास में निजी पूंजी निवेश एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कार्यकारी दल का गठन ।

नारी का उत्थान एवं सम्मान

* निराश्रित विधवायें जिनके पास 5 एकड़ से कम जोत वाली कृषि योग्य भूमि है, को राजकीय सिंचाई स्रोतों से निःशुल्क सिंचाई सुविधा ।
* ग्रामीण महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिये महिला डेयरी परियोजना ।
* बेरोजगार श्रमिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एक महिला प्रेरणात्मक योजना ।
* एकीकृत ग्राम्य विकास संबंधी रोजगार कार्यक्रमों में 40 प्रतिशत महिलाओं को आच्छादित करने का लक्ष्य ।
* महिलाओं को स्वः रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने हेतु 31 नये जनपदों में ग्रामीण महिला एवं बाल उत्थान कार्यक्रम का विस्तार ।
* महिला पालिटेक्निक की स्थापना ।
* ग्रामीण क्षेत्र में अवैतनिक महिला मंगल दलों हेतु 200 रु० प्रति माह की आर्थिक सहायता में बढ़ोत्तरी ।
* एकल कामकाजी महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 10 जनपदों में श्रमजीवी महिला हास्टल का निर्माण ।

विविध

* मितव्ययिता को प्रोत्साहित करने एवं गैर विकास कार्यक्रमों पर बढ़ते हुए व्यय पर रोक लगाने हेतु एक सदस्यीय 'व्यय बचत आयोग', गठित करने का निर्णय ।
* प्रदेश के राष्ट्र स्तरीय खिलाड़ियों की अनिवार्य नियुक्ति की व्यवस्था ।
* भाषा निधि से हिन्दी के महान साहित्यकारों के सम्मान में व्याख्यान माला का आयोजन एवं साहित्य का प्रकाशन ।

* प्रदेश के पांच प्रमुख धार्मिक स्थलों-बद्रीनाथ-केदारनाथ, हरिद्वार, मथुरा-वृन्दावन, वाराणसी एवं अयोध्या विकास हेतु 3 करोड़ रुपये प्रति स्थल की व्यवस्था ।

* हज कमेटी को राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की स्वीकृति ।

* 1000 प्राइमरी पाठशालाओं में बच्चों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प की स्थापना ।

* पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिये कुल 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।

* जनपद मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, गोंडा तथा देवरिया में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में नये व्यवसाय खोलने के लिये 26.56 लाख रुपये का आवंटन ।

* महंगाई नियंत्रण एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु जिला, ब्लाक व ग्राम्य स्तर पर समितियों का गठन ।

* पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से 1-10-91 के बाद स्थापित होने वाली चालू मिलों को आगामी पांच वर्षों के लिये लेवी योजना से मुक्ति का निर्णय ।

* अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान तथा गणित विषयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये 500 स्नातक वेतनक्रम तथा 50 प्रवक्ता वेतनक्रम के अध्यापकों के पदों का सृजन । इस मद में 1.09 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।

* 100 पूर्व माध्यमिक विद्यालय तथा 25 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु 2.26 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

* स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेश से बाहर भी यात्रा करने हेतु सहवर्ती के साथ राजकीय व्यय पर यात्रा की सुविधा ।

* पत्रकार बन्धुओं को पेंशन योजना के तहत 1,000 रु० प्रति माह पेंशन एवं उत्तराधिकारी को 1.20 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति ।

* ऐसे पत्रकार जिन्होंने अपनी लेखनी से स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिया उन्हें पेंशन के अतिरिक्त परिवहन निगम की बसों में राजकीय व्यय पर यात्रा की सुविधा ।

* गोवध निवारण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने, गो सदन एवं गोशालाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण करने के लिये 1.23 करोड़ रुपये की व्यवस्था ।

* 100 नये राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों तथा शहरी क्षेत्र में शैय्या युक्त चिकित्सालयों की स्थापना ।

* 33 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1300 उपकेन्द्र खोलने का निर्णय ।

भूकम्प राहत

माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि 19 और 20 अक्तूबर, 1991 के बीच की रात में प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में आये भूकम्प के कारण उत्पन्न भीषण आपदा से उत्तर काशी, चमोली तथा टिहरी-गढ़वाल विशेष रूप से तथा देहरादून, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल भी प्रभावित हुए थे जिसमें जन-जीवन तथा निजी

तथा निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति की भी लगभग 400 करोड़ रुपये की सीमा तक हानि हुई थी। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में तत्काल युद्ध स्तर पर राहत संबंधी कार्य किये गये। प्रभावित जनों को पर्याप्त सहायता धनराशि, आवश्यक वस्तुएं, खाद्यान्न, कम्बल, तारपोलिन, टीन शीट्स उपलब्ध कराये गये। वर्षा एवं ठण्ड से बचाने के लिये दो हजार सामुदायिक आश्रयों का निर्माण भी कराया जा रहा है। भूकम्प के संबंध में अब तक किये गये विभिन्न राहत कार्यों पर 90 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है तथा भूकम्प राहत कार्यों के संबंध में शासन द्वारा कुल 153 करोड़ रुपये के व्यय की प्रतिबद्धता भी की जा चुकी है।

भारत सरकार को मेमोरैण्डम भेज कर नवम् वित्त आयोग की संस्तुति प्रस्तर 6.18 के अन्तर्गत 152 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता तथा विश्व बैंक से 178.12 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में आर्थिक सहायता का अनुरोध किया जा चुका है। इस संबंध में अभी केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

यह संतोष की बात है कि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य के लिये विभिन्न राज्य सरकारों, संस्थाओं तथा समूहों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। देश के कोने-कोने से मुख्य मंत्री सहायता कोष में धनराशि भेजकर सहयोग किया है। अब तक कुल 10.03 करोड़ रु० इस कोष में जमा हो गये हैं जिसमें से केन्द्र सरकार का 2.60 करोड़ रु० का योगदान है। स्वयं सेवी संगठनों ने भी मौके पर जाकर व्यापक रूप से राहत कार्य में भाग लिया है। मैं सभी के प्रति राज्य सरकार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।

बिक्रीकर

मान्यवर,

मुझे यह घोषित करते हुए अपार हर्ष है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति/जन-जाति, समाज के अन्य गरीब वर्गों, महिलाओं, किसानों, लघुत्तर एवं कुटीर उद्योगों, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के हितों की रक्षा करने व उनको राहत देने के साथ महंगाई पर अंकुश लगाने तथा प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास का भी अटूट प्रयास किया है।

माननीय सदस्य अवगत हैं कि पूर्व में भी हमने उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिक्रीकर प्रक्रियाओं को अत्यन्त व्यापक रूप से सरलीकृत किया है। जटा, नारियल, लेड पेन्सिल तथा होल्डर (जिसमें स्याही न भरी जाती हो), सिन्दूर, बिन्दी, आल्ता तथा मेंहदी, पत्तल, दोना, कुल्हड़, मिट्टी के बर्तन (जिसमें कलात्मक बर्तन सम्मिलित नहीं हैं), सींक की झाड़ू, रक्षा बन्धन की राखी, कांस, मूंज तथा सनई का बान, धूप, जानवरों के प्रयोग में आने वाली तथा नृत्य में प्रयोग होने वाली घुंघरू तथा घन्टी की बिक्री को कर मुक्त किया है। इसके अतिरिक्त स्टेनलेस स्टील के बर्तनों पर लागू बिक्रीकर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत तथा पीतल/तांबे के बर्तनों पर लागू बिक्रीकर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी गई है। समस्त प्रकार की होजरी तथा निटिंग यार्न जिन पर 4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक बिक्रीकर लगता था, पर बिक्रीकर की दर घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गयी है। प्लास्टिक के बोरों पर लागू बिक्रीकर की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तथा खेलकूद के सामानों पर लागू बिक्रीकर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गयी है। उत्तरांचल के विकास को भी ध्यान में रखा गया है। इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से उक्त क्षेत्र में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक्स औद्योगिक इकाइयों को 10 वर्षीय छूट दी जा चुकी है। छोटे दुकानदारों/व्यवसायियों की सुविधा की दृष्टि से निर्माता-वर्ग हेतु छूट की सीमा पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये (वार्षिक) तथा अन्य

व्यवसायियों हेतु एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये (वार्षिक) की जा चुकी है। छोटे दुकानदारों एवं व्यवसायियों की सुविधा की दृष्टि से ही "सेल्फ असेसमेंट" हेतु निर्धारित कर-योग्य सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जा चुकी है। इन उपायों से छोटे उद्यमियों एवं व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। संकर्म-संविदा के अधीन सिविल-संविदा के मामलों में एक प्रतिशत की दर से समाधान योजना लागू करके बड़ी संख्या में कार्यरत सिविल कान्ट्रैक्टर्स को भी राहत प्रदान की जा चुकी है। महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सिन्दूर आदि को भी कर मुक्त किया जा चुका है। किसानों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विक्रीत जिप्सम और पाइराइट्स को भी पूर्व ही कर मुक्त किया जा चुका है।

मान्यवर,

मुझे इस सम्मानीय सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इन राहतों के अलावा राज्य सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से समाज के विभिन्न वर्गों को जो राहत देने का निर्णय लिया है वे इस प्रकार है :

अनुसूचित जाति/जन-जाति आदि के कल्याणार्थ

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जन-जाति, महिलाओं आदि के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति एवं विकास निगम, महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम, अल्प-संख्यक वित्त एवं विकास निगम कार्यरत हैं। अब इन निगमों के माध्यम से लाभान्वित सभी व्यक्तियों को उनके द्वारा स्थापित उद्योग एवं व्यवसाय को पूर्ण कर मुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

किसानों के कल्याणार्थ

गन्ना पेरने हेतु किराये पर कोल्हू का प्रयोग किया जाता है जिस पर वर्तमान में कर व्यवस्था लागू है, इसको करमुक्त करने का निर्णय लिया गया है। कृषक वर्ग को राहत देने की दृष्टि से ट्रैक्टर पार्ट्स पर लागू कर की दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने तथा ट्रैक्टर ट्राली को 6 प्रतिशत के स्थान पर पूर्णतया करमुक्त कर देने का निर्णय लिया गया है।

गरीब वर्ग के कल्याणार्थ

जन-साधारण के जीवन में दुःख एवं पीड़ा को कम करने में औषधि के प्रयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस हेतु गरीबों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए तथा बढ़ती हुई महंगाई के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से जीवन-रक्षक औषधियों को कर-मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से मुख्य रूप से समाज के निर्धन वर्ग को राहत मिलेगी। इसी वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी के तेल की कुप्पी को भी करमुक्त कर दिया गया है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० वित्त मंत्री जी एक चीज और रह जाती है। आज डंडी मारने को भी कर मुक्त कर दीजिए। (हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह कार्य आप कहते हैं, कर देंगे।

लघुत्तर एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन

लघुत्तर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से बताशा, गट्टा, इलायची दाना और चीनी के खिलौने को करमुक्ति प्रदान की जा रही है । खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग से अभिप्रमाणित संस्थाओं/समितियों द्वारा निर्मित की गई जिन अन्य वस्तुओं को करमुक्त करने का प्रस्ताव है वे इस प्रकार हैं :–

(1) हाथ से बने कागज/बोर्ड से बनी लेखन सामग्री ।

(2) पापड़, बड़ियां, चूड़ा, खील, लाई एवं मसालों का निर्माण/प्रशोधन पैकिंग एवं विपणन ।

(3) बेकरी उत्पादों का निर्माण, पैकिंग एवं विपणन ।

(4) रबड़ वस्तुओं का निर्माण, (डिप्ड लेटैक्स उत्पाद)

(5) खादी से बने कुर्तों एवं अन्य वस्त्रों का निर्माण ।

इसके अतिरिक्त लोहारगीरी तथा बढ़ईगीरी उद्योगों को १० अश्व-शक्ति तक के पावर के प्रयोग किये जाने पर भी करमुक्ति प्राप्त रहने का प्राविधान किया गया है । खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग से अभिप्रमाणित संस्थाओं/समितियों द्वारा लीसे पर आधारित विरोजा तथा तारपीन निर्माण करने वाली इकाइयों को भी करमुक्ति दी गई है । प्रदेश के ताला उद्योग में अत्यन्त गरीब लोग कारीगर के रूप में कार्य करते हैं तथा इस उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है । अतः ताला उद्योग पर लागू कर की दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 3.75 प्रतिशत किया जा रहा है । अलौह धातुएं (अल्युमिनियम को छोड़कर) धातु छीजन, सीट सर्किल पर कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जा रही है । कुछ अन्य क्षेत्रों में लघुतर/कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से फाउन्टेन-पेन, बाल पेन, रिफिल, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी, आचार, मुरब्बा, मोमबत्ती, ब्रेड, बन्द तथा रस्क बनाने वाली इकाइयों को कतिपय शर्तों के अधीन कर मुक्त रखा जाएगा ।

महिला वर्ग को राहत

पूर्व में वर्तमान सरकार द्वारा महिलाओं के प्रयोग में आने वाली बिन्दी, आल्ता तथा सिन्दूर पर बिक्रीकर को समाप्त करने की व्यवस्था की जा चुकी है । महिलाओं की भावनाओं को सम्मान देने तथा महिला वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से अब उनके सुहाग सूचक सभी प्रकार की चूड़ियों पर बिक्रीकर की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है ।

महंगाई पर अंकुश

महंगाई पर अंकुश लगाने की दृष्टि से दलहन पर लागू बिक्रीकर की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत तथा जौ, बाजरा, ज्वार एवं मक्का पर लागू दर को घटाकर 3 प्रतिशत किया जा रहा है । खांडसारी पर लागू बिक्रीकर की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत, आटा, मैदा एवं सूजी पर लागू बिक्री कर की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत, वनस्पति घी पर लागू बिक्री कर की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत तथा खाद्य तेल पर लागू बिक्रीकर की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जा रहा है ।

उद्योगों को प्रोत्साहन तथा रुग्ण इकाइयों को राहत

औद्योगिक विकास के उद्देश्य से प्रदेश में आयातित उत्पादों हेतु क्षमता सृजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें चिन्हित करके कर की दर को कम करने की व्यवस्था की जा रही है । इलेक्ट्रानिक उत्पादों की वर्तमान 12 प्रतिशत की दर को घटाकर इन वस्तुओं को विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हुए 3 से 8 प्रतिशत के मध्य कर की दर की जा रही है । आटा, मैदा, सूजी तथा खाद्य तेल के उद्योगों में बढ़ती हुई बीमारी को देखते हुए इनके पुनर्वास हेतु तथा इन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन पर कर की दर को सुव्यवस्थित किया जा रहा है । आटा, मैदा, सूजी उद्योग में कच्चे माल

की खरीद पर कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तथा उत्पादित माल की बिक्री पर वर्तमान में 4 प्रतिशत की दर को घटाकर डेढ़ प्रतिशत, वनस्पति में वर्तमान में 10 प्रतिशत की दर को घटाकर 6 प्रतिशत, खाद्य तेलों पर कर की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जा रहा है । प्रदेश में माल के आवागमन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से यातायात के साधनों की उपलब्धता आवश्यक है । इस प्राप्ति के लिये कम ईंधन की खपत वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों (फ्यूल एफीशियेन्ट कामर्शियल व्हीकल्स) पर कर की दर को दस प्रतिशत से घटाकर डेढ़ प्रतिशत किया जा रहा है । साथ ही ऐसे मोटर वाहनों, जिन पर वर्तमान में 10 प्रतिशत की दर से कर देय है, कर की दर घटाकर 8 प्रतिशत की जा रही है । मोटर वाहनों के प्रदेश के बाहर से सीधे क्रय के द्वारा कर अपवंचन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसे वाहनों पर प्रविष्टि कर लगाने की व्यवस्था अलग से की जा रही है, इस व्यवसथा से उत्तर प्रदेश में कर दिए बिना सीधे आयात पर रोक लगेगी तथा प्रदेश का व्यापार और राजस्व बढ़ेगा ।

प्रक्रियाओं का सरलीकरण

बिक्रीकर प्रक्रिया को सरलीकृत करने के उद्देश्य से सिविल संविदा, खांडसारी तथा ईंट-भट्ठा पर समाधान योजना पुनः लागू की गई है । कर प्रक्रिया की दुरुहताओं को दूर करने के लिये निर्धारित 8 फार्मों को कम करके 5 किया जा रहा है । पंजीकृत व्यवसायियों द्वारा प्रान्त के बाहर से माल आयात करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए केवल 5 वर्णित परिस्थितियों में ही फार्म-31 से आयातित माल को रोकने की व्यवस्था कर दी गई है । इसी प्रकार सचल दल इकाइयों के लिए माल को रोकने के लिए 6 आधार निर्धारित किए गए हैं । अभिग्रहण के मामलों में जमानत की अधिकतम राशि को पंजीकृत व्यवसायियों के मामलों में आयातित माल के लिए देयकर का 3 गुना तथा स्थानीय परिवहन के माल पर देयकर का 2 गुना अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित किया जा रहा है । अपंजीकृत व्यवसायियों के मामले में देय कर का 2 गुना या 3 गुना अथवा माल के मूल्य का 40 प्रतिशत जो भी अधिक हो, का प्राविधान रखा गया है । फार्म–31 की आपूर्ति की व्यवस्था को और उदार बनाते हुए तथा व्यवसायियों को तीन श्रेणी में बांट कर उन्हें क्रमशः एक वर्ष, 6 माह तथा 3 माह की आवश्यकता के अनुरूप फार्म देने की व्यवस्था की जा रही है । रूप-पत्र तथा कर जमा करने की व्यवस्था में परिवर्तन करके ढाई लाख रुपये तक सकल विक्रय धन वाले व्यवसायियों के लिए त्रैमासिक तथा ढाई हजार रुपये तक कर देने वाले व्यवसायियों के लिए वार्षिक रूप पत्र देने की व्यवस्था की जा रही है । पूर्व में उक्त सीमा क्रमानुसार 2 लाख तथा 500 रुपये थी । कैश मेमों जारी करने के लिये 5 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 50 रुपये किया जा रहा है ।

कर ढांचे के सरलीकरण तथा व्यवस्थीकरण का मूल आधार है "राहत और राजस्व"—दोनों में अभिवृद्धि का ताल-मेल ।

अब मैं माननीय सदस्यों को कुछ मुख्य विभागीय कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से संक्षेप में अवगत कराना चाहूंगा ।

उत्तरांचल

अपने चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक हमारी सरकार कुमायूं और गढ़वाल के जिलों को सम्मिलित करके "उत्तरांचल" नाम से एक प्रदेश की स्थापना के लिये कृत संकल्प है । दूसरी तरफ उत्तरांचल के विकास के लिये हम विशेष ध्यान दे रहे हैं । हमने पर्वतीय विकास विभाग का नाम बदलकर "उत्तरांचल विकास विभाग" कर दिया है । वर्ष 1992-93 में उत्तरांचल के विकास के लिये 405 करोड़ रुपये परिव्यय के रूप में रखा है ।

उत्तरांचल में स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक कार्यक्रमों, विशेषकर पर्यटन, बागवानी, पशुपालन और लघु एवं कुटीर उद्योगों, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा, साथ ही उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा सामाजिक एवं सामुदायिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विस्तार द्वारा आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने का विशेष प्रयास होगा ।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे–एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना, जवाहर रोजगार परियोजना तथा पं० दीनदयाल उपाध्याय रोजगार योजना के अन्तर्गत लोगों को रोजगार तथा आय के साधन बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे। पं० दीन दयाल उपाध्याय रोजगार योजना को कार्यरूप देने के लिये न्यू माडल चरखा एवं प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति आदि का प्राविधान किया गया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन ग्रिड योजना का विस्तार किया जायेगा तथा शीतलाखेत व पौड़ी को नये पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। नैनीसैण (पिथौरागढ़) तथा गोचर (चमोली) में हवाई पट्टियों के निर्माण की योजना है। जिससे उत्तरांचल के सुदूर अंचलों में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु पर्वतारोहण ट्रेकिंग, शीतकालीन क्रीड़ा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके लिये जोशीमठ गोरसों रज्जू मार्ग तथा स्की लिफ्ट/चेयर लिफ्ट आदि की वयवस्था की जायेगी अल्मोड़ा में एक नये होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना की गयी है। पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिये निजी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जायेगा।

पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तरांचल के प्रमुख तीर्थ स्थान श्री केदारनाथ–श्री बद्रीनाथ का सौन्दर्यीकरण एवं तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से विकसित करने का प्रस्ताव हैं। इस हेतु वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

बागवानी विकास के लिये गैर मौसमी सब्जी, अलंकृत बागवानी एवं पुष्प विकास, सब्जी उत्पादन को बीज ग्राम योजना तथा मसाले की खेती को बढ़ावा देने की नयी योजनायें प्रस्तावित हैं। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार एवं आमदनी के अधिक अवसर सुलभ हो सकें। नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिये राजमा दलहन उत्पादन की विशेष परियोजना तथा कृषकों को अन्न भण्डारण गोदाम योजना हेतु भी प्राविधान किया गया है।

पशुपालन तथा डेरी विकास को बढ़ावा देने के लिये चारा विकास एवं पशु प्रबन्ध की एक नयी योजना प्रस्तावित है। जिसमें चारा, घास चारा, वृक्ष, नर्सरी लगाने व महिलाओं को चारा उत्पादन हेतु प्रशिक्षण देने का व्यापक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 'पशुलोक' में उन्नत चारा बीज उत्पादन के लिये 200 एकड़ क्षेत्र में चारा घास, चारा बीज के उत्पादन की नयी योजना प्रस्तावित है। जिसमें स्थानीय ग्रामवासियों को चारा घास, बीज एवं अन्न चारा उत्पादन लागत मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा। अंगोरा शशक प्रजनन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण तथा नये प्रक्षेत्रों की स्थापना का भी कार्यक्रम है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिये अन्तर्प्रान्तीय बुनकर प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना, कालीन बुनाई एवं प्रशिक्षण, उत्पादन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, बुनकरों को वित्तीय सहायता योजना, सहकारी समितियों के माध्यम से रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय, तकनीकी सहायता आदि की योजना तथा रेशम कोया भण्डारण हेतु कोया गोदाम के निर्माण, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कतकरों/बुनकरों को रियायती दरों पर चर्खा/हथकरघा एवं अन्य उपकरणों के लिये अनुदान, काशीपुर/जसपुर क्षेत्र में स्थित हथकरघा बुनाई केन्द्र के अनुगठन की नयी योजनाओं के लिये प्राविधान किया गया है। वर्ष 1992-93 में गढ़वाल मण्डल के कोटद्वार में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना भी की जायेगी। विभिन्न निर्माण कार्यों की व्यवहारिकता पर्यावरण की दृष्टि से सुनिश्चित करने के लिये अभियांत्रिक भू-विज्ञान प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण भी प्रस्तावित है।

शिक्षा संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दो कक्षा कक्षों के निर्माण के लिये प्राविधान किया गया है । चमोली तथा अल्मोड़ा जनपद में महिला साक्षरता में वृद्धि के लिये अनुदान योजना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त शिक्षा संस्थाओं में नये विषयों, विज्ञान तथा व्यवसायिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था की गयी है । तकनीकी शिक्षा संस्थायें–पालीटेक्निक तथा आई० टी० आई० को सुदृढ़ करने के लिये भवन निर्माण, साज-सज्जा/उपकरण के लिये भी प्राविधान किया गया है ।

व्यवसायिक शिक्षा के प्रसार हेतु जनपद टिहरी में चमियाल (विकास खण्ड भिलंगना) में एक नये आई० टी० आई० की स्थापना तथा महिला आई० टी० आई०, देहरादून में इलेक्ट्रानिक्स, रेडियो, टी० वी० के नये व्यवसाय खोलने का भी प्रस्ताव है ।

सड़क एवं पुल कार्यक्रम के अधीनीति कार्यों को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने तथा पैदल मार्गों व पुलों के निर्माण को वरीयता दी जायेगी । इस क्षेत्र की ग्रामीण तथा नगरीय पेयजल समस्याओं के निराकरण को भी वरीयता दी जायेगी, जिसमें पुरानी पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन तथा क्षतिग्रस्त योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्यक्रमों का भी समावेश किया जायेगा । कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में पेयजल व्यवस्था की प्रभावी देख-रेख हेतु मण्डलीय समितियों का गठन किया गया है । वनों पर ईंधन के दबाव को कम करने के लिये विद्युतीकरण कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा । लघु जल विद्युत योजना को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने का कार्यक्रम भी बनाया गया है । गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को भी विकसित करने की योजना है ।

अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मुंसियारी का उच्चीकरण तथा गूलर भोज (नैनीताल) में जूनियर हाई स्कूल स्तर के आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना भी प्रस्तावित है ।

न्यू टेहरी में सैनिक कल्याण कार्यालय/विश्राम गृह का निर्माण तथा सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, पौड़ी की स्थापना के लिये भी प्राविधान किया गया है । महिलाओं के कल्याण के लिये महिला जागृति योजना प्रस्तावित है ।

इस क्षेत्र में भू-स्खलन, भू-क्षरण एवं पर्यावरण की समस्या के निदान के लिये वानिकी, भूमि एवं जल संरक्षण/जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं का सघन विकास एवं विस्तार किया जायेगा ।

कृषि

कृषि का प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । कृषि क्षेत्र में भूमि विस्तार की सम्भावना कम होने के कारण उन्नतिशील उत्पादन प्रावैधिकी और आवश्यक निवेशों के संतुलित प्रयोग द्वारा फसलों में उत्पादकता वृद्धि से समग्र उत्पादन बढ़ाने की रणनीति अपनायी गई है ।

वर्ष 1992-93 हेतु 397 लाख टन खाद्यान्न एवं 14.50 लाख टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी उपलब्धि हेतु अन्य कार्यक्रमों के साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार की सहायता से विशेष क्षमता वाले 50 जनपदों में गेहूं, 42 जनपदों में चावल, 12 जनपदों में मक्का, 6 जनपदों में ज्वार, 8 जनपदों में बाजरा, 4 जनपदों में रागी, 26 जनपदों में दलहन तथा 41 जनपदों में तिलहन के विशेष उत्पादन कार्यक्रम चलाये जायेंगे । चूंकि वर्तमान सरकार अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार खाद्यान्न, तिलहन एवं दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृतसंकल्प है । अतः इन विशेष क्षमतायुक्त गेहूं के 7, उर्द के 6, अरहर के 17, चना के 6, मूंगफली के 5, तिल के 6, राई-सरसों के 8 व सूरजमुखी के 7 अतिरिक्त जनपदों में भी केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अनुरूप नये उत्पादन कार्यक्रम लिये जायेंगे तथा

उर्वरकों/कीटनाशी रसायनों की गुणवत्ता को नियंत्रित करने व एकीकृत पेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था स्थापित करने की नई योजनाओं के साथ समन्वय करते हुए खाद्यान्न, तिलहनी एवं दलहनी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रयास किया जायेगा । कृषि निवेशों की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु रूप देने के लिये विभिन्न अभिकरणों के समन्वित एवं एकीकृत प्रयास सुनिश्चित किये जायेंगे ।

बीहड़ सुधार की वर्तमान एकीकृत योजना के अलावा वर्ष 1992-93 में दीनदयाल भूमि विकास योजना के अन्तर्गत, बीहड़ एवं ऊसर भूमि का आवंटन कर दलित, श्रमिक, उपेक्षित एवं अनुसूचित जाति के भूमिहीनों को भू-स्वामित्व प्रदान किया जायेगा । इससे सही रूप में दरिद्र नारायण की सेवा सम्भव हो सकेगी । इन भू-आवंटियों के माध्यम से वर्ष 1992-93 में 6,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि का उपचार एवं 200 हेक्टेयर बीहड़ में वनीकरण कराया जायेगा ।

राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम जो 26 मैदानी एवं 8 पर्वतीय जनपदों में चलाया जा रहा है, के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में 900 नए जल समेट सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त 18 अन्य जनपदों में नया जलागम विकास कार्यक्रम लिया जायेगा । इस योजना के माध्यम से लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि का उपचार कर फसल, चारा, उद्यानीकरण एवं पशुपालन के सघन कार्यक्रम लिये जायेंगे, जिसमें कृषि, उद्यान, वन, पशुपालन एवं लघु सिंचाई विभागों में उपलब्ध आय-व्ययक का एकीकृत आधार पर उपयोग किया जायगा जिससे कि रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे ।

क्षेत्रीय विकास

वर्ष 1992-93 में समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 19 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत 2.10 लाख हेक्टेयर प्रक्षेत्र विकास कार्य तथा 3.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ओसराबन्दी प्रस्तावित है । इससे 35 लाख मानव दिवस सृजित करना प्रस्तावित है ।

वर्ष 1992-93 में प्रक्षेत्र विकास कार्य को नहर प्रणाली के अन्तर्गत छुट-पुट न कराकर शाखाओं, डिस्ट्रिव्यूट्रीज एवं माइनर पर संहत रूप से संगठित किया जायेगा ।

प्रदेश के सूखोन्मुख क्षेत्रों में वर्ष 1992-93 में 13,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य 3,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वनीकरण/चारागाह विकास के कार्य, 3,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जल संसाधनों के विकास का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के 7,000 परिवार लाभान्वित होंगे ।

औद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

औद्यानिकी कार्यक्रमों में अपेक्षाकृत अधिक श्रम तथा रोजगार के अवसर हैं । अतः सरकार इन पर विशेष बल देगी ।

फलों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फल उद्यानों के संरक्षण हेतु 6 जनपदों के सघन क्षेत्रों को फल पट्टी घोषित किया गया है । वर्ष 1991-92 में प्रथम बार प्रतापगढ़ जनपद में कृषकों को आंवला पौध उत्पादन की नवीनतम् वैज्ञानिक जानकारी दी गयी एवं राजकीय सन्तति उद्यान में 25,000 पौधे कोमल शाख कलम विधि द्वारा उत्पादित कराये गये ।

वर्ष 1991-92 में शाक-भाजी के उन्नत व प्रमाणित बीज की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 25 जनपदों में कृषकों को बीज व अन्य निवेश उपलब्ध कराकर बीज ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी है ।

केन्द्रीय सरकार की सहायता से मिनीकिट का वितरण तथा हाईब्रिड बीज का प्रचलन बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम प्रस्तावित है ।

वर्ष 1992-93 में प्रदेश के छः जनपदों में ग्लैडियोलाई पुष्प उत्पादन कार्यक्रम का प्रसार एवं 20 विभागीय पौधशालाओं पर अलंकृत मातृ पौधों का रोपण व उत्पादन करने का कार्यक्रम है ।

आलू एवं सब्जियों पर आधारित एवं फाउण्डेशन बीज के विकास तथा उत्पादन हेतु प्रदेश के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों को 10-10 लाख रुपये देकर डिगर प्लाण्टर प्रयोगशाला उपकरण तथा पाली हाऊस, आदि की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

अब तक जनपद हमीरपुर व कानपुर देहात में चलायी जा रही पानऊ विकास की योजना को वर्ष 1992-93 में जनपद रायबरेली में भी क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है ।

मलिहाबाद में आम, झांसी में नीबू प्रजाति के फल, सहारनपुर में आम, लीची एवं बस्ती में केला, कटहल, अमरूद के विकास हेतु निजी क्षेत्र से प्रसंविदा के आधार पर तकनीकी विशेषज्ञों की सेवा का लाभ उठाया जायेगा ।

खाद्य विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विधिवत् शिक्षण प्राप्त महिलाओं की तकनीकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु प्रदेश के मण्डल स्तर पर कम से कम एक महिला खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन तथा विपणन सहकारी समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है ।

इस वर्ष मुरादाबाद, जौनपुर, गाजीपुर एवं कानपुर में नवीन मौन पालन केन्द्र/उप केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

गन्ना प्रदेश के किसान की मुख्य नकदी फसल है । अतः गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश की 31 सहकारी, 35 सार्वजनिक क्षेत्र तथा 39 निजी क्षेत्र के चीनी मिलों पर किसानों के गत पेराई सत्र के लगभग समस्त बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करा दिया गया है । बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्रदेश शासन द्वारा 66 करोड़ रुपये की विशेष सहायता भी सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को प्रदान की गयी । इसी के साथ हमने पेराई सत्र 1991-92 के लिये गन्ना मूल्य में 4 रुपये प्रति कुन्तल वृद्धि करके उसे लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया है । अब मिल गेट पर गन्ना किसानों को सामान्य गन्ना प्रजातियों के लिये 45 रुपया प्रति कुन्तल तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के लिये 48 रुपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य देय होगा । गन्ना मूल्य में इस बढ़ोत्तरी से किसानों को गत वर्ष की अपेक्षा 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी ।

गन्ना किसानों की गन्ना आपूर्ति समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्ष की गन्ना सट्टा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है तथा तीन वर्ष के औसत उपज के स्थान पर अब दो वर्षों के औसत उपज को ही किसान का बेसिक कोटा माना है जिससे किसानों का और अधिक गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेरा जा सके । नई सट्टा नीति में छोटे गन्ना किसानों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को गन्ना आपूर्ति में विशेष सुविधा प्रदान की गई है । अतिरिक्त सट्टा की कोई जमानत की धनराशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों से नहीं जमा करायी जायेगी ।

गन्ने की समय से पेराई सुनिश्चित करने के लिये हमारी सरकार चीनी उद्योग को एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वर्तमान 2.09 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन गन्ना पेराई क्षमता को बढ़ाकर 3.35 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन करने की योजना है। बीमार चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का समयबद्ध कार्यक्रम भी बनाया गया है।

हमने खाण्डसारी यूनिटों के कल्याण के लिये भी अनेक कदम उठाये हैं तथा इनके पहले चलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। हमारा उद्देश्य चीनी मिलों एवं खाण्डसारी यूनिटों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम करना है जिससे कि गन्ना किसान का पेड़ी गन्ना शीघ्र से शीघ्र पेरा जा सके जिसके फलस्वरूप खाली खेत में गेहूं आदि की फसल लेकर वह अपनी अतिरिक्त आमदनी कर सके।

पशुधन

पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, चारा विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार प्रदान करने के संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष बल देकर नयी दिशा प्रदान की जायेगी।

पशु चिकित्सालयों से रोग नियन्त्रण अभियानों एवं कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशु चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ किया जायेगा। वर्ष 1992-93 में 3 अतिरिक्त अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की जा रही है।

वर्ष 1992-93 में प्रजनन कार्य हेतु उत्तम नस्ल के सांड़ों की उपलब्धता आयात से एवं अन्यथा सुनिश्चित कराई जायेगी। सेलेक्शन एवं अनुपयोगी के कलिंग के द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि मात्र अच्छी दूध देने वाली नस्ल ही पैदा हों।

प्रदेश के उत्तरांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे "बेफ" पुणे के कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

चारा उत्पादन को और बढ़ावा देने हेतु प्रमाणित बीज की उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पशुपालन प्रक्षेत्र में उपलब्ध कृषि अयोग्य भूमि पर 52 लाख रुपये की लागत से सिल्वी पाश्चर कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है।

जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, गो-वध निवारण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। गाय मात्र एक पशु नहीं है, भारत में इसे मां का स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में इसे अवध्य कहा गया है। अतः उक्त अधिनियम में उचित संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि प्रदेश में गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर इसे संज्ञेय अपराध माना जायेगा।

श्री विजय सिंह राणा–

यह गोवध पर प्रतिब्न्ध पहले से लागू था।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जब आगे इस पर विधेयक आयेगा तो देखियेगा कि जो लागू था उसमें क्या कमियां थी जो प्रभावी नहीं हो सका।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुक्कुट के नये हैचरीज तथा ऊन बैंक की स्थापना की जा रही है।

दुग्ध विकास

प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाया गया है ।

दिसम्बर, 1991 तक गत वर्ष की तुलना में दुग्ध समितियों ने 17 प्रतिशत अधिक उपार्जन करके नये कीर्तिमान स्थापित किये । एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत दुधारु पशु वितरण योजना में मूलभूत परिवर्तन एवं गुणात्मक सुधार के साथ-साथ अवस्थापना मद से डेरियों की अवस्थापना विस्तार, उपकरणों में परिवर्तन के मदों में क्रान्तिक अन्तराल (क्रिटिकल गैप्स) की प्रभावी आपूर्ति कराई गई ।

ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये और अनुसूचित जाति के सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिये महिला डेरी परियोजना स्वीकृत कराई गई । योजना के अन्तर्गत 200 गांवों में महिला दुग्ध समितियां गठित करके 6,000 ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जायेगी ।

प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के द्वारा उत्पादित तरल दुग्ध के तत्काल अवशीतन व प्रसंस्करण के लिये राज्य सरकार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सहयोग से आवश्यक अवस्थापनाओं का निर्माण कर रही है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में सहकारी क्षेत्र के प्रसंस्करण (पाश्चराइज़ेशन) की क्षमता मात्र 7.59 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 13.95 लाख लीटर प्रतिदिन किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त, अवशीतनीकरण की क्षमता, आठवीं योजना के प्रारम्भ में मात्र 3.04 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे योजना के अन्त तक 7.93 लाख लीटर प्रतिदिन किया जायेगा ।

महत्वपूर्ण योजनाओं में नोएडा (गाजियाबाद) में 2 लाख लीटर से 4 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता की डेरी के निर्माण, इलाहाबाद और अलीगढ़ में भी 60-60 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की नयी डेरियां लगाने के लिये कार्य इसी वर्ष प्रारम्भ हो रहा है । इससे इन बड़े नगरों के उत्पादकों व उपभोक्ताओं की बड़ी आवश्यकता पूर्ण हो सकेगी ।

लखनऊ व कानपुर महानगरों में स्थित 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमताओं की डेरियों को भी 1.50-1.50 लाख लीटर की क्षमता तक बनाने के लिये निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है ।

बलिया, सुल्तानपुर, फतेहपुर, बरेली, एटा, बाराबंकी (रामनगर), उन्नाव, हरदोई के अवशीतन गृहों के निर्माण कार्य के लिये भूमि व्यवस्था करने के उपरान्त अवशीतन गृहों के निर्माण कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है ।

उत्तरांचल के जनपदों में खटीमा (नैनीताल), नयी टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली व बागेश्वर में भूमि व्यवस्था की जा चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक व्यवस्थायें की जा रही है ।

श्रीनगर-गढ़वाल डेरी का क्रियान्वयन इस स्तर तक पूर्ण कर लिया गया है, जिससे आगामी तीर्थाटन प्रारम्भ होने से पूर्व बद्रीनाथ-केदारनाथ तक यात्रियों-पर्यटकों को तरल दूध मिल सके ।

श्री पूरन प्रकाश–

इसमें सुनने को कुछ है नहीं, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जांय ।

मत्स्य पालन

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मछली पालन विशेषकर दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये एक अतिरिक्त रोजगार का साधन है ।

विश्व बैंक की सहायता से बड़े जल क्षेत्रों में मत्स्य विकास की एक बड़ी परियोजना 7.01 करोड़ रुपये की लागत से प्रारम्भ की जा रही है जिससे प्रदेश के फैजाबाद तथा गोरखपुर मण्डल की 11 झीलें (क्षेत्रफल 1,250 हेक्टेयर) तथा वाराणसी तथा झांसी मण्डल में स्थित 22 जलाशयों (क्षेत्रफल 10,960 हेक्टेयर) को चयनित किया गया है । परियोजना के लिये वर्ष 1992-93 में व्यय हेतु 30-39 लाख रुपये की धनराशि रखी गयी है । वर्ष 1992-93 में 30 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, जिससे इस वर्ष मत्स्य उत्पादन 1.13,000 टन हो सके ।

मत्स्य पालन कार्यक्रम को निजी क्षेत्र में प्रभावशाली बनाने हेतु जिला स्तरीय योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में चाइनीज टाइप हैचरियों की स्थापना की जायेगी । ऐसे लाभार्थियों जिनके पास 1.5 हेक्टेयर तक के तालाब उपलब्ध हैं, को कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के आशय से बैंक ऋण का 15 प्रतिशत अथवा 50,000 रुपये की सीमा तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गई है ।

मत्स्य पालन के लिये जहां तालाबों/मीनाशयों आदि के आवंटन में मछुआ समुदाय को प्रमुखता दी जा रही है वहीं उनके कल्याणकारी कार्यों यथा मछुओं के लिये आवासों का निर्माण, दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दुर्घटना बीमा योजना का लाभ आदि के प्रति भी सरकार सजग है । वर्ष 1992-93 में पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के 29,000 सदस्यों को आच्छादित किया जायेगा ।

श्री लीला राम शर्मा–

मान्यवर, इसमें 20 से आगे पेज नहीं हैं काफी पेज बीच से गायब हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जांय आपको दूसरी प्रति मिल जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रदेश में मत्स्य बीज की आपूर्ति के संबंध में भी आत्म निर्भर होने की दिशा में निश्चित कदम उठाये जा रहे हैं ताकि आठवीं योजना के अन्त तक प्रदेश मत्स्य बीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिये आत्मनिर्भर हो सके ।

सहकारिता

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 1991-92 में जनवरी, 1992 तक 521.77 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया जबकि गत वर्ष इसी अवधि तक 297.45 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण वितरित हुआ था । वर्ष 1992-93 हेतु अल्पकालीन ऋण का 625 करोड़ रुपये मध्यकालीन ऋण का 55 करोड़ रुपये तथा दीर्घकालीन ऋण का 165 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

वर्ष 1991-92 में 5 मार्च, 1992 तक सहकारी समितियों द्वारा 11,00,122 मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किया गया जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 7,52,839 मीट्रिक टन था । उर्वरक के मूल्यों में

वृद्धि के फलस्वरूप अल्पकालीन ऋण हेतु वित्तमान संशोधित करते हुए सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा 12,500 रुपये से बढ़ाकर 16,500 रुपये कर दी गई है । अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्यों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाने के लिये ब्याज रहित ऋण की सुविधा दी गयी है तथा नये लघु/सीमान्त कृषकों को सदस्य बनाने हेतु अंश "क" ऋण की सहायता से अंशपूंजी विनियोजन की सुविधा दी गई है ।

उत्तर प्रदेश में तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सहयोग से कानपुर में क्षेत्रीय तिलहन उत्पादन सहकारी यूनियन गठित कराई गयी है तथा संयंत्र एवं फार्म की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जा रही है । इसी प्रकार वर्ष 1992-93 में तिलहन विकास की नई परियोजना 36.40 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश तिलहन सहकारी संघ व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से आगरा मण्डल में प्रारम्भ होगी ।

जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है, महिला विकास हेतु वर्ष 1992-93 में एक महिला प्रेरणात्मक योजना संचालित की जायेगी जिसमें बेरोजगार श्रमिक महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे ।

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास के समस्त संचालित कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाते हुए एक नई दिशा प्रदान की जायेगी ।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रति परिवार पूंजी निवेश की धनराशि 12,000 रुपये तक ले जाने का प्रयास किया जायेगा । इन कार्यक्रमों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कुल लाभार्थियों के 40 प्रतिशत महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाये ।

ग्रामीण महिला एवं बाल उत्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत 17,722 समूहों का गठन किया गया है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे विस्तार प्रदान करते हुए 31 नये जनपदों में 6,400 समूहों का और गठन किया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं को कच्चे माल की उपलब्धता, समुचित प्रशिक्षण एवं उनका सही विपणन सुनिश्चित करने हेतु टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का सहयोग लिया गया है । इस योजना के क्रियान्वयन से महिलाओं को स्वरोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे ।

जवाहर रोजगार योजना को विभागीय संसाधनों के साथ युगपित कर रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन भी सुनिश्चित किया जायेगा । निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में एक लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक आवास अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के लिये निर्मित कराये जायेंगे । इसके अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 19,000 आवास निर्मित कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये पहली बार 20 प्रतिशत मात्राकरण किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत शौचालय की कुल कीमत का सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को लागत का केवल 5 प्रतिशत अंशदान के रूप में वहन करना है । वर्ष 1992-93 में एक लाख शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को पं० दीन दयाल उपाध्याय के नाम से जोड़ते हुए इसका सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण करने का निर्णय लिया है तथा इसके लिये 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। यह शोध संस्थान ग्राम्य विकास के क्षेत्र में नये आयाम प्राप्त करने की व्यवस्था में सक्रिय योगदान प्रदान करेगा और विशेषतौर से प्रदेश के सभी अंचलों में वहां की विशिष्टताओं के अनुसार रोजगार-परक योजनायें संचालित कराने में अहम् भूमिका का निर्वहन करेगा।

वर्तमान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की महत्वाकांक्षी योजनायें दीन दयाल विकास योजना की छतरी के नीचे चलाने हेतु पहल कर चुकी है। दिनांक 25 सितम्बर, 1991 को इस योजना का शुभारम्भ किया गया और अब तक 7 परियोजनायें जो प्रदेश के 43 जनपदों में संचालित की जा रही हैं, को शुरु किया गया है। यह योजना, जो प्रोजेक्ट अप्रोच के आधार पर चलाई जायेगी, के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्रामीण वासियों को रोजगार प्रदान करेगी, ताकि उनको अपने निवास स्थान पर ही वह सभी व्यवस्थायें उपलब्ध हो जाये और उनका शहरों की ओर पलायन रुके। इन योजनाओं में शासन सेवा योजक नहीं होगा परन्तु प्रेरक की भूमिका निभायेगा। इस योजना हेतु वर्ष 1992-93 में 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष में 2.50 लाख लोगों को निरन्तर रूप से रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे।

वर्ष 1992-93 में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत 55 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

किसानों और ग्रामीण श्रमिकों की सुविधा के लिये प्रत्येक न्याय पंचायत में एक किसान सेवा केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी विभागों के ग्रामीण स्तरीय अधिकारी एक निश्चित तिथि पर उपलब्ध रहेंगे और लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सूचना उपलब्ध करायेंगे, शासन के कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। प्रशासन का जन सामान्य तक यह सुविधा पहुंचाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

ऊर्जा

प्रदेश के विकास में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्व है। हमारी सरकार ने विरासत में प्राप्त रुग्ण विद्युत परिषद् को पुनर्ऊर्जीकृत करने हेतु पिछले महीनों में न केवल उत्पादन बढ़ाने अपितु पारेषण और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिये व्यापक प्रयास किये। हमने विद्युत परिषद् की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये भी हर सम्भव प्रयास किये हैं। राजस्व वसूली तथा विद्युत चोरी रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विद्युत परिषद् पर 31 मई, 1991 तक कोल इण्डिया के 437 करोड़ रुपये, एन० टी० पी० सी० के 416 करोड़ रुपये तथा वित्तीय संस्थाओं की 113 करोड़ रुपये की देनदारियां थीं जो कुल मिलाकर 966 करोड़ रुपये थी जो 31 जनवरी, 1992 को बढ़कर कोल इण्डिया की 440 करोड़ रुपये एन० टी० पी० सी० की 729 करोड़ रुपये, वित्तीय संस्थाओं की 276.79 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 1,445.79 करोड़ रुपये हो गयी। मई, 1990 तक देनदारियां 902 करोड़ रुपये थी जो केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सहायता से प्रतिवर्ष 225 करोड़ रुपये के हिसाब से काट रही है जिसके कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों में कमी हुई है। इसके अतिरिक्त कोयले, तेल तथा उपयोग की सामग्री की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इस पृष्ठ भूमि में माह जनवरी, 1992 में विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये पुनरीक्षित टैरिफ लगाया गया।

राज्य में विद्युत की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिये हमारी सरकार चालू विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करेगी । इसके अन्तर्गत खारा जल विद्युत परियोजना पूरी कर ली गयी है । आनपारा–बी परियोजना पर कार्य की गति बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार से प्रदेश की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु प्रयास किये गये हैं । श्रीनगर परियोजना को, जिस पर विश्व बैंक द्वारा ऋण का वितरण स्थगित कर दिया गया है, को पुनर्जीवित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं । हमने यह निर्णय भी किया है कि निजी क्षेत्र में नई विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाय ।

उपभोक्ता सुविधा में प्रसार तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी वर्ष में बल दिया गया । जिला स्तरीय समिति को 100 हार्स पावर तक विद्युत कनेक्शन देने के लिये अधिकृत किया गया और विद्युत परिषद् के स्तर पर अवशेष प्रार्थना-पत्रों को निस्तारित करने के लिये समयसारिणी निर्धारित की गई । चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 91 तक कुल विद्युत आपूर्ति 21,513 मिलियन यूनिट दी गयी जो पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि से 9.1 प्रतिशत अधिक है । यह भी उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर, 91 तक 23,424 ट्रान्सफार्मर्स बदले गये जबकि गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष अवधि में 19,412 ट्रान्सफार्मर्स बदले गये थे । वर्ष 1992-93 में पारेषण तथा वितरण व्यवस्था के सुधार पर और बल दिया जायेगा ।

सिंचाई तथा कृषि कार्यों के लिये पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है । 31 जनवरी, 1992 तक 19,339 नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया जबकि गत वित्तीय वर्ष की सापेक्ष अवधि में यह संख्या केवल 11,000 थी ।

पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों में उत्तरोत्तर होने वाली कमी एवं पर्यावरण सन्तुलन की पृष्ठभूमि में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास हेतु हम सतत् प्रयत्नशील हैं ।

सिंचाई

राजकीय सिंचाई साधनों से वर्ष 1990-91 के अन्त तक 104.35 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है, जो प्रदेश की कृषि योग्य भूमि का लगभग 50 प्रतिशत ही है ।

प्रदेश के समग्र विकास हेतु अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन करने एवं सृजित सिंचन क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये वर्ष 1992-93 के अन्तर्गत वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं हेतु 322.55 करोड़ रु० तथा राजकीय लघु सिंचाई कार्यों हेतु 69.33 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

निर्माणाधीन 38 वृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु कुल लगभग 4,000 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है । अतः प्राथमिकतायें निर्धारित कर शीघ्र लाभ देने वाली योजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया जायेगा । इस प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन 22 परियोजनायें पूर्ण हो जायेंगी तथा वर्ष 1992-93 में 4 योजनाओं को पूर्ण कर लगभग 92,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा ।

नहरों से सृजित सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग हेतु प्रथम चरण में विश्व बैंक की सहायता से निचली गंगा नहर तथा शारदा नहर प्रणालियों पर जल प्रबन्ध परियोजना सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में लगभग 350 नये नलकूपों का निर्माण एवं ऊर्जीकरण कर लगभग 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन किया जायेगा । निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु प्रदेश के 100 अनुसूचित जाति/जन-जाति बाहुल्य ग्रामों को चयनित कर उनमें 100 राजकीय नलकूपों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है । राजकीय नलकूपों द्वारा सृजित सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है, जिसमें असफल नलकूपों का पुनर्निर्माण, जीर्ण-शीर्ण जल वितरण प्रणाली का पुनरुद्धार एवं जीर्ण-शीर्ण उपकरणों का प्रतिस्थापन संबंधी कार्य किये जायेंगे ।

उपर्युक्त कार्यों हेतु कुल 115.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में 13.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी तथा वर्ष 1992-93 में 16.00 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है । इसके अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में 225 असफल नलकूपों का पुनर्निर्माण किया जायेगा तथा उनकी लगभग 22,500 हेक्टेयर सिंचन क्षमता को पुनर्सृजित किया जायेगा ।

राजकीय नलकूपों के संचालन में सुधार लाने के लिये विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं । इन नलकूपों के संचालन में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नलकूप पंचायत समिति के गठन की मार्गदर्शी योजना प्रारम्भ की गयी है । इसके अन्तर्गत नलकूपों के समादेश के कृषकों की सहकारी समिति बनवाकर नलकूपों का संचालन इस समिति को हस्तान्तरित किया जायेगा ।

निराश्रित विधवाएं जिनके पास 5 एकड़ से कम जोतवाली कृषि योग्य भूमि है, को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से राजकीय सिंचाई स्रोतों से निःशुल्क सिंचाई सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

सड़कें एवं परिवहन

गत वर्षों में बड़े पैमाने पर सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु संसाधनों का अनुमान किये बिना ही स्वीकृतियां निर्गत की गई । परिणामस्वरूप उन पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका । हमारी सरकार ने गहन समीक्षा कर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृतियों में सामंजस्य स्थापित कर लम्बित कार्यों को अधिकतम उपयोगिता स्तर तक पूर्ण कराने का निर्णय लिया है ।

वर्ष 1992-93 में 338.26 करोड़ रु० के निवेश से 1,380 कि० मी० पक्के मार्गों का निर्माण, 1,150 कि० मी० मार्गों का सुदृढ़ीकरण, 325 कि० मी० मार्गों का सुधार और 64 लघु/दीर्घ सेतुओं को निर्मित करने का प्रस्ताव है । वर्ष 1992-93 में ग्रामीण सम्बद्धता की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार 1,500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले ऐसे 120 गांवों को सब ऋतु योग्य मार्गों से जोड़ देगी जिनके निर्माण में वृहद सेतु जैसे बड़े निवेश की अपेक्षा नहीं है । प्रदेश में 1,000 से 1,499 तक की जनसंख्या वाले 4,337 गांव अभी तक सब ऋतु योग्य मार्गों से नहीं जुड़ पाये हैं जिनमें से इस वित्तीय वर्ष में 350 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है ।

हमारी सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य पिछड़े विकास खण्डों में मार्गों के विकास हेतु एक नयी योजना प्रारम्भ कर रही है जिसके अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ आधार देने के लिये मुख्य धमनियों का निर्माण किया जायेगा । योजनाकाल के अन्त में इन विकास खण्डों में मार्गों एवं पुलों का ऐसा जाल बिछ जायेगा जिससे अधिक से अधिक अम्बेदकर गांव मुख्य मार्गों से जुड़ जायेंगे एवं इन क्षेत्रों का सीधा सम्पर्क जिला मुख्यालय एवं बड़े शहरों से हो जायेगा ।

विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा जापानी सहायता से कार्यान्वित की जा रही राज्य मार्गों के सुधार एवं बौद्ध परिपथ की परियोजनाओं में आये गतिरोधों को दूरकर उनका त्वरित सम्पादन सुनिश्चित किया जायेगा ।

वर्ष 1992-93 में इन तीनों परियोजनाओं के लिए 38 करोड़ रु० का प्राविधान है ।

निजी क्षेत्र में संसाधनों एवं प्रबन्ध कौशल का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग जिनमें यातायात सघनता अधिक है और जिनसे राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, को निजी एवं संयुक्त क्षेत्र के सहयोग से निर्मित/सुदृढ़ किया जाय । इस आधार पर प्रथम चरण में हापुड़ से दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग-24 पर बाईपास बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

प्रदेश के 9 बड़े नगरों में यातायात की व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से नेशनल ट्रान्सपोर्टेशन प्लानिंग एवं रिसर्च सेन्टर (नेट पैक) के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है । इस सर्वेक्षण हेतु 23.84 लाख की स्वीकृति वर्ष 1990-91 में दी गयी थी और इतनी ही धनराशि वर्ष 1992-93 में स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है जिसकी संस्तुतियों के आधार पर यातायात नियंत्रण के अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपायों को क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के बस बेड़े का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा ताकि जन-सामान्य को यातायात की ओर बेहतर सुविधा मिल सके ।

श्री लालजी वर्मा–

यह बड़ा नीरस बजट है मुख्य मंत्री जी जब इशारा करते हैं तो मेज़ों की थपथपाहट होती है ।

नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, केन्द्रीय अतिरिक्त सहायता हेतु प्रयास किये गये हैं के स्थान पर यह कहा जाय कि सहायता दे दी गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आपको बाद में बोलने का मौका दिया जायेगा ।

पर्यटन

उत्तर प्रदेश की संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यन्त समृद्ध है । इस प्रदेश के धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थल तीर्थ-यात्रियों एवं पर्यटकों को सदा आकर्षित करते रहे हैं । प्रदेश की ऐतिहासिक परम्परा एवं धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विकास के अन्तर्गत प्रदेश के 5 मुख्य चयनित धार्मिक स्थलों में से प्रत्येक पर प्रथम चरण में कम से कम 3 करोड़ रुपये व्यय करके यात्रियों/पर्यटकों को सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी । सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अयोध्या तथा चित्रकूट में लगाये जा रहे रामायण मेले में गुणात्मक सुधार किया जायेगा तथा दोनों स्थलों में यात्री निवास भी निर्मित किये जायेंगे । अयोध्या के कई वर्षों से विचाराधीन राम कथा पार्क परियोजना अब प्राथमिकता के आधार पर निर्मित की जायगी ।

सर्वधर्म समानता के अन्तर्गत राम जन्म भूमि, जैन तीर्थ स्थली देवगढ़ एवं बौद्ध परिपथ के विकास की योजनाएं तेजी से कार्यान्वित की जा रही है । केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के विभिन्न राजमार्गों पर 18 तथा उत्तरांचल क्षेत्र में 12 स्थानों पर मार्गीय सुविधाओं का निर्माण नगर सीमा

के बाहर निर्मित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र में पर्यटन उद्योग की सम्भावनाएं वृहद हैं। पर्यटन के वर्तमान परम्परागत केन्द्रों में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में नगरों एवं ग्रामों तक भ्रमण कराने हेतु विकास की एक विशाल योजना बनाने हेतु स्थलों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

आगरा ताजमहल के पीछे तथा दोनों ओर ताज नेशनल पार्क परियोजना भारत सरकार तथा यू० एस० नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से बनाई जा रही है।

पेयजल

माननीय सदस्यगण मुझसे सहमत होंगे कि प्रदेश के सभी गांवों में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था न हो पाना हमारे लिए चिन्ता एवं ग्लानि का विषय है। इसीलिए हम दृढ़-संकल्प हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रदेश के सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा अवश्य ही उपलब्ध करा दी जाय। जहां तक समस्याग्रस्त अवशेष 573 गांवों का प्रश्न है, इन सभी में पेयजल की सुविधा वर्ष 1992-93 में ही उपलब्ध करा दी जायेगी।

वर्ष 1992-93 मे निर्माणाधीन अधूरी योजनाओं को पूर्ण कराने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, नगर क्षेत्रों में 25 प्रतिशत से अधिक कार्य हो जाने के बाद अधूरी पड़ी योजनाओं को 17.50 करोड़ रुपये व्यय करके तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अंश तक कार्य होकर अधूरी पड़ी योजनाओं को 13 करोड़ रुपये खर्च करके पूरा किया जाएगा। उत्तरांचल की खराब पड़ी योजनाओं को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ठीक कराया जाएगा। मैदानी क्षेत्र के गांवों में अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर हैण्ड-पम्प ही लगाए जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण एकीकृत पेयजल योजना का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 3,551 गांवों में पेयजल की सुविधा के अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वच्छता के कई कार्य कराए जायेंगे।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जिन प्राइमरी/जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य, केन्द्रों पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहां इण्डिया मार्क II का एक-एक हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किया जायेगा।

नगरीय पेयजल व्यवस्था हेतु वर्ष 1992-93 में 17.58 करोड़ रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है जिससे बीस नगरों में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार एवं विस्तार किया जायेगा।

आगरा तथा मथुरा की नगरीय पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु गोकुल बैराज परियोजना के लिए वर्ष 1992-93 में 6 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

नगर विकास

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधायें जुटाने, पर्यावरण की स्वच्छता, जलोत्सारण, मार्ग प्रकाश एवं नगरीय दुर्बल वर्गों के आर्थिक स्तर को उठाने से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये हम कृत संकल्प हैं।

प्रत्येक जनपद में प्रति वर्ष एक आदर्श टाउन एरिया घोषित करके विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने, नगरपालिका कर्मचारियों की वेतन वितरण प्रणाली को राजकीय कोषागार के माध्यम से सुसंगत बनाने, विभिन्न नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण पर कार्य प्रारम्भ करते हुए गंगा तट पर स्थित दो नये नगरों मुगलसराय, गाजीपुर तथा यमुना और गोमती नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिये योजना प्रारम्भ की जायेगी।

आवास

ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आवास की समस्या के समाधान के प्रति भी हम जागरूक हैं। निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में एक लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 19,000 आवास निर्मित कराये जायेंगे।

वर्ष 1992-93 में नगरों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग हेतु 18,500 तथा अल्प आय वर्ग हेतु 8,000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इसी के साथ-साथ आवास की समस्या के निदान हेतु अन्य स्रोतों से धन इकट्ठा करके प्रदेश के विभिन्न नगरों में दुर्बल आय वर्ग हेतु 42,000 एवं अल्प आय वर्ग हेतु 16,000 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शासकीय अभिकरणों के माध्यम से किये जा रहे कार्यों के साथ-साथ निजी सहकारिता क्षेत्र के कार्यों को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर अनुकूल वातावरण भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

अर्धकुम्भ मेला, हरिद्वार 1992

पवित्र तीर्थ स्थल हरिद्वार में फरवरी, 1992 से सुप्रसिद्ध अर्धकुम्भ मेला प्रारम्भ हो गया है। इस धार्मिक आयोजन में देश विदेश के विभिन्न स्थानों से लगभग 80 लाख तीर्थ यात्रियों के एकत्र होने की सम्भावना है। इतने विशाल मेले का सफल आयोजन तथा तीर्थ यात्रियों को निर्विघ्न स्नान कराकर सुरक्षित रूप से उनको गन्तव्य स्थान पर पहुंचाना प्रशासन के लिये एक अभूतपूर्व चुनौती है। अतः तीर्थ यात्रियों के लिये विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था कराने के साथ-साथ रोशनी, पानी, चिकित्सा, उपभोक्ता सामग्री, सफाई एवं यातायात आदि की समुचित व्यवस्था मेला नगरी में की गई है, जिस पर 29 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने इस प्रकार के राष्ट्रीय महत्व के पर्व को राष्ट्रीय आयोजन के रूप में स्वीकार करने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है।

उद्योग

भारत सरकार द्वारा जुलाई/अगस्त, 1991 में घोषित औद्योगिक नीति तथा उसके अन्तर्गत किए गए परिवर्तनों से औद्योगिक विकास की रणनीति की समीक्षा समीचीन होगी। उत्तर प्रदेश जैसे कम विकसित राज्यों के लिए विशेष चुनौती की स्थिति सामने आई है। औद्योगिक लाइसेन्स प्रणाली के लगभग समाप्त हो जाने से उद्योग वहीं स्थापित होंगे, जहां उनको अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो। इस पृष्ठभूमि में प्रदेश में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा प्रशासनिक वातावरण का महत्व और बढ़ गया है।

हमारी सरकार प्रयासरत है कि उद्योगों के लिए सर्वथा अनुकूल वातावरण बने। उद्योग व अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए सुरक्षा का वातावरण एक प्राथमिक आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए सन्तोष है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से शान्ति व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है एवं उद्यमियों में भी सुरक्षा के प्रति विश्वास जागा है। वर्ष 1992-93 हेतु औद्योगिक क्षेत्र में 10 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। लघु उद्योग क्षेत्र में 3,000 लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना, 30,000 लघुत्तर एवं दस्तकारी व अन्य छोटी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है। इससे लगभग 1.20 लाख अतिरिक्त रोजगार

सृजित होने का अनुमान है । इसी प्रकार भारी उद्योग में पिकप द्वारा वर्ष 1992-93 में 120 करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है । उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा भी 215 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति का लक्ष्य है ।

गत सात माह में पूरे देश के लिये पंजीकृत मेमोरेण्डा में से लगभग 18 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के लिये पंजीकृत हुए हैं । यह इस बात का परिचायक है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिये उचित व आकर्षक वातावरण उपलब्ध हुआ है । वर्ष 1992-93 में इसे और आकर्षक बना कर इस अनुपात को बढ़ाने का प्रयास प्रदेश सरकार का होगा ।

समग्र रूप से अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराते हुए सरकार द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर व सतहरिया (जौनपुर) औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों के विकास को विशेष महत्व दिया जा रहा है । अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र का भी सहयोग हम प्राप्त करेंगे । हमारा प्रयास है कि विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हो, साथ ही निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं तथा कैपटिव पावर प्लान्ट स्थापित करने के लिये प्रोस्साहन दिया जाय ।

प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को उद्यमियों के लिये सरल बनाने के लिये लघु उद्योगों का पंजीकरण, एकीकृत मार्जिन मनी स्वीकृति, औद्योगिक आस्थानों में आवंटन, उपादान स्वीकृति, कच्चे माल की उपलब्धता व सामग्री क्रय संबंधित अनेक अधिकार विकेन्द्रित किये गये हैं । छोटे उद्योगों को विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति अब जिला स्तर पर ही उपलब्ध हो जावेंगी । पर्यावरण से संबंधित स्वीकृतियों में से 95 फीसदी अब क्षेत्रीय स्तर से ही जारी हो जावेगी । लघु उद्योगों पर लगने वाले श्रम नियमों को सरल किया गया है एवं उन्हें बार-बार निरीक्षण के नाम पर परेशान करने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगा दी गई है । उद्यमियों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचने के लिये नियमों के उल्लंघन को छोटे व बड़े में विभाजित कर केवल बड़े उल्लंघनों पर ही मुकदमा चलाने के निर्देश दिये गये हैं ।

पहली बार सरकार सक्रिय रूप में प्रदेश से निर्यात प्रोत्साहन संबंधी कार्यों को बढ़ावा दे रही है । प्रदेश से निर्यात के तीन महत्वपूर्ण उद्योग-कालीन, ब्रास आर्टवेयर व चमड़ा उत्पाद के क्षेत्रों में अवस्थापना व अन्य सुविधायें विशेष रूप से उपलब्ध कराई जायेंगी, जिससे न केवल इनका निर्यात बढ़ेगा वरन् इन रोजगार सृजित उद्योगों में अधिक संख्या में कारीगरों को रोजगार मिलेगा ।

पूर्व में स्थापित इकाइयों में से लगभग 20 प्रतिशत इकाइयां रुग्णता की श्रेणी में आ गई हैं, जिससे सृजित उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है । प्रदेश सरकार रुग्ण इकाइयों को श्रेणीबद्ध करके उनके पुनर्वासन हेतु प्रभावी व्यवस्था बनायेगी ।

हथकरघा क्षेत्र में हथकरघा निगम व यूपिका के माध्यम से बुनकरों को नये डिजाइन उपलब्ध कराना, उनके उत्पादन का बेहतर विपणन, उनका कौशल सुधार व उनकी मजदूरी का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा ।

हथकरघा बुनकर जो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये पावरलूम लगाना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिये पावरलूम सहकारी समितियों के विकास की एक नयी योजना इस वर्ष प्रारम्भ की जायेगी ।

सरकार बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिये जहां अनेक कार्यक्रम चला रही है, वहीं उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिये भी सतत् प्रयत्नशील है । इस वर्ष 20 हजार बुनकरों हेतु कार्यशाला युक्त आवास बनाने के लिये एक व्यापक योजना चलाई जायेगी । इस योजना में हाऊसिंग एवं अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन से ऋण प्राप्त किया जायेगा और 5,000 रु० प्रति आवास अंशदान दिया जाएगा

जिसमें 50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार और 50 प्रतिशत भारत सरकार का योगदान होगा। इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 20,000 आवास बनाने का प्रस्ताव है।

दीन दयाल विकास योजना के अन्तर्गत उ० प्र० इलेक्ट्रानिक्स निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु सहारनपुर जनपद में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत सरकार की सहायता से लखनऊ में इलेक्ट्रानिक्स शोध एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में रेशम सेक्टर को विशेष बढ़ावा दिये जाने का प्रस्ताव है ताकि योजना के अंतिम वर्ष में रेशम का उत्पादन 400 टन हो जाए।

कोया उत्पादन एवं रेशम विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद पीलीभीत में फ्लेचर इकाई को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही कोया भण्डारण सुव्यवस्थित किये जाने के उद्देश्य से भण्डारागारों के निर्माण की योजना बनाई गई है।

दीन दयाल विकास योजना के अन्तर्गत छः मध्यम वर्गीय जनपदों में शहतूत वृक्षारोपण 200 एकड़ भूमि पर कराकर अधिक से अधिक रेशम धागा उत्पन्न करने की योजना है। पूर्वान्चल क्षेत्र में सघन रेशम विकास के लिये भारत सरकार के सहयोग से पूर्वान्चल रेशम परियोजना लागू की जा रही है। इसके अतिरिक्त गैर आई० आर० डी० पी० लाभार्थियों को नाबार्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना मूल्य के अनुक्रम में सहायता प्रदान कर व्यक्तिगत क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किये जाने की योजना है। व्यक्तिगत क्षेत्र में धागाकरण इकाइयों की सहायता के लिये मार्जिन मनी ऋण की व्यवस्था भी की जा रही है।

प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग कांच, इत्र व फाउण्ड्री को नई तकनीक उपलब्ध कराने के लिये फिरोजाबाद, कन्नौज व आगरा में "प्रासेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेन्ट सेन्टरों" पर अधिक धनराशि विनयोजित की जा रही है।

प्रदेश में स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु व परम्परागत कौशल के विकास के लिये चिकन, जरी जरदौज, बुड कार्विंग, कालीन, चमड़ा व कलात्मक हथकरघा, बेंत व बांस में कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें कच्चा-माल, विपणन व कार्यशील पूंजी की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की जायेगी।

उत्तर प्रदेश अल्प-संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा अल्प-संख्यक वर्ग के कल्याणार्थ वर्ष 1992-93 में 1,500 इकाइयों को 1.5 करोड़ रुपये मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराने, 100 नये छात्र-छात्राओं को ब्याज रहित ऋण योजना से लाभान्वित करने तथा 2,000 व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।

वन

वन हमारी प्राकृतिक धरोहर है। पर्यावरण का संतुलन और स्थिरता, जल एवं भूमि संरक्षण, बाढ़ एवं सूखे की विभीषिका से निपटने के लिये वनों की उपयोगिता सर्वविदित है। अतः इन्हें ध्यान में रखकर पर्यावरणीय स्थिरता को बनाये रखने, परिस्थितिकीय संतुलन को पुनः प्रतिष्ठित करने तथा प्राणिजात की विविध प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करने हेतु शासन प्रतिबद्ध है। न केवल वनों के अन्दर ही मूल्यवान प्रजातियों तथा ईंधन आदि की उपलब्धता बढ़ाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, वरन् सामाजिक वानिकी योजना के तहत वर्ष 1992-93 हेतु 31,376 हेक्टेयर वृक्षारोपण विभिन्न प्रकार के अवनत वनों तथा वनों के बाहर के क्षेत्रों में प्रस्तावित है।

वानिकी कार्यों में जन-सहयोग एवं जन-सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये अब तक प्रदेश में 2,515 ग्राम वन समितियां पुनर्गठित की जा चुकी है, जो ग्राम समाज की भूमि पर किये गये वृक्षारोपण के प्रबन्ध, सुरक्षा तथा लाभ के लिये उत्तरदायी होंगी। शासन ने सामाजिक वानिकी योजनान्तर्गत सड़कों के किनारे, रेल लाइन तथा नहरों के किनारे बहु पंक्ति वृक्षारोपणों में संबंधित ग्राम समाजों को सहभागी बनाना स्वीकार कर लिया है। पिथौरागढ़ जनपद में सहकारी समितियों के माध्यम से सिविल सोयम के अवनत वनों के पुनः वनीकरण की योजना शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है। अपने प्रियजनों एवं दिवंगतों की यादगार के सम्मान हेतु "स्मृति वन" योजना लागू की जा चुकी है तथा अब तक 126 "स्मृति वनों" की स्थापना भी हो चुकी है।

किसानों की निजी भूमि पर उगाये गए वृक्षों पर उनको वृक्ष उत्पादन हेतु उत्साहित करने के लिये मैदानी जनपदों में 19 प्रजातियों के वृक्षों के पातन पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा 38 जनपदों में इन प्रजातियों से प्राप्त वनोपज को परिवहन की छूट दे दी गयी है।

प्राकृतिक पुनरोत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 1992-93 से दीन दयाल उपाध्याय योजना प्रारम्भ की जा रही है।

पर्यावरण

स्वस्थ पर्यावरण हमारा लक्ष्य है। इस हेतु पर्यावरण ह्रास नियंत्रण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरण के प्रति जन जागरुकता उत्पन्न करना हमारी नीति के मुख्य अंग हैं। खतरनाक उद्योगों से सम्भावित गैस रिसाव से जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये आन साइट तथा आफ साइट प्लान बनाया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र न लगाने एवं जल एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाले 165 उद्योगों एवं 2 स्थानीय निकायों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की गयी है। इन प्रयासों के फलस्वरूप 413 उद्योगों द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र लगाये गये और लगभग इतने ही उद्योगों द्वारा शुद्धिकरण संयंत्र लगाने हेतु प्रयास जारी हैं। जल प्रदूषण से संबंधित 672 उद्योग वायु प्रदूषण से संबंधित 84 उद्योगों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा एक्शन प्लान के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि नये स्थापित हो रहे उद्योगों को सहमति प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की पूर्ण स्थापना के पश्चात् दी जाये। इसके अतिरिक्त प्रदेश की मुख्य नदियों की जल गुणता का अध्ययन किया जा रहा है।

भाषा नीति

हमारी सरकार समस्त सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने की पक्षधर है। इस नीति को हम कड़ाई से लागू कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार, संवर्धन एवं समृद्धि के लिये भी हम कृतसंकल्प हैं। इस दिशा में हम उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को अधिक सक्रिय करेंगे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के माध्यम से उर्दू भाषा के विकास की ओर भी हम समुचित ध्यान देंगे। अन्य भारतीय भाषाओं के मानक साहित्य का हिन्दी में अनुवाद की दिशा में भी हम ठोस प्रयास करेंगे। भावनात्मक एकता तथा राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थापित भाषा केन्द्रों में अन्य भारतीय भाषाओं के निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था को हम और सुदृढ़ करेंगे।

शिक्षा

सूर्य के प्रकाश और आकाश के जल की भांति ही सबको समान शिक्षा देने के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है।

हमारी सरकार राज्य में शत प्रतिशत साक्षरता लाने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये कृतसंकल्प है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक सूत्र के अन्तर्गत दो चरणों में 6 से 14 वर्ष आयु-वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा पर भी बल दिया जायेगा।

इस पुनीत कार्य में हम जनमानस के सक्रिय सहयोग का आवाहन करते हैं। इसी उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा के विकास में स्थानीय समुदाय एवं उदार व्यक्तियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिये उनके द्वारा असेवित क्षेत्रों में भूमि तथा निर्धारित मानक के अनुसार भवन उपलब्ध कराये जाने पर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खोले जाने हेतु इस आय-व्ययक में व्यवस्था की गई है।

बालिका शिक्षा के प्रसार, प्रोत्साहन देने और जनसहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-9 व 10) प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित मानक के अनुसार भूमि तथा भवन उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रस्तावित नाम से विद्यालय खोले जा सकें। वर्ष 1992-93 में 90 ऐसे विद्यालयों को प्रारम्भ करने हेतु 2.75 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

माध्यमिक स्तर पर व्यवसायपरक शिक्षा के प्रसार एवं विद्यार्थियों में स्व-रोजगार की भावना के विकास की दृष्टि से हमारी सरकार व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष बल दे रही है। इस हेतु 2 करोड़ रुपये की आय-व्ययक में व्यवस्था की गयी है।

छात्रकल्याण निधि से वित्त पोषित कार्यक्रमों को परिष्कृत करके उन्हें और उपयोगी बनाया जायेगा।

प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं पाठ्येतर कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने, प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों तथा प्रदेश के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने और वित्तीय अनुशासन को प्रभावी बनाते हुए संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों में अभिवृद्धि करने हेतु संस्तुतियां करने के लिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है।

हमारा प्रयास है कि आठवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण पूर्ण कराया जाय। इस कार्य हेतु 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। 30 जून, 1991 तक तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों के नियमितीकरण के लिये व्यवस्था कर दी गयी है। साथ ही भविष्य के लिये उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रबन्ध तन्त्र का तदर्थ नियुक्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों में भी 30 जून, 1991 तक अल्पकालिक व्यवस्था के रूप में नियुक्त शिक्षकों के नियमितीकरण की व्यवस्था कर दी गयी है।

महाविद्यालयों के प्राचार्यों के प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शिविरों के लिये भी व्यवस्था की जा रही है।

स्नातकोत्तर स्तर पर मेधावी छात्रों को श्रेष्ठता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें छात्र के अभिभावक की आय का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

अशासकीय महाविद्यालयों में छात्राओं के लिये सामान्य कक्ष आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अशासकीय महाविद्यालयों को इस हेतु अनावर्तक अनुदान देने की व्यवस्था भी की गयी है।

माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रथम बार समस्त डिग्री कालेजों को विशेष केन्द्रीय सहायता दिलाने में सार्थक पहल की है । हमारे अनुरोध पर दिसम्बर, 1991 में लखनऊ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उच्च-स्तरीय टीम ने उच्च शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण में कालेजों से इस हेतु 10 दिन तक बैठकें कीं । फलस्वरूप इन महाविद्यालयों के लिये लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कम्प्यूटर व अन्य उपकरणों के लिये प्रथम चरण में लगभग 40 करोड़ रुपये की वचनबद्धता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गयी है ।

डा० भीमराव अम्बेदकर शताब्दी में हम डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय परियोजना के कार्यान्वयन को भी प्राथमिकता दे रहे हैं । हमें आशा है कि केन्द्रीय सरकार भी 200 करोड़ रुपये की इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिये अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ।

प्राविधिक शिक्षा

उद्योगों तथा टेक्नोलाजी में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये हम प्रयासरत हैं ।

पारम्परिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता में कमी कर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे कम्प्यूटर साइन्स एवं इलेक्ट्रानिक्स आदि की प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है ।

महिलाओं में तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं तकनीकी जनशक्ति में उनके अधिकाधिक योगदान हेतु छात्राओं को अन्य विशेष सुविधायें प्रदान करने के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप विशिष्ट महिला पालीटेक्निक स्थापित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

जन-मानस में विज्ञान के प्रति रुचि एवं वैज्ञानिक सोच बढ़ाने की दृष्टि से विज्ञान एवं प्रौद्योग परिषद् के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विज्ञान लोकप्रियता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ।

विज्ञान लोकप्रियता कार्यक्रम को स्थायी स्वरूप देने के लिये लखनऊ में लगभग 6.00 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन नक्षत्रशाला को शीघ्र पूरा करके नक्षत्रशाला को वर्ष 1992-93 के अन्त तक जनता के लिये खोल दिया जायेगा ।

खेलकूद

हमारी सुविचारित नीति है कि स्वास्थ्य, शक्ति प्रदान करने एवं प्रसन्न जीवन व्यतीत करने की विधि के रूप में खेलों को प्रोत्साहित किया जाए । कुछ विशेष प्रकार की आधुनिक सुविधायें जैसे कुश्ती के लिये रबड़ के गद्दे, कृत्रिम खेल मैदान आदि के लिये यथासम्भव भारतीय खेल प्राधिकरण तथा भारत सरकार से सहायता ली जा रही है । वाराणसी तथा रामपुर में हाकी के खेल के लिये कृत्रिम घास के मैदान तथा स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के परिसर में एथलेटिक्स में धावकों के उपयोग हेतु सिन्थेटिक ट्रैक की सुविधायें खिलाड़ियों को वर्ष 1992-93 में उपलब्ध हो जायेगी तथा लखनऊ स्थित ओलम्पिक साइज तरणताल को सौर ऊर्जा से ताप नियंत्रित किया जा चुका है और आगामी शीतकाल में इसका प्रयोग प्रशिक्षण हेतु किया जा सकेगा ।

युवा कल्याण

हमारी मान्यता है कि युवा वर्ग राष्ट्रीय प्रगति के लिये शक्ति के अजस स्रोत हैं। उनकी ऊर्जा और शक्ति को सही दिशा देकर उन्हें समाज को बदलने और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगाने का हमारा प्रयास है।

राज्य सरकार द्वारा युवाओं के शारीरिक सम्बर्धन बौद्धिक विकास तथा सांस्कृतिक चेतना तथा स्वावलम्बी बनाने हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

गांव में छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक जनपद में एक ग्रामीण स्टेडियम स्थापित करने का लक्ष्य है।

पंजीकृत युवक मंगल दलों तथा महिला मंगल दलों द्वारा ग्रामीण खेलकूद, श्रमदान, वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा तथा अन्य राष्ट्रीय एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं में अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

कला एवं संस्कृति

जिस भारतीय सांस्कृतिक धरोहर ने हमें एक निजी पहचान, एकात्मता (अखण्डता) तथा कान्ति प्रदान की है, हमारी सरकार उसके संरक्षण, परिरक्षण तथा अभिवृद्धि में विश्वास रखती है। इस हेतु हम सक्रिय पहल कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत कला और संस्कृति की प्रोन्नति, विकास तथा इनके लिए आवश्यक सुविधाएं स्थापित करने, शास्त्रीय एवं लोक-कलाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपण करने, शिक्षा को कला एवं संस्कृति से सम्बद्ध किए जाने अभिलेखीकरण एवं शोध की प्रोन्नति तथा पुरातत्व, संग्रहालय तथा अकादमियों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल देंगे।

जन-साधारण में सांस्कृतिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की योजना है।

प्रदेश की नाट्य एवं संगीत विधाओं को संरक्षित एवं विकसित करने हेतु लखनऊ में भारतेन्दु नाट्य अकादमी एवं संगीत नाट्य अकादमी के भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1992-93 में 50 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य शाला के सम्वर्धन एवं शोध हेतु राष्ट्रीय कथक संग्रहालय की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश के पूर्वी अंचलों में स्थित पुरास्थलों, स्मारकों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण हेतु वर्ष 1992-93 में गोरखपुर एवं वाराणसी में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई की स्थापना की जायेगी। कुशीनगर में बौद्ध संग्रहालय की भी स्थापना की जा रही है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य

वर्ष 1991-92 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जन-साधारण तक पहुंचाने की दृष्टि से विशेष प्रयास किए गए हैं। काफी समय से प्रदेश में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की चली आ रही समस्या के हल करने की दिशा में हमने सभी रिक्त पदों को तीन माह के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्णय लिया है।

प्रत्येक स्तर के चिकित्सालयों/औषधालयों के लिये जन साधारण की आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर एक नई नीति के अनुसार औषधियां उपलब्ध कराई जायेंगी जिससे सीमित संसाधनों में अधिक उपयोगी औषधियां अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगी।

जिला तथा अन्य चिकित्सालयों में वर्तमान उपचार व्यवस्था सुदृढ़ करने व विशिष्टि उपचार हेतु चिकित्सालयों में 25 नये रोगी वाहन, 6 चिकित्सालयों में पैथालाजी इकाइयों तथा 20 चिकित्सालयों में आटो एनालाइजर की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त 16 चिकित्सालयों में डीजल जेनरेटर, 7 चिकित्सालयों में इन्टेसिव कोरोनरी केयर यूनिट तथा 4 चिकित्सालयों में प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट्स की भी स्थापना का प्रस्ताव है।

एलोपैथिक चिकित्सा के अतिरिक्त एलोपैथिक चिकित्सा के अतिरिक्त आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की सुविधाओं का भी विस्तार किया जायेगा।

शिक्षित किन्तु बेरोजगार होम्योपैथी चिकित्सकों को निजी क्लीनिक स्थापित करने के लिये अनुदान देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1992-93 में शहरी क्षेत्रों में 5, ग्रामीण क्षेत्रों में 40 तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 50 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य है।

वर्तमान आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण तथा राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय भवनों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

लुप्त होती जा रही जड़ी-बूटियों के संग्रह एवं उनके उत्पादन हेतु जनपद बांदा में वनौषधि केन्द्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम को स्वैच्छिक रूप से प्रभावी बनाने हेतु एक नई रणनीति तैयार की गई है ताकि जनसंख्या नियन्त्रण की समस्या का प्रभावी हल निकल सके। मातृ शिशु कल्याण एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है ताकि "सबके लिये स्वास्थ्य" की राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यू० एस० ए० आई० डी० की सहायता से प्रदेश में 11 जुलाई, 1992 से हम परिवार कल्याण की एक नई योजना पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में चालू कर रहे हैं जिसके लिए 325 मिलियन डालर की सहायता प्राप्त होगी जो 10 वर्षों से कार्यान्वित की जायेगी।

वर्ष 1992-93 में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के वर्तमान स्वरूप को सुदृढ़ करने तथा एकरूपता लाने तथा उसको अधिक गतिशील बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। मेडिकल कालेज, झांसी में महिला छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव है। मेडिकल कालेज, गोरखपुर में एक सी० टी० स्केनर की स्थापना के लिये वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक में 103.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के लिये वर्ष 1992-93 में 12 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

श्रम

हमारी सरकार ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखा है और न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित 62 नियोजकों में से अवशेष 28 नियोजकों में भी कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण कर दिया है, जिसके फलस्वरूप अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के श्रमिकों को 34 रुपये से 812 रुपये तक का शुद्ध लाभ हुआ है। दो अन्य नियोजनों—धर्मशाला

और निजी पुस्तकालय को अनुसूचित नियोजनों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया है । वर्ष 1991-92 श्रमिक सद्भावना का एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा ।

प्रदेश के वयोवृद्ध नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की वृद्धावस्था पेंशन योजना का विशेष अभियान चलाकर दिसम्बर, 1991 तक 5,22,452 वृद्धों को पेंशन दी गयी । 1992-93 में इस योजना के तहत 54.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिससे कि अधिक वृद्ध नागरिक लाभ उठा सकें ।

बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रदेश में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत एक नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तथा प्रदेश के 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों की 13 द्वितीय इकाई खोलने का भी प्रस्ताव किया गया है । इसके अतिरिक्त 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्लास्टिक प्रोसेसिंग आपरेटर व्यवसाय खोलने का भी प्रस्ताव है ।

प्रदेश के अल्प-संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के जनपद–मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, गोण्डा तथा देवरिया में नये व्यवसाय भारत सरकार की सहायता से खोले जाने हेतु 26.56 लाख रुपये की व्यवस्था वर्ष 1992-93 में कराई जा रही है ।

सेवायोजन कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने के लिये बांदा, बस्ती, अलीगढ़ के कार्यालयों का संगणीकरण वर्ष 1992-93 में करने में करने का प्रस्ताव है । इसके अतरिक्त जनपद मऊ में एक मार्ग-दर्शन केन्द्र की स्थापना तथा फिरोजाबाद, गाजीपुर, हरिद्वार व सुल्तानपुर में व्यावसायिक मार्ग-निर्देशन इकाइयों का भी प्रस्ताव है ।

समाज कल्याण

हम अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण तथा समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि हमारी जनसंख्या का यह महत्वपूर्ण वर्ग समाज की मुख्य धारा में अपना सार्थक योगदान दे सके ।

प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों के विकास एवं कल्याण के सभी कार्यक्रमों के लिये धन का पृथक एवं स्पष्ट आवंटन सुनिश्चित किया है ताकि उस राशि का किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र उपयोग न हो । पूरी राशि का विनियोजन अनुसूचित जन-जाति के कल्याण से जुड़ी योजनाओं में ही सुनिश्चित किया जाएगा ।

इस वर्ष "डा० अम्बेदकर जन्मशती निधि" की स्थापना की गयी है, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कक्षा 10 तथा 12 की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जायेगी ?

प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति,. पिछड़े वर्ग के छात्र एवं छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया को विकेन्द्रित व सरलीकृत किया गया है ।

कक्षा 1 से 8 तक अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को चालू वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1992-93 में छात्रवृत्ति से 20 प्रतिशत अधिक आच्छादित किया जायेगा ।

प्रदेश सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार नवयुवकों को प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा पं० दीन दयाल स्वावलम्बन प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की है ।

निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम की योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को पम्प सेट उपलब्ध कराने की 21.51 करोड़ रुपये की योजना कार्यान्वित की जायेगी । इस योजना की अवधि तीन वर्ष की होगी और 15,000 पम्प सेट उपलब्ध कराये जायेंगे । यातायात वाहन क्रय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त नवयुवकों को वाहन उपलब्ध कराने की 4.30 करोड़ रुपये की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना भी है । इससे 300 वाहन क्रय करके कुल 600 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा । यह दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से चलाई जायेगी ।

प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय संस्थाओं की संवासिनियों के भरण-पोषण की राशि 150 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिमाह की गई है । इसी प्रकार पूर्वी व पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को कैशडोल की राशि 80 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये मासिक की गयी है ।

प्रदेश सरकार ने राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में सभी प्रकार के बच्चों को दी जाने वाली भरण-पोषण की राशि 240 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 312 रुपये प्रतिमास कर दी है ।

अक्टूबर–नवम्बर, 1984 के दंगों में मारे गये सिक्खों की विधवाओं को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति की उत्पीड़न की घटनाओं के संबंध में मुख्यालय को त्वरित सूचना देने एवं उन पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये समाज कल्याण निदेशालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है ।

महिला कल्याण

भारतीय संस्कृति में नारी को मातृ-शक्ति के रूप में देखा जाता है । उनके व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करने के लिये उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के कार्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे ।

अनुसूचित जाति, जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग की गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को कुपोषण से बचाने स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी सुविधायें प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के 313 विकास खण्डों में इतनी ही समेकित बाल विकास परियोजनायें स्वीकृत हैं तथा वर्ष 1992-93 में भारत सरकार से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त परियोजनायें स्वीकृत किये जाने हेतु प्रयास किये जायेंगे एवं इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने हेतु कारगर कदम उठाये जायेंगे ।

समेकित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम की महिला लाभार्थियों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अल्प आर्थिक क्रिया-कलाप विकास योजना, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ''केयर'' द्वारा सहायतित है, को प्रयोग के तौर पर चलाये जाने हेतु जनपद सीतापुर का चयन किया गया है ।

भारत सरकार की महिला रोजगार कार्यक्रम समर्थन योजना के अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार के प्रमुख क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर स्व-रोजगार में लगाने का कार्य किया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत

286.50 लाख रुपये लागत की "उ० प्र० महिला डेरी परियोजना" प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई, सीतापुर एवं फर्रुखाबाद में अनुसूचित जाति/जनजाति/आर्थिक दृष्टि के निर्बल वर्ग की 6,000 ग्रामीण गरीब महिलाओं को दुग्ध व्यवसाय से आच्छादित करके लाभान्वित किया जायेगा । वर्ष 1992-93 में इस परियोजना को लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से जनपद फैजाबाद, बस्ती, गोण्डा, गोरखपुर (महराजगंज सहित), देवरिया एवं आजमगढ़ में भी चलाया जाना प्रस्तावित है, जिससे 9,000 महिलायें लाभान्वित होंगी ।

सैनिक कल्याण

भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु स्थापित "उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम" को हम अधिक सक्रिय बनायेंगे ताकि उनके माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं स्वतः रोजगार के अधिकाधिक कार्यक्रम चलाये जा सकें ।

नई टिहरी में सैनिक कल्याण कार्यालय/विश्राम-गृह के निर्माण तथा सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र पौड़ी की स्थापना के लिये भी प्राविधान किया गया है ।

खाद्य तथा रसद

गत वर्ष भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अनेक ऐसे निर्णय लिये गये जिनका सीधा प्रभाव खुले बाजार में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ा और लगभग हर वस्तु के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है । पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में घोषित वृद्धि, रेल भाड़े में वृद्धि, ब्याज की दरों में वृद्धि, रसायनिक खादों के मूल्यों में घोषित वृद्धि इत्यादि अनेक ऐसी घोषणाएं भारत सरकार ने कीं । इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के संकट के कारण गत वर्षों में दालों और खाद्य तेलों का आयात करके इनकी जो उपलब्धता बनाये रखी गई थी वह सम्भव नहीं हुई और इन वस्तुओं के मूल्यों पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । जन-साधारण को खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में इस प्रकार हुई वृद्धि के कारण जो कठिनाई उत्पन्न हुई उसके निराकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सतत् प्रयास किये गये और किये जाते रहेंगे । बढ़ती हुई कीमतों से राहत जनसाधारण को दिलाने का एक माध्यम जन-वितरण व्यवस्था है । इस माध्यम से पहुंचाई जाने वाली राहत मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर है । पहली यह कि वितरण की व्यवस्था कितनी सुव्यवस्थित है और दूसरी इस व्यवस्था के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता । प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं, चावल, चीनी व मिट्टी का तेल का वितरण जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है । इन सभी वस्तुओं का आवंटन हर माह भारत सरकार से प्रदेश को प्राप्त होता है और प्रदेश को आवंटित इन वस्तुओं को एक सुव्यवस्थित रूप से वितरित किये जाने का उत्तरदायित्व प्रदेश सरकार का है । दुर्भाग्यवश इन वस्तुओं का जो आवंटन भारत सरकार से प्राप्त होता रहा है वह आवश्यकता से बहुत कम है और इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी भारत सरकार की अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई है ।

वर्ष 1991 में गेहूं, चावल व चीनी का मासिक आवंटन प्रदेश में क्रमशः 360 ग्राम, 220 ग्राम व 390 ग्राम प्रति व्यक्ति प्राप्त हुआ है और इस अत्यन्त सीमित मात्रा को एक न्यायोचित तरीके से प्रदेश के उपभोक्ताओं के बीच वितरित किये जाने का प्रयास किया जाता रहा है । इसके साथ-साथ वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पूरे प्रदेश में फर्जी यूनिटों को निरस्त करने का एक व्यापक अभियान है । यह अभियान दिनांक 1 अगस्त, 1991 से

31 दिसम्बर, 1991 तक चलाया गया और इसके दौरान प्रदेश में लगभग 2.78 करोड़ यूनिट फर्जी पाये जाने के कारण निरस्त किये गये।

इसी प्रकार दिनांक 1 जनवरी, 1991 से 28 फरवरी, 1992 तक काला बाजारी के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दौरान मारे गये छापों में 14 करोड़ 56 लाख रुपये मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई, 20,867 लाइसेंस निरस्त और 3,427 निलम्बित किये गये, 1,924 के विरुद्ध पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज की गई तथा 1,127 को गिरफ्तार किया गया, 6 लाख 70 हजार रुपये की प्रतिभूति जब्त की गयी।

प्रदेश में पूर्वी जिलों में चावल मिलें कम होने के कारण किसानों को धान के विक्रय में कठिनाइयों की शिकायतें अनेक वर्षों से प्राप्त होती रही थीं। अतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त चावल मिलों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 1991 के बाद स्थापित होने वाली चावल मिलों को आगामी पांच वर्ष तक लेवी से छूट दिये जाने का निर्णय लिया है।

राजस्व प्रशासन

प्रदेश के किसानों को त्वरित राजस्व न्याय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से दाखिल-खारिज तथा उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों के निस्तारण हेतु वर्ष 1991-92 को प्रदेश शासन द्वारा राजस्व न्याय वर्ष घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत अब तक भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन दाखिल-खारिज के 1,60,000 तथा उत्तराधिकार के निर्विवादित 8,00,000 से भी अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों को एक माह के अन्दर निस्तारित करने के आदेश दिये गये हैं।

उ० प्र० चकबन्दी अधिनियम, 1953 में संशोधन करके प्रदेश के नागर क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा जनपद देहरादून के परगना जौनसार बावर में भी चकबन्दी कराये जाने के लिये विधिक व्यवस्था कर दी गयी है। उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों के निस्तारण का अधिकार सहायक चकबन्दी अधिकारी को दे दिया गया है। जोतों के बिखराव को रोकने के लिये जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 24 के अधीन अंतिम चकबन्दी योजना प्रचलित होने के बाद भूमि का हस्तान्तरण अपवर्जित कर दिया गया है।

प्रदेश के निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों के कल्याण हेतु वस्त्र प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत प्रति चयनित व्यक्ति को वर्ष में एक बार दी जाने वाली वस्त्र क्रय की धनराशि 50 रु० से बढ़ा कर 100 रु० कर दी गयी है।

भू-अभिलेखों की स्थिति में सुधार तथा आधुनिकीकरण के परिपेक्ष्य में पं० दीन दयाल उपाध्याय भूमि प्रबन्ध संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटरीकरण, माइक्रोफिल्मिंग तथा अन्य आधुनिक उपकरणों को अपनाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। आधुनिकीकरण के सदर्भ में देवरिया जनपद में एक अग्रामी योजना भी चलाई जा रही है।

शान्ति एवं व्यवस्था

हमारी सरकार ने ऐसे समय में शासन तथा प्रशासन की बागडोर सम्भाली जब प्रदेश दंगों की श्रृंखला तथा सामाजिक कटुता एवं अविश्वास से आहत था। कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। सरकार ने वरीयता के आधार पर प्रदेश को दंगामुक्त तथा समाज को भयमुक्त करने का संकल्प लिया। सरकार द्वारा किये गये ठोस प्रयासों से पहली बार प्रदेश वाराणसी तथा हापुड़ को छोड़कर दंगा-मुक्त रहा। इन पर भी प्रभावी कार्यवाही करके तत्काल काबू पा लिया गया। सरकार द्वारा पारस्परिक सद्भाव के लिये किये गये प्रयासों से पिछले एक दशक में पहली बार सभी महत्वपूर्ण त्योहार शान्तिपूर्ण एवं सौहार्द के वातावरण में हुए।

उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र की आतंकवाद की समस्या के स्थाई बनते जा रहे स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस बल को विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने तथा प्रभावित क्षेत्रों के थानों का सुदृढ़ीकरण करते हुए अतिरिक्त बल वाहन, शस्त्र एवं संचार साधनों की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया

जा रहा है जो प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में प्रदेश सरकार द्वारा किये गये उपायों के क्रियान्वयन का मुख्य केन्द्र बिन्दु होगा ।

आतंकवाद प्रदेश विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के समक्ष यह एक चुनौती है । प्रदेश के संसाधन सीमित हैं किन्तु फिर भी आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये सरकार ने 36 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है, जिस पर राज्य सरकार ने तत्परता से कार्यवाही प्रारम्भ की ।

सरकार ने प्रदेश में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए आग्नेयास्त्र लाइसेंस की नीति को उदार करने का निर्णय लिया है ।

अनुसूचित जातियों, समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिये सभी जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह इन वर्गों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें तथा ऐसे प्रकरणों पर 24 घंटों के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही करें ।

न्याय प्रशासन

न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु एक सुधारवादी आन्दोलन के रूप में न्यायालयों का आधुनिकीकरण तथा परिणामोन्मुख न्यायिक व्यवस्था स्थापित की जा रही है । वित्तीय वर्ष 1992-93 में 12 जिलों के आधुनिकीकरण हेतु 50 लाख रुपये की व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है ।

अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय हिन्दी निर्णय पुरस्कार योजना स्थापित की गयी है । इसके अन्तर्गत उत्कृष्ट श्रेणी के हिन्दी निर्णय पर न्यायिक अधिकारी को पुरस्कृत किया जायेगा ।

अधीनस्थ न्यायालयों के अपूर्ण अनावासीय भवनों को प्रदेश के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण कराये जाने का प्रस्ताव है ।

न्याय-व्यवस्था को कम खर्चीला बनाने तथा जनसाधारण को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कानूनी सहायता और परामर्श बोर्ड को प्रभावी बनाया गया है ।

सार्वजनिक उद्यम

प्रदेश में 65 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनमे 11,222.18 करोड़ रुपये पूंजी विनियोग है । कुल शासकीय विनियोग 6,745.99 करोड़ रुपये है ।

राज्य सरकार के उपक्रमों की लाभकारिता ऋणात्मक है । अनन्तिम सूचना के अनुसार वर्ष 1990-91 में व्यवसायरत 63 उपक्रमों में से 30 उपक्रमों ने करोपरान्त 44.60 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया । शेष 29 उपक्रमों में 410.32 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि हुई । इस प्रकार वर्ष में समग्र सार्वजनिक क्षेत्र में 365.72 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि रही ।

राज्य सरकार के उपक्रमों के कार्य-संचालन परिणाम निरन्तर चिन्ता का विषय बन गये हैं । उद्यमों तथा राज्य सरकार की परस्पर अपेक्षाओं को स्पष्टतः सुनिश्चित करते हुए उद्देश्यों/लक्ष्यों की ओर अधिक स्वायत्तता के साथ अग्रसर होने हेतु समझौता ज्ञापन निष्पादित करने की प्रक्रिया की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है । सभी उपक्रमों की गहन समीक्षा हेतु मंत्रि-परिषद् की उपसमितियां गठित की गई हैं, जो उन उपक्रमों को आर्थिक दृष्टि से स्वाश्रयी बनाने, संयुक्त/निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने अथवा उन्हें पुनर्गठित करने की दिशा में परीक्षण करेंगी तथा इस आधार पर सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका को उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावी बनाया जायेगा । ऐसी गतिविधियों पर कार्मिकों के व्यापक हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार विचार करेगी ।

प्रशासनिक सुधार

वर्तमान सरकार न केवल कार्य, सिद्धान्त, आचरण तथा कार्य प्रणाली में पिछली सरकारों से अलग है, बल्कि मौलिक चिन्तन व दिशा निदेशक सिद्धान्त की दृष्टि से भी हमारी सरकार की अलग पहचान है । इसका स्वरूप है : ''नई सरकार जनता के द्वार'' । हमने प्रशासन तन्त्र की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा

तथा स्वरूप पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया बल्कि उसे नई कार्य संस्कृति के तहत निर्भीकता, निष्पक्षता, न्याय प्रियता, निष्ठा व सहनशीलता से कार्य करने के लिये प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया। हमने उसके बिखरे मनोबल को एकजुट किया। हमने उसे चुस्त दुरुस्त व भ्रष्टाचार मुक्त करने की मुहिम चलाई।

संदिग्ध सत्यनिष्ठा के लगभग 250 कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गई। जहां एक ओर अकुशल कार्मिकों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही अमल में लायी गयी, वहीं कार्मिक प्रबन्ध में सुधार लाने व तदर्थ व्यवस्था समाप्त करने का प्रयास किया गया। छः माह की अल्प अवधि में लगभग 225 सेवा नियमावलियां तैयार करायी गयी। सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति, सेवा विस्तार पर रोक लगायी गयी। नियुक्तियों व पदोन्नतियों में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिये अधियाचन दो वर्ष पूर्व भेजे जाने की व्यवस्था की गयी। कर्मचारियों के दावों के निपटारे के लिये लोक सेवा अधिकरण के संगठनात्मक ढांचे में संशोधन किये गये। सही काम के लिये सही व्यक्ति के सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिये शासन ने तैनातियों को एक नीति के अन्तर्गत करने का संकल्प लिया। कार्मिकों की सामान्य समस्याओं के निवारण के लिये शासन स्तर पर उनके प्रतिनिधियों के साथ आवश्यकतानुसार निरन्तर वार्तालाप के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किये गये हैं। सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा हेतु परिचय-पत्र जारी करने की व्यवस्था की गयी है तथा सेवानिवृत्ति के समय पेंशन आदि के भुगतान में विभिन्न औपचारिकताओं का सरलीकरण किया गया। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिये अनुसूचित जाति व जनजाति संवर्ग के विषय में रोस्टर प्रणाली लागू की गयी है। योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की गणना आरक्षण कोटे में न किये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति की बकाया रिक्तियों को भरने के लिये विशेष चयन अभियान आगे चलाया गया है और यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां पर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों ही स्रोत हैं, वहां किसी एक स्रोत में कमी को दूसरे स्रोत में अतिरिक्त भर्ती करके पूरा किया जायगा। हमने प्रशासन को जनसेवा के तन्त्र के रूप में स्वतंत्रमुक्त, निर्भीक, निष्पक्ष, मित्रभाव से जनता की खुशहाली के लिये कार्य करने के लिए हौसला दिया।

इस हेतु हमने श्रेष्ठ नियोजन, प्रभावी कार्यान्वयन, सतत् अनुश्रवण तथा सामयिक मूल्यांकन की रणनीति भी प्रशासन तन्त्र को दी है। हमारा यह दृढ़ मत है कि सरकार में अत्यधिक केन्द्रित शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो ताकि सरकार की भूमिका नियंता की न होकर दिशा निदेशक मात्र की हो जिससे समाज को व्यक्तिनिष्ठ सूत्रपात क्षमता का भरपूर लाभ मिल सके। समस्या चाहे आतंकवाद की हो, चाहे परिवार कल्याण की अथवा शासकीय सेवायोजन में आरक्षण की इन पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समन्वयवादी, रचनात्मक रवैया अपनाया जाना होगा तभी हम अपने समय, ऊर्जा शक्ति व श्रम का सार्थक उपयोग प्रदेश की जनता के हित में कर सकेंगे। जनता के प्रति उत्तरदायी, समस्याओं के प्रति संवेदनशील निर्णयोन्मुख, स्वच्छ प्रशासन हमारी प्रतिबद्धता है।

आरक्षण नीति

आरक्षण के प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में गत लगभग डेढ़ वर्ष से जनमानस उद्वेलित है। सरकार आरक्षण पर एक ऐसी सर्वांगपूर्ण नीति पर विचार कर रही है जो सर्वस्पर्शी एवं सर्वग्राह्य हो और जो पारस्परिक ममता के आधार पर सामाजिक समता का मार्ग प्रशस्त कर सके। इस संबंध में सरकार द्वारा इसी सत्र में एक ऐसा विधेयक इस सम्मानीय सदन में प्रस्तुत किया जायेगा जिससे समाज में वर्ग विद्वेष तथा वर्ग संघर्ष के बजाय समरसता पूर्ण पारस्परिक समन्वय एवं सभी को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके।

शासकीय तथा अन्य कर्मचारियों को सुविधायें

राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों का सदैव ध्यान रखती है। राज्य विषम अर्थोपाय स्थिति के होते हुए भी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को केन्द्र के समान 1-1-1991 तथा 1-7-1991 से महंगाई भत्ते की किश्तें प्रदान की हैं।

उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 1990-91 के लिये 29 दिनों का तदर्थ बोनस भी स्वीकार किया गया है ।

दिनांक 1 जनवरी, 1986 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों के लिये वेतन-निर्धारण में कुछ और सुविधायें भी प्रदान की गयी है ।

वेतन विसंगति समिति ने जिन विशिष्ट पदों/वेतन-क्रमों पर संस्तुतियां दीं उन्हें भी स्वीकार कर लिया गया है, शेष प्रत्यावेदनों पर समिति को शीघ्र संस्तुति दिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं । संस्तुतियों पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिये जाने हेतु मंत्रि-परिषद् की एक समिति गठित कर दी गयी है ।

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण अग्रिम की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 के बजट में 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

पेंशनरों को सुविधायें

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों का सरकार ने सदैव ध्यान रखा है । सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं/मांगों के त्वरित निस्तारण हेतु "पेंशनर्स सलाहकार समिति" का पुनर्गठन किया गया है । ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु अस्थाई कर्मचारियों के समान नामांकन की सुविधा प्रदान कर दी गयी है । सेवा-निवृत्ति के उपरान्त विवाह करने वाले कर्मचारियों को भी नयी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ प्रदान कर दिया गया है ।

महंगाई राहत में दिनांक 1-1-91 तथा 1-7-91 से भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जा रही महंगाई राहत के समान अधिकतम दर क्रमशः 51 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत कर दी गयी है ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को सुविधायें

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये वर्ष 1992-93 में पेंशन/अनुदान हेतु 111.30 करोड़ रुपये का प्राविधान है । स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों/सेनानियों के स्मारकों/स्तम्भों के निर्माण आदि के लिये 20.00 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है ।

संस्थागत वित्त

इस समय जिन आर्थिक कठिनाइयों से देश और प्रदेश गुजर रहा है, उससे जो समस्यायें और चुनौतियां उत्पन्न हो गयी हैं उनके समाधान हेतु संस्थागत वित्तीय संसाधनों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है । बैंकों का ऋण वितरण कार्य गत वर्ष की कर्जा माफी योजना के फलस्वरूप सामान्य रूप से कुप्रभावित रहा ; इस वर्ष रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की कसी मुद्रा नीति (टाइट मनी पालिसी) के अन्तर्गत ऋण संकुचन (क्रेडिट स्क्वीज) परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से लागू रहा है । भारत सरकार द्वारा नियुक्त नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में भी बैंक ऋण वितरण में मन्दन की स्थिति परिलक्षित हुई । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर्जा माफी योजना आदि से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण ठीक प्रकार से नहीं हो सका । तथापि वर्ष 1991-92 में सितम्बर, 1991 तक 1,004 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त प्रदेश को उपलब्ध कराया गया है । इस धनराशि में कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिये 327 करोड़ रुपये, चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास के लिये 280 करोड़ रुपये, आवास के लिये 24 करोड़ रुपये, परिवहन के लिये 25 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याणार्थ एवं समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिये 12 करोड़ रुपये, खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति के लिये 90 करोड़ रुपये तथा एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिये 98 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है । वर्ष 1992-93 में 4,000 करोड़ रुपये के संस्थागत वित्त उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा चलाई जा रही स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत अक्टूबर, 1991 तक 13,537 लाभार्थियों को 18.84 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई । नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत नगरीय आश्रय सुधार योजना में नगरपालिकाओं/सिटी बोर्डों को हडको के माध्यम से 25.04 करोड रुपये की धनराशि स्वीकृति कराई गयी । राज्य सरकार की निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के 81,083 आवासों के निर्माण के लिये एक योजना बनाई गई है । निर्माण कार्य हेतु 25.95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में अक्टूबर, 1991 तक बैंकों द्वारा 2.24 लाख परिवारों को 143.39 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया ।

भारतीय जीवन बीमा निगम एवं भारतीय साधारण बीमा निगम के माध्यम से अब तक 16 सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनायें क्रियान्वित की जा चुकी हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनायें अभी विचाराधीन हैं, जिन्हें शीघ्र ही लागू किये जाने की आशा है ।

वित्तीय प्रबन्ध

पूर्व में मैं अवगत करा चुका हूं कि हमारी नई सरकार को कठिन वित्तीय स्थिति विरासत में मिली थी । वर्ष 1991-92 का प्रारम्भ 289.36 करोड़ रुपये के घाटे से हुआ है । वर्ष 1991-92 के दौरान वार्षिक योजना के वित्त पोषण हेतु जो बचनबद्धतायें केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा दी गयी थीं, उनकी आंशिक पूर्ति ही सम्भव प्रतीत होती है ऐसी स्थिति में वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत आयोजनागत परिव्यय एवं उसके वित्त पोषण की स्थिति जटिल बन गयी है । इसके बावजूद इसके अधिकाधिक वित्त पोषण हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

प्रदेश की वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना का पूर्णरूप से वित्त पोषण करने के लिये हम दृढ़ संकल्प हैं । प्रदेश के वर्तमान आय स्रोतों से अधिक से अधिक आय अर्जित करने के लिये कर प्रशासन को अधिक चुस्त एवं कार्यशील किया जायेगा । इसके साथ ही राजकीय देय बकायों की वसूली का एक व्यापक अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है ताकि इन बकायों की प्रभावी वसूली की जा सके और वार्षिक योजना के वित्त पोषण हेतु अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकें । राज्य सरकार राजकीय व्यय में मितव्ययिता करने एवं सादगी का वातावरण सृजित करने के लिये हर सम्भव प्रयास करेगी । हमने पहले ही अनुत्पादक व्ययों में कमी करने तथा आडम्बरों से जुड़े व्ययों को रोकने के लिये व्यापक निर्देश दिये हैं । जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, राज्य सरकार द्वारा एक-एक सदस्यीय व्यय बचत आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है । यह आयोग मितव्ययिता को प्रोत्साहित करने एवं गैर-विकास कार्यक्रमों पर बढ़ते हुए व्यय को कम करने के उपायों के संबंध में विचार कर राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देगा । सादगी एवं मितव्ययिता के वातावरण को विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में समान रूप से लागू किया जायेगा । इस प्रकार विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण हेतु अधिकाधिक संसाधन जुटाने का हर सम्भव प्रयास करेंगे ।

आय-व्ययक अनुमान 1992-93

अब मैं वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा । प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 14,463.39 करोड़ रुपये है । राजस्व प्राप्तियों की 10,045.97 करोड़ रुपये की राशि में 2,934.41 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों

में राज्य सरकार का अंश, 2,170.96 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्त अनुदान 3,665.07 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 1,275.53 करोड़ रुपये का करेत्तर राजस्व सम्मिलित है। पूंजी लेखे की 4,417.42 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 4,337.98 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 79.44 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 11,402.68 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 2,154.07 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिये तथा 9,248.61 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये हैं। पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 3,822.60 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 5,766.62 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 2055.98 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिये है। इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत लेखे में कुल 15,225.28 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसके कारण समेकित निधि के अन्तर्गत 761.89 करोड़ रुपये का घाटा सम्भावित है।

लोक लेखे के अन्तर्गत 868.05 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देन के परिणामस्वरूप 106.16 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। किन्तु वर्ष के (–) 351.41 करोड़ रुपये के अनुमानित प्रारम्भिक शेष को हिसाब में लेकर वर्ष का अन्तिम शेष (–) 245.25 करोड़ रुपये अनुमानित है।

इस कमी को पूरा करने के उपायों की जानकारी मैं माननीय सदस्यों को वित्तीय प्रबन्ध से अवगत कराते समय दे चुका हूं।

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त कृतज्ञ हूं कि उन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक मुझे सुनकर अनुगृहीत किया। हमारी सरकार नारों तथा घोषणाओं की सरकार से भिन्न है। हम नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विश्वास करते हैं। इस आय-व्ययक के माध्यम से प्रस्तुत हमारी नीतियों और हमारे जनोन्मुख विकास कार्यक्रमों में यही दर्शन, यही सोच परिलक्षित होता है। यह हमारे लिए नारे नहीं बल्कि संकल्प है, घोषणायें नहीं बल्कि जीवन श्रद्धा के आयाम हैं। हम अपने सुख की आकांक्षा से सत्तारूढ़ नहीं हुए हैं, बल्कि एक सदाशयी ट्रस्टी के रूप में सत्ता को जनसेवा के उपकरण के रूप में प्रयोग करने का संकल्प लेकर सरकार में आये हैं। हमारी सरकार का उत्प्रेरक आदर्श है:–

न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गम् न पुनर्भवम्।
कामये दुःख तप्तानां, प्राणिनामार्ति नाशनम्।

दुःख से सन्तृप्त जन-जन में व्याप्त दरिद्रनारायण की हर पीर को, हर कष्ट को दूर करने के लिए हम तत्पर हैं। दरिद्रनारायण की सेवा ही हमारा कार्यक्रम है।

हम अपना लक्ष्य पं० दीन दयाल उपाध्याय के शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं:–

> "ग्रामों में जहां समय अचल खड़ा है, जहां माता और पिता अपने बच्चों के भविष्य को बनाने में असमर्थ हैं, जब तक हम उनमें आशा और पुरुषार्थ का सन्देश नहीं पहुंचा पायेंगे, तब तक हम राष्ट्र के चैतन्य को जागृत नहीं कर सकेंगे। हमारी श्रद्धा का केन्द्र, आराध्य और उपास्य, हमारे पराक्रम और प्रयत्न का उपकरण तथा उपलब्धियों का मापदण्ड वह मानव होगा, जो आज शब्दशः अनिकेत और अपरिग्रही है।"

हिमालय के आंगन और भारत के हृदय उत्तर प्रदेश में सामंजस्यपूर्ण, समत्तावादी एवं ममतामय समाज व्यवस्था, सकारात्मक एवं गतिशील सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रवाद ओर एकात्म अर्थनीति को कार्यरूप देकर हम एकात्म मानवतावाद तथा "यत्र विश्वंभवत्येकनीड्म्" की परिकल्पना को साकार करेंगे।

उत्तर प्रदेश का बहुमुखी विकास एक प्राथमिक, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, यह छुद्र निहित स्वार्थों तथा दलगत राजनीति से परे है। आइये। हम सभी इस पुनीत कार्य में संकीर्ण राजनीतिक भेदभाव से ऊपर उठें तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर प्रदेश के सम्यक् विकास में सहभागी बनें। "चरैवेति, चरैवेति" के मूल मंत्र को इस हेतु कार्यरूप देकर हमें जन-जन के प्रति अपनी सार्थकता दिखानी है। हम इस महान् कार्य में आप सभी के कृपापूर्ण सहयोग, सहायता तथा प्रतिभागिता की कामना करते हैं।

सङ्गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानानामुपासते ॥

(हे मनुष्यो। तुम लोग साथ-साथ चलो, एक-दूसरे के अनुकूल व्यवहार करो, तुम लोग के मन एक रूप हो जायं, जिस प्रकार पुरातन देवगण एक मत होकर हविर्भाग ग्रहण करते थे, उसी प्रकार तुम लोग भी एक मत होकर अपना भाग स्वीकार करो।)

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी श्री कल्याण सिंह जी का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मुझे बहुमूल्य मार्ग-दर्शन प्रदान किया।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों का मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग और परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं प्रमुख सचिव, वित्त—श्री भोला नाथ तिवारी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जो अपने गुरुतर कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी योग्यता एवं दक्षता के साथ कर रहे हैं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मुझे बहुमूल्य सहायता दी है। सचिव, वित्त (वित्त आयोग) श्री इन्दु कुमार पाण्डे, संयुक्त सचिव, वित्त श्री प्रेम प्रकाश बैरिया, बजट अधिकारी श्री उमेश प्रसाद श्रीवास्तव तथा वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने के काम में जो सहयोग दिया है उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया है। प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, अन्त में मैं इस विशाल प्रदेश में जन-जन के सम्पूर्ण विकास, सम्पूर्ण सुख एवं सम्पूर्ण प्रगति की परिकल्पना को साकार करने हेतु "सर्वे भवन्तु सुखिनः" की मंगल कामना से स्फूर्त वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक को उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा में प्रस्तुत करता हूं।

भारत माता की जय।

(मेजों की थपथपाहट)

वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 11

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रतियां मा० सदस्यों को वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री प्रमोद तिवारी—

आपका यह पहला और अन्तिम बजट है यह आप जान लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप चिन्ता न करें। बिल्ली के भाग्य से छींका नहीं टूटेगा।

मान्यवर, आपकी अनुमति से लेखानुदान संबंध प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1992-93 के माह अप्रैल तथा मई, 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 12 मार्च, 1992 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 21,26,13,07,000 रुपये से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव की प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रस्ताव की प्रतियां वितरित की गयीं)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1992-93 के माह अप्रैल तथा मई, 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान का विवरण, जो 12 मार्च, 1992 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 21 अरब, 26 करोड़, 13 लाख, 07 हजार रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 व खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992

1 अप्रैल, 1992 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1992 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1992-93 के लिये 28,10,43,83,000 रुपये का दिया जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1992 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 28,10,43,83,000 रुपये (केवल अट्ठाइस अरब, दस करोड़, तैंतालीस लाख, तिरासी हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	आबकारी विभाग ..	राजस्व	1,45,79	2	1,45,81
		पूंजी	..	..	..
2	आवास विभाग ..	राजस्व	4,50,16	2,12,83	6,62,99
		पूंजी	10,03,33	1,19,17	11,22,50

1	2		3		
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	14,45	..	14,45
		पूंजी	9,31	..	9,31
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	61,16	2	61,18
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	4,69,08	4	4,69,12
		पूंजी	1,69,39	..	1,69,39
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	5,85,75	1,58	5,87,33
		पूंजी	11,14	1,32	12,46
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	88,81	13,08	1,01,89
		पूंजी	8,55,00	72,07	9,27,07
8	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	4,72,25	..	4,72,25
		पूंजी	79,67	..	79,67
9	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	33,89	..	33,89
		पूंजी	1,27,63,67	..	1,27,63,67
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	4,59,52	2,08	4,61,60
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	1,01,47	..	1,01,47
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	37,50,83	52	37,51,35
		पूंजी	12,26,04	8	12,26,12
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	6,52,91	..	6,52,91
	(क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	..	..	..
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1,58,49,93	8	1,58,50,01
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	2,63,58	..	2,63,58
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	13,61,15	3	13,61,18
	(पंचायती राज)	पूंजी	12,64	..	12,64
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	11,35,20	2	11,35,22
		पूंजी	31,87	..	31,87
16	कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (दुग्धशाला	राजस्व	1,42,49	10	1,42,59
	विकास)	पूंजी	1,45,50	1,00	1,46,50
17	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	1,74,11	1	1,74,12
		पूंजी	62	..	62
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	3,51,01	3,28,60	6,79,61
		पूंजी	21,93,18	10,10,66	32,03,84

अविभाजित मुद्रण

1	2			3	
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	27,06	..	27,06
		पूंजी	..	..	..
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	12,64	46,87	59,51
		पूंजी	..	..	..
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	5,13,18	94,60	6,07,78
		पूंजी	1,81,96,79	10,83,42	1,92,80,21
22	खेल विभाग	राजस्व	97,76	..	97,76
		पूंजी	1	..	1
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	3,36,26	2	3,36,28
		पूंजी	..	..	..
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	5,73,84	2,42,67	8,16,51
		पूंजी	21,83,33	30,53	22,13,86
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	5,54,86	1	5,54,87
		पूंजी	1,33,33	..	1,33,33
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	1,24,75,36	10,76	1,24,86,12
		पूंजी	1,44,02	11,70	1,55,72
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	6,35,22	..	6,35,22
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	3,38,93	..	3,38,93
		पूंजी	..	..	..
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	15,29	15,29
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	9,94	..	9,94
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	12,91,86	4	12,91,90
		पूंजी	21,49	..	21,49
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	38,71,34	17	38,71,51
		पूंजी	5,42,74	..	5,42,74
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	6,73,63	1	6,73,64
		पूंजी	32,82	..	32,82
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	1,98,80	..	1,98,80
		पूंजी	1,24	..	1,24
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	12,51,01	7	12,51,08
		पूंजी	66,67	..	66,67
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	17,67,52	8	17,67,60
		पूंजी	67,43	..	67,43

1	2			3	
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	67,39,42	..	67,39,42
		पूंजी	20,83	..	20,83
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	59,45	..	59,45
		पूंजी	..	..	..
39	नियुक्ति विभाग	राजस्व	10,91	..	10,91
		पूंजी	..	..	..
40	नियोजन विभाग	राजस्व	10,46,18	..	10,46,18
		पूंजी	8,33,33	..	8,33,33
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	46,67	..	46,67
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	11,68,93	1,91,20	13,60,13
		पूंजी	51,67	..	51,67
43	परिवहन विभाग	राजस्व	1,69,68	2	1,69,70
		पूंजी	1,67	..	1,67
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	46,19	..	46,19
		पूंजी	2,07	..	2,07
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	16,35	..	16,35
		पूंजी	..	..	..
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	8,18	..	8,18
		पूंजी	..	..	..
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	10,00,22	20,84	10,21,06
		पूंजी	3,62,00	..	3,62,00
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	11,19	46	11,65
		पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	7,64,45	..	7,64,45
		पूंजी	3,33	..	3,33
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	9,53,65	6	9,53,71
		पूंजी	1,61,67	..	1,61,67
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	7,51,80	1,501,13	22,52,93
		पूंजी	23,71	3,99	27,70
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	32,54,50	26,21	32,80,71
		पूंजी	7,96	33,59	41,55
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	14,19	..	14,19
		पूंजी	17	..	17
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	22,41,72	69	22,42,41
		पूंजी	..	..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	1,90,02	1,50	1,91,52
		पूंजी	2,73,45	17	2,73,62

1	2			3	
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	1,34,64	4,28	1,38,92
		पूंजी	1,16,36	8	1,16,44
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	3	3
		पूंजी	1,06,31	54	1,06,85
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	25,87,19	2	25,87,21
		पूंजी	42,77,95	8	42,78,03
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति	राजस्व	2,07	..	2,07
	निदेशालय)	पूंजी	..	..	..
60	वन विभाग	राजस्व	16,14,26	3	16,14,29
		पूंजी	33,39	..	33,39
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	83,37,61	3,40,97,24	4,24,34,85
		पूंजी	15,34,17	2,59,11,04	2,74,45,21
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	राजस्व	38,95,86	2,56	38,98,42
		पूंजी	..	..	..
63	वित्त विभाग (कोषगार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	3,32,91	..	3,32,91
		पूंजी	..	..	..
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	83,33,33	..	83,33,33
		पूंजी	..	..	..
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत	राजस्व	3,87,27	1	3,87,28
	आदि)	पूंजी	..	..	..
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	3,95	6,40,23	6,44,18
		पूंजी	..	..	..
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	47,20	1,45	48,65
		पूंजी	..	..	..
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	1,36,84	1,92	1,38,76
		पूंजी	..	..	..
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	..	..	..
	(विधान मण्डल)	पूंजी	84,17	..	84,17
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,57,14	..	1,57,14
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2			3	
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	1,80,67,38	15,00,00	1,95,67,38
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	1,20,67,27	11,66,76	1,32,34,03
		पूंजी	14,03	..	14,03
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	30,73,21	14,17	30,87,38
		पूंजी	1,04,49	..	1,04,49
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	3,12,90	..	3,12,90
		पूंजी	..	..	..
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान	राजस्व	1,28,99	..	1,28,99
	एवं प्रशिक्षण परिषद्)	पूंजी	..	..	..
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	13,78,48	1	13,78,49
		पूंजी	..	..	..
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	6,09,82	3	6,09,85
		पूंजी	9,44	..	9,44
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	681,31	1	6,81,32
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	8,13,47	1	8,13,48
	(समाज कल्याण)	पूंजी	..	..	..
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों	राजस्व	25,44,17	1	25,44,18
	एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	पूंजी	1	..	1
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	65,18	1	65,19
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी	..	..	..
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	71,66	3,82	75,48
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	2,68	1	2,69
		पूंजी	4	1	5
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	5,22	1	5,23
		पूंजी	..	..	..
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व.	5,99	..	5,99

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

1	2			3	
		पूंजी	..	..	..
86	सूचना विभाग	राजस्व	1,91,95	..	1,91,95
		पूंजी	..	..	..
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	62,93	1	62,94
		पूंजी	..	..	..
88	संस्थागत वित्त विभागं (निदेशालय)	राजस्व	7,35	1	7,36
		पूंजी	5,00	..	5,00
89	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	8,70,35	19	8,70,54
		पूंजी	28,35	..	28,35
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा	राजस्व	30,36	..	30,36
	बाजीकर)	पूंजी	..	..	..
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	1,57,27	1	1,57,28
		पूंजी	..	..	..
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	90,99	1	91,00
		पूंजी	5,00	..	5,00
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	25,99,56	17	25,99,73
		पूंजी	22,23,78	..	22,23,78
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	1,12,65,43	1	1,12,65,44
		पूंजी	68,64,92	17	68,65,09
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व	31,13,44	3,27	31,16,71
		पूंजी	16,98,49	3,13	17,01,62
	योग :	राजस्व	15,35,09,03	4,01,48,01	19,36,57,04
		पूंजी	5,91,04,04	2,82,82,75	8,73,86,79
	कुल योग :		21,26,13,07	6,84,30,76	28,10,43,83

उत्तराखण्ड विधानसभा

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दर्शक दीर्घा से नारे लगाने वाले व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिये जाने की सूचना तथा उनकी रिहाई का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 17 लेने से पूर्व मैं माननीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। मार्शल विधान सभा से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 12 मार्च, 1992 को लगभग 2.37 मिनट पर माननीय उपाध्यक्ष ने आसन ग्रहण करने के तुरन्त बाद विधान सभा की दर्शक दीर्घा-4 में बैठे हुये कतिपय दर्शक, जिनकी संख्या कुल आठ है, उपने स्थान पर खड़े हो गये और कुछ नारे लगाये। दीर्घा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया और नारे लगाने से रोका तथा दीर्घा से बाहर ले आये । इन व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताये गये विवरण, उनसे प्राप्त प्रवेश-पत्र तथा माननीय सदस्य, जिनकी संस्तुति पर उक्त प्रवेश-पत्र जारी किये गये हैं, निम्नवत् हैं, श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री सियाराम, ग्राम सिकन्दरपुर, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ, प्रवेश-पत्र संख्या-7758, दूसरा श्री बजरंगी पुत्र श्री बांके सिंह, ग्राम उचाही, जनपद मऊ, प्रवेश-पत्र संख्या-7756, तीसरा श्री सतीश कुमार पुत्र श्री पुत्ती लाल, ग्राम सिकन्दरपुर, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ, प्रवेश-पत्र संख्या-7755, चौथा श्री राम विलास पुत्र श्री कालीचरण, ग्राम-सिकन्दपुर, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ, प्रवेश-पत्र संख्या-7759, पांचवां श्री हरीराम पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी माड़ा मऊ, थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ, प्रवेश-पत्र संख्या-7757, उपर्युक्त सभी प्रवेश-पत्र श्री गोमती यादव, सदस्य विधान सभा महोना, लखनऊ की संस्तुति पर जारी किये गये हैं ।

श्री विजय पाल सिंह-

मान्यवर, नारे क्या लगा रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

श्री कौशलेन्द्र सिंह, पुत्र श्री रामाधीन सिंह, निवासी-एम0डी0एस0 64 एल0डी0 ए0 कालोनी, जी सेक्टर, कृष्णानगर, लखनऊ । प्रवेश-पत्र संख्या-7754, जो माननीय सदस्य श्री हरदेव सिंह, जनपद बाराबंकी की संस्तुति पर जारी किया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र श्री फूल सिंह, निवासी 48, चन्द्र शेखर आजाद छात्रावास लखनऊ प्रवेश-पत्र संख्या-7740, श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री कप्तान सिंह, निवासी, सी-2, दारुलशफा, ए-ब्लाक, लखनऊ, प्रवेश-पत्र संख्या-7739 ।

अन्तिम दोनो व्यक्तियों के प्रवेश-पत्र माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश जनपद गोरखपुर की संस्तुति पर जारी किये गये हैं परन्तु श्री अवधेश कुमार के लिये की गई संस्तुति में दर्शक का नाम अवधेश कुमार, पिता का नाम श्री नरेन्द्र सिंह, एल0बी0 हास्टल, लखनऊ विश्वविद्यालय है और इस प्रकार प्रवेश-पत्र की संस्तुति में उल्लिखित पता एवं संबंधित व्यक्ति द्वारा बताये गये पते में अन्तर है।

इनके पास से प्राप्त उपर्युक्त प्रवेश पत्र संबंधित माननीय सदस्यगण श्री गोमती यादव (लखनऊ) श्री हरदेव सिंह (बाराबंकी) तथा श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर) द्वारा जारी किये जाने के संबंध में की गई संस्तुति मूलरूप में इस टिप्पणी के साथ संलग्न है। इन व्यक्तियों द्वारा नारे लगाने के इस आचरण से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। उक्त 8 व्यक्ति सम्प्रति सुरक्षा कर्मियों की हिरासत में लिये जाने के बाद से ही मार्शल की अभिरक्षा में हैं ।

उपर्युक्त सर्वश्री अवधेश कुमार, बजरंगी सिंह, सतीश कुमार, राम बिलास, हरीराम, शैलेन्द्र कुमार सिंह, कौशलेन्द्र सिंह, तथा श्री अवधेश कुमार ने दर्शक दीर्घा में नारे लगाकर अपने आचरण से सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का प्रयास किया है । यद्यपि इनका यह कार्य सदन की अवमानना का आधार बनता है तथापि ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व देना उचित नहीं होगा। यह सभी आठ व्यक्ति इस समय मार्शल की अभिरक्षा में है, अतः यदि सदन सहमत हो तो आज के उपवेशन की समाप्ति तक इनको मार्शल की अभिरक्षा में रखा जाये एवं तदुपरान्त रिहा कर दिया जाये ।

श्री विजय सिंह राणा-
मान्यवर, उन्होंने नारे क्या लगाये थे ?

श्री अध्यक्ष-
मेरे पास सूचना है कि कुछ नारे लगाये गये ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-
उपवेशन की समाप्ति के बाद उनको रिहा कर दिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-
उपवेशन के बाद मान्यवर, उन लोगों को रिहा कर दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-
ठीक है।

वित्त मंत्री द्वारा दूरदर्शन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग पर आभार प्रकट

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)- मान्यवर, दूरदर्शन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मैं अभारी हूं, जो वह लोग यहां आये और उन्होंने इस कार्यक्रम को फिल्माया

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 12 मार्च, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री मारकण्डेय चन्द्र, जिनकी सूचना प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं दूसरी सूचना श्री बलराम यादव जी की है, जिनकी सूचना जनपद आजमगढ़ में परगना अतरौलिया के अन्तर्गत मोहनारपुर अदालत पंचायत की 6 ग्राम सभाओं में दोहरी शासन व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की है। शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं।

(अब हम उठते हैं और 23 तारीख को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।)

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 2 मिनट पर सोमवार दिनांक 23 मार्च, 1992 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
12 मार्च, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

समिति की संस्तुतियां

(1) निर्माण निगम की सेवा नियमावली विधिवत् निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत है तथा इसका अनुसरण होना चाहिये ।

(2) जहां कही भी कोई विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो वहां प्रबन्ध निदेशक/निदेशक मण्डल से ऐसी स्थिति को स्पष्ट कराया जा सकता है।

(3) सभी संवर्गों अर्थात् सिविल, विद्युत, मेकेनिकल, स्ट्रक्चरल आदि प्रोन्नति उस संवर्ग के कार्य की आवश्यकता को देख कर ही अलग अलग की जानी चाहिये (सेवा नियमावली के नियम संख्या-17 में प्रोन्नति के लिये स्पष्ट लिखा है कि वर्ष में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों का आंकलन किया जायेगा। यदि इस प्रकार प्रोन्नति की जाये तो वर्षभर में प्रोन्नति के मामले न चलते रहें और प्रबन्ध तंत्र को क्रियेटिव कार्य करने का पूरा मौका मिले)

(4) प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी ने जो सेवा काल उस पद पर निर्माण निगम में किया है उसको अर्हता का आधार माना जाये ।

(5) जो लोग सेवा स्थानान्तरण से आये हैं, उनको विश्वविद्यालय में की गई सेवा का लाभ दिया जाना चाहिये था क्योंकि वे अनुबन्ध के अन्तर्गत आये थे उनको दिये गये कार्यालय आदेश से यह स्थिति स्पष्ट है ।

समिति का सुझाव है कि उपरोक्त नियमानुसार पात्रता सूची हर संवर्ग जैसे- सिविल, विद्युत, मेकेनिकल, स्ट्रक्चरल, की अलग अलग बना ली जाये ।

समिति यहां यह भी इंगित करना चाहती है कि-

(1) सिविलियन के मामले शीघ्रातिशीघ्र निपटाये जायें जिसके कारण यह विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं ।

(2) प्रोन्नतियां वार्षिक, जून अथवा दिसम्बर में (एक बार) की जाये।

(3) प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती का कोटा पूरा रखा जाय जैसा कि बोर्ड नोट संख्या-11 दिनांक 27-4-83 द्वारा अनुमोदित है ।

(4) बोर्ड रिजील्यूशन-बोर्ड मीटिंग-43 से परिलक्षित है कि उप अभियन्ता से सहायक स्थानिक अभियन्ता की प्रोन्नति के लिये ए0एम0आई0ई0 की डिग्री आवश्यक है । इस रिजील्यूशन का कोई संशोधन उपलब्ध नहीं, यदि यह संशोधित नहीं हुआ तो प्रोन्नति ही नहीं हो सकती ।

(5) सेतु निगम में भी पद विशेष पर योगदान की तिथि को ही आधार (बेस) माना है । केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने भी पद विशेष पर योगदान की तिथि पर ही बल दिया है ।

समिति यह भी संस्तुति करती है कि वर्तमान नियमावली से संबंधित सभी आदेशों सर्कुलर्स एवं निदेशक मण्डल के रिजील्यूशन को एक बार पुनः संकलित कराकर रिव्यू करा लिया जाये क्योंकि समिति के समक्ष जो अभिलेख प्रस्तुत किये गये उनसे ऐसा परिलक्षित होता है कि कुछ आदेशों का पालन नहीं हुआ । यह भी सम्भव है कि ये आदेश तदोपरान्त संशोधित कर दिये गये हों ।

बोर्ड रिजील्यूशन में सेवा नियमावली में संशोधन करने तथा जब तक संशोधन करने तथा जब संशोधन न हो जाये, प्रोन्नति न करने के आदेश थे परन्तु इनका अनुपालन नहीं हुआ है न कोई संशोधन/आदेश प्रस्तुत किया गया जिससे विषय पर पुनर्विचार किया जाये ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ सख्या 32-33 पर)

संलग्नक

जनपद बांदा की तहसील कर्वी के अग्निकाण्ड से पीड़ित सहायता के पात्र व्यक्तियों में नियमानुसार वितरित सहायता व वितरण का दिनांक संबंधी विवरण

क्र0स0	व्यक्ति का नाम/ पिता का नाम	दी गई सहायता का विवरण			
		सहेतुक सहायता	वितरण दिनाक	गृह अनुदान	वितरण दिनांक
1	विट्टी पुत्री शिवानन्द	100.00	5-1-94	250 00	2-3-91
2	छोटेलाल पुत्र बिन्दा	150.00	20-7-91	250.00	20-7-91
3	सहदेइया बेवा भुरवा	200 00	21-12-90	250 00	2-3-91
4	हनुमान पुत्र नन्दलाल	200.00	23-8-91	250 00	23-8-91
5	राम सेवक पुत्र गजराज	-	-	250.00	23-8-91
6	मुन्ना पुत्र मेंडवा	-	-	250 00	29-6-91
7	मदन कुमार सिंह	400.00	9-1-91	-	-
8	बुधुवा पुत्र ननकू	400.00	5-1-91	250.00	2-3-91
9	रामपाल पुत्र बचोली	200.00	15-5-91	-	-
10	कोदौवा पुत्र शिवमंगल	-	-	250.00	6-5-91
11	महेश पुत्र रहमान	200.00	3-6-91	250.00	6-5-91
12	रसीद पुत्र रहमान	200.00	3-6-91	250.00	6-5-91
13	गोमिनिया बेवा नत्थू सिंह	200.00	3-6-91	250.00	6-5-91
14	कल्लीवा पुत्र जगुवा	200.00	8-7-91	250.00	8-7-91
15	कोदूराम पुत्र जगमोहन	200.00	4-9-91	250.00	4-9-91
16	चन्द्रपाल पुत्र राम औतार	200.00	28-1-91	250.00	28-1-91
17	कुबेर पुत्र चन्द्रपाल	200.00	28-1-91	250.00	28-1-91
18	बृजमोहन पुत्र ननकू	200.00	19-7-91	250.00	19-7-91
19	भागवत पुत्र शिवपाल	200.00	31-8-91	-	-
20	भुरवा पुत्र बच्चू	-	-	250.00	6-7-91
21	बल्देव पुत्र दुकना	200.00	13-5-91	250:00	13-5-91
22	गोलिया पुत्र बिन्दा	200.00	27-5-91	250.00	27-5-91
23	शिवभजन पुत्र राम सजीवन	200.00	26-4-91	1000.00	26-4-91
24	शिवशरन पुत्र रामसजीवन	200.00	26-4-91	1000.00	26-4-91
25	बेलपतिया बेवा राम सजीवन	200.00	26-4-91	1000.00	26-4-91
26	सूरजपाल पुत्र शिव नन्दन	200.00	26-4-91	250.00	26-4-91
27	नत्थू पुत्र गिल्ला	200.00	26-4-91	250.00	26-4-91
28	शिवशम्भू पुत्र गिल्ला	100.00	26-4-91	-	-

1	2	3	4	5	6
29	भजनिया पुत्र बोधन	150 00	10-6-91	-	-
30	सुरजा पुत्र गोपी	100.00	10-6-91	-	-
31	बसन्त लाल पुत्र सुखौवा	200.00	26-6-91	250.00	26-6-91
32	अशोक कुमार पुत्र उदित नारायण	500 00	6-7-91	-	-
33	मैका पुत्र बुधुवा	200.00	6-5-91	250.00	6-5-91
34	मोहन पुत्र मैका	200.00	6-5-91	250.00	6-5-91
35	हीलालाल पुत्र छोटकू	200.00	19-7-91	250.00	19-7-91
36	बच्चा पुत्र हनुमान	200.00	19-7-91	250.00	19-7-91
37	रामकुमार पुत्र कोदउवा	200.00	29-6-91	250.00	29-6-91
38	सरजो पुत्र शिवमंगल	-	-	250.00	21-12-91
39	सुगनवा पुत्र मोतीलाल	-	-	250.00	21-7-91
40	गोमती देवी बेवा नरायनदान	300.00	3-8-91	250.00	3-8-91
41	मुजुवा पुत्र रज्जू	200.00	6-8-91	200.00	6-8-91
42	गोलीवा पुत्र मुनुवा	200.00	6-8-91	200.00	6-8-91
	योग-	7600.00		10,900.00	

सत्यमेव जयते

नत्थी "ग"

(देखिये अता0प्र0सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

विशम्भर प्रसाद निषाद
विधायक ।

नं0-200726

पत्रांक-34
क्योटरा शहर, बांदा

सेवा में,

जिलाधिकारी, बांदा ।

कृपया संलग्न प्रार्थना-पत्र का अवलोकन करें मेरे दिनांक 8-12-91 से 12-12-91 के भ्रमण के दौरान राशन सम्बन्धी लगभग प्रत्येक गांव से शिकायत प्राप्त हुई है कि कोटेदारों को रमेश चन्द्र मिश्र, परगनाधिकारी, बांदा द्वारा प्रति कोटेदार से प्रत्येक माह के राशन के आवंटन में प्रति बोरा चीनी में 20 रुपये तथा गेहूं में 10 रुपये का खुलेआम कमीशन लिया जाता है और कहा जाता है कि भले ही ब्लैक में बेचें परन्तु बिना कमीशन दिये आवंटन नहीं दिया जायेगा । इससे प्रत्येक कोटेदार राशन के सामान को खुले आम ब्लैक में बेच रहा है और जनता को कोई भी सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । जहां एक ओर सूखे की स्थिति के कारण गरीब जनता भुखमरी की स्थिति में है वहीं राशन का सामान उपलब्ध न होने से और भी अधिक बदहाली की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

ग्राम साडी लामा अछरौड व गोयरा मुगला के प्रार्थना-पत्र संलग्न करके प्रेषित किये जा रहे हैं । इन कोटेदारों की दुकान निरस्त करके अन्य को दिया जाना आवश्यक हो गया है । ग्राम खपरिया कला, नया डेरा, अमार, आलमखो, जखौरा, नरौद व चांटन लोक आदि गांव से शिकायत मिली है उन्हें चार महीने में एक बार चीनी मिलती है तथा गेहूं फिर भी नहीं मिलता क्योंकि परगनाधिकारी प्रत्येक कोटेदार से रिश्वत की धनराशि की मांग करते हैं तथा जो भी कोटेदार ऐसा करने से इन्कार करता है उसे आवंटन नहीं दिया जाता है । जब कोटेदार परगनाधिकारी के स्टेनो को तथाकथित धन उपलब्ध करा देता है तभी राशन उठाने हेतु एम0आई0 को निर्देशित करते हैं ।

मैं चाहता हूं तत्काल प्रभाव से परगनाधिकारी से आवंटन देने का अधिकार छीनकर किसी अन्य ईमानदार सक्षम अधिकारी को राशन का सामान रिलीज करने का अधिकार दिया जाय ।

भवदीय,

ह0/- विशम्भर प्रसाद निषाद,
14-12-91

नत्थी 'घ'

देखिये अता0 प्र0 सं0 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 43-44 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 4थे गुरुवार के लिये निर्धारित श्री श्रीराम के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 का संलग्नक

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम व पता	वर्तमान पद
1	श्री मलखान सिंह पुत्र हल्के निवासी दौलतपुरा उरई (अनु0 जाति)	साहूकार लिपिक, कलेक्ट्रट, उरई।
2	श्री प्रेम नरायन भाष्कर पुत्र पुनू निवासी रामहेतपुरा तहसील जालौन (अनु0 जाति)।	सहा0वा0वा0न0 तहसील कालपी, जिला जलौन।
3	श्री ज्ञान सिंह पुत्र रामाधार (विकलांग-पिछड़ी जाति) द्वारा राजाभइया निरंजन 613 नया रामनगर, उरई।	वन बन्दोस्त लिपिक, कलेक्ट्रेट, उरई।
4	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामशरण श्रीवास्तव, 277 पटेल नगर, उरई।	सहायक वासिल वाकी नवीस, तहसील-कालपी।
5	श्री वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र मथुरा प्रसाद द्विवेदी, टंकी के पीछे पटेल नगर उरई।	टंकक लिपिक, तहसील, जालौन।
6	श्री राजेश कुमार द्विवेदी पुत्र शिव कुमार द्विवेदी निवासी पटेल नगर, उरई।	सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील कालपी।
7	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी पुत्र श्री बाबू राम द्विवेदी निवासी-गढ़ेरना तहसील कोंच, जिला जालौन।	सहायक वासिल बाकी नवीस, तहसील जालौन।
8	श्री चन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह (पिछड़ी जाति) निवासी घगवाकला, तहसील उरई, जिला जालौन। (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित।)	मृत्यु हो गई।
9	श्री लक्ष्मी नरायन पुत्र श्री देवजू (अनु0 जाति) निवासी मु0 मालवीय नगर, कोंच (चतुर्थ श्रेणी से प्रोन्नति द्वारा)।	मुहर्रिर जुडीशियल तहसील कोंच।
10	श्री वीर कुमार मिश्रा पुत्र श्री अंजनी कुमार मिश्रा, राजेन्द्र नगर, उरई।	अहलमद फौजदारी, परगना मजिस्ट्रेट उरई।
11	श्री आसिफ जीलानी पुत्र नसीउल्लाह वेग निवासी कबीर नगर, उरई (अल्पसंख्यक)	प्रतिलिपिकार, राजस्व अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट, उरई।
12	श्री कालू राम प्रजापति पुत्र श्री छेदालाल (पिछड़ी जाति) निवासी इटौरागुरु तहसील कालपी, जिला जालौन।	तदैव

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 62-63 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के चौथे गुरूवार के लिए निर्धारित श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 76 की सूचना

क्र० सं०	भवन संख्या	मकान मालिक का नाम	मासिक किराये की धनराशि	भवन किराये पर लेने की तिथि	टिप्पणी
1	ए–599, इन्दिरा नगर, लखनऊ	श्री एम० एम० मजूमदार	रु० 2384–00	जनवरी, 1982	–
2	ए–591, इन्दिरा नगर, लखनऊ	श्री पी० एस० मित्तल	रु० 2384–00	मार्च, 1982	–
3	ए–421, इन्दिरा नगर, लखनऊ	श्री डी० डी० जोशी	रु० 3576–00	नवम्बर, 1981	–
4	ए–717, इन्दिरा नगर, लखनऊ	श्री आर० बी० भाष्कर	रु० 5430–00	जनवरी, 1984	–
5	सी–639, इन्दिरा नगर, लखनऊ	श्री देश दीपक वर्मा	रु० 2379–00	अप्रैल, 1985	–
6	सी–635, इन्दिरा नगर, लखनऊ	श्रीमती शिवकामा सुन्दरी	रु० 3161–15	अप्रैल, 1986	–
7	55-बी, वजीर हसन रोड, लखनऊ जनवरी, 92 में खाली	श्री एम० सी० जौहरी	रु० 3792–12		मई, 1987 कर दिया गया है।
8	14-ए, तिलक मार्ग, लखनऊ	श्री रमाकान्त मिश्रा	रु० 3450–00	नवम्बर, 1987	तदैव
9	ए 3/38, विश्वास खण्ड, गोमती नगर	श्रीमती पद्मजा कुशवाहा	रु० 2367–50	फरवरी, 1989	–
10	14-ए, तिलक मार्ग, लखनऊ	श्री रमाकान्त मिश्रा	रु० 1224–00	अप्रैल, 1989	सितम्बर, 91 में खाली कर दिया गया है।
11	ए–637, इन्दिरा नगर, लखनऊ	श्री एन० आर० बनर्जी	रु० 1586–00	सितम्बर, 1989	
12	ए–149, विश्वास खण्ड, गोमती नगर	श्रीमती कल्पना सुधाकर पत्नी श्री पी० डी० सुधाकर	रु० 4422–50	जनवरी, 1990	जनवरी, 92 में खाली कर दिया गया है।
13	ए–1/37, विश्वास खण्ड, गोमती नगर।	श्री वी० के० शर्मा	रु० 3430–00	जनवरी, 1991	–
		योग ..	रु० 39,586–27		

नोटः–उपर्युक्त 13 आवासों में से चार आवास क्रमशः 55 बी, वजीर हसन रोड, 14 ए, तिलक मार्ग (2), ए–149 विश्वास खण्ड, गोमती नगर,लखनऊ खाली किये जा चुके हैं। अवशेष 9 आवासों पर रु० 26,697–65 (रुपये छब्बीस हजार छः सौ सत्तानवें पैसे पैंसठ मात्र) प्रतिमाह भुगतान किये जा रहे हैं।

नत्थी 'च'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर)

राजकीय पालीटेक्निक लखनऊ में इलेक्ट्रानिक भवन हेतु क्रय किये गये सामग्री का विवरण

1-मोरंग 121-95 घन मी0	रु0 24,790.00	22-2-90, 30-3-91
2-बालू 122.27 घन मी0	रु0 14,690.40	22-2-90, 30-3-90
3-12 मी0मी0 ग्रिट-65-82 घन मी0	रु0 23,037.00	23-2-90, 28-3-90
4-20 मी0मी0 ग्रिट-99-39 घन मी0		28-3-90
5-40 मी0मी0ओ0बी0बी0-128-59 घन मी0	रु0 34,786.50	30-3-90
6-ईंटे- 1,35,000 नं0	23,789.15	8-3-90 13-3-90
		16-3-90 24-3-90
		28-3-90 30-3-90
		31-3-90
7-चूना- 5 किलो	रु0 375.00	9-4-90
8-सुर्खी- शून्य	-	-
9-टी0एण्ड पी0	रु0 8,419.00	24-3-90, 31-3-90,4-4-90
10-लोहे के चौखट-650-50 किलो	रु0 8,749.23	15-3-90, 2-7-90
11-जेड सेक्शन खिड़की-190-98 घन मी0	रु0 53,580.85	2-4-90, 23-4-90
12- तदैव ग्रिल 4992 किलो	रु0 79,872.00	2-4-90, 23-4-90
13-सेनेट्री का सामान	रु0 54,073.39	13-3-90, 20-3-90
14-टारस्टील सरिया	रु0 2,76,000.00	15-3-90, 16-3-90
		29-3-90, 31-3-90
कुल	रु0 6,69,619.52	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0प्र0सं0 147 का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

श्री मदन लाल मित्तल के आवासी फोन पर 88 से 9/91 तक व्यय का विवरण

पद स्टाफ आफिसर 7/89 से

फोन	बिल की तिथि	अवधि	बिल की धनराशि रु0	सरकारी व्यय रु0	व्यय निजी रु0
1	2	3	4	5	6
43611	1-10-88	7-9-88-15-9-88	250	250	-
	1-12-88	15-9-88-15-11-88	958	958	-
	1-2-89	15-11-88-15-1-89	5743	5743	-
	1-4-89	15-1-89-15-3-89	10693	10693	-
	1-6-89	15-3-89-15-5-89	4090	4090	-
	1-8-89	15-5-89-15-7-89	2164	2164	-
	1-10-89	15-7-89-15-9-89	9151	9151	-
	1-1-90	15-9-89-15-12-89	9362	9362	-
	1-3-90	15-12-89-15-2-90	8259	8259	-
	1-5-90	15-2-90-31-3-90	6212	6212	-
243611	1-7-90	31-3-90-15-6-90	8600	8600	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
		पद मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र)			
243611	1-9-90	15-6-90-19-8-90	5770	5770	-
	1-11-90	15-8-90-15-10-90	8232	8232	-
	1-1-91	15-10-90-15-12-90	4624	4624	-
	1-3-91	15-12-91-15-2-91	4072	3613	459
	1-5-91	16-2-91-20-4-91	17280	12806	4474
	1-7-91	20-4-91-15-6-91	19482	15597	3885
	1-9-91	15-6-91-15-8-91	22154	16665	5489
	1-11-91	15-8-91-15-10-91	13774	7555	6209

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक - ख

श्री मदन लाल मित्तल के कार्यालय फोन पर 88 से 9/91 तक व्यय का विवरण

पद स्टाफ आफिसर

फोन	बिल की तिथि	अवधि	बिल की धनराशि रु0	सरकारी व्यय रु0	व्यय निजी रु0
1	2	3	4	5	6
42731	1-10-88	15-7-88-15-9-88	3418	3418	-
	1-12-88	15-9-88-15-11-88	250	250	-
	1-2-89	15-11-88-15-1-89	1690	1690	-
	1-4-89	15-1-89-15-3-89	7183	7183	-
	1-6-89	15-3-89-15-5-89	2785	2785	-
	1-8-89	15-5-89-15-7-89	638	638	-
	1-10-89	15-7-89-15-9-89	804	804	-
	1-11-89	15-9-89-4-10-89	125	125	-
	1-1-90	4-10-89-15-2-90	7585	7585	-
	1-3-90	16-12-90-15-2-90	15020	15020	-
	1-5-90	15-2-90-31-3-90	10147	10147	-
242731	1-7-90	31-3-90-15-6-90	18981	18981	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
		पद मुख्य अभियन्ता			
247437	1-9-90	15-6-90-19-8-90	2534	2534	-
	1-11-90	15-8-90-15-10-90	3369	3369	-
	1-1-91	15-10-90-15-12-90	1873	1828	45
	1-3-91	15-12-90-15-2-91	2818	2818	-
	1-5-91	15-2-91-20-4-91	4700	4671	29
	1-7-91	20-4-91-15-6-91	1674	1674	-
	1-9-91	15-6-91-15-8-91	6353	6349	04
	1-11-91	15-8-91-15-10-91	6469	6288	181

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अता0प्र0सं0 150 का उत्तर पीछे पृष्ठ 96 पर)
अतारांकित प्रश्न संख्या 150 का संलग्नक

वर्ष 1988 से 1991 तक क्रय की गई सामग्री की सूची

क्र0सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	मूल्य	टिप्पणी
1	स्टील आलमारी	एक	1180.00	
2	स्टील कुर्सियां	12	2080.00	
3	क्लर्क मेज	2	1634.00	
4	टुल्लू पम्प	5	5000.00	एक-एक करके अलग तिथियों में क्रय किया गया।
5	तिरपाल	1	2000.00	
6	स्टील टेप	12 एम0 नं0	1891.70	
7	टेण्डर बक्सा	1 नां	300.00	समस्त सूचनायें यंत्र एवं संयंत्र पंजिका तथा फार्म-13 पर आधारित हैं ।
8	गैस बत्ती	5	1250.00	
9	कार्यालय दरी	30.90 वर्ग मी0	6594.06	
10	पर्दे	15 नं0	3403.12	
11	अधिकारी कुर्सी (रिवाल्विंग)	1 नं0	6000.00	
12	मेज	1 नं0	6825.00	
13	अधिकारी कुर्सी	2 नं0	3200.00	
			42357.88	

पी0एस0यू0पी0-एल0 145 विधान सभा (236)-1993-572-इले0/आफसेट ।